अष्टम माला, खंड 8, अंक 13,

गुरुवार 8 अगस्त, 1985
17 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा].

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 8, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 13, गुरुवार, 8 अगस्त, 1985/17 श्रावण, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 244 से 252	...	1—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या : 243 और 253 से 262	...	25—32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2505 से 2509, 2511 से 2607, 2609 से 2611, 2613 से 2624, 2626 से 2664, 2666 से 2697 और 2699 से 2736	...	32—204
सभा-पटल पर रखे गए पत्र ...	...	206—208
राज्य सभा से संदेश	...	209
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	...	210—222
पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने के प्रयास और उसको संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा क्रिप्टन इलैक्ट्रानिक ट्रिगरों की सप्लाई से उत्पन्न स्थिति		
श्री एस० एम० भट्टम ...	...	210—215
श्री खुर्शीद आलम खां ...	...	215—217
प्रो० पी० जे० कुरियन ...	...	217—219

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय | पृष्ठ

यूगान्डा में विद्यमान स्थिति के बारे में वक्तव्य

श्री खुर्शीद आलम खां ... ... 222—223

कार्य-मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन ... ... 223—224

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 224—229

(एक) रबड़, इलायची, काली मिर्च और नारियल आदि पर आधारित उद्योग समूह स्थापित करने के लिए केरल राज्य को पर्याप्त धनराशि और तकनीकी सहायता देना।

श्री के० मोहनदास ... ... 224—225

(दो) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वनियोजन कार्यक्रम को तत्परता से क्रियान्वित करने हेतु राजस्थान सरकार को धन देने की आवश्यकता

श्री राम सिंह यादव 225

(तीन) बस्तर जिले के आदिवासियों के पुनर्वास के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराना

श्री मानकूराम सोढी ... ... 225—226

(चार) राजस्थान में टोंक में तपैदिक के फैलने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये वहां तपैदिक-रोधी दवाओं सहित चिकित्सकों का एक दल तत्काल भेजने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल बेरवा 226

(पांच) केरल में कन्नानौर में एक खेल परिसर स्थापित करने की मांग

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ... ... 226—227

(छः) नारियल और सुपारी की फसलों को बचाने के लिए कर्नाटक के किसानों को वित्तीय सहायता देने और ड्रिप सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा कुएं खोदने की आवश्यकता

श्री जी० एस० बसवराजू 227

(सात) अगरतला और कलकत्ता के बीच हाल में बढ़ाए गए विमान किराये को कम करने और राज्य के विकास के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की मांग

श्री अजय बिश्वास ... ... 227—228

विषय			पृष्ठ
(आठ) बिहार के मधुबनी जिले के बाढ़ पीड़ित लोगों को बचाने के लिए स्थायी आधार पर एक केन्द्रीय योजना बनाने की आवश्यकता			
श्री अब्दुल हन्नान अंसारी	...	...	228
(नौ) फरीदाबाद स्थित बाटा शू कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियों की समस्यायें			
श्री नारायण चौबे	...	...	229
(दस) हैदराबाद से बेल्लारी और रायचूर तक वायुदूत सेवा आरम्भ करने की मांग			
श्रीमती बसव राजेश्वरी	...	...	229
वस्त्र नीति के बारे में चर्चा	...	...	230—277
श्री वाई० एस० महाजन	...	...	230—232
श्री एस० जयपाल रेड्डी	...	...	232—234
श्री उत्तम राठौड़	...	...	234—236
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	...	...	236—238
श्री बनवारी लाल पुरोहित	...	...	238—240
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	...	...	240—242
श्री मधुसूदन वैराले	...	...	242—244
श्री शांति धारीवाल	...	...	244—245
श्री काली प्रसाद पांडेय	...	...	245—247
श्री एन० टोम्बी सिंह	...	...	247—249
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	...	249—251
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	...	...	251—254
श्री जी० एस० बसवराजू	...	...	254—255
श्री अब्दुल हन्नान अंसारी	...	...	255—258
श्री दिग्विजय सिंह	...	...	258—260
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	...	...	260—262
श्री चन्द्र शेखर सिंह	...	...	262—277

विषय			पृष्ठ
बालक नियोजक (संशोधन) विधेयक	...	...	278—288
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री सोमनाथ रथ	...	...	278—279
श्री पी० सेलवेन्द्रन	...	...	279—282
श्रीमती फूलरेणु गुहा	...	...	282—283
श्रीमती किशोरी सिंह	...	...	283—285
श्री अनिल बसु	...	....	285—288

लोक सभा

गुरुवार, 8 अगस्त, 1985/17, श्रावण 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सातवीं योजना के नसबंदी के लक्ष्यों की प्राप्ति के उपाय

*244. **श्री बृज मोहन महन्ती +** }
श्री विजय एन० पाटिल } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** य
बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के नसबंदी, लूप आदि लगाने तथा परम्परागत गर्भ-निरोधक उपायों सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं और उनमें बहुत अधिक कमी रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या छठी योजना के परिवार नियोजन सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में कोई विश्लेषण किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सातवीं योजना में जन्म दर को कम करने की प्रक्रिया को तेज करने और सातवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जो छठी योजना के लक्ष्यों से बहुत अधिक हैं, कोई नई नीति अपनाई जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) छठी योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्य निष्पादन के बारे में किए विश्लेषण से पता चलता है कि लक्ष्यों की उपलब्धि 80 प्रतिशत के आसपास थी । इस कार्यक्रम का निरन्तर मूल्यांकन किया जाता है, प्रमुख समस्या-क्षेत्रों का पता लगाया जाता है और इस प्रयोजन के लिए समुचित कार्य-नीति सम्बन्धी मार्ग अपनाए जाते हैं ।

श्री बृज मोहन महन्ती : यह सबसे बड़ी समस्या है । जनसंख्या नियंत्रण की समस्या से राष्ट्र जूझ रहा है । संवाददाता सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि बढ़ती हुई आबादी आज सबसे बड़ी समस्या है । हमने छठी पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है । विश्लेषण से पता चलता है कि लक्ष्य के 80 प्रतिशत की प्राप्ति हुई है । अतः सातवीं पंच वर्षीय योजना में हम महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम बना रहे हैं तथा कुछ नई नीतियां भी अपनाई जायेंगी । हम उन राज्यों को 2 करोड़, $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये दे रहे हैं जिन्हें इस कार्यक्रम में सफलता मिली है । क्या उन राज्यों ने कोई व्यापक कार्यक्रम बनाया है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है और किस प्रकार वे इस राशि का वितरण करेंगे ? क्या इस कार्यक्रम में पंचायत संगठन भी शामिल हैं ? क्या इस कार्यक्रम में पंचायत समितियों का भी योगदान है और क्या वे इस पुरस्कार की राशि में भी हिस्सेदार हैं जो कि दी जा रही है ? अन्य कौन सी नई नीतियां अपनाई जा रही हैं ताकि छठी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई नीति में जो कमियां रह गई थीं, उन्हें दूर किया जा सके और हम सातवीं पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : माननीय सदस्य ने पुरस्कार देने के बारे में पूछा है जो कि हम राज्यों को उनके परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सुधार लाने एवं प्रोत्साहन देने के लिए दे रहे हैं । यह तो राज्य सरकारों पर ही है कि वे इस पुरस्कार राशि को इस परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए किस प्रकार खर्च करते हैं ।

श्री बृज मोहन महन्ती : क्या सरकार दो बच्चों के बजाय एक बच्चा प्रति परिवार का मापदण्ड अपनाने पर विचार कर रही है जैसा कि चीन में किया गया है, क्योंकि समस्या बहुत गम्भीर है ?

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय अगर जुड़वा पैदा हो जायेंगे तो क्या होगा··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या ख्याल है कि एक ही गिनना शुरू करें ।

··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मोहसिना किदवई : इस समय हमारा मापदंड प्रति परिवार दो बच्चों का है क्योंकि हमारे देश में शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है तथा अन्य समस्याएं भी हैं; अतः हम एक परिवार एक बच्चा मापदण्ड को नहीं अपना सकते ।

श्री पी० कुलनदइवेलु : भारत में राजस्थान राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है तथा सबसे ज्यादा मृत्यु-दर उत्तर प्रदेश में है । क्या सरकार नसबंदी को अनिवार्य करने के बारे में कोई कार्यक्रम बना रही है तथा चीन की भांति भारत में भी प्रति परिवार एक बच्चा मापदण्ड अपनायेगी ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : हम इसे अनिवार्य नहीं कर सकते । हमें लोगों को प्रेरित

करना होगा और उनमें जन-जागृति पैदा करनी होगी। हम दूसरे राष्ट्रों की नीतियों को भी नहीं अपना सकते। हम ऐसी नीतियों को अपनायेंगे जो हमारे देश के माफिक हों।

श्री सोमनाथ रथ : क्या सरकार उन परिवारों को 25 रुपये प्रति माह प्रारम्भिक प्रोत्साहन के रूप में देने का सोच रही है जो परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपना रहे हैं जैसा कि चीन में किया जा रहा है ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : प्रोत्साहन देने के बारे में हमारी कुछ योजनाएं हैं, तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ योजनाएं हैं। परन्तु हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि हमारे देश के अधिकांश लोगों के अनुकूल हो। हम प्रोत्साहन भी देते हैं, हम राज्यों को इन कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए शत-प्रतिशत अनुदान भी देते हैं।

यह सच है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि राजस्थान तथा चार अन्य राज्य अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा कर्नाटक इस मामले में पीछे हैं हम उन सभी राज्यों के लिए विशेष योजनाएं बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी। देखिए एक महिला क्या कहती है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या बच्चों के सम्बन्ध में बोलने का उन्हें अधिकार है ?

कुमारी ममता बनर्जी : मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए छठी पंच वर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल को दी गई राशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया है ? क्या ऐसा कार्यक्रम लागू करने में उनकी असमर्थता के कारण हुआ है ? क्या सरकार पश्चिम बंगाल के मामले की जांच करवाने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करेगी क्योंकि वहां पर एक भी अस्पताल नहीं है, कोई परिवार नियोजन केन्द्र नहीं है, चिकित्सक नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं तथा महिलाओं के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं हैं। क्या सरकार इन सब बातों की गम्भीरता से जांच कराएगी।

श्रीमती मोहसिना किदवई : कुछ राज्यों के बारे में हमें कुछ शिकायतें मिली हैं जो कि धन का समुचित उपयोग नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पश्चिम बंगाल में या कहीं और ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : माननीय सदस्या पश्चिम बंगाल के बारे में पूछ रही हैं इसीलिए मैं उत्तर दे रही हूं।

यह सच है कि कुछ शिकायतें हैं कि वहां डॉक्टर नहीं हैं। हम उनकी जांच कर रहे हैं तथा मैं माननीय सदस्या से कहूंगी कि वे मुझे लिखित में पूरा ब्यौरा भेजें ताकि मैं कुछ कर सकूं।

प्रो० मधु दण्डवते : 50 हार्स पावर समिति की नियुक्ति का क्या हुआ ?

श्री जगन्नाथ राव : व्यक्ति को प्रोत्साहन देने की बजाय क्या सरकार पूरे के पूरे एक

ब्लाक को प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी ताकि अगर पांच वर्ष की अवधि में एक ब्लाक के लोग जन्म दर कम करने में कामयाब हुए तो उनके ब्लाक के लिए एक परियोजना स्वीकृत की जाएगी जैसे कि छोटी सिंचाई परियोजना अथवा इसी प्रकार की कोई परियोजना ताकि इसमें सम्पूर्ण जनसंख्या हिस्सा ले सके।

श्रीमती मोहसिना किदवई : हम राज्यों को पुरस्कार देते हैं। इसीलिए हम राज्य सरकारों को कहते हैं कि वे इन कार्यक्रमों में पंचायतों तथा अन्य ग्रामीणों को सम्मिलित करें।

श्री जगन्नाथ राव : वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : जहां तक परिवार कल्याण कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है। उनके सेवा निवृत्त होने के समय तक यह राशि लगभग 2000 रुपये तक होती है। परन्तु गैर-सरकारी नागरिक को सिर्फ 30 या 40 रुपया मिलता है। क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ताकि यह राशि उस सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली राशि के बराबर हो जाए जो परिवार नियोजन को अपनाता है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह एक सुझाव है, मैं इस पर विचार करूंगी।

[हिन्दी]

माण्ड ताप-विद्युत परियोजना

*245. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल रायगढ़ जिले में माण्ड ताप-विद्युत संयंत्र के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना की स्थापना करने हेतु कोई परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के साथ कोई कोयला खान अभी तक सम्बद्ध नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : माण्ड कोयला क्षेत्र का भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के पश्चात केन्द्रीय खान योजना तथा डिजाइन संस्थान लि०, रांची द्वारा इस क्षेत्र की क्षमता का निर्धारण किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि माण्ड कोयला क्षेत्र का भू-सर्वेक्षण होने जा रहा है और जब तक सर्वेक्षण नहीं होगा तब तक इसकी क्षमता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाएगा, योजना में कितना कोयला लगेगा और उससे कितना लाभ होगा ?

[अनुवाद]

श्री अरुण नेहरू : कोयले तथा पानी की मात्रा का पता क्रमशः भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण तथा सी०डब्लू०सी० द्वारा लगाया जा रहा है। परन्तु मुख्य समस्या यह है कि यद्यपि यह परियोजना 1983 में हमें प्राप्त हुई थी परन्तु अभी तक मध्य प्रदेश सरकार से हमें वनों की कटाई के बारे में तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कृषि राजस्व एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालयों की ओर से स्वीकृति नहीं मिली है। अगर इन सबकी स्वीकृति नहीं मिलती तो इस मामले में आगे कार्यवाही करना मुमकिन नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में बहुत सारा कोयला है और इतनी बिजली और कोयला होने के बाद भी वहां के किसानों को अभी तक जितनी बिजली मिलनी चाहिये, उतनी नहीं मिलती है। इसका क्या कारण है और यह योजना मध्य प्रदेश और गुजरात की कम्बाइन्ड योजना है, क्या यह योजना उनके पास आ चुकी है, यदि आ चुकी है, तो कृपया यह बतायें कि इस योजना के लिए मध्यप्रदेश और गुजरात सरकारें कितना-कितना रुपया वहां देंगी और इस योजना से जो पावर मिलेगी, उसमें कितना-कितना शेयर इन दोनों का रहेगा ?

[अनुवाद]

श्री अरुण नेहरू : ये सभी बातें बाद में आएंगी।

श्री मोहन भाई पटेल : इस परियोजना की क्षमता क्या है ? इसमें कितना व्यय होगा तथा मध्य प्रदेश और गुजरात का कितना हिस्सा होगा ?

श्री अरुण नेहरू : यह प्रस्ताव अभी भी कागजों पर ही है। बंटवारे के बारे में अभी कोई खास चर्चा नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : महोदय मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक

सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में जो खनिज कोयला भण्डार है, उसके आधार पर दस हजार मेगावाट क्षमता का थर्मल पवर प्लान्ट वहां कायम किया जा सकता है, तो आगामी सातवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से और एन०टी०पी०सी० के माध्यम से मध्य देश में कितनी अतिरिक्त सुपर थर्मल पॉवर क्षमता स्थापित की जाएगी ?

[अनुवाद]

श्री अरुण नेहरू : इस वक्त मध्य प्रदेश में संस्थापित क्षमता 2650 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के पास लगभग 1700 मेगावाट की चालू योजनाएं हैं। एन०टी०पी०सी० भी, कोरबा ताप-विद्युत घर की स्थापना कर रहा है। इसकी 1, 2 तथा 3 इकाईयां पहले ही कार्य कर रही हैं। इकाई 4, 1987-88 में शुरू होने की संभावना है। इसी प्रकार से कोरबा एक्सटेंशन भी है जिसके अन्तर्गत सन् 1988-89 में इकाई 5 भी चालू की जायेगी तथा इकाई नं० 6 सन् 1988-90 में चालू हो जाएगी। विन्ध्याचल उच्च तापीय विद्युत केन्द्र भी है जिसमें 6×2.0 मेगावाट क्षमता की इकाईयां हैं। इकाई 1 तथा 2 1987 तक तथा इकाई 3 और 4 1988-89 तक तथा इकाई 5 और 6 1989-90 तक शुरू होने की संभावना है। ये सभी तीनों अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं।

रेल के माल डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण कोचीन में नारियल उत्पादों का जमा होना

*246. **श्री के० कुन्हम्बु**
श्री वी० एस० विजय राघवन } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल के माल डिब्बों के उपलब्ध होने के कारण कोचीन में गरी, नारियल जटा, नारियल का तेल आदि नारियल उत्पाद भारी मात्रा में जमा हो गये हैं;

(ख) क्या कोचीन में माल डिब्बों की बुकिंग रोक दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) माल डिब्बों की बुकिंग को फिर से खोलने तथा जमा पड़े माल की निकासी के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री के० कुन्हम्बु : महोदय, माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या पिछले छः महीनों में ऐसा मौका आया था जब वैगनों की कमी के कारण उनकी बुकिंग को स्थगित करना पड़ा जैसा कि सभी मलयालय अखबारों में छपा था।

श्री बंसी लाल : कृपया प्रश्न को दोहराईये।

के० कुन्जम्बु : नारियल उत्पादों के बारे में वैगनों की बुकिंग को क्या प्राथमिकता दी जाती है ?

श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या माननीय मन्त्री जी हमें बतायेंगे कि पिछले एक वर्ष में नारियल उत्पादों के लिए कितने वैगनों की आवश्यकता पड़ी और कितनों की पूर्ति की गई ?

(श्री बंसी लाल) : खोपरे को 'सी' प्राथमिकता तथा नारियल जटा को 'ई' प्राथमिकता दी जाती है।

श्री बंसी लाल : खोपरे के लिए जनवरी से जुलाई तक 587 वेगन दिये गये थे। फरवरी में इनकी संख्या 53 तथा मार्च में 118 थी।

टैगोर की रचनाओं का हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाओं में अनुवाद

*247. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वभारती ने उनके मंत्रालय को टैगोर की रचनाओं का हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाओं में अनुवाद कम कीमत पर कराने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जून, 1985 में विश्व-भारती ने पहले टैगोर की चुनी हुई रचनाओं और अन्ततः उनकी पूर्ण रचनाओं का हिन्दी में अनुवाद कम कीमत पर प्रकाशित करने का एक प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव में टैगोर की चुनी हुई रचनाओं को अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित करने की परिकल्पना की गई थी। विश्व-भारती ने लघु कहानियों, गीतों और चुनी हुई कविताओं का एक-एक खंड प्रकाशित करने के लिए 2.00 लाख रुपये उड़िया, अरबी और फारसी में चुनी हुई कविताओं, गीतों और नाटकों के प्रत्येक अनुवाद के लिए 1.00 लाख रु० तथा पूर्ण रचनाओं का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने के लिए 1.00 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया था। इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

टैगोर की जन्म शताब्दी के अवसर पर साहित्य अकादमी द्वारा उनकी चुनी हुई रचनाएं विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की गई थीं। साहित्य अकादमी इन रचनाओं को अनेक भाषाओं में पुन: छपवाती रहती है।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : महोदय भारत सरकार द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किए गये उपलब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति डा० निमाई सूदम बोस ने प्रधान मन्त्री द्वारा शांति निकेतन का दौरा किए जाने के तत्काल बाद मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगले वर्ष टैगोर का 125 वां जन्मदिवस मनाया जाएगा, मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या विश्व भारती द्वारा मंत्रालय के समक्ष रखे गये टैगोर

की चुनी हुई साहित्यक कृतियों को हिन्दी भाषा में प्रकाशित करने के लिए एक करोड़ रुपए की *परियोजना के प्रस्ताव को शीघ्र ही स्वीकार किया जाएगा, ताकि वह इस पर आगे कार्यवाही कर* सके और यदि हां, तो इन रचनाओं का अनुवाद करने के लिए विद्वानों का चयन किस प्रकार किया जाएगा ? मैंने टैगोर की प्रसिद्ध कहानी 'हुंगरी स्टोन' का हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद देखा है जो कि बाजार में उपलब्ध है। बहुत ही भद्दा अनुवाद किया गया है। टैगोर इस कहानी के माध्यम से जो भाव व्यक्त करना चाहते थे उसे लोग इससे नहीं जान सकते। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इसके प्रकाशन की इस परियोजना को मन्जूर करने का निर्णय लेने के बाद इसकी कार्यप्रणाली क्या होगी तथा इसे देश में किस प्रकार वितरित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में इसके बंगला भाषा में प्रकाशन के बाद पिछले 10 सालों से लोग चुनिन्दा रचनाओं की यह पुस्तक खरीदने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह एक स्पष्ट मुद्दा है जिसे मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : साफ बात यह है कि मैंने इस समस्या को समझने का प्रयास किया है और मुझे बंगाली भाषा में टैगोर की पुस्तकों की उपलब्धता के बारे में पता नहीं है, क्योंकि विश्व भारती ने पहले टैगोर की कुछ रचनाएं प्रकाशित की थीं और टैगोर की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1961 में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कुछ पुस्तकें प्रकाशित की थीं। इनमें से कुछ पुस्तकें अभी भी विश्व भारती के पास हैं। अब विश्व भारती से दो प्रस्ताव मिले हैं। एक प्रस्ताव यह है कि पुस्तकों का हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाए। ऐसा पहले भी किया जा चुका है। लेकिन टैगोर के 125 वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है तो विश्वभारती ने दूसरा। ये दोनों प्रस्ताव बंगला संस्करण के बारे में हैं न कि अनुवादों के बारे में। अतः इन सभी मामलों पर इस दृष्टि से विचार करना पड़ेगा कि बिना बिक्री पुस्तकों की संख्या कितनी है, उनके नहीं बिकने के क्या कारण हैं तथा उन रचनाओं का अनुवाद किस प्रकार किया जाय जो देश के अन्य राज्यों में काफी लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी हैं। यह प्रस्ताव हमें जुलाई में मिला था और मेरे विचार में इन पहलुओं पर विचार करने के लिए कुछ और समय की जरूरत होगी।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : इस बात को देखते हुए कि यह वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शताब्दी वर्ष है, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं ···

प्रो० मधु दण्डवते : सौवां साल नहीं सत्रहवां साल।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैंने 17वां साल नहीं कहा। शायद मधु जी उस इतिहास में से पढ़ रहे हैं जो उन्होंने स्वयं तैयार किया है।

वह टैगोर ही थे जिन्होंने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म से बहुत पहले राष्ट्रीय एकता पर पहला गीत गाया था। बंगला में वह प्रसिद्ध गीत था :

'एकी सूत्रे बान्धयाछी सहस्रति मन"

एक ही धागे से हमने समस्त भारत को एक सूत्र में बांध दिया है।

अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस देश की युवा पीढ़ी को टैगोर के वास्तविक विचारों को हूबहू हिन्दी में उपलब्ध करायेंगे क्योंकि आमतौर पर अधिकांश लोग इसी भाषा को समझते हैं? महात्मा गांधी, नेताजी और पंडित जवाहर लाल के चिंतन से मेल खाने वाले टैगोर तथा राष्ट्रीय आन्दोलन पर यह संग्रह राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित करके इस देश की युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों को तत्काल उपलब्ध कराया जा सकता है। पुणे में यरवदा जेल में गांधीजी ने जब उपवास किया था तो टैगोर ने नेताजी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और गांधीजी को समर्पित करते हुए तीन प्रमुख गीत गाए थे। राष्ट्रीय एकता के लिए ये गीत बहुत ही प्रेरणाप्रद हैं लेकिन खेद की बात है कि देश में बंगला भाषा पढ़ने वालों के अलावा और लोग शायद ही इन गीतों के बारे में जानते हों। अत मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह टैगोर और राष्ट्रीय आन्दोलन पर हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में संग्रह तैयार करने के लिए पहल करेंगे?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: महोदय, मेरे भी वही विचार हैं जो मेरे माननीय मित्र के हैं लेकिन किसी सुझाव को कब और कैसे कार्यान्वित किया जाये, इस बारे में अनेक बातों पर विचार करना होगा।

अब टैगोर की जिन रचनाओं के पहले ही हिन्दी संस्करण प्रकाशित किये जा चुके हैं उनमें से बहुतों के नाम वही हैं जो मूल बंगला पाठ में हैं लेकिन उन्हें देवनागरी लिपि में लिखा गया है। कुछ का अनुवाद किया गया है तथा कुछ में टिप्पणी साथ दी गई है। इनका प्रकाशन पहले साहित्य अकादमी ने किया था लेकिन इसके अलावा टैगोर की कविताएं तथा अन्य साहित्यिक रचनाएं हिन्दी सहित 17 भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं और जैसा कि मैं बता चुका हूं ये सब बहुत लोकप्रिय हुई हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी: मेरा प्रश्न यह नहीं था। मैंने पूछा था कि क्या माननीय मंत्री राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से टैगोर तथा राष्ट्रीय आन्दोलन पर संग्रह प्रकाशित कराने पर विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने विभिन्न पुस्तकों के अनुवाद के सम्बन्ध में एक भिन्न जवाब दिया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: यह मेरी गलती है कि मैं उन्हें कभी-कभी अतिरिक्त जानकारी दे देता हूं।

श्री रेणुपद दास: महोदय, यह बात सही है कि रबिन्द्र नाथ टैगोर की रचनाओं के हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद में कठिनाइयां हैं। मेरे विचार में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को अनुवाद कार्य अपने हाथ में लेना होगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि रवीन्द्र नाथ टैगोर की कलाकृतियों तथा आधुनिक भारतीय साहित्य कला, नृत्य, नाटक, संगीत तथा चित्रकला के केन्द्र विश्व भारती को भारत महोत्सव में पूर्णतया या आंशिक तौर पर उपेक्षा की गयी। यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं। यदि नहीं, तो हाल ही में फ्रांस तथा आजकल अमरीका में आयोजित किए जा रहे भारत महोत्सव के कार्यक्रम में विश्व भारती का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? ऐसा क्यों है कि फ्रांस में और अब अमरीका में आयोजित किए जा रहे भारत महोत्सव की प्रदर्शनियों में आधुनिक इतिहास की बजाय मध्यकालीन तथा प्राचीन इतिहास पर जोर दिया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे विचार में तथ्यों की पूरी जानकारी के बिना इस प्रश्न का जवाब देना मेरे लिए ठीक नहीं होगा।

श्री आशुतोष लाहा : रवीन्द्र नाथ टैगोर की बेशुमार कलाकृतियों में से बहुत सी कृतियां ऐसी हैं जिनमें राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता का उल्लेख है। केवल गीत ही नहीं हैं बल्कि नाटक और अन्य कलाकृतियां तथा निबंध हैं। इस बात को देखते हुए कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें अपनी राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के लिए कुछ करना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास रवीन्द्र नाथ टैगोर की कलाकृतियों में से ऐसी कलाकृतियों का चयन करके उन्हें विभिन्न भाषाओं हिन्दी में ही नहीं बल्कि अन्य सभी भाषाओं में प्रकाशित करने का प्रस्ताव है, ताकि राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को बढ़ावा जा सके ? यदि नहीं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह उक्त प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं भाषाओं के नाम पढ़कर सुनाता हूं, ताकि सदन जान सके कि रवीन्द्र नाथ की रचनाएं कितनी भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। साहित्य अकादमी ने रवीन्द्र नाथ टैगोर की रचनाओं को निम्नलिखित भाषाओं में प्रकाशित किया है :

असमी

बंगला

अंग्रेजी

गुजराती

हिन्दी

कन्नड़

कश्मीरी

मलयालम

मणिपुरी

मराठी

नेपाली

उड़िया

पंजाबी

सिंधी

तमिल

तेलुगु और

उर्दू

रेलों में कार्य-भारित कर्मचारी

*248. श्री अनिल बसु + } क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।
श्री हन्नान मोल्लाह

(क) क्या हाल ही में रेल प्रशासन ने कार्य-भारित कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अनिल बसु : एक प्रमुख बंगाली दैनिक समाचार पत्र 'आनन्द बाजार पत्रिका' में 4-7-85 को यह खबर छपी थी कि रेलवे बोर्ड के वित्तीय आयुक्त श्री बी० वेंकटरामन ने 13 जून को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें विभिन्न रेलवे डिवीजनों से कार्य भारित कर्मचारियों की संख्या 50 से 60% तक कम करने के लिए कहा गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि ऐसा परिपत्र जारी किया गया है तथा उक्त परिपत्र का ब्यौरा क्या है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबन्धकों को कहा गया है कि वे भविष्य में भरती करते समय संबन्धित वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करें और इसके क्या कारण हैं ?

श्री माधव राव सिंधिया : हमारा यही प्रयास रहता है कि रेलवे अधिक कारगर ढंग से काम कर सके तथा निर्माण कार्य अधिक कुशलता से हो सके। उन्होंने वित्तीय आयुक्त का उल्लेख किया है। वित्तीय आयुक्त ने जून, 1985 को महाप्रबंधकों को एक अर्ध-सरकारी पत्र लिखा था जिसमें उन्हें कार्य-भारित कर्मचारियों की संख्या की पुनरीक्षा करने के लिए सचेत किया गया था। उनकी संख्या में भारी कमी करने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। वित्तीय आयुक्त ने अपने पत्र में जो लिखा है वह उनका व्यक्तिगत मत था। इसका उद्देश्य महा-प्रबंधकों को सचेत करना था। जहां तक एफ० ए० एण्ड सी० ए० ओ० से परामर्श करने का सम्बंध है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। महाप्रबंधकों के ध्यान में यह बात लाई गई है कि वे इन्हें एफ० ए० एण्ड सी० ए० ओ० के साथ परामर्श करके कार्यान्वित करें। इसमें कोई असामान्य बात नहीं है ; यह एक सामान्य प्रक्रिया है।

श्री अनिल बसु : मंत्री जी ने भाग (ख) का उत्तर दिया है "प्रश्न ही नहीं उठता।" अब उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि वित्तीय कठिनाइयां हैं। उनका कहना है कि अर्ध-सरकारी पत्र जारी किया गया था तथा उसमें जो कहा गया है वह रेलवे बोर्ड या सरकार की राय नहीं होकर वित्तीय आयुक्त की व्यक्तिगत राय है। इससे पता चलता है कि यद्यपि कार्य-भारित कर्मचारियों की संख्या

में भारी कमी नहीं हो सके। तथापि जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है उनकी संख्या में आंशिक तौर पर कमी की जा सकती है। मंत्री जी स्पष्ट रूप से आश्वासन दें कि किसी कार्य-भारित कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसा नहीं होने देने के लिए वह सभी आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

वर्ष 1980 में·········

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, ठीक है।

श्री अनिल बसु : महोदय, यह दूसरा अनुपूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, दूसरा अनुपूरक प्रश्न है, तीसरा नहीं।

श्री अनिल बसु : महोदय, मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। (व्यवधान)। 1980 में सरकार ने रेलवे में नैमित्तिक मजदूर रखने की व्यवस्था को समाप्त करने तथा सभी नैमित्तिक मजदूरों को खपाने का निर्णय लिया था। अभी भी रेलवे में दो लाख से अधिक ऐसे नैमित्तिक मजदूर हैं जिन्हें खपाया जाना है। सरकार उन्हें कब खपाएगी तथा इसके लिए उसका निर्धारित कार्यक्रम क्या है ?

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय, माननीय सदस्य के तीसरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि कार्य भारित कर्मचारियों की नौकरी पूरी तरह से जरूरत पर आधारित रहेगी। जहां तक नैमित्तिक मजदूरों का सम्बंध है यह अधिक व्यापक प्रश्न है। यह प्रश्न केवल कार्य भारित कर्मचारियों से सम्बंधित है। बहरहाल नैमित्तिक मजदूरों को वरिष्ठता के आधार पर खपाया जा रहा है और मेरे विचार में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो एक साल में यह लगभग 20,000 से 30,000 तक है। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो उसे ठीक किया जाए।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि हजारों व्यक्तियों की स्वयंसेवी टिकट निरीक्षण कर्मचारियों के रूप में भरती की गयी है।···

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत पुरानी बात है। इसका जवाब बहुत बार दिया जा चुका है।

श्री वसुदेव आचार्य : जी नहीं, इसका जवाब नहीं दिया गया है। अभी तो मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच नहीं है कि भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का उल्लंघन करके हजारों व्यक्तियों की स्वयंसेवी टिकट निरीक्षक के रूप में भरती की गयी है। आगे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इनमें से कुछ की सेवाएं समाप्त कर दी

गई हैं अथवा उनकी सेवाओं को नियमित किया गया है या उन्हें रेलवे में नियमित कर्मचारी के रूप में खपा लिया गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक ओर तो आप उन्हें नियमित करना चाहते हैं और दूसरी ओर आप उन्हें निकालना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 249—डॉ० फूलरेणु गुहा ।

महिलाओं के लिए अल्पावधि आवास गृह

***249. श्रीमती फूलरेणु गुहा :** क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के सहायता अनुदान से कितने अल्पावधि आवास गृह चल रहे हैं और कहां-कहां पर;

(ख) इन आवास गृहों में कितनी लड़कियां/महिलायें हैं;

(ग) अब तक कितनी लड़कियों/महिलाओं को पुनर्वास किया गया है;

(घ) प्रत्येक आवास-गृह के लिए प्रति लड़की/महिला को कितनी धनराशि स्वीकृत की जाती है; और

(ङ) वर्ष 1985-86 में कितने अल्पावधि आवास गृहों की मंजूरी देने का सरकार का विचार है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) इस मंत्रालय के सहायक अनुदान की सहायता से 21 अल्पावास गृह चल रहे हैं । वे अहमदाबाद, बम्बई, देहरादून (कलसी), दिल्ली, कटक, ग्वालियर, हैदराबाद, हुगली, इम्फाल, जालन्धर, मदुराई, पंजी, पटना, त्रिवेन्द्रम, मलगांव (नासिक), नागपुर, फरीदाबाद, करनाल, लखनऊ, सीतापुर और कानपुर में स्थित हैं ।

(ख) लगभग 700 महिलाएं और लड़कियां ।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान लगभग 1511 महिलाओं/लड़कियों को पुनर्वास प्रदान किया गया ।

(घ) पहले वर्ष में प्रत्येक गृह के लिए 98,000 रुपये स्वीकृत किये जाते हैं और उसके बाद प्रत्येक वर्ष में 83,000/- रुपए स्वीकृत किये जाते हैं । प्रत्येक संवासी के संरक्षण के लिए 75/- रुपए

प्रतिमास की धनराशि स्वीकृत की जाती है।

(ङ) 1985-86 के दौरान एक अल्पावास गृहों की स्वकृति दी गई है और शेष प्रस्तावों पर इस वर्ष के दौरान विचार किया जाएगा।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : महोदय, 1970-71 में जब यह योजना शुरू हुई थी तो प्रति निवासी 75 रुपए की स्वीकृति दी गई थी। इतने वर्ष बीत जाने पर भी तथा बढ़ते हुए मूल्यों के बावजूद उतनी ही राशि रखी जा रही है। पहले साल सामान आदि के लिए अनुदान दिया जाता है। लेकिन उसके बाद 75 रुपए में ही सब काम करना पड़ता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे संभव है।

मैं यह बताना चाहती हूं कि क्योंकि यह पैसा स्वयंसेवी संगठनों को देना होता है, इसलिए यह बहुत ही सीमित धनराशि दी जाती है। लेकिन जब सरकार चाहे वह केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार—कोई गृह या छात्रावास चलाती है, तो वे बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या वे उनकी धनराशि बढ़ाने का कोई विचार कर रहे हैं।

श्रीमती एम० चन्द्रशेखर : महोदय, मैं माननीय सदस्या की बात से सहमत हूं कि एक व्यक्ति के लिए 75 रुपए पर्याप्त नहीं हैं।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि मकान के किराए के लिए 600 रुपए दिए जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि आजकल 600 रुपए में एक कमरा भी किराये पर नहीं मिलता। अतः एक गृह, जहां कम से कम 25 या 50 लड़कियों को रखा जाना है, उतनी राशि से कैसे मिल सकता है; अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार उन्हें भरण-पोषण के लिए दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाने के साथ-साथ मकान किराया अनुदान भी बढ़ाने जा रही है ?

श्रीमती एम० चन्द्रशेखर : महोदय, इस मुद्दे पर भी मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान द्वारा अल्पावधि आवास गृहों के कार्यकरण संबन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन में एक सिफारिश यह की गई थी कि न केवल मकान के किराये के रूप में दी जानी वाली धनराशि बढ़ाई जाए अपितु उनकी अपनी एक इमारत बनाई जाए। अतः हम उसका भी अध्ययन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : महिलाओं का सवाल है, स्वैल जी आप क्या कर रहें हैं।··· **(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

मैं प्रोफेसर स्वैल से कह रहा था कि यह महिलाओं का प्रश्न है।

प्रो० मधु दंडवते : प्रोफेसर जी संभवत: इन गृहों में स्त्रियों के थोड़े समय तक रहने के बारे में चिंतित हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, अपने देश के नारी निकेतन और नारी-गृहों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। मंत्री महोदय ने भी बताया है कि वहां महिलाओं के ऊपर प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं, पिछले तीन वर्षों में अल्पावधि आवास गृहों में कितनी महिलाओं ने आत्महत्यायें की कितनी महिलाएं आवास छोड़ कर चली गईं और उनके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती एम० चन्द्रशेखर : महोदय, मैं समझती हूं, इस विषय पर पृथक से प्रश्न पूछा जा सकता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बाद में पता करके बतायेंगी।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, न डॉक्टरी जांच होती है, न आवास में खाने-पीने की सुविधा है और बहुत अक्सर न्यूट्रिशियस डायट नहीं है। मेरे पास बहुत लोगों की चिट्ठियां आती हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह बता रहे हैं, वह बात हो गई है। वे देख रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इसलिए सभी औरतों से पूछने पर झगड़ा शुरू होगा, किसी मर्द से पूछिए… (व्यवधान)…

[अनुवाद]

श्रीमती एम० चन्द्रशेखर : यदि माननीय सदस्या को बहुत से पत्र मिले हैं, तो वह उन्हें हमें भेज सकती हैं ताकि हम भी उन पर विचार करें। इसके अतिरिक्त, यह एक पृथक प्रश्न है। यह अल्पावधि आवास गृह से संबन्धित नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्पावधि आवास गृहों में रहने वाली महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं।

श्री जी०जी० स्वैल : अन्य बातों के अलावा, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन गृहों में इन

महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। मंत्री महोदय को निश्चय ही यह जानकारी होगी कि उस अभागी महिला आरती वेंकटारमन के साथ क्या हुआ जब एक आवारा व्यक्ति ने उसके घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। इन लड़कियों के साथ ऐसा न हो, इस संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती एम० चन्द्रशेखर : महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये गृह स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि वे इन लोगों को उचित सुरक्षा प्रदान करें। ऐसा अत्याचार जिस संस्थान में हुआ, वह मिशनरियों द्वारा चलाया जा रहा है।

श्री बी०बी० रमैया : सरकार इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है ? इन गृहों को चलाने वाले लोग इन आवारा लोगों से लड़ाई नहीं ले सकते। उनकी सुरक्षा के लिए कुछ और भी करना होगा।

श्रीमती एम० चन्द्रशेखर : मैं नहीं समझती कि इन गृहों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यदि वहां कोई अप्रिय घटना होती है तो हम उसकी जांच करते हैं।

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण : महाराष्ट्र में महिलाओं की अधिक संख्या को देखते हुए वहां बनाए गए गृहों की संख्या कम है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के संबंध में जो सुझाव दिए गए हैं। उनके बारे में अन्य संबन्धित मंत्रालयों —जैसे गृह मंत्रालय, को भी ध्यान देना चाहिए तथा भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाए और वह देखें कि उनकी पूरी सुरक्षा की जाए और लिए उचित व्यवस्था की जाए, इन गृहों में उन्हें सुरक्षा तथा शिक्षण सुविधाएं भी दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है। इस पर विचार किया जाएगा।

कलकत्ता वृत्ताकार रेल परियोजना

*250. **श्री अमर राय प्रधान**
श्रीमती गीता मुखर्जी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता वृत्ताकार रेल परियोजना का कार्य रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस काम के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) (क) जी नहीं। परियोजना पर काम चल रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह अतिक्रमणों का हटाने तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्री अमर रॉय प्रधान : मैं प्रश्न के भाग (क) और (ख) के संबंध में दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। तथापि भाग (ग)···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भाग (ग) के संबंध में दिए गए उत्तर से संतुष्ट हैं ?

श्री अमर रॉय प्रधान : जी नहीं, महोदय। मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार के लिए तो धन की कमी निरन्तर बनी हुई है···

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा ऐसा सुनता रहता हूं।

श्री अमर रॉय प्रधान : प्रश्न अतिक्रमण के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि ये अनाधिकार हस्तक्षेप करने वाले लोग कौन है ? करीब 700 लोगों ने अनाधिकृत रूप से जमीन ली हुई है। इन 700 में से 60% लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं और वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय से बाग बाजार से दमदम तक फैले हुए हैं। शेष 40% भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोग अपने राज्यों में आ सकें ? (व्यवधान) आपको यह कहने का मौका मिल जाएगा।

[हिन्दी]

कि उत्तर प्रदेश और बिहार के आदमियों को पश्चिम बंगाल से निकाला जा रहा है।

[अनुवाद]

और क्या आप सोचते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान से आए 40% लोगों को वापिस बंगलादेश भेज दिया जाना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अमर रॉय प्रधान : महोदय, मैं अपने प्रश्न पर ही आ रहा हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ने अनाधिकार हस्तक्षेप करने वाले इन लोगों के उचित पुनर्वास के लिए रेल मंत्रालय के पास एक निश्चित प्रस्ताव भेजा था···

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री अमर रॉय प्रधान : कुछ मामलों में वे पहले ऐसा कर चुके हैं। (व्यवधान) वे उनके पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता दे सकते हैं। मेरा प्रश्न साधारण सा है···

अध्यक्ष महोदय : न तो आप सीधे सादे हैं और न ही आपका प्रश्न सीधा है।

श्री अमर रॉय प्रधान : मेरा प्रश्न है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार को उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी पाकिस्तान से आए इन 700 लोगों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

श्री माधवराव सिंधिया : केन्द्र सरकार को जमीन से, जिसमें रेलवे की भूमि भी शामिल है, अनाधिकृत लोगों को बेदखल करने की प्रक्रिया सरकारी स्थान (अप्राधिकृत और भोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत अवश्य आती है। उसके अंतर्गत, एक संपदा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और वह राज्य सरकार के सहयोजन से काम करता है। वास्तव में बेदखल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। हम भी इस देश में पददलितों के लिए बहुत चिंतित हैं। जहां तक इस विशेष मामले का संबंध है, हमें आशा है कि राज्य सरकार को भी इसकी इतनी ही चिंता है और इसलिए, यदि किसी का पुनर्वास करना है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को उठानी होती है।

श्री अमर रॉय प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्त्वपूर्ण परियोजना है। चुनाव होते रहते हैं; लेकिन परियोजनाएं जारी रहेंगी। लेकिन वृत्ताकार रेल परियोजना के मामले में ऐसा नहीं है। पहले चरण में, लोकसभा चुनावों से पूर्व दो बार उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, पहले 16-8-83 को और दूसरी बार 9-11-84 को। उसके बाद कुछ नहीं किया गया है। काम ठप्प पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री अमर रॉय प्रधान : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह तीसरे चरण का काम शुरू करेंगे क्योंकि मैं जानता हूं कि बाग बाजार से दम दम तक अतिक्रमण होने के कारण ऐसा करना बहुत कठिन है।

अध्यक्ष महोदय : उस जगह को छोड़कर ?

श्री अमर रॉय प्रधान : तीसरे चरण में प्रिंसेपघाट से मजहरहाट तक और किदिरपुर-डॉक क्षेत्र में ऊपरि पुल का निर्माण आता है। क्या मंत्री महोदय दूसरे चरण की बजाय तीसरा चरण शुरू करेंगे ?

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, हम प्रिंसेपघाट से बाग बाजार तक का पहला चरण पूरा कर चुके हैं। हम इस समय बाग टाउन में दूसरा चरण पूरा कर रहे हैं और हम उल्टाडांगा रोड तक पहुंच गये हैं। जैसा कि माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं, हमारी समस्याएं उल्टाडांगा रोड से दमदम के बीच की हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, एक मिनट रुकिए। क्या आप माननीय सदस्य के कहे अनुसार अर्थात् उस हिस्से को छोड़कर बाकी जगह सड़कों का निर्माण, रेल लाइन बिछाने और

यातायात की व्यवस्था करने का काम करेंगे ।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं सदन को यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि हमने 1984 के आरंभ में काम शुरू किया था और 4 महीनों में पहला चरण पूरा हो गया था । हम बड़े सुनियोजित ढंग से काम कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि वहां निर्माण कार्य में लगे लोग बड़ी कुशलता से काम कर रहे हैं । हमने दूसरे चरण के अंतिम भाग के लिए इस वर्ष करीब 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और हम अप्राधिकृत रूप से कब्जा करने वालों के हटाए जाने का इंतजार करते हुए इस आशा में अन्य सभी काम कर रहे हैं कि राज्य सरकार कभी तो अपनी जिम्मेदारी समझेगी और काम करेगी । हम दूसरा चरण नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि माननोय सदस्य की भांति हम पिछला काम अधूरा छोड़कर आगे नहीं बढना चाहते ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सर्वप्रथम मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि कोई जगह नहीं छोड़ी गई है । वहां लाइन बनाई गई है । एक लाइन दमदम में बनाई गई है दूसरी मझेर हाट में । अतः आपकी आशंकाएं निर्मूल हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब गाड़ी पटरियों के बिना चलेगी ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अब मैं दमदम से संबंधित भाषण का अंश छोड़ रही हूं । महोदय, यदि आप मुझे अनुपूरक प्रश्न (ख) पूछने की अनुमति दें तो मैं उसके लिये तैयार हूं । अनुपूरक प्रश्न (क) है :—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में आश्वासन दिया था कि सम्पूर्ण सर्कुलर रेल परियोजना समय से ही अर्थात् इस अवधि में पूरी हो जायेगी, क्या यह वही परियोजना है जिसके बारे में रेल मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया है ? क्या दोनों रेल मंत्रियों को इस बात की जानकारी है कि 24 जुलाई को 'डेली टेलीग्राफ' में प्रकाशित एक प्रतिवेदन में बंगाल नेशनल चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने रेलवे बोर्ड के इस निर्णय की आलोचना की है कि मझेरहाट से प्रिन्सेपघाट को जोड़ने का कार्य धन उपलब्ध हो जाने पर ही आरम्भ किया जायगा ? माननीय रेल मंत्री ने बजट भाषण में, अब 'जो धन उपलब्ध है'; वह सर्किल रेलवे के बारे में नहीं कहा था ? अनुमान तो यही किया गया था कि धन उपलब्ध है । इसलिये, मैं जानना चाहती हूं कि क्या जब धन उपलब्ध हो गया है तो क्या अब यह कार्य समय पर आरम्भ हो जायगा । (ख) मैं यह भी जानना चाहती हूं कि यदि पश्चिम बंगाल सरकार भूमि देने को तैयार हो तो क्या केन्द्रीय सरकार पुनर्वास का व्यय सहन करने को तैयार है ?

प्रो० मधु दंडवते : क्या भूतपूर्व रेल मंत्री धन के साथ भाग गये हैं ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह यहीं तो थे ।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं माननीय महिला सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि 'डेली टेलीग्राफ' में प्रकाशित ऐसे किसी प्रतिवेदन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है···

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह देखिये । यह रही ।

श्री माधवराव सिंधिया : जहां तक रेलवे बोर्ड के निर्णय के संबंध में आपके प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मुझे ऐसे किसी प्रतिवेदन के बारे में जानकारी नहीं है···। (**व्यवधान**) आपने प्रश्न पूछा था कि मुझे जानकारी है···

एक माननीय सदस्य : गीता जी आप सब कुछ '**डेली टैलीग्राफ**' में पढ़ती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि इस पर उनका ध्यान न गया हो। यह आवश्यक तो नहीं कि उन्हें सब कुछ पढ़ना चाहिये।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या उन्हें रेलवे बोर्ड के निर्णय के बारे में नहीं पता है ?

श्री माधवराव सिंधिया : जहां तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, जैसा कि मैं कह चुका हूं, हम लोगों ने 4 करोड़ रुपया आवंटित किया है··· (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : आप सुनिये तो।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है, अथवा नहीं, उन्हें मुझे बताने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसके बारे में पता नहीं है।

(**व्यवधान**)

श्री माधवराव सिंधिया : केवल कु० ममता बनर्जी ही उनका उत्तर दे सकती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वे लोग 'हां' अथवा 'न' कहें।

(**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी : यह क्या है ?···

(**व्यवधान**)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे रेलवे बोर्ड के निर्णय के बारे में जानने का अधिकार है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब उनके पास एक रक्षक भी है···

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : उन्हें उनकी रक्षा करने दीजिये। मेरी सुरक्षा पश्चिम बंगाल के लोग करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह भी पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने कहा था कि मुझे आपका संरक्षण चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरा संरक्षण आपके साथ तथा उनके साथ भी है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : दोनों महिलायें युवा मंत्री पर प्रहार कर रही हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री माधव राव सिंधिया : जैसा कि मैं कह चुका हूं दूसरा चरण पूरा करने के लिये हम लोगों ने चार करोड़ रुपया आबंटित किया है और कार्य चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार चलेगा जो निर्धारित किया जा चुका है। बशर्ते कि राज्य सरकार और अधिक सहयोग देने का रवैया अपनाये; तो 4 करोड़ रुपया निश्चित रूप से व्यय कर दिया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य : कैसा रवैया ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : सहयोग।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या राज्य सरकार भारत सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रही है ?

श्री ए० चार्ल्स : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि यदि पश्चिम बंगाल की सरकार सहयोग नहीं करती है और वह राशि व्ययगत हो जाती है; तो क्या वह राशि केरल को आबंटित कर दी जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जी, नहीं··· (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : मुझे बोलने दीजिये। चल रही परियोजनाओं के लिये भी केरल को धन

आबंटित नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल की मिली-जुली सरकार के असहयोग के कारण यदि कुछ धन बेकार पड़ा रह जाता है; तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह राशि उस राज्य को अन्तरित कर दी जायेगी जहां की सरकार सहयोग देती है ?

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री कहां है ? यहां धन के अपहरण का खतरा है।

श्री माधवराव सिंधिया : क्या मैं केरल से संबंधित प्रश्न के भाग का उत्तर दे दूं।

[हिन्दी]

श्री बाल कवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मैं माधवराव सिन्धिया जी से कहना चाहूंगा कि अगर पैसा खर्च नहीं हुआ तो हुजूर अपने घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा घर है, साहब।

[अनुवाद]

फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं

*251. **श्री गंगा राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिरोजाबाद रेल स्टेशन पर यात्रियों के लिये पीने के पानी, प्लेटफार्म पर शैडों की व्यवस्था, बुकिंग कार्यालयों आदि जैसी सामान्य नागरिक सुविधाओं की भी व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) फिरोजाबाद स्टेशन पर यात्रियों के लिये पेय जल, प्लेटफार्मों पर छत, टिकट घर आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गयी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री गंगा राम : अध्यक्ष महोदय, फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन की हालत उतनी ही खराब है जितनी फिरोजाबाद शहर की है। वहां गन्दगी का साम्राज्य व्याप्त है। चार प्लेटफार्म्स में से सिर्फ एक पर ही शेड है और तीन पर कोई शेड नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : आजकल गवर्नमेंट कुछ मैचिंग ग्रान्टस देती है···

श्री गंगा राम : स्थिति वहां इतनी भयंकर है कि गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में और

जाड़े के दिनों में पैसेन्जरों को बड़ी तकलीफ होती है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां इस साल कम से कम चार में से दो प्लेटफार्म्स पर शेड लगवाने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि जिन सुविधाओं की ओर मैंने अपने मूल प्रश्न में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराया है, यदि वे सहमत हों तो उनके सर्वेक्षण के लिए एक टीम वहां भेजी जाए ताकि समस्त फैसलिटीज वहां उपलब्ध कराई जा सकें। वे स्वयं परीक्षण करवा लें। यदि उस सर्वेक्षण टीम में मुझे भी शामिल कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय : उस टीम में मेरे ख्याल में कुछ महिलाओं को रखना चाहिए क्योंकि फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है।

श्री बंसी लाल : प्लेटफार्म नं० 1 और 2 पर 374 स्क्वायर मीटर का शेड है, प्लेटफार्म नं० 3 और 4 पर 228 स्क्वायर मीटर का शेड है और इसके अलावा 223 स्क्वायर मीटर का एक वेटिंग हाल बना हुआ है। एक और प्लेटफार्म के लिए 52-1/2/35 फुट 1 लाख 36 हजार रुपये की लागत से शेड और बनाया जाना स्वीकृत कर दिया गया है।

श्री गंगा राम : मैं जानना चाहता हूं कि इस नये प्लेटफार्म के शेड को बनने में कितना समय लग जाएगा।

श्री बंसी लाल : समय : एज फार एज पौसिबल।

[**अनुवाद**]

लापता भारतीय जलपोत

*252. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर*** }
श्री काली प्रसाद पांडेय } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम० वी० नित्य नानक और एम० वी० नित्य राम नामक दो लापता भारतीय जलपोतों पर सवार चालक दल के सदस्यों की संख्या कितनी थी और ये जलपोत किस प्रकार का और कितने मूल्य का सामान ले जा रहे थे;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दोनों जलपोतों के डूब जाने/लापता होने से कम्पनियों को कितनी हानि हुई है और मालिकों को कितना मुआवजा दिए जाने की संभावना है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : महोदय उत्तर पढ़ने से पूर्व मैं एक बहुत ही मामूली-सी गलती को सुधारने के लिये आपकी अनुमति चाहता

हूं। उत्तर के भाग (क) और (ख) में नमक का जो मूल्य 7,46,200 रुपये दिया गया है उसे 23,21,067 रुपये पढ़ा जाय तथा "23,21,067 रुपये" के बाद और "30,00,000 रुपये" के बाद 'कथित' शब्द जोड़ा जाये। अब मैं शुद्ध किया हुआ उत्तर पढ़ूंगा।

(क) और (ख) : एम. वी. "नित्य नानक" पर 23 और एम. वी. "नित्य राम" पर 21 कर्मी थे। 'नित्य नानक पर 23,21,067 रुपए के कथित मूल्य का 5440 टन नमक और 'नित्य राम' पर 30,00,000 रुपए के कथित मूल्य का 5182 टन कोयला था।

(ग) यदि हानि समुद्री विपदा के कारण हुई है तो "नित्य राम" के लिए 1.30 करोड़ रुपए और "नित्य नानक" के लिए 0·85 करोड़ रुपए का मुआवजा देय होगा। मालिकों ने भुगतान के लिए दावा पेश किया है जिसकी बीमा कम्पनी जांच कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि प्रश्न काल समाप्त हो गया है, तथापि मैं इस प्रश्न पर आधे घंटे की अनुमति दे दूंगा।

श्री शांताराम नायक : इन दोनों जहाजों के मामले में पूरी धोखा-धड़ी की गई है जो गहरे सागर में खो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता।

श्री उत्तम राठोड़ : महोदय; राज्य सभा में ध्यामाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

इसे हम ध्यानाकर्षण के अन्तर्गत ले लेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

नसीराबाद-अजमेर और ब्यावर-अजमेर के बीच शटल रेलगाड़ियों के दैनिक यात्रियों की कठिनाइयां

*243 **श्री विष्णु मोदी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नसीराबाद-अजमेर और ब्यावर-अजमेर के बीच चलने वाली शटल

रेल गाड़ियों में दैनिक यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए दैनिक यात्री संघों की ओर से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दैनिक यात्रियों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) पांच अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) : (i) इन दोनों खण्डों पर सवारी गाड़ियों के समय पालन में सुधार करने के लिए तथा इन गाड़ियों के सवारी डिब्बों की हालत में सुधार करने के लिए भी एक अभियान चलाया गया है;

(ii) गरीब नवाज एक्सप्रेस का नसीराबाद में ठहराव वांछनीय नहीं समझा गया है क्योंकि यह एक लम्बी दूरी की गाड़ी है;

(iii) चूंकि अजमेर-काचेगुडा एक्सप्रेस एक लम्बी दूरी की गाड़ी है और पूरी भरी रहती है, अतः सीजन टिकट धारियों को इस गाड़ी से यात्रा करने की अनुमति देने से लम्बी दूरी के यात्रियों को असुविधा होगी;

(iv) डीजल इंजनों की कमी के कारण शटल गाड़ियों को डीजल इंजन से चलाना संभव नहीं है; और

(v) संसाधनों की कमी के कारण गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाया जाना और उल्टा इंजन लगाकर गाड़ी चलाये जाने को रोकना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

मलेरिया के इलाज के लिए घटिया किस्म की कुनैन पर आधारित दवाइयों की सप्लाई

*253. श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह
श्री पी० नामग्याल }
बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेरिया के प्रसार को रोकने के लिए दी जा रही कुनैन पर आधारित दवाइयां घटिया सिद्ध हो रही हैं तथा वे मलेरिया ज्वर का इलाज नहीं करतीं;

(ख) इन दवाइयों की सप्लाई का स्रोत क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रोग की कारगर दवाओं का आयात करना बंद कर दिया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि इस वर्ष मलेरिया ज्वर की पुनरावृत्ति के मामलों में वृद्धि हुई है तथा मलेरिया के कीटाणु कुनैन पर आधारित दवाइयों से नहीं मरते हैं; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) कुनैन वाली मलेरिया-रोधी दवाइयां देश में ही उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि देश में मलेरिया परजीवियों में कुनैन को हजम करने की शक्ति पैदा हो गई है। यह बतलाने के लिए कोई आधार-सूचना नहीं है कि चालू वर्ष के दौरान मलेरिया दुबारा हुए रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

राज्यों में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव

*254. **श्री सुधीर राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा शिक्षा के स्तर में सुधार लाने हेतु राज्यों में एक आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिशें की हैं ताकि आधुनिक भारतीय चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों, नर्सों, फार्मासिस्टों आदि की शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके। इस मामले में सरकार अभी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।

केरल में रेलों का विस्तार तथा विकास

*255. **श्री टी. बशीर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रेलों के विस्तार तथा विकास के लिए कौन-कौन से प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं;

(ख) इनमें से कौन-कौन से प्रस्तावों को 1985-86 और 1986-87 में कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ग) क्या सातवीं योजना के दौरान केरल में कोई नई रेल लाइन बिछाई जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) केरल में रेलवे के विस्तार और विकास के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों के निर्माण को अनुमोदित कर दिया गया है :

(1) एर्णाकुलम से अलेप्पी तक एक नई बड़ी लाइन।

(2) बड़ी लाइन को अलेप्पी से कायनकुलम तक बढ़ाया जाना ।

(3) ओल्लवकोड-शोखण्णूर-अल्वाई खंडों के इकहरी लाइन टुकड़ों के दोहरीकरण के 3 कार्य ।

(4) शोखण्णूर-मंगलोर खण्ड पर यातायात सुविधा के कार्य ।

(ख) एर्णाकुलम-अलेप्पी लाइन पर 1985-86 में कार्य चल रहा है और यह 1986-87 में भी चलेगा । 1985-86 के दौरान, अलेप्पी से कायनकुलम तक लाइन बढ़ाए जाने के कार्य के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है ताकि सीमित वित्तीय संसाधनों का उपयोग पहले अलेप्पी तक लाइन पूरी करने के लिए किया जा सके । 1986-87 में इस लाइन के लिए धन की व्यवस्था नई लाइनों के लिए वित्तीय संसाधनों के सकल आबंटन के आधार पर की जायेगी ।

(ग) एर्णाकुलम से अलेप्पी तक नई बड़ी लाइन सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी हो जाने की आशा है । अलेप्पी से कायनकुलम तक की लाइन का पूरा होना और अन्य लाइनें आरम्भ करना सातवीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे क्षेत्र के लिए वित्तीय संसाधनों के आबंटन पर निर्भर करेगा ।

कृत्रिम अंगों का उत्पादन बढ़ाना

*256. **श्री हरीश रावत :** क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विकलांगों के लिए बनाए जा रहे कृत्रिम अंग आवश्यकता को पूरी करने के लिए अपर्याप्त हैं तथा कुछ विशेष अंगों का उत्पादन बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्रों की क्षमता को बढ़ाने और नए केन्द्र खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि देश में बनाए जा रहे कृत्रिम अंग मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।

(ख) और (ग) देश में केवल एक ही सरकारी कम्पनी है जो कृत्रिम अंगों का निर्माण करती है अर्थात् कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर। इस कम्पनी की प्लांट क्षमता सातवीं पंच-वर्षीय योजना की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त है और इसकी क्षमता बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

पाठ्यपुस्तकों की छपाई के लिए राज्य सरकारों को रियायती दर पर कागज का आबंटन

*257. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों के पाठ्य पुस्तकों की छपाई और अभ्यास पुस्तिकाओं के लिए रियायती दर पर कागज का आबंटन वास्तविक मांग से बहुत ही कम किया गया था; और

(ख) क्या यह भी सच है कि आबंटित कागज समय पर सप्लाई नहीं किया जाता है और उसके कारण पाठ्य पुस्तकों की छपाई में विलम्ब होता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पेपर मिलों को जो आबंटन किया जाता है, वह अनुमानित उत्पादन पर आधारित होता है। अतः यह संभव है कि वास्तविक उत्पादन अनुमानों से कम हो सकता है और इससे विशेष तिमाही या निर्धारित समय के दौरान पेपर मिलों द्वारा कागज की सप्लाई कम हो सकती है।

[हिन्दी]

"विद्युत" विषय का राज्यों से केन्द्र को अन्तरण

*258 **श्री जैनूल बशर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत विषय को राज्यों से केन्द्र को अन्तरित करने के बारे में विभिन्न राज्यों की राय ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों द्वारा क्या राय व्यक्त की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोचीन बन्दरगाह पर श्रमिकों तथा उपकरणों की कमी

*259. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन बन्दरगाह पर श्रमिकों तथा कन्टेनरों, क्रेनों, ट्रकों तथा अन्य उपकरणों की कमी होने के कारण माल लादने तथा उतारने के कार्य में बहुत बाधा आ रही है;

(ख) कोचीन बन्दरगाह में सामान्य कार्य के संचालन के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता है तथा इस समय वे कितनी संख्या में उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सरकार को रिक्त पदों को भरने तथा उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए पत्तन न्यास प्राधिकारियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो यह प्रस्ताव प्राप्त कब हुआ तथा क्या प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है तथा उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नियुक्तियों पर लगी रोक को हटाने का है;

(च) क्या स्टीमरों के एजेन्टों ने पत्तन प्राधिकारियों की गलती के कारण हुए विलम्ब के लिए विलम्ब-शुल्क वसूल किये जाने का विरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो उस पर क्या फैसला किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में तटीय श्रमिकों की मौजूदा संख्या 624 है जो 52 दलों में विभक्त हैं। प्रतिशिफ्ट श्रमिकों के लगभग 30 दलों की जरूरत पड़ती है। तथापि अनुपस्थिति, अवकाश आदि के कारण शिफ्ट के लिए अपेक्षित उपलब्ध दलों की संख्या में कमी हो जाती है। गोदी श्रमिकों की मौजूदा संख्या 1100 है जिन्हें 36 बल्क कार्गो दलों और 27 जनरल कार्गो दलों में वितरित किया गया है। फिर भी बल्क कार्गो दल को पर्याप्त समझा जाता है जबकि लगभग 10 जनरल कार्गो दलों की कमी है। जहां तक उपकरण का सम्बन्ध है कन्टेनर हैंडलिंग उपकरण की कमी है। इन कारणों से पत्तन में कुछ हद तक कार्गो हैंडलिंग कार्य पर असर पड़ा है।

(ग) और (घ) अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करने के बारे में पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकारियों से मंत्रालय में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.। इसकी जांच की जा रही है, जहां तक उपकरण का सम्बन्ध है, सरकार ने दिसम्बर, 1984 में दो ट्रांसफर क्रेन और दो विशेष प्रकार के फोर्क लिफ्ट खरीदने की मंजूरी दी और इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ङ) सरकार द्वारा पदों के सृजन और भर्ती पर प्रतिबन्ध के बारे में समय-समय पर जारी अनुदेश पोर्ट ट्रस्टों पर भी लागू होते हैं। इन अनुदेशों में सरकार के अनुमोदन से प्रतिबंध आदेश में शिथिलता लाकर नियुक्ति करने का प्रावधान है।

(च) पोर्ट ट्रस्ट के ध्यान में ऐसी कुछ घटनाएं आई हैं जब स्टीमर एजेंटों ने पोर्ट की ओर से तथाकथित विलम्ब होने के लिए विलम्ब शुल्क में छूट देने की मांग की है।

(छ) पोर्ट ट्रस्ट ने पत्तन और गोदी श्रमिकों की हड़ताल के कारण विलम्ब शुल्क में 80% की छूट दी है।

[हिन्दी]

समाज में महिलाओं को समान दर्जा दिलाने के उपाय

*260. श्री आर० एम० भोये : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा महिलाओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने और उन्हें समान दर्जा दिलाने के उपाय किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के दर्जे में सुधार होने के सम्बन्ध में हुई प्रगति से सन्तुष्ट हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके उत्थान के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार का विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल करने के लिए विभिन्न उपाय करने का विचार है जैसे—रोजगार अवसरों में वृद्धि करना और शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और पोषाहार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना, सम्बंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों से समन्वय करना जिससे कि सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत महिलाओं के लिए समान लाभ सुनिश्चित

किये जा सकें, और सहायक सेवाओं के लिए विशेषकर बच्चों की देखभाल की सुविधाओं में वृद्धि करना।

[अनुवाद]

उर्वरकों की ढुलाई

*201. श्रीमती किशोरी सिंह
श्री बी० वी० देसाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों को 10 मिलियन टन से अधिक उर्वरकों की ढुलाई करने के लिए कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलों ने कार्य-प्रचालन सम्बंधी किसी कठिनाई के कारण इसका विरोध किया है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा वस्तुओं की ढुलाई हेतु पारस्परिक पूर्ववर्तिता निर्धारित की जाती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो पूर्ववर्तिता का निर्णय कैसे किया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) :(क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग के परामर्श से 1985-86 के लिए निर्धारित 250 मिलियन टन के समग्र राजस्व भाड़ा यातायात के लक्ष्य में उर्वरकों की ढुलाई का लक्ष्य 10.5 मिलियन टन है। माल डिब्बों की कमी आदि के बावजूद रेलों को आशा है कि उर्वरकों की ढुलाई के लिए दिया गया वचन पूरा हो जायेगा।

(ग) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल लाईन क्रासिंग पर उपरि पुल

*262. श्री डाल चन्द्र जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल लाईन क्रासिंग पर उपरिपुल बनाने के सम्बंध में सरकार की नीति क्या है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिये विशेष

अनुदान देकर और राज्य सरकार अपनी नीति में ढील देकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सागर-भोपाल रोड तथा दमोह-पन्ना रोड जैसे कुछ स्थानों पर उपरिपुलों का निर्माण करने का है क्योंकि नगर निगम अथवा नगर पालिकाएं ऐसे उपरिपुलों के निर्माण का खर्च वहन करने की सामर्थ्य नहीं रखती हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) रेलें मौजूदा व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण, लागत में हिस्सेदारी के आधार पर राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों के साथ मिलकर करती हैं। इस सम्बंध में राज्य सरकारों द्वारा अपने हिस्से की लागत वहन करने तथा ऊपरी/निचले सड़क पुल के चालू हो जाने पर समपार को बन्द करने के वचन के साथ प्रस्ताव प्रायोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं।

(ख) वर्तमान नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किये जाने पर सागर-भोपाल रोड और दमोह-पन्ना रोड पर ऊपरी सड़क पुलों के प्रस्तावों पर वर्तमान नियमों के अनुसार विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

पर्याप्त बचत के लिए नई समय सारणी

2505. डा० ए० के० पटेल
श्री सी० जंगा रेड्डी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय समय में पर्याप्त बचत करने की दृष्टि से विभिन्न मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय को पुनर्निर्धारित करने और एक नई अखिल भारतीय समय सारिणी प्रकाशित करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) नई समय सारिणी लागू करने के परिणामस्वरूप (एक) अधिक यात्रियों को लाने-ले जाने की क्षमता और (दो) अधिक राजस्व अर्जन के रूप में जोन-वार कितनी बचत होगी और नई समय सारिणी कब तक लागू होगी ; और

(घ) क्या जोन के एक खंड में इसे लागू करने के लिए अनुदेश जारी किए गये हैं और यदि हां, तो किस खंड में और कब लागू किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) नयी समय सारिणी लागू होने से पहले मेल/एक्सप्रेस तथा अन्य गाड़ियों के समय में परिवर्तन करने के लिए रेलों को अनेक सुझाव प्राप्त होते हैं। अक्टूबर, 85 में जारी की जाने वाली अगली समय सारिणी के लिए कई प्रस्तावों की जांच की जा रही है तथा नयी समय सारणी जारी होने पर अन्तिम तस्वीर प्रकट होगी।

(ग) इस समय यह मूल्यांकन करना समयपूर्व होगा कि कितनी बचत अथवा हानि होगी। समय सारणी का आगामी प्रकाशन 1.10.1985 से लागू होने की आशा है।

(घ) जैसा कि भाग (क) में उल्लेख किया गया है, अभी गाड़ियों के समय और परिवर्तन सम्बंधी कार्य प्रतिपादित किया जा रहा है। रेलें आगामी समय, सारणी से बम्बई-अहमदाबाद मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों के समय में कुछ परिवर्तन करने की व्यावहारिकता की जांच कर रही है।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० द्वारा कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को सप्लाई किये जाने वाले "टर्बो जेनेरेटरों की कीमतों में कमी

2506. **श्री अमल दत्त :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० से यह कहने का है कि कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को उसकी दक्षिणी परियोजना कार्य के लिए जिसके कि चालू वर्ष के अन्त तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ; 67.5 मेगावाट के "टर्बो जेनेरेटर्स" की कीमतों में कमी की जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) : विद्युत उत्पादन उपस्कर की सप्लाई के लिए कीमतें और शर्तें वाणिज्यिक सौदे के रूप में खरीददार और सप्लाईकर्ता (भेल) के बीच आपस में तय की जाती हैं। कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को इस परियोजना के बारे में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को पहले ही सूचित कर दिया है कि समान शर्तों पर आयातित उपस्कर के मूल्य के बराबर मूल्य पर उन्हें विद्युत उत्पादन उपस्कर सप्लाई कर सकता है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० ने कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को यह भी आश्वासन दिया है कि भारत सरकार द्वारा सीमा शुल्क में मंजूर की जाने वाली समस्त कटौती ग्राहक को दे दी जाएगी।

रेलवे वर्कशाप खड़गपुर में विद्युत इंजनों की आवधिक मरम्मत

2507. **श्री नारायण चौबे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे वर्कशाप, खड़गपुर में विद्युत इंजनों के आवधिक मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया है ;

(ख) अभी तक कितने इंजनों की मरम्मत हुई है ;

(ग) आवधिक मरम्मत कार्य में क्या प्रारम्भिक कठिनाइयां हैं ; और

(घ) सरकार ने इसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और उपर्युक्त वर्कशाप में विद्युत इंजनों की बड़े पैमाने पर आवधिक मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) आवधिक ओवरहालिंग कार्यशालाओं में दो बिजली रेल इंजनों की आवधिक ओवर-हालिंग की जा चुकी है। दो और रेल इंजनों की आवधिक ओवरहालिंग की जा रही है।

(ग) और (घ) : आवधिक ओवरहालिंग कार्य करने में कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां हैं। इन पर काबू पाने के लिए कारंवाई की जा रही है। भाप रेल इंजनों की आवधिक ओवरहालिंग का कार्य-भार उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है, इसलिए उपलब्ध हो रही फालतू क्षमता का उपयोग बिजली रेल इंजनों की आवधिक ओवरहालिंग के लिए करने की योजना बनाने का विनिश्चय किया गया है। बिजली रेल इंजनों की आवधिक ओवरहालिंग के काम के लिए खड़गपुर कारखाने में स्थान निर्धारण किया गया है। इस कार्य को करने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कारंवाई चल रही है।

नियमित रूप से प्रतिमाह 4 बिजली रेल इंजनों की आवधिक ओवरहालिंग के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी प्रकार की अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से खड़गपुर कारखाने का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है। आधुनिकीकरण परियोजना पर लगभग 26.5 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। अतः इस कारखाने में बिजली रेल इंजनों के आवधिक ओवरहालिंग के कार्य को सुस्थिर करने के काम में प्रगति उपलब्ध धनराशि के अनुसार की जायेगी।

तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

2508. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में तेनुघाट में 420 मेगावाट का एक ताप विद्युत संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब प्रारम्भ होगा और इस संयंत्र पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) इस संयंत्र से बिहार राज्य के साथ-साथ सारे देश को क्या लाभ होगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) : तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र (2×210 मेगावाट) के कार्यान्वय के लिए स्वीकृति दे दी गई है। अद्यतन अनुमानित लागत लगभग 400 करोड़ रुपये है। परियोजना पर कार्य आरम्भ हो गया है। चूंकि परियोजना

राज्य क्षेत्र की है, इसलिए विद्युत का समग्र उत्पादन बिहार को उपलब्ध होगा।

मुर्शिदाबाद और मालदा में कंटेनर डिपो

2509. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्शिदाबाद और माल्दा में आमों के लिए एक प्रशीतित कंटेनर डिपो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है :

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था वित्तीय तथा परिचालनिक व्यवहार्यता को दृष्टि में रख कर व्यापार की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। मुर्शिदाबाद और मालदा से आम का परिवहन प्रशीतित कंटेनरों में करने की कोई मांग नोटिस में नहीं आयी है।

प्रतिवर्ष ठीक हुए कुष्ठ रोगी

2511. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्ष लगभग कितने लोग कुष्ठ रोग से ग्रसित होते हैं ;

(ख) प्रत्येक वर्ष कितने कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि यह रोग अधिकतर देश के पहाड़ी और पिछड़े देशों में होता है और यदि हां, तो इस रोग के मुख्य कारण क्या हैं और इस रोग पर नियंत्रण हेतु क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : मौजूदा पता लगाए गए रोगियों में प्रतिवर्ष बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर नए रोगियों के शामिल हो जाने से रोगियों की संख्या 4 लाख होने का अनुमान है। प्रतिवर्ष जिन रोगियों के रोग को ठीक करके/रोकथाम करके छुट्टी दी जाती है, उनकी संख्या भी यही है।

(ग) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि यह रोग पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में ही अधिक होता है। उच्च स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में कुष्ठ नियंत्रण इकाइयों, शहरी

कुष्ठ इकाइयों, जिला कुष्ठ कार्यालयों और सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्रों तथा बहु-औषध विधान के द्वारा नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं। कम स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में रोगियों का पता लगाने और इलाज करने के लिए मौजूदा स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है।

रायगढ़ शहर (कोरापुट जिला) में रेल उपरि-पुल

2512. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने (दक्षिण-पूर्व रेलवे) कोरापुट जिले में रायगढ़ शहर में कोई प्रस्ताव भेजा हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) उड़ीसा सरकार ने सामान्य प्लान तथा पहुंच मार्गों का अनुमान प्रस्तुत किया है।

(ख) और (ग) : रेलवे तथा राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रस्ताव पर संयुक्त रूप से विचार किये जाने के लिए वास्तविक पुल का अनुमान तैयार किया जा रहा है।

दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर वर्तमान सुविधाओं का निरीक्षण

2513. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर वर्तमान सुविधाओं के निरीक्षण के लिए अभी हाल ही में डाक्टर सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल को उक्त स्टेशनों पर नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना के उद्देश्य और प्रयोजन क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) यात्रियों को अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए टीम सफाई, स्वच्छता, प्रकाश, खान-पान, आरक्षण इत्यादि विभिन्न पहलुओं का पर्यवेक्षण करती है।

छोटी रेल लाइनों पर और अधिक शक्तिशाली रेल इंजन चलाना

2514. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने छोटी लाइनों पर और अधिक शक्तिशाली रेल इंजन चलाने का

निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) 1800 अश्व शक्ति के डीजल इंजनों वाले 2 प्रोटोटाइप रेल इंजनों का निर्माण करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

हल्दिया में कंटेनर टर्मिनल

2515. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में एक कंटेनर टर्मिनल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : हल्दिया में पहले से ही एक कंटेनर बर्थ है जो एक जेन्ट्री क्रेन, एक यार्ड क्रेन और अन्य सम्बद्ध उपकरणों से सुसज्जित है। सातवीं योजना में कंटेनर हैंडलिंग उपकरण में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करना

2516. श्री विजय कुमार यादव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना विश्वविद्यालय देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने की मांग, संसद के भीतर और बाहर काफी अर्से से की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने में क्या कठिनाईयां हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : समय-समय पर यह सुझाव प्राप्त हुए हैं कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाए। तथापि, केन्द्रीय सरकार के पास, राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य कर रहे विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में मलेरिया फैलना

2517. श्री चिंतामणि जेना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में मलेरिया फैलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में इस प्रयोजन के लिए कार्यान्वित की जा रही अथवा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से मई, 1985 तक प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में मलेरिया की घटनाओं में वर्ष 1984 की इसी अवधि में सूचित की गई घटनाओं की तुलना में कमी आई है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है :

		1985	1984
1	बालासोर	835	935
2.	कटक	1086	1193
3.	गंजम	8527	16667
4.	पुरी	2383	4545

उड़ीसा में, जिनमें वहां के तटीय क्षेत्र भी शामिल हैं, मलेरिया की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की संशोधित कार्य योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं :

(1) ज्वर वाले रोगियों का पता लगाने और उसके रक्त के आलेप लेने तथा उनका अनुमानित उपचार करने के लिए निगरानी कार्यकर्ता हर पखवाड़े में प्रत्येक गांव का दौरा करते हैं।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशालायें ज्वर वाले रोगियों के रक्त आलेपों की तुरन्त जांच करती है और जिन रोगियों में मलेरिया के लक्षण पाये जाते हैं उनका इलाज किया जाता है।

(3) गांव में औषधि वितरण केन्द्र और ज्वर उपचार डिपो काम कर रहे हैं ताकि ज्वर वाले रोगियों को अविलम्ब दवाई उपलब्ध कराई जा सके।

(4) जिन देहाती क्षेत्रों में प्रति वर्ष एक हजार जनसंख्या के पीछे दो अथवा अधिक रोगी पाये जाते हैं उन सभी क्षेत्रों में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव किया जाता है।

(5) इसके अलावा, पी० फाल्सीपरम संक्रमण को जिसके कारण प्रमस्तिष्कीय मलेरिया हो जाता है, रोकने के लिए देश के प्रभावित क्षेत्रों में, जिनमें उड़ीसा के तटीय जिले भी शामिल हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन/स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की वित्तीय सहायता से पी० फाल्सीपरम नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

दिल्ली और जयपुर के बीच चलने वाली दिल्ली-जयपुर शेखावटी एक्सप्रेस में सीटों का आरक्षण

2518. श्री शांति धारीवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जंक्शन और जयपुर के बीच चलने वाली 233 अप और 234 डाउन दिल्ली-जयपुर-शेखावटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या पहले दिल्ली-सीकर सीधे डिब्बे में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था थी, जो अब शेखावटी एक्सप्रेस के चालू किये जाने के बाद समाप्त कर दी गई है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उक्त रेलगाड़ी में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था न होने के परिणामस्वरूप यात्रियों को भारी कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त रेलगाड़ी में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) : 15.2.1985 से पहले दिल्ली और सीकर के बीच केवल दो सीधे सवारी डिब्बे चलते थे, एक पहले और दूसरे दर्जे का मिला-जुला तथा एक बैठने व सोने का शयन यान जिसमें सीटें आरक्षित की जाती थीं ताकि सोये हुए यात्रियों को असुविधाएं न हों। सीकर के रास्ते एक दूसरी गाड़ी अर्थात् 233/234 जयपुर-दिल्ली शेखावटी एक्सप्रेस चलाने से सीकर के लिए दूसरे दर्जे के आरक्षित तथा अनारक्षित स्थानों में भारी वृद्धि हो गई है और इससे यात्रियों को काफी राहत मिली है।

मेडिकल प्रैक्टिशनरों द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में नियुक्ति स्वीकार करने में हिचक

2519. श्री जी० भूपति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेडिकल प्रक्टिशनर दूरस्थ क्षेत्रों में नियुक्ती स्वीकार करने में या निजी प्रैक्टिस आरम्भ करने में हिचकिचाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के स्थानों पर काम करने के इच्छुक डाक्टरों को और अधिक सुविधायें देने की योजना पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति स्वीकार करने वाले चिकित्सा स्नातकों को आकर्षित करने के लिए आठवें वित्त आयोग ने निम्नलिखित प्रोत्साहनों की सिफारिश की है और इस प्रयोजन के लिए राज्यों को विशेष धनराशि प्रदान करने के लिए भी सहमति दी है :

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य कर रहे डाक्टरों के लिए 250 रुपए प्रति माह की दर से ग्रामीण भत्ते की मंजूरी।

(ii) जहां डाक्टरों को रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं दी गई है वहां 150 रुपये प्रति माह की दर से मकान किराया भत्ता देना।

इसके अतिरिक्त डाक्टरों के लिए आवासीय मकानों का निर्माण करने हेतु वित्त आयोग ने 53.52 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की है। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माणलागत 30 प्रतिशत बढ़ाकर देने की व्यवस्था है।

प्राइवेट चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक निजी रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करते हैं।

पश्चिम बंगाल की शारीरिक रूप से अपंग तथा अक्षम व्यक्ति सेवा संस्था से अभ्यावेदन

2520. डा० पी० वेंकटेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की शारीरिक रूप से अपंग तथा अक्षम व्यक्ति सेवा संस्था के केन्द्रीय सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से कुछ सहायता के लिए अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन है :

(ख) यदि हां, तो सहायता देने के लिए क्या प्रगति की गई है;

(ग) क्या उसके बाद सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता के लिए कोई बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और संस्था की सही रूप में सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) : समाज और महिला कल्याण मंत्रालय को शारीरिक रूप से अपंग तथा अक्षम व्यक्ति सेवा संस्था से दिनांक 30 मार्च, 1985 का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन सहायता के लिए अनुरोध किया गया है। इस अभ्यावेदन पर स्वास्थ्य मन्त्रालय में जो भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यक्रमों के लिए एक नोडल मन्त्रालय है, विचार किया गया था। यह पता चला कि सोसाइटी के अनुरोध पर विश्व स्वास्थ्य संगठन सहायता के लिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगटन निधि का उपयोग चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा जनशक्ति को विशेषज्ञता प्रशिक्षण देने, अध्येतावृति, सामग्री और उपकरण तथा सामूहिक शिक्षा कार्यों और ट्रापिकल रोगों में अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण देने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने, मानव प्रजनन अतिसार रोग कार्यक्रमों आदि के लिए किया जाता है। चूंकि सोसाइटी का अनुरोध उन कार्यकलापों में नहीं आता जिनके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन निधियों का उपयोग किया जाता है, इसलिए वित्तीय सहायता के लिए किये गये उनके अनुरोध को नहीं माना जा सका। तदनुसार, इस सोसाइटी को सूचित कर दिया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी पुस्तिका का प्रकाशन

2521. **श्री बाबुबन रियाम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी पुस्तिका पिछली बार 1976 में प्रकाशित की गई थी (दूसरा संस्करण);

(ख) रेल बोर्ड द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में जारी किये गये परिपत्र विधिवत रूप से सम्मिलित करके इस पुस्तिका का समय-समय पर प्रकाशन करना आवश्यक है;

(ग) 1976 से अब तक 8 वर्ष की अवधि बीते जाने पर भी पुस्तिका प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) रेल बोर्ड द्वारा इस पुस्तिका का पुनरीक्षित और तीसरा संस्करण प्रकाशित करने के लिए अब क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) पुनरीक्षित संस्करण कब तक प्रकाशित होगा?

रेल मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जब कभी आवश्यक समझा जाता है संशोधित संस्करण प्रकाशित किया जाता है।

(घ) और (ङ.) : तीसरा संस्करण मुद्रणाधीन है।

पकड़े गये बिना टिकट यात्री

2522. श्री मानिक रेड्डी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां तो गत छः महीनों के दौरान बिना टिकट के कितने यात्री पकड़े गये और उनसे कितना जुर्माना वसूल किया गया;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा प्रवण क्षेत्रों का पता लगाया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) : जी, नहीं। तथापि, पिछले छः महीनों के दौरान अर्थात् जनवरी, 1985 में जून, 1985 तक लगभग 23.49 लाख व्यक्ति बिना टिकट अथवा अनियमित टिकटों पर यात्रा करते पकड़े गये थे तथा उनसे रेल किराये और जुर्माने के रूप में 4.98 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गयी थी।

(ग) और (घ) : जिन मण्डलों पर बिना टिकट यात्रा करने की अधिक घटनाएं नोटिस में आयी हैं, उनके नाम नीचे दिये गये हैं :—

रेलवे	बदनाम मण्डल
1	2
मध्य	झांसी
पूर्व	मुगल सराय
	दानापुर
	धनबाद
	हावड़ा
	सियालदह
उत्तर	दिल्ली
	मुरादाबाद

1	2
	बीकानेर
पूर्वोत्तर	लखनऊ
	वाराणसी
पूर्वोत्तर सीमा	अलीपुरद्वार
	कटिहार
	लमडिंग
	तिनसुकिया
दक्षिण	पालघाट
	मद्रास
	मदुरै
	मैसूर
दक्षिण मध्य	हुबली
दक्षिण पूर्व	बिलास पुर
	खड़गपुर
	खोरधा रोड
	नागपुर
पश्चिम	राजकोट

सिंचाई के लिए हरियाणा को आवंटित की गई धनराशि

2523. श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में सिंचाई परियोजनाओं के लिए हरियाणा को कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की गई है; और

(ख) क्या मारकंडा नदी पर मारकंडा बराज के लिए कोई प्रावधान किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को आबंटन की जाने वाली वित्तीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में होती है और

वह किसी परियोजना विशेष से जुड़ी हुई नहीं होती है। तथापि, हरियाणा के लिए वृहद एवं मध्यम तथा लघु सिंचाई सेक्टरों के लिए वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकृत परिव्यय क्रमशः 120.81 करोड़ तथा 2.45 करोड़ रुपए है।

(ख) हरियाणा सरकार ने अलग-अलग परियोजनाओं के लिए कितना-कितना प्रावधान रखा है, इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए राज्यस्तरीय निगम या उपक्रम

2524. श्री सनत कुमार मंडल
श्री जायनल अबेदीन
: क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि जहां विकास की सम्भावनाएं हैं वहां राज्यस्तरीय निगम या उपक्रम स्थापित किए जाएं;

(ख) यदि हां, तो सिफारिश की विस्तृत रूपरेखा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) क्या रोजगार अवसर पैदा करने के लिए, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के लिए, यह सिफारिश की गई है कि बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त करने के प्रयोजन से जल क्षेत्र का पिछड़ा क्षेत्र तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन को एक उद्योग घोषित करके जल क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए; और

(घ) यदि हां, तो अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) (क) जी, हां।

(ख) कार्यकारी दल ने महसूस किया था कि प्रत्येक राज्य में जहां अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की संभावना है, राज्य में अन्तर्देशीय जल मार्ग का विकास, अनुरक्षण और प्रबन्ध करने के लिए एक सम्मिलित एजेंसी होनी चाहिए। कार्यकारी दल ने आगे सिफारिश की थी कि ऐसी एजेन्सियां यातायात के आंकड़ों का संग्रह और प्रकाशन भी कर सकती हैं। इस प्रकार की राज्य स्तरीय निगमों या उपक्रमों के गठन पर अभी कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है।

रेल विभाग की भूमि का वाणिज्यक उपयोग

2525. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुधार समिति ने रेल विभाग की भूमि के वाणिज्यिक उपयोग के लिए कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या सरकार का रेल पटरियों की रक्षा करवाने के बदले में रेल पटरियों के दोनों तरफ की भूमि को खेती के लिए किसानों को दे देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) रेल सुधार समिति ने महानगरों तथा बड़े शहरों में रेलवे भूमि का उपयोग वाणिज्यक तथा अन्य राजस्व अर्जक कार्यों के लिए करने तथा उसका प्रबंध करने के लिए एक रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना करने के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

माल डिब्बों की मरम्मत

2526. श्री मोहनभाई पटेल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1984 को प्रत्येक रेल माल डिब्बा मरम्मत यूनिट में कितने माल डिब्बे मरम्मत के लिए पड़े थे और यह माल डिब्बे कब से वहां पर हैं;

(ख) प्रत्येक यूनिट में प्रति वर्ष कितने माल डिब्बों की मरम्मत की गई;

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान मरम्मत यूनिटें खराब हुए माल डिब्बों की मरम्मत कर सकने की स्थिति में नहीं है;

(घ) क्या रेल वैगनों और कोचों की मरम्मत के लिए देश में और अधिक वर्कशाप खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने वर्कशाप कहां-कहां पर खोले जाने हैं तथा ये कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : (क) भारतीय रेलों पर माल डिब्बों की आवधिक ओवर-

हालिंग के लिए बड़ी तथा मीटर लाइन के 32 माल डिब्बा मरम्मत कारखाने हैं। इस कारखानों में 31.12.84 को 11550 माल डिब्बों की मरम्मत की जा रही थी। इन कारखानों में माल डिब्बों की प्राप्ति, मरम्मत तथा निर्गम एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न माल डिब्बा मरम्मत कारखानों में लगभग 124476 माल डिब्बों की आवधिक ओवरहाल मरम्मत की गई थी। एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं। वर्तमान वार्षिक आवधिक ओवरहालिंग क्षमता मांग के अनुरूप है।

(घ) और (ड.) : फिलहाल किसी नये माल डिब्बा मरम्मत कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नये सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने मंचेश्वर, तिरुपति तथा भोपाल में स्थापित किये जा रहे हैं। मंचेश्वर कारखाने में प्रति कार्य दिवस दो यूनिटों के ओवरहाल का काम शुरू हो गया है। तिरुपति तथा भोपाल कारखानों पर क्रमश: लगभग 18.33 करोड़ रुपये तथा 18.00 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। इन कारखानों की प्रगति उपलब्ध धन राशि के अनुरूप होगी।

विवरण

1984-85 के दौरान आवधिक ओवरहाल किये गये माल डिब्बों की संख्या

क्र० सं०	कारखाने का नाम	ओवर हाल किये गये माल डिब्बों की संख्या (चौपाहिया यूनिटों में)
1	2	3
1.	झांसी	17028
2.	कुर्ला	1440
3.	कोटा	11784
4.	प्रतापनगर	852
5.	आलमबाग	5484
6.	जमालपुर	9924
7.	अमृतसर	1704
8.	कंचरापाड़ा	3624

1	2	3
9.	तिलुआ	9768
10.	अन्डाल	1068
11.	खड़गपुर	11700
12.	रायपुर	9180
13.	आद्रा	864
14.	पेरम्बूर	5664
15.	गुन्तापल्ली	8220
16.	अजमेर	4944
17.	जयपुर	1200
18.	उदयपुर	348
19.	मोर्वी	60
20.	जूनागढ़	852
21.	बीकानेर	600
22.	जोधपुर	2196
23.	गोरखपुर	2328
24.	इज्जत नगर	2136
25.	समस्तीपुर	1116
26.	डिब्रूगढ़	972
27.	न्यू बोंगाई गांव	1824
28.	बाग डोगरा	492

1	2	3
2 .	पांडू	480
30.	मैसूर	2160
31.	गोल्डन रॉक	648
32.	हुबली	3816
	जोड़	124476

नंदूर मदमेश्वर बांध का निर्माण

2527. श्री साहेब राव पाटिल डोणगांवकर : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नासिक जिले में नन्दूर मदमेश्वर बांध के निर्माण का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) उक्त बांध पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) : महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना को निष्पादन हेतु अपने हाथ में ले लिया है और इसके आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे किए जाने की सम्भावना है। योजना आयोग द्वारा इस परियोजना को 1981 में स्वीकृत किए गये स्वरूप के अनुसार इस पर 72.66 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

शिपिंग इंडस्ट्री की सहायता के लिए मयक समिति के सुझाव

2528. श्री बी० विजय रामाराव : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री के० सी० मयक की अध्यक्षता में एक समिति ने शिपिंग इंडस्ट्री की सहायता के लिए कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या पोतों को परमाणु ऊर्जा से चलाने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) क्या सरकार इस समय जहाजी कम्पनियों के खर्च पर विदेशी मालवाहक जहाज किराए पर ले रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सरकार ने श्री के० सी० मथरू की अध्यक्षता में किसी समिति का गठन नहीं किया था। तथापि सदस्य (परिवहन), योजना आयोग के जहाज मालिकों के एक दल से जिसमें श्री के० सी० मथरू भी शामिल हैं, "भारतीय नौवहन कंपनियों को गैर वित्तीय सहायता" विषय पर अपनी रिपोर्ट देने का अनुरोध किया था।

(ख) भारतीय नौवहन कंपनियों को सरकारी माल देकर नौचालन में सहायता करना, जहाजों की बिक्री से सम्बन्धित प्रक्रिया में तेजी लाने, भारतीय पत्तनों पर भारतीय जहाजों को बर्थ करने में प्राथमिकता देने, बर्थ से जहाज जल्दी खाली होकर लौटने सम्बन्धी पत्तन सुविधाओं में सुधार, भारतीय पत्तनों पर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर ईंधन और डीजल की सप्लाई आदि जैसे कुछ सुझाव दिए गए हैं। सरकार ने इन सुझावों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) और (घ) : जी, नहीं।

[हिन्दी]

बदरपुर ताप बिजली घर को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सौंपना

2529. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने बदरपुर ताप बिजली घर को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सौंपने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कब तक सौंप दिये जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डिब्रूगढ़ और रांची के बीच एक रेलगाड़ी शुरू करना

2530. श्री पीयूष तिरकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के इस भाग में आदिवासी मजदूरों के सुरक्षित आवागमन की दृष्टि से सरकार

का विचार डिब्रूगढ़ और रांची के बीच बरास्ता अंडाल-बाडेल-सेंथिया और पुरुलिया, एक सीधी रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सवारी डिब्बों, रेल इंजनों जैसे संसाधनों और मार्ग में लाइन क्षमता की तंगी के कारण नई गाड़ियां चलाना सम्भव नहीं है।

उड़ीसा में विभिन्न स्टेशनों पर सुविधाएं

2531. श्री अनादिचरण दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत उड़ीसा में जाजपुर-क्योंझर रोड/भद्रक/सोरो/बालासोर आदि रेलवे स्टेशनों और रेलवे जंक्शनों पर पेय जल के अत्यन्त कम स्थल हैं और वहां ठंडे पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या इन स्टेशनों पर पानी और ठंडे पानी के और अधिक स्थलों तथा इन्हें ढकने की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) : सभी स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था एक मूलभूत सुविधा मानी जाती है। जाजपुर-क्योंझर रोड, भद्रक और बालासोर स्टेशनों पर पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था है। सोरो स्टेशन पर एक हैण्डपम्प और लगाकर पानी की सप्लाई बढ़ाने का प्रस्ताव है।

भद्रक और बालासोर स्टेशनों पर जलशीतक मौजूद हैं। जलशीतकों की व्यवस्था उन स्टेशनों पर की जाती है जहां एक दिन में 1000 से अधिक यात्री आते-जाते हैं। धन की कमी के के कारण, मानदण्ड के अनुसार जलशीतकों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो पाया है। यात्री सुविधा समिति के परामर्श से सीमित संसाधनों के भीतर ही जलशीतकों की व्यवस्था की जा रही है।

दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को प्रवेश

2532. श्री लाला राम केन : क्या शिक्षा मंत्री 9 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3923 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघशासी क्षेत्र दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों में चालू शैक्षिक वर्ष 1985-86 के दौरान प्रवेश हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सभी स्थान भर गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पहली कक्षा में कितने छात्रों को दाखिला दिया गया है उनमें से कितने छात्र अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया स्थानों को भरने के लिए क्या प्रयास किए गए;

(घ) यदि नहीं, तो इन समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए अभी तक कितने स्थान खाली हैं; और

(ङ) क्या आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार इन समुदायों के सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : दिल्ली संघ शासित क्षेत्र स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में दाखिले के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल 532 स्थानों में से 1985-86 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित 505 छात्रों को दाखिल किया गया है। पात्र प्राथमिकता वर्गों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की कमी के कारण शेष स्थान नहीं भरे जा सके ।

(ग) से (ङ) : कोई भी बचे हुए आरक्षित स्थानों को आगे ले जाने की कोई पद्धति नहीं है। आरक्षित कोटा पूरा करने के लिए पात्र प्राथमिकता वर्गों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त स्थान सामान्य वर्ग के बच्चों को दाखिल करके भर दिये जाते हैं ।

कोचीन शिपयार्ड को हानियां

2533. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड में हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1984-85 के दौरान इसे कितनी हानि हुई; और

(ग) कोचीन शिपयार्ड में निर्मित किये जा रहे तीसरे पोत "मराठा मेजेस्टी" की कुल उत्पादन लागत कितनी है और इसे किसको और किस मूल्य पर बेचा जा रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) 13.24 करोड़ रुपए (अनुमान)।

(ग) कोचीन शिपयार्ड में निर्माणाधीन तीसरे जहाज का नाम "मराठा मिशन" है न कि "मराठा मैजेस्टी"। चौगुले स्टीमशिप कम्पनी लि० और कोचीन शिपयार्ड के बीच हुए करार के अनुसार इसकी कीमत 22.50 करोड़ रुपए तय की गई। इस जहाज की अनुमानित कीमत के बारे में शिपयार्ड से पता लगाया जा रहा है।

अन्धता निवारण कार्यक्रम

2534. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में अन्धता निवारण कार्यक्रम/योजनाओं पर प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) केन्द्र द्वारा देश में अन्धता सहित निवारण के लिये प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां सहित विदेशी संस्थाओं ने भी अन्धता निवारण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी प्रत्येक एजेंसी से प्रति वर्ष कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्य हैं (i) जन प्रचार माध्यमों तथा विस्तार तरीकों के माध्यम से नेत्र स्वास्थ्य परिचर्या सम्बन्धी शैक्षिक प्रयासों में तेजी लाना, (ii) "आई कैम्प" अप्रोच अपनाकर फिर से दृष्टि प्रदान करने तथा आंखों की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए मोबाइल यूनिटों के जरिये नेत्र परिचर्या सेवाओं का विस्तार करना; (iii) परिधीय, मध्यवर्ती तथा केन्द्रीय स्तरों पर नेत्र स्वास्थ्य परिचर्या को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के एक अभिन्न अंग के रूप में स्थायी सुविधाओं की व्यवस्था करना। परिधीय स्तर पर मोबाइल यूनिटें होंगी और ये गांवों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध करेंगी। मध्यवर्ती स्तर पर विशेषज्ञ प्रथमोपचार प्रदान करने के लिए जिला अस्पताल होंगे। केन्द्रीय स्तर पर मेडिकल कालेज, राज्य नेत्र अस्पताल, क्षेत्रीय संस्थान और राष्ट्रीय संस्थान होंगे जो तकनीकी नेतृत्व प्रदान करने के अलावा कार्मिकों के प्रशिक्षण और नेत्र सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसंधान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। नेत्र परिचर्या शिविरों के जरिये इन्ट्राकुलर आपरेशन करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान डेनिडा से मिली वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

वर्ष	नकद	सामग्री के रूप मे
1982-83	160 लाख रुपये	7.74 लाख रुपये
1983-84	117.83 लाख रुपये	5.40 लाख रुपये
1984-85	178.05 लाख रुपये	9.40 लाख रुपये

विवरण

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/सरकारों को रिलीज किया गया धन

रुपये लाखों में

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	1982-83*	1983-84*	1984-85*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	30.79	29.39	43.46
2.	असम	13.77	10.27	23.81
3.	बिहार	18.32	48.78	54.88
4.	गुजरात	41.51	50.97	67.30
5.	हरियाणा	6.14	11.89	13.90
6.	हिमाचल प्रदेश	10.11	11.78	12.25
7.	जम्मू और कश्मीर	6.42	5.22	11.51
8.	कर्नाटक	30.44	34.03	36.48
9.	केरल	14.66	17.74	16.28

1	2	3	4	5
10.	मध्य प्रदेश	54.15	64.98	60.40
11.	महाराष्ट्र	42.86	46.33	61.80
12.	मणिपुर	2.31	3.52	5.77
13.	मेघालय	3.65	3.60	3.43
14.	नागालैंड	0.75	5.67	4.43
15.	उड़ीसा	16.03	21.64	40.23
16.	पंजाब	9.36	17.93	25.03
17.	राजस्थान	18,66	27.74	29.10
18.	सिक्किम	3.06	1.49	3.99
19.	तमिलनाडु	13.66	24.61	26.39
20.	त्रिपुरा	3.42	2.12	4.39
21.	उत्तर प्रदेश	68.73	80.66	96.90
22.	पश्चिम बंगाल	19.85	32.28	32.40
23.	अरुणाचल प्रदेश	1.33	2.93	3.01
24.	गोवा, दमन और द्वीप	1.87	1.58	4.43
25.	मिजोरम	5.59	1.58	3.68
26.	पांडिचेरी	0.31	2.39	3.50
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.04	4.43	2.30
28.	चंडीगढ़	0.05	0.71	0.74
29.	दादर और नगर हवेली	0.04	0.61	0.61
30.	दिल्ली	1.25	4.50	3.00
31.	लक्षद्वीप	0.03	4.54	2.10
	कुल योग	429.16	575.88	697.69

* इसमें स्वास्थ्य शिक्षा सहायता सामग्री शामिल है।

केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को वित्तीय सहायता

2535. श्री सुरेश कुरुप : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अथवा दक्षिण रेलवे ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम से कोई निवेश किया है अथवा उसे वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) : क्या ब्याज के भुगतान और धनराशि की वापसी के बारे में कोई शर्त भी लगाई गई थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा स्थापित राज्य परिवहन निगमों को केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 23(1) की शर्तों के अनुसार पूंजी दी जाती है । यह पूंजी उक्त उपक्रम को दोनों सरकारों द्वारा सम्मत उपक्रम के कार्यों और उससे सम्बन्धित कार्यों के लिए दी जाती है । यह राशि भी दोनों सरकारों द्वारा सम्मत परिमाण के अनुसार ही होती है ।

तदनुसार केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों को ऋण के रूप में पूंजी देती रही है । 31-3-85 को केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को केन्द्रीय सरकार के पूंजी अंशदान के रूप में 13,65,34 000 रुपये दिए गए हैं । यह एक ब्याज सहित ऋण है जो निरन्तर दिया जाता है ।

बदरपुर ताप बिजली केन्द्र के कर्मचारियों की समस्याएं

2536. श्री पी० के० कुप्पुस्वामी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री बदरपुर ताप बिजली केन्द्र के कर्मचारियों की समस्याओं की जांच करने हेतु नियुक्त समिति के निष्कर्षों के बारे में 28 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1414 के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदरपुरपुर ताप बिजली केन्द्र के कर्मचारियों की समस्याओं की जांच करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा नियुक्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) सरकार ने प्रत्येक सिफारिश पर क्या कार्यवाही की है और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो कौन सी सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित किया जाना है और इन्हें कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ.) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वर्तमान प्रबन्धकों द्वारा सभी सिफारिशें विलम्ब किये बिना कार्यान्वित की जाती हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ङ) : उचित/तर्कसंगत पाई गई समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं। सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में कार्मिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा उन्हें क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का ब्यौरा

समिति की सिफारिशें	क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति
1	2
1. स्थानान्तरण नीति :	
(एक) कामगार तथा पर्यवेक्षी श्रेणियों तक के कर्मचारियों का स्थानांतरण :	
कामगार तथा पर्यवेक्षी श्रेणियों तक के कर्मचारियों का सामान्यतः बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के किसी अन्य परियोजना में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा बशर्ते कर्मचारियों द्वारा विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया जाता है तथा प्रबंधकों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और लागू कर दी गई है।
(दो) पर्यवेक्षी श्रेणी से कार्यपालक श्रेणी में पदोन्नति होने पर कर्मचारियों का स्थानांतरण :	
(क) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में कार्यपालक-1 तथा कार्यपालक-2 श्रेणियों की स्वीकृत संख्या को जोड़ दिया जाए और पदोन्नत कार्यपालकों और सीधी भरती से आने वाले कार्यपालकों के बीच इनका वितरण इस ढंग से किया जाए कि जोड़ी गई स्वीकृत संख्या के कम से कम 50% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएं तथापि 1.12.1984 की स्थिति के अनुसार यह प्रतिशतता 50% से अधिक है, ऐसी स्थिति में कार्यपालक-एक तथा कार्यपालक-दो की संयुक्त स्वीकृत संख्या में पदोन्नति वाले कर्मचारियों के हिस्से की प्रतिशतता	सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

1	2
भविष्य में लागू करने के लिए बनाए रखी जाएगी ।	
(ख) जनवरी तथा जुलाई के महीनों में पदोन्नति के लिए निर्धारित प्रत्येक तारीख को पदोन्नति के लिए 50% पर्यवेक्षकों को बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में पदस्थापित किया जाए तथा शेष 50% को अन्य परियोजनाओं में भेज दिया जाए ।	
(ग) ई-1 कार्यपालकों में 50% पदोन्नत कर्मचारियों को खपाने के लिए बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में पर्याप्त संख्या में रिक्त स्थान सृजित करने के लिए ई-1 कार्यपालक के रूप में कार्य कर रहे 50% [कर्मचारी जिन्होंने बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में उक्त ग्रेड में तीन वर्ष पूरे कर लिए हों और ई-2 श्रेणी में पदोन्नत किए जाने वाले हैं तथा ई-2 कार्यपालक (पदोन्नत तथा सीधी भरती) के पद पर कार्य कर रहे 50% कर्मचारी जिन्होंने ताप विद्युत केन्द्र में तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं और ई-3 की श्रेणी में पदोन्नत किए जाने वाले हैं, बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से बाहर, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की अन्य परियोजनाओं में स्थानांतरित कर दिए जाएं ।	जहां तक सम्भव होगा पदोन्नत कर्मचारियों की प्रतिशतता 50% बनाए रखने के लिए अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा ।
(घ) किसी कर्मचारी को बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में रखने का मानदण्ड पूर्णतः गुणदोष के आधार पर होना चाहिए ।	
2. पदोन्नति सम्बन्धी नीति :	
(एक) जिस कर्मचारी ने ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास कर ली हो तथा पर्यवेक्षक के ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो उसके सम्बन्ध में कार्यपालक ई-1 के ग्रेड में पदोन्नति हेतु विचार किया जाए ।	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन्होंने ए०एम०आई०ई० परीक्षा पास कर ली हो, कार्यपालक प्रशिक्षण स्कीम के द्वारा कार्यपालक संवर्ग में नियुक्ति के

1	2
	लिए विचार करता है जिसके पूरा हो जाने पर उन्हें सीधे ई-2 श्रेणी में पदस्थापित कर दिया जाता है।
(दो) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के प्रबन्धकों की प्रत्येक विधा के लिए पदोन्नति के रास्ते सम्बन्धी चार्टों को व्यापक रूप से परिपत्रित कर देना चाहिए।	पदोन्नति के रास्तों सम्बन्धी चार्ट रा० ता० वि० नि० द्वारा तैयार कर लिए गए हैं। संयुक्त द्विपक्षीय वार्ता समिति में इन पर विचार हो जाने के बाद ही इन्हें परिपत्रित किया जाएगा।
(तीन) ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनकी पदोन्नति के रास्ते बाद में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दिए जाने के कारण अवरुद्ध हो गए हैं तथा जो अपना दायित्व कुशलतापूर्वक निभा रहे हैं उनके सम्बन्ध में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त शिथिल कर दी जाए।	लोको-डोजर, आप्रेटर, शन्टमैन, सहायक ग्रेड-दो तथा तकनीकी हैल्पर आदि जैसी श्रेणियों के लिए गुण दोषों के आधार पर इस प्रकार की ढील की मंजूरी दी जा चुकी है।
(चार) उन कर्मचारियों को जिन्हें प्रबंधकों ने नियमित आधार पर उच्च ग्रेड की ड्यूटी करने के विशिष्ट निर्देश दिए हैं, कार्य के उचित ग्रेड में स्थान देने पर विचार किया जाना चाहिए।	यदि ऐसा कोई मामला होगा तो उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।
3. **समयोपरि भत्ता :**	
(एक) समयोपरि भत्ता स्वीकृत करने के मामले में प्रबंधकों को कड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। फैक्टरी अधिनियम 1948 की धारा 64(4) के अनुसार किसी भी कर्मचारी के घण्टे ओवर टाईम सहित एक सप्ताह में 60 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए।	यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और समयोपरि भत्ता आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित किया जा रहा है।
(दो) पारी के कार्य के प्रत्येक दिन के बाद छुट्टी देना बन्द करके तथा प्रत्येक सप्ताह केवल एक छुट्टी देकर प्रचालन स्कंध में प्रचालित पारी के घन्टे अपनाकर 6 दिन की पारी के कार्यक्रम की प्रणाली अपनाई जाए।	प्रबंधकों द्वारा यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है तथापि कर्मचारियों के विरोध के कारण अभी लागू नहीं किया गया है।
(तीन) प्रचालन स्कन्ध में कामगारों की दो पारियों में कार्य करने के लिए साधारण वेतन से दुगुनी दर पर समयोपरि भत्ता दिया जाना चाहिए।	यह सिफारिशें उपर्युक्त सिफारिश सं० (दो) से सम्बन्धित हैं अतः इन्हें लागू नहीं किया जा सकेगा।

1	2
(चार) प्रचालन स्कंध में कामगारों को सभी छुट्टी के दिनों के लिए, चाहे वह व्यक्ति पारी की ड्यूटी पर हो अथवा साप्ताहिक छुट्टी के दिन कार्य कर रहा हो, साधारण वेतन से दुगुनी दर पर समयोपरि भत्ता दिया जाना चाहिए अथवा प्रतिपूरक छुट्टी दी जानी चाहिए, यह कामगार की इच्छा के अनुसार होना चाहिए।	
(पांच) रा०ता०वि०नि० के निगम कार्मिक डिवीजन के परिपत्र सं० 01-पी० ई० आर० एस०-7(3)/दिनांक 14 मई, 1984 में निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में पर्यवेक्षी श्रेणियों में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को साधारण वेतन की दर पर सामान्य ड्यूटी के घंटों बाद कार्य करने के लिए समयोपरि भत्ता दिया जाना चाहिए।	यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है तथा सप्ताह में 48 घंटे ड्यूटी देने वाले पर्यवेक्षी श्रेणियों के संबंध में लागू कर दिया गया है।
4. रा० ता० वि० नि० में जन कल्याण सुविधाएं :	
(एक) वस्त्रों को बदलने के लिए पर्याप्त सुविधाएं, सामान आदि रखने के लिए लाकर सुविधाएं तथा गर्म और ठंडे पानी के फव्वारों से युक्त स्वच्छ टाइल्ड स्नानागारों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।	गर्म पानी उपलब्ध कराने की सुविधा को कर्मचारियों द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है, चूंकि कार्य समाप्त करने के पश्चात् वे तुरन्त ही चार्टर्ड बस पकड़ने या समीपवर्ती नगर-क्षेत्र में अपने घरों को जाने के आदि हैं। तथापि जहां कहीं भी आवश्यक है ठंडे पानी तथा वस्त्र बदलने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
(दो) जब कभी भी प्रचालन कर्मचारी अपने सामान्य कार्य में व्यस्त नहीं होते हैं, उनकी बैठने की सुविधा के लिए विभिन्न संयंत्र क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में लकड़ी के स्टूल उपलब्ध कराए जाने चाहिए।	जहां कहीं भी आवश्यक होता है कुर्सियां उपलब्ध कराई जाती हैं।
(तीन) 11 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र मानदंड के अनुसार अपर्याप्त हैं जैसा कि फैक्ट्री अधिनियम में निर्धारित	सिफारिश क्रियान्वित की गई है

1	2
प्रत्येक 150 कार्मिकों/कर्मचारियों के लिए एक चिकित्सा प्राथमिक केन्द्र का होना आवश्यक है। मानदंड के अनुसार कम से कम 18 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र होने चाहिए। कर्मचारी मोर्चा ने 20 प्राथमिक चिरिकसा केन्द्रों की मांग की है। मैं 20 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के लिए सिफारिश करना चाहूंगा।	
(चार) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में इस समय 2 एम्बुलेन्स हैं, एक औषधालय के लिए तथा दूसरी केन्द्र के क्षेत्र में पारी-प्रभारी इंजीनियर के नियंत्रणाधीन है। प्रबंधकों द्वारा दो और प्राप्त की जा रही हैं। इन एम्बुलेंसीज को भली-भांति रखा जाना चाहिए और ड्राईवर सहित 24 घंटे तैयार रहना चाहिए।	सिफारिश को स्वीकृत कर लिया गया है।
(पांच) कर्मचारी मोर्चा ने मांग की है कि 24 घंटे एक योग्य व्यवसायी चिकित्सक उपलब्ध होना चाहिए। प्रबंधकों ने बताया कि रात्रि के 10 बजे तक औषधालय में योग्यता प्राप्त चिकित्सक उपलब्ध होते हैं। मैं यह सिफारिश करना चाहूंगा कि रात्रि के दौरान भी औषधालय में एक चिकित्सक ड्यूटी पर होना चाहिए।	रात्रि में ड्यूटी पर रहने के लिए चिकित्सक अधिकारी की नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिये गए है। तथापि औषधालय इस समय भी 24 घंटे खुला रहता है।
(छः) कैन्टीन के रसोईघर में अंधेरा रहता है और हवादारी, प्राकृतिक प्रकाश और रोशनी की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता है। बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के प्रबन्धकों ने मुझे बताया कि वे बहुत ही जल्दी खाना पकाने की गैस का इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे रसोईघर में काफी सुधार होगा।	रसोईघर में खाना पकाने के लिए गैस पहले से ही इस्तेमाल की जा रही है और हवादारी सम्बन्धी प्रबन्ध भी कर दिया गया है।
(सात) कर्मचारी मोर्चा ने यह भी मांग की है कि संयंत्र की तीनों अवस्थाओं (पारियों) में पारी कर्मचारियों के लिए खाना खाने के लिए कमरा दिया जाना चाहिए। मैं	कार्य स्थलों पर खाना खाने के लिए अनेक अहाते उपलब्ध कराना तकनीकी रूप से सम्भव नहीं होगा। अलग-

1	2
समझता हूं कि प्रचालन कर्मचारियों के लिए अलग से खाना खाने का कमरा उपलब्ध कराना कठिन होगा। चूंकि वे काफी लम्बे-चौड़े क्षेत्र में तैनात होते हैं और वे अपने केन्द्रों को नहीं छोड़ सकते। डयूटी के केन्द्रों के समीप कुछ छोटे से अहातों की सम्भावनाओं का पता लगाया जा सकता है। इस मामले के उचित समाधान के लिए बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के प्रबंधक कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं।	अलग समय पर खाना खाने के लिए लम्बी-चौड़ी खुली कैन्टीन उपलब्ध है।
(आठ) विश्राम कक्ष उपलब्ध कराए जाएं।	आधे घंटे की विश्राम अवधि के लिए अतिरिक्त विश्राम कक्ष उपलब्ध कराने का कोई औचित्य नहीं है। पारी के समाप्त होने पर शीघ्र ही अपने घरों को जाने के लिए कर्मचारी कार्य-स्थल को छोड़ देते हैं चूंकि शहरी क्षेत्र नजदीक है और चार्टिड बसों का निर्धारित समय होता हैं।
5. **बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान :**	
बोनस अधिनियम भुगतान की शर्तों को मद्देनजर रखते हुए बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र बोनस की भुगतान के लिए हकदार नहीं है। तथापि, वी० पी० ई० के अनुदेशों के अनुसार बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के कर्मचारियों को बोनस की राशि के बराबर अनुग्रह राशि का भुगतान पहले से ही किया जा रहा है जिसका भुगतान बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र पर बोनस अधिनियम के प्रावधान लागू होने पर उनको किया जाता है। कर्मचारियों को इस विशेष व्यवस्था से संतुष्ट होना चाहिए।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
6. **बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में लगाए गए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग के स्टाफ को अर्जित अवकाश का समायोजन** .	
(1) इस मामले पर मेरा मत स्पष्ट है। केन्द्रीय विद्युत	इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय ताप विद्युत

1	2
प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारी बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र पर कार्यरत थे क्योंकि उस समय परियोजना का प्रबन्ध-कार्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा किया जा रहा था। परियोजना को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंपने का निर्णय सरकार का था। परियोजना को कार्यशील रखने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग के स्टाफ को बनाए रखना सार्वजनिक हित में था। सरकारी निर्णय तथा सार्वजनिक हित से कर्मचारियों के व्यक्तिगत हित को आँच नहीं आनी चाहिए। अवकाश के लेखे-जोखे का निपटारा और उसके बराबर पैसे लौटाना ऐसे मामले हैं जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग द्वारा हल किए जाने चाहिए, जो कि सरकार का अंग हैं। वर्कचार्ज कर्मचारियों के मामले में भी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा परियोजना संभालने से पहले, उन्हें उनकी जमा अर्जित छुट्टियों के समायोजन का लाभ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम प्रबन्ध तथा बदरपुर ताप विद्युत परियोजना कर्मचारी यूनियन के बीच दिनांक 31-8-1978 को हुए समझौते के अनुसार दिया गया था। इसका कोई औचित्य नहीं है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग/अब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग के नियमित कर्मचारी जो कि बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में तैनात किए गए थे तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र संगठन में खपा लिए गए थे, वर्कचार्ज कर्मचारियों की तुलना में नुकसान में रहे।	निगम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग के साथ विचार-विमर्श करने के लिए कहा गया है।
(2) अतः राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा परियोजना संभालने से पूर्व केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारियों द्वारा जमा समग्र अर्जित अवकाश का समायोजन करना आवश्यक है, चाहे इसके लिए नियमों में ढील देनी पड़े अथवा उच्च स्तर विशेष कार्रवाई करनी पड़े। कार्रवाई अति शीघ्र की जानी आवश्यक है, क्योंकि बहुत समय से गतिरोध चल रहा है।	

मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी तथा मैसर्स एच० बाबम एण्ड कम्पनी द्वारा रायल्टी की अदायगी

2537. डॉ० कृपा सिन्धु भोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी तथा मैसर्स एच० बाबम एण्ड कम्पनी द्वारा जिन्हें आबंटित रेलवे बुक स्टालों की एवज में सरकार को कितने प्रतिशत रायल्टी अदा की जा रही है;

(ख) यह प्रतिशत कब निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या हाल ही में रायल्टी में कोई संशोधन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बेरोजगार स्नातकों आदि जैसे अन्य फेरी लगाने वालों और कम्पनियों से भी समान प्रतिशत पर रायल्टी ली जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) बिक्री का 3 प्रतिशत ।

(ख) और (ग) : 1.1.1985 से रायल्टी का प्रतिशत $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया था ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सरकार की नीति, बेरोजगार स्नातकों, उनकी साझीदारी, एसोसिएशनों आदि द्वारा बुक स्टाल चलाए जाने को प्रोत्साहन देने की है । जहां तक रायल्टी का सम्बन्ध है, उन्हें बड़े बुक स्टाल के ठेकेदारों के बराबर नहीं माना जाता है ।

नीडूब्रोलू-बीजापतनम रेल लाइन

2538. श्री सी० सम्बु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीडूब्रोलू से बीजापतनम तक 25 किलोमीटर बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) : हाल में समाप्त हुए सर्वेक्षण से पता चलता

है कि 21.5 कि०मी० लम्बी इस लाइन पर 12.19 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और यह वित्तीय दृष्टि से अलाभकर होगी।

संसाधनों की अत्यधिक तंगी और पहले से की गई भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए निकट भविष्य में इस कार्य को शुरू करने की कोई सम्भावना नहीं है।

सागर (मध्य प्रदेश) में कैंसर जांच केन्द्र खोलने की योजना

2539. श्री नन्दलाल चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह बात सच है कि सागर (मध्य प्रदेश) में एक कैंसर जाँच केन्द्र खोलने की योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की कुल लागत कितनी है, तथा क्या इस योजना के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो स्थल का नाम क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अधीन नैमित्तिक कर्मचारी

2540. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अधीन कई सौ कर्मचारी नैमित्तिक हैं जबकि ये 7 या 8 वर्ष से निरन्तर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या वे वही कार्य कर रहे हैं जो सम्बन्धित श्रेणी के स्थायी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है परन्तु उन्हें स्थायी कर्मचारियों के आधे वेतन से भी कम वेतन मिलता है; और

(ग) बन्दरगाह प्राधिकारियों द्वारा उन्हें स्थायी करने से इन्कार करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पारादीप पत्तन के कुछ श्रमिकों को वेतन का सीधा भुगतान करने के लिए 1.11.1980 से अपने अधिकार में ले लिया था जो श्रमिक सप्लाई करने वाले ठेकेदारों के यहां दिहाड़ी के आधार पर काम करते थे। इन श्रमिकों को पोर्ट ट्रस्ट के विभिन्न विभागों में दिहाड़ी के श्रमिकों के रूप में तैनात किया गया है। इस प्रकार के श्रमिकों की संख्या 1. 4.1985 को 639 थी।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि दिहाड़ी के श्रमिक वही काम करते हैं जो पोर्ट ट्रस्ट के स्थायी कर्मचारी करते हैं दिहाड़ी के मजदूरों का दैनिक वेतन नियमित पत्तन कर्मचारियों के वेतन से कम है ।

(ग) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के लिए दिहाड़ी मजदूरों को स्थायी करना सम्भव नहीं है क्योंकि इनकी संख्या वास्तविक अपेक्षा से अधिक है ।

भारत में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों और वयस्कों की देखभाल के लिए स्कूल, छात्रावास तथा सातवीं योजना के लिए योजना

2541. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मानसिक रूप में अविकसित बच्चों तथा वयस्कों की देखभाल करने हेतु राज्य-वार कितने स्कूल, छात्रावास हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की सातवीं योजनावधि के लिए क्या योजनाएं हैं ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : विवरण 1 और 2 सभा-पटल पर रख दिये गये हैं।

विवरण—1

क्रम सं०	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थानों की संख्या*
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11
2.	बिहार	3
3.	गुजरात	27
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	कर्नाटक	21

1	2	3
6.	केरल	12
7.	मध्य प्रदेश	7
8.	महाराष्ट्र	39
9.	मणिपुर	1
10.	पंजाब	5.
11.	राजस्थान	3
12.	तमिलनाडु	27
13.	उत्तर प्रदेश	8
14.	पश्चिम बंगाल	11
15.	चण्डीगढ़	1
16.	दिल्ली	19
	जोड़ :	196

* यह जानकारी समाज और महिला कल्याण मंत्रालय में उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है।

विवरण—2

सातवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है :—

1. मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, छात्रवृत्तियां और वजीफे दिए जाते हैं।

2. मानसिक रूप से विकलांग जिन व्यक्तियों को सहायक यन्त्रों की आवश्यकता होती है उन्हें 25 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की कीमत के सहायक यन्त्र निःशुल्क

दिए जाते हैं, यदि उनकी आय 750 रुपए से कम हो। यदि आय 751 रुपये से लेकर 1500 रुपए तक हो तो उन्हें यन्त्र की 50 प्रतिशत कीमत अदा करनी होती है।

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के शिक्षण-प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए परियोजनाएं स्थापित करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

4. मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए, विशेष रोजगार कार्यालय और व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, उनका नाम दर्ज करते हैं।

5. हाल ही में हैदराबाद में एक राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना की गई है। यह संस्थान एक सर्वोच्च संगठन होगा जो व्यावसाइयों को प्रशिक्षण देने और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित सर्विस माडलों के विकास और अनुसंधान सम्बन्धी कार्य करेगा।

6. निजी क्षेत्रों में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के राष्ट्रपति प्रति वर्ष उत्कृष्ट विकलांग कर्मचारियों और नियोक्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

रेल गाड़ियों में शराब की बिक्री

2542. श्री बलराम सिंह यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कानपुर से प्रकाशित दैनिक "आज" के 8 जुलाई, 1985 के अंक में "ट्रेनों में अवैध शराब की खुली बिक्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ग) क्या यह तथ्य पहले भी सरकार की जानकारी में लाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई थी ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) यह समाचार रेल प्रशासन के नोटिस में आया है।

(ख) से (घ) : यात्री जनता और संसद सदस्यों से विगत में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों और डीलक्स गाड़ियों में भी यात्रा करने वाले कुछ यात्री शराब पीते हैं और जिससे साथी यात्रियों को परेशानी महसूस होती है।

इन शिकायतों को देखते हुए रेल मंत्रालय ने सभी दूसरे दर्जे के डिब्बों में, वातानुकूलित

और गैर-वातानुकूलित कुर्सी यानों तथा दूसरे दर्जे के वातानुकूलित शयनयानों में शराब पीना वर्जित कर दिया है। कम्पार्टमेंट टाइप के डिब्बे अर्थात् पहले दर्जे और वातानुकूलित पहले दर्जे में निम्नलिखित नोटिस प्रदर्शित किया गया है :—

"साथी यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए कृपया कम्पार्टमेंट में शराब न पियें।"

रेल प्रशासनों को भी निर्देश दिये गये हैं कि गाड़ी कंडक्टरों, गार्डों, चल टिकट परीक्षकों, टिकट जांच कर्मचारियों, सवारी डिब्बा परिचरों आदि को गाड़ियों में शराब पीने सम्बन्धी रेलवे के नियमों को कड़ाई से लागू कराना अपने उत्तरदायित्व का भाग समझना चाहिए।

रेल गाड़ियों में विशेषकर राजधानी और अन्य तेज रफ्तार वाली गाड़ियों में रेलवे नियमों के विरुद्ध शराब बेचने के या पीने में लिप्त व्यक्तियों को पकड़ने के लिए आवधिक और अचानक जांचें भी करती हैं।

खिलाड़ियों को रेलवे में रोजगार

2543. श्री महेन्द्र सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छे खिलाड़ियों को, जो स्नातक भी होते हैं, रेल विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है;

(ख) क्या स्नातक खिलाड़ियों को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त करने का कोई औचित्य है;

(ग) क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इन व्यक्तियों को कम से कम तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान रेल विभाग में वर्ष-वार, विभिन्न श्रेणियों में श्रेणी-वार कितने खिलाड़ियों को रोजगार दिया गया ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल): (क) से (ग): रेल सेवा में खेल-कूद कोटा के अन्तर्गत भर्ती हेतु खिलाड़ियों के मामलों पर विचार करने के लिए रेलों ने कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। श्रेणी III तथा श्रेणी IV में भर्ती के अलग-अलग दिशा-निर्देश हैं। श्रेणी III का मानक श्रेणी IV के मानक से ऊंचा है। यद्यपि खिलाड़ियों की इस प्रकार की भर्ती के समय उन्हें कतिपय न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखना आवश्यक होता है, तथापि वास्तविक बल राष्ट्रीय स्तर पर उनकी खेल-कूद सम्बन्धी उपलब्धि पर दिया जाता है। अत: ऐसे खिलाड़ियों के मामलों पर जो स्नातक हैं, लेकिन खेल-कूद में पर्याप्त प्रतिभा प्राप्त नहीं की है। श्रेणी III की सेवा में भर्ती के लिए विचार नहीं किया जाता है। तब उन्हें उनकी खेल-कूद में उपलब्धि के अनुरूप नियुक्ति दी जाती है।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी

मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग

2544. श्री एम० एल० झिकराम : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं और ये किन-किन स्थानों को आपस में जोड़ते हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मध्य प्रदेश राज्य से आठ राजमार्ग गुजरते हैं । ये राजमार्ग जिन विभिन्न प्रमुख स्थानों तक जाते हैं । उनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	रा० रा० सं०	प्रमुख स्थानों के नाम जहां से होकर ये गुजरते हैं
1.	3	ग्वालियर—शिवपुरी—गुणा—बिओरा—शाजापुर—देवास—इन्दौर—म्होअ—गुजरी—सेन्धवा ।
2.	6	सरायपल्ली—पिथौरा—रायपुर—भिलाई—दुर्ग—राजनन्दगांव ।
3.	7	मंगवान—रेवा—मैहर—कटनी—जबलपुर—लखनादोन—सियोनी—खवासा
4.	12	जबलपुर—बेलखेड़ा—देयोरी—गोहरगंज—गोयदुल्ला गंज—भोपाल—नरसिंह गढ़—बिओरा—राजगढ़
5.	25	शिवपुरी—करेड़ा—दिनारा
6.	26	सागर—करेली—नरसिंहपुर—लखनादोन
7.	27	चकघाट—मंगवान
8.	43	रायपुर—धमतारी—कंकेर—कोंडा—गांव-जगदलपुर।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 को चौड़ा करना

2545. श्री राजकुमार राय : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 को चौड़ा करने की योजना को किस वर्ष स्वीकृति प्रदान की गई थी और निर्माण कार्य किस तारीख को पूरा होना था;

(ख) क्या निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लिया था;

(ग) यदि हां, तो इस समय कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य अधूरा है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नव निर्मित रांची की मरम्मत पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) : राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 29 की कुल लम्बाई 211.3 कि०मी० से 200.60 कि०मी० का भाग नगरपालिका सीमा से बाहर है और इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है।

1972 से 135.5 कि०मी० लम्बी सड़क में सड़क दुहरी लेन में बदलने की मंजूरी दी गई है जिसमें से 125.5 कि०मी० में निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

प्रारम्भ में 1972 में 112.5 कि०मी० लम्बी सड़क में निर्माण कार्य की मंजूरी दी गई थी जिसमें वर्ष 1974 से 1980 तक मुख्यत: धन की कमी के कारण विलम्ब हुआ। ये निर्माण कार्य वर्ष 1982-83 में पूरे हुए। अन्य निर्माण कार्य नियत समय पर पूरे हो गए।

10.5 कि०मी० लम्बी सड़क को निर्माण की मंजूरी 1985 में दी गई जिस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। इसके 1986-87 में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। शेष 65 कि०मी० लम्बी सड़क को दोहरी लेन में बदलने के निर्माण कार्य की अभी मंजूरी नहीं दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धन का आवंटन राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रत्येक खंड के अनुसार किया जाता है और मरम्मत पर किलोमीटर वार खर्च की गई राशि का रिकार्ड नहीं रखा जाता है। वर्ष 1980 से 1985 तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 29 के अनुरक्षण और मरम्मत पर कुल 206.26 लाख रुपये आवंटित किए गए।

[अनुवाद]

गंगा कावेरी परियोजना को सातवीं योजना में शामिल करना

2546. **श्री प्रताप राव भोंसले** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा-कावेरी परियोजना को सातवीं योजना में शामिल करने के लिए कोई प्रारम्भिक चर्चा हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और कौन-सा विभाग

इस परियोजना के संबंध में कार्य कर रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं। गंगा-कावेरी परियोजना, जिस पर पहले विचार किया गया था, को अमितव्ययी पाया गया था। इसलिए इस पर आगे कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में चले गए डॉक्टरों और विशेषज्ञों को वापस लाने के प्रयास

2547. **श्री मुरली देवरा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़ी संख्या में उन डॉक्टरों और विशेषज्ञों को जो अवसरों, तरक्की अथवा शोध सुविधाओं आदि की कमी के कारण विदेशों में चले गए हैं, वापस स्वदेश लाने के लिए कोई विशेष प्रयास कर रही है; और

(ख) इस प्रकार के उत्प्रवजन के कारण देश को प्रति वर्ष कितनी हानि होती है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : चिकित्सा कार्मिकों का माइग्रेशन एक पेचीदा समस्या है जो विभिन्न कारणों से होती है। चूंकि भारतीय डॉक्टर जिनमें राज्यों अथवा प्राइवेट क्षेत्र में कार्य कर रहे डॉक्टर भी शामिल हैं, विभिन्न स्रोतों से विदेश रोजगार के लिए जाते हैं, इसलिए विदेश मे कार्य कर रहे ऐसे डॉक्टरों की संख्या और देश को ऐसे प्रवास के कारण हर वर्ष धन के रूप में कितना नुकसान उठाना पड़ता है, इसके आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। भारत सरकार ने विदेश में चले गए डॉक्टरों को वापस बुलाने तथा चिकित्सा कर्मचारियों को विदेश में जाने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) ऐसी उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए जिनके बारे में प्रशिक्षण सुविधाएं देश में ही उपलब्ध है, विदेश जाने वाले चिकित्सा स्नातकों पर रोक लगा दी गई है ऐसे वर्गों के डॉक्टरों को जिनकी कमी है विदेश में रोजगार के लिए स्पांसर नहीं किया जाता है।

(2) राज्य और केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर विशेष रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं।

(3) डॉक्टरों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे डॉक्टरों की सेवा शर्तों में राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा सुधार किए जा रहे हैं।

(4) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रतिष्ठित सदस्यता परीक्षाएं आयोजित करने के सम्बन्ध

में व्यवस्था कर दी गई है जो एफ० आर० सी० एस०, एम० आर० सी० पी० आदि जैसी विदेशी अर्हताओं के समान हैं।

जनसंख्या के पोषाहार स्तर के सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया अध्ययन

2548. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद ने जनसंख्या के पोषाहार स्तरों के सम्बन्ध में राज्यवार अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं; और

(ग) क्या सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) 1981-82 में दस राज्यों में किये गये सर्वेक्षणों के अनुसार कैलोरी की मात्रा लेने की राज्यवार औसत और जिन परिवारों में कैलोरी की अन्तग्रहण मात्रा में अपर्याप्त (संस्तुत स्तर के 70 प्रतिशत से कम) है उनकी प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

1. आन्ध्र प्रदेश	2011	55.9
2. गुजरात	2306	43.4
3. कर्नाटक	2711	19.3
4. केरल	2203	44.6
5. महाराष्ट्र	2120	60.5
6. मध्य प्रदेश	2205	51.3
7. उड़ीसा	2156	54.4
8. तमिलनाडु	1964	64.1
9. उत्तर प्रदेश	2193	51.5
10. पश्चिम बंगाल	2477	34.6

(ख) भारत सरकार ने गरीबी को समाप्त करने तथा रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करने के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं जिससे वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से कैलोरी की खपत बढ़ेगी। ये कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

1. एकीकृत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, टी०पी०आई०एस०ई०एम० (अपना रोजगार चलाने के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण) आर०एल०ई०जी०पी० (ग्रामीणभूमिहीन रोजगार उपज कार्यक्रम) जैसी योजनाएं जो गरीब व्यक्तियों को परिसम्पत्ति के रूप में दान देकर उत्पादन तथा वेतन रोजगार देकर उनकी आय को बढ़ाना :

2. कुछ विशेष असुविधा वाले क्षेत्रों का, वहां की कम उपजाऊ भूमि और रुखी जलवायु के कारण, कृषि की सूखी भूमि में दालों और वनस्पति तेल के बीजों का उत्पादन बढ़ाने हेतु सामान देकर लोगों की मायूसी और गरीबी को हटाने के लिए विकास करना।

3. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्हें न्यूनतम बुनियादी सुविधायें देना—ये सुविधाएं कृषि मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने, गन्दी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार लाने, वहां पर पेड़ लगाने, परिवार नियोजन आदि जैसी सहायक और सम्मानजनक आधारभूत ढांचे करके दी जाएंगी।

4. स्कूल-पूर्व बच्चों, गर्भवती तथा स्तनपान करवाने वाली महिलाओं और स्कूली बच्चों जैसे समाज के कमजोर वर्गों के आहार में कैलोरी की कमी को पूरा करने के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जैसे विशिष्ट पूरक फीडिंग कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।

मछली पकड़ने वाली नौकाओं की खरीद के लिए नौवहन विकास निधि समिति द्वारा दिया गया ऋण

2549. श्री कमलेन्द्र सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन विकास निधि समिति द्वारा मछली पकड़ने वाली देशी नौकाओं की खरीद के लिये मछली पकड़ने वाली कम्पनियां के, 1.4.84 से 30.6.85 तक ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसकी तुलना में पूववर्ती वर्ष में कितनी धनराशि ऋण में दी गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : नौवहन विकास निधि समिति ने 1.8.1984 से 30.6.1985 की अवधि के दौरान, फिशिंग कम्पनियों को देशी फिशिंग बोट खरीदने के लिए 1.56 करोड़ रु० का ऋण दिया। इसका

ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1.8.1983 से 30.6.1984 की अवधि के दौरान 0.23 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये गये।

विवरण

नौवहन विकास निधि समिति द्वारा 1.8.1984 से 30.6.85 तक, फिशिंग कम्पनियों को वे ट्रालर खरीदने के लिए, वितरित ऋण को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं० फिशिंग कम्पनी का नाम	वितरित रकम
1. मैसर्स अनाई फिशरीज (प्रा०) लि०	5,19,700.00
—वही—	26,00,485.00
—वही—	69,016 75
2. मैसर्स कोलंबिया सी फूड्स (प्रा०) लि०	10,39,400.00
—वही—	26,00,485.00
—वही—	69,016.75
—वही—	69,016.75
3. मैसर्स रेनबो सी फूड्स (प्रा०) लि०	1,38,033.50
—वही—	26,00,485.00
4. मैसर्स डौन फिशरीज (प्रा०) लि०	8,16,900.00
5. मैसर्स लीला सी फूड्स (प्रा०) लि०	8,16,900.00
6. मैसर्स श्रीनिवास सी फूड लि०	6,20,428.00
7. मैसर्स गोल्डन फिशरीज लि०	6,19,099.00
8. मैसर्स ट्रापीकल शिपिंग कं० (प्रा०) लि०	6,19,099.00
9. मैसर्स बॉटल ग्लास (प्रा०) लि०	6,19,099.00
10. मैसर्स वरुण प्रोडक्ट (प्रा०) लि०	6,19,099.00
11. मैसर्स फोर सीजन्स फिशरीज प्रा० लि०	6,20,428.00
12. मैसर्स गुजरात फिशरीज डेवलपमैंट कारपो० लि०	6,02,178.00
	कुल : 1,56,58,868.75

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के फरक्का एकक को चालू करने में विलम्ब

2550. श्री यशवन्त राव पाटिल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के फरक्का स्थित पहले एकक को चालू करने में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) उस एकक को शीघ्र चालू करवाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) विलम्ब मुख्य रूप से श्रमिक सम्बन्धी समस्याओं और बिहार तथा पश्चिम बंगाल में भूमि अधिग्रहण में हुई कठिनाइयां के कारण हुआ है।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे परियोजना प्राधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करें तथा परियोजना की प्रगति की मानीटरिंग की जा रही है।

ग्रामीण विकास योजनाओं में छात्रों की भागीदारी

2551. श्री राजेश पाइलट : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास योजनाओं में स्कूल तथा कालिज दोनों स्तरों के छात्रों की भागीदारी के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं; और

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के छात्र ग्रामीण लोगों की विकास एवं उन्नति में सहायता करने हेतु सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें और अपने ज्ञान तथा कुशलता का प्रयोग कर सकें ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : सामाजिक रूप से उपयोगी (सा० उ० उ० का०) उत्पादक कार्य स्कूल पाठ्यचर्या का एक भाग है और स्कूल समय-सारणी में इस कार्यकलाप के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। अनेक ग्रामीण विकास योजनाएं, स्कूल के सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य कार्यक्रम में शामिल होती हैं और तदनुसार कार्य-अनुभव प्राप्त करने और सामुदायिक विकास में सहयोगी बनने के लिए जहां तक सम्भव हो, छात्रों से इन योजनाओं में भाग लेने की आशा की जाती है।

ग्रामीण विकास में, खासतौर पर इसके सामाजार्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पहलुओं में विश्वविद्यालयों के भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक योजना तैयार की है।

विश्वविद्यालयों को अनुसन्धान परियोजनाओं और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे वैकल्पिक उर्जा स्रोत, मिट्टी और जल परिरक्षण और आर्थिक विकास, वनरोपण, प्रौढ़ शिक्षा आदि को शामिल करके उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी गई है। आयोग इस उद्देश्य के लिए परियोजनाएं तैयार करने के वास्ते 10,000/- रुपये तक का प्रारम्भिक धन देने के लिए भी सहमत हो गया था। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनेक कार्यक्रम हैं जिनमें विश्वविद्यालयों और कॉलिजों के छात्र, ग्रामीण जीवन और विकास से परिचित होने के लिए भाग ले सकते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रौढ़ और सतत शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, प्रशिक्षण और राष्ट्रीय सामाजिक सेवाओं के लिए अनुस्थापन केन्द्र आदि शामिल हैं। अवर स्नातक पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने के कार्यक्रम में परम्परागत डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रयुक्त प्रकृति के पाठ्यक्रमों को लागू करने का विचार है ताकि अवर स्नातक छात्रों को परियोजना कार्य, क्षेत्र कार्य आदि के माध्यम से कार्य अनुभव से परिचित कराया जा सके।

डल्ली—राझरा—जगदलपुर रेल सम्पर्क मार्ग का सर्वेक्षण

2552. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डल्ली—राझरा—जगदलपुर रेल सम्पर्क मार्ग का सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की सम्भावना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या पग उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) डल्ली—राजहरा—जगदलपुर रेल सम्पर्क के लिए 1973-74 में किये गये अन्तिम स्थान निर्धारण इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को इस समय अद्यतन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, योजना आयोग के परामर्श से आगे की कारंवाई की जायेगी जो इस परियोजना के अर्थलाभ तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

दिवा—बसई रेल लाइन

2553. **श्री एस०जी० घोलप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिवा—बसई रेल लाईन का कार्य कब पूरा हुआ था ;

(ख) क्या उक्त रेल लाइन को माल और यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस समय कितने माल की ढुलाई हो रही है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) विद्युतीकरण सहित दिवा—बसई रेल लाइन 25.11.85 को पूरी हो गयी थी।

(ख) और (ग) : इस खंड को माल यातायात के लिए खोल दिया गया है और इस समय प्रत्येक दिशा में लगभग 3 मालगाड़ियां चल रही हैं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि

2554. श्री के० डी० सुलतानपुरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु हिमाचल प्रदेश के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : हिमाचल प्रदेश की सातवीं पंचवर्षीय योजना के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सम्बन्धी घटक पर योजना आयोग में विचार किया गया है और इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार करने और इसका संसद द्वारा अनुमोदन करने के बाद ही इसके ब्यौरे के बारे में पता चल सकेगा।

[अनुवाद]

मद्य निषेध अधिनियमों में एकरूपता लाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा निर्देश

2555. श्री एच० एन० नंजे गौड़ा
श्री जी० एस० बसवराजू } : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में मद्य-निषेध अधिनियमों में एकरूपता लाने के लिए हाल ही में निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए निर्देशों का क्या ब्यौरा है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) चूंकि मद्य-निषेध एक राज्य विषय है, इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। फिर भी, केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति ने, जिसमें सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश

प्रशासनों के मद्य-निषेध प्रभारी मंत्री प्रतिनिधि हैं, 11 मई, 1985 को हुई अपनी बारहवीं बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि मद्य-निषेध और आबकारी नियमों के उपबन्धों में मौलिक एकरूपता लाई जाए, ताकि उन उपबन्धों को विशेषकर विज्ञापनों, बच्चों को शराब की बिक्री, शराब के व्यवसाय में किशोरों और महिलाओं को नौकरी देने, सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान और अनधिकृत मदिरापान के लिए स्थानों की अनुमति देने और अन्य अपराधों के संदर्भ में और अधिक कारगर बनाया जा सके।

(ख) केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाई के लिए भेज दी गई है।

महाराष्ट्र में सुपर ताप बिजली घर की स्थापना

2556. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र से मिलने वाले कोयले पर आधारित एक सुपर ताप बिजली घर की स्थापना का मामला केन्द्र सरकार के साथ निरन्तर उठा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार इस परियोजना की जल पूर्ति की पुष्टि पहले ही कर चुकी है जो कि इस परियोजना की प्रगति में बाधक थी; और

(ग) यदि हां, तो निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) : वर्धा कोयला खानों से कोयले की उपलब्धता के आधार पर चन्द्रपुर में राज्य क्षेत्र में कुल 1820 मेगावाट क्षमता क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित की जा चुकी है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित करने का भी प्रस्ताव रखा था और पानी की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए भी सहमत हो गई थी। कोयला, पर्यावरण की स्वीकृति और वित्तीय साधनों आदि जैसे सभी निवेश सुनिश्चित हो जाने तथा पहले अनुमोदित की जा चुकी क्षमता के अलावा परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद ही केन्द्रीय परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जा सकता है।

बन्दरगाहों में "फ्लोटिंग और शोर फिक्सड क्रेन फोर्कलिफ्ट ट्रेलर्स" और ट्रैक्टर

2557. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख बन्दरगाहों में "फ्लोटिंग" और "शोर फिकस्ड क्रेन" की बन्दरगाह-वार संख्या कितनी है;

(ख) प्रमुख बन्दरगाहों में फोर्कलिफ्ट, ट्रेलर्स और ट्रैक्टरों की बन्दरगाह-वार संख्या कितनी है; और

(ग) उपरोक्त की बन्दरगाह-वार आवश्यकता कितनी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) पत्तनों पर काम कर रहे पत्तनवार फ्लोटिंग क्रेनों और तटस्थित क्रेनों की संख्या नीचे बताई गई है :—

पत्तन	फ्लोटिंग क्रेनों की संख्या	तटस्थित क्रेनों की संख्या
1	2	3
बम्बई	2	152
कलकत्ता	4	88
कोचीन	1	27
काण्डला	शून्य	27
मद्रास	1	45
मुरगांव	शून्य	15
न्यू मंगलौर	शून्य	8
परादीप	शून्य	4
टूटीकोरिन	1	10
विशाखापत्तनम	2	27

(ख) पत्तन में काम कर रहे पत्तनवार फोर्कलिफ्टों, ट्रेलरों और ट्रैक्टरों की संख्या नीचे बताई गई है :—

पत्तन	फोर्कलिफ्ट	ट्रेलर	ट्रैक्टर
बम्बई	56	120	57
कलकत्ता	52	111	38
कोचीन	49	11	5
काण्डला	10	7	4
मद्रास	94	41	22
मुरगांव	10	शून्य	शून्य
न्यू मंगलौर	5	2	2
पारादीप	14	2	2
टूटीकोरिन	18	शून्य	शून्य
विशाखापत्तनम	3	5	4

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पत्तन क्षेत्र के लिए गठित कार्यदल के मूल्यांकन के अनुसार पत्तनों के निम्नलिखित उपकरणों की जरूरत है जिनमें वे उपकरण भी शामिल हैं जिनका उल्लेख प्रश्न के भाग (क) और (ख) में किया गया है।

कलकत्ता	फोर्कलिफ्ट	—	2
मद्रास	फ्लोटिंग क्रेन	—	1
	फार्कलिफ्ट	—	58
	ट्रैलर	—	12
	ट्रैक्टर	—	12
विशाखा पत्तनम	तट स्थित क्रेन	—	4
मुरगांव	तट स्थित क्रेन	—	4
	फोर्क लिफ्ट	—	6
टूटीकोरिन	फोर्कलिफ्ट	—	4

कुष्ठ रोगियों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा को वित्तीय सहायता

2558. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुष्ठ रोगियों को आधारभूत सुविधा औषधियां आदि उपलब्ध कराने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा को आवंटित वित्तीय सहायता की राशि कितनी है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री : (श्री योगेन्द्र मकवाना) : छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा सरकार को दी गयी सहायता इस प्रकार है :—

नकद : 158.68 लाख रुपये (आधार भूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं के लिए)

सामग्री के रूप में : 144.45 लाख रुपये (औषधियां)

योग : 303.13 लाख रुपये

नागपुर रेलवे स्टेशन से होकर जाने वाली रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण का कोटा

2559. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि नागपुर रेलवे स्टेशन से होकर जाने वाली विभिन्न रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो नागपुर रेलवे स्टेशन से होकर जाने वाली विभिन्न रेल गाड़ियों के कोटे का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) नागपुर होकर जानी वाली विभिन्न गाड़ियों में नागपुर के लिए सभी श्रेणियों में लगभग 1310 शायिकाओं/सीटों के कुल कोटे की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त, बहुत-सी लोकल गाड़ियों के अलावा नागपुर से 2 एक्सप्रेस गाड़ियां और 10 पसेन्जर गाड़ियां भी आरम्भ होती हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं, इस समय नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) वर्तमान कोटा और सेवाएं कुल मिलाकर वर्तमान स्तर के यातायात की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संतोषप्रद पायी गयी हैं। इसके अलावा गाड़ियों के प्रारम्भिक स्थलों तथा अन्

मध्यवर्ती स्टेशनों पर उपलब्ध स्थानों की मांग के भारी दबाव के कारण फिलहाल मौजूदा कोटे में वृद्धि करना व्यवहारिक नहीं है। बहरहाल, जब भी अतिरिक्त स्थान उपलब्ध होंगे इसकी समीक्षा की जायेगी।

विवरण

नागपुर स्टेशन को आवंटित कोटा

गाड़ी नं० और नाम	पहला दर्जा वाता०	वाता० 2-टियर	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा शायिका	सीट
1	2	3	4	5	6
1 डाउन कलकत्ता मेल	2	6	9	73	10
2 अप बम्बई मेल	4	2	16	48	—
15 डा० जी० टी० एक्सप्रेस	1	2	2 6 (वाता. कुर्सी)	50	—
16 अप जी० टी० एक्सप्रेस	2	4	6	64	—
17 डा० जनता एक्सप्रेस	—	—	—	12	—
18 अप जनता एक्सप्रेस	—	—	—	6	—
21 डा० दक्षिण एक्सप्रेस	—	—	6	64	—
22 अप दक्षिण एक्सप्रेस	—	4	—	12	—
29 डा० बम्बई—हावड़ा एक्सप्रेस	—	—	4	44	—
30 अप हावड़ा—बम्बई एक्सप्रेस	—	—	16	44	—
59 डा० गीतांजलि एक्सप्रेस	—	6	—	92	—
60 अप गीतांजलि एक्सप्रेस	—	4	—	40	—
121 डा० तमिलनाडु एक्सप्रेस	—	3	4	59	—
122 अप तमिलनाडु एक्सप्रेस	—	2	2	28	—

1	2	3	4	5	6
123 डा० ए० पी० एक्सप्रेस	—	4	4	30	—
124 अप ए० पी० एक्सप्रेस	—	8	4	66	—
125 डा० केरल एक्सप्रेस	—	—	—	69	—
126 अप केरल एक्सप्रेस	—	4	6	42	—
127 डा० कर्नाटक एक्सप्रेस	—	6	—	28	—
128 अप कर्नाटक एक्सप्रेस	—	8	6	34	—
131 अप जयन्ती जनता एक्सप्रेस	—	—	—	54	—
132 डा० जयन्ती जनता एक्सप्रेस	—	—	—	18	—
134 अप अहमदाबाद एक्सप्रेस	—	—	7	19	—
137 डा० छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस	—	—	2	18	—
139 गंगा कावेरी एक्सप्रेस	—	4	2	12	—
140 अप गंगा कावेरी एक्सप्रेस	—	—	—	8	—
907 जम्मू—कन्याकुमारी एक्सप्रेस	—	—	2	16	—
908 कन्याकुमारी—जम्मू एक्सप्रेस	—	—	2	16	—
911 गोरखपुर—कोच्चिन एक्सप्रेस	—	—	2	6	—
912 कोच्चिन—गोरखपुर एक्सप्रेस	—	—	2	16	—
नागपुर सिटी बुकिंग	—	—	—	*29	—
	9	67	2 108 (आरा० कुर्सी)	1117	10

*2 अप बोम्बे मेल	6
40 अप दादर—नागपुर	8
84 अप कोल्हापुर एक्सप्रेस	4
29 डाउन बोम्बे हावड़ा	11
एक्सप्रेस	29

शिक्षा विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विद्यार्थी परिषद के चुनावों पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव

2560. श्री मुकुल वासनिक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेज और विश्वविद्यालय विद्यार्थी परिषद के चुनावों परप्रतिबन्ध लगाने की कोई सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल सुरक्षा आयुक्तों द्वारा रेल दुर्घटनाओं की जांच

2561. श्री वासुदेव आचार्य
श्रीमती पटेल रमाबेन
श्री रामजी भाई मावणि
: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान हुई सभी दुर्घटनाओं की जांच रेल सुरक्षा आयुक्तों द्वारा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) रेल सुरक्षा आयुक्तों द्वारा रेल दुर्घटनाओं की जांच पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दुर्घटनाओं की सांविधिक जांच के नियम, 1973 में निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती है। तदनुसार 1984-85 के दौरान कुल 32 रेल दुर्घटनाओं की जांच रेल सुरक्षा आयुक्तों द्वारा की गयी थी।

(ख) रेल संरक्षा आयुक्तों के निष्कर्षों के अनुसार 18 दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की असफलताओं के कारण, 8 दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती के कारण तथा 6 दुर्घटनाएं उपस्कर की खराबी के कारण हुई थीं।

"इनएडीक्वेट, स्लो रिलीफ टू भोपाल गैस विकटिम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2562. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जून, 1985 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स', में "इनएडीक्वेट स्लो रिलीफ टू भोपाल गैस विकटिम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार गैस से प्रभावित लोगों के लिए तत्काल दवाईयां भेजने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में सोडियम थियोसल्फेट सप्लाई करने के लिए पहले ही व्यवस्था कर दी है । कोई अन्य औषधियां और दवाइयां सप्लाई करने के लिए और कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

चर्लापल्ली में लोकोशेड का निर्माण

2563. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिकन्दराबाद के निकट चर्लापल्ली में लोकोशेड के निर्माण के लिए धनराशि देने पर रोक लगा दी है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार के पूर्व निर्णय पर पुर्नविचार के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) इसको पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) (क) सिकन्दराबाद के निकट चर्लापल्ली में एक रेल इंजन शेड का निर्माण कोई पृथक काम नहीं है । यह काजीपेट—सनतनगर खण्ड के विद्युतीकरण का ही एक भाग है जिसे निम्न प्राथमिकता दी गई है और उसे फिलहाल 8 वीं पंचवर्षीय योजना तक आस्थगित कर दिया गया है । अतः चर्लापल्ली में रेल इंजन शैड के निर्माण की स्वीकृति देना सामयिक नहीं समझा गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 6.28 करोड़ रुपये ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 15 को चौड़ा करने हेतु सातवीं योजना में सम्मिलित करना

2564. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर और पोखरान और जैसलमेर, जैसलमेर और बाड़मेर और बाड़मेर और सांगेर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15 की चौड़ाई 10 से 12 फीट है; और

(ख) क्या सरकार का उस क्षेत्र की सुरक्षा के विशेष महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय राज-सं० 15 को उसकी चौड़ाई को दुगुना करते हेतु सातवीं योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) यह सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सड़क क्षेत्र के लिए परिव्यय पर निर्भर होगा। योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास

2565. श्री विजय कुमार राजू : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) 1985-8, के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में और इसकी बाई पास सड़कों पर उपरिपुलों के निर्माण को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 के विशाखापत्तनम-विजयवाड़ा खंड में विभिन्न चरणों में 13 कार्य चल रहे हैं।

(ख) इस खण्ड के कार्यों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए 1985-86 के दौरान आन्ध्र प्रदेश को 13.50 करोड़ रुपये की धन राशि आवंटित की गयी है।

(ग) और (घ) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस बात की सम्भावना है कि भीड़-भाड़ वाले शहरों के आस-पास बा० पासों और लेवल क्रॉसिंग के बदले ओवर ब्रिजों के निर्माण पर विचार किया जाय जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक कार्य की प्राथमिकता और इसके लिए धन उपलब्ध होने पर निर्भर है।

फरीदाबाद में केरल एक्सप्रेस के स्टाप की व्यवस्था करना

2566. श्री के० मोहन दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली केरल एक्सप्रेस रेलगाड़ी का फरीदाबाद में कोई हाल्ट नहीं है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को फरीदाबाद में रहने वाले केरल वासियों की ओर से इस स्टेशन पर इसके हाल्ट की व्यवस्था करने के लिये कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस गाड़ी के ठहराने की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विद्यालय में बदलना

2567. श्री अमिताभ बच्चन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विद्यालय में बदलने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकार के पास राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य कर रहे विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा है। अतः केन्द्रीय सरकार ने इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के प्रश्न पर विचार नहीं किया है।

[हिन्दी]

अकबरपुर जंक्शन (फैजाबाद जिला) पर सुविधाएं

2568. श्री राम प्यारे सुमन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फैजाबाद जिला (उत्तर प्रदेश) में अकबरपुर जंक्शन पर गाड़ियों के शंटिंग, अतिरिक्त रेल डिब्बों के लिये स्थान, अतिरिक्त प्लेटफार्म पर शेड की छवाई, रेल इंजन को पानी भरने, और प्लेटफार्म पर पर्याप्त बत्तियों की व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में रेल विभाग को आवश्यक अनुदेश जारी करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार अकबरपुर जंक्शन पर रेल डाक सेवा की व्यवस्था, जी० आर० पी० कर्मियों के लिये गैस्ट हाउस और प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिये एक प्रतीक्षा कक्ष के निर्माण करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या लक्षण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं। यद्यपि अकबरपुर स्टेशन पर टर्न-टेबल नहीं है, तथापि इस समय रेलवे के परिचालन के लिए यह आवश्यक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ.) इस स्टेशन पर होने वाले वर्तमान यातायात को देखते हुए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं है।

[अनुवाद]

[कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रगति

2596. श्री अजय विश्वास : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किये गये कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अब तक बहुत धीमी प्रगति हुई है और अभी अनियमित बना हुआ है;

(ख) क्या कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में केवल जलमार्ग बनाने तथा चक्रानुक्रम में जल की सप्लाई करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है और पानी के अधिकतम उपयोग की अपेक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की कमान क्षेत्र विकास, सिंचाई और विस्तार और अनुसंधान अभिकरणों के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) : प्रारंभिक वर्षों तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास के लिए अपनाई गई नीति में, जल के बेहतर उपयोग

तथा कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, खेत-नालियों का निर्माण तथा बाराबंदी लागू करके प्रत्येक निकास कमान में सभी किसानों को समान तथा समय पर जल की सप्लाई सुनिश्चित करना है।

(ग) से (ङ) : ऑनफार्म विकास कार्यकलापों को जारी रखते हुए, 7वीं योजना में ऑनफार्म प्रबंध, किसानों के प्रशिक्षण, किसानों के खेतों पर अनुकूली परीक्षण और प्रदर्शन करने तथा किसानों की एसोसिएशनों के माध्यम से जल के वितरण में लाभार्थियों के सक्रिय रूप से शामिल होने तथा उनकी भागीदारी पर बल दिया जाएगा। कृषि अनुसंधान अभिकरणों के साथ अधिक प्रभावी समन्वय के लिए भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद के जोनल अनुसंधान केन्द्र के साथ प्रत्येक कमान क्षेत्र विकास परियोजना को लिंक करने का प्रस्ताव है। कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण बहु-कार्य-विध निकाय हैं तथा वे सिंचाई तथा कृषि विभागों के साथ सन्निकट सम्पर्क बनाए रखते हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किए गए कार्य

2570. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन क्षेत्रों के नाम क्या है जहां केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने गत तीन वर्षों में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ कार्य किया है और इसके द्वारा किए गए निर्माण कार्य तथा तत्संबंधी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और 20-सूत्री कार्यक्रम के कौन से सूत्रों का क्रियान्वयन किया गया है और तत्संबंधी उपलब्धियां क्या हैं; और

(ख) इन कार्यों को करने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य सरकार ने, पृथक-पृथक कितनी धनराशि खर्च की है और इसमें प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन का योगदान क्या है तथा इन संगठनों के नाम क्या हैं ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य-मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

विरमगम—मेहसाना छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

2571. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र और राजस्थान तथा उत्तर भारत के बीच सम्पूर्ण रेल संचार विरमगम और मेहसाना के बीच से गुजरता है;

(ख) क्या विरमगम—हप्पा लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के बाद, विरमगम और मेहसाना में वाहनांतरण से सौराष्ट्र और उत्तर के बीच संचार व्यवस्था जटिल हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो विरमगम—मेहसाना सेक्शन से छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए क्या प्राथमिकता दी जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण विरमगम—मेहसाना खण्ड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन शुरू करना सम्भव नहीं है।

विद्युत रेल इंजनों का आयात

2572. श्री बी० तुलसी राम
श्री समर कुमार मण्डल } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 14 जुलाई, 1985 के "इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय रेल विभाग उच्च अश्वशक्ति के प्रोटोटाइप विद्युत रेल इंजनों का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो आयात किए जाने वाले रेल इंजनों की संख्या कितनी है और प्रति रेल इंजन कितनी लागत आएगी तथा इसके आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी;

(ग) इन रेल इंजनों का आयात किन-किन देशों से किया जा रहा है तथा इनका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाएगा;

(घ) इन रेल इंजनों के प्रयोग से मालगाड़ियों की गति में कितनी तेजी आ जाएगी; और

(ङ) इन रेल इंजनों को कौन से रेल क्षेत्रों को आवंटित किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) जी, हां।

(ख) 18 प्रोटोटाइप माल रेल इंजनों का आयात किया जा रहा है। मूल्य वृद्धि के तत्व सहित प्रति रेल इंजन की, जहाज पर्यन्त निःशुल्क, औसत लागत लगभग 2.18 करोड़ रुपये है और आरम्भिक अनुरक्षण एवं यूनिट एक्सचेंज स्पेयर्स, आदि सहित प्रति रेल इंजन की लागत मूल्य वृद्धि के साथ, जहाज पर्यन्त निःशुल्क, औसत लागत लगभग 2.64 करोड़ रुपये है। विदेशी विनिमय के रूप में निहित कुल वित्तीय परिव्यय लगभग 52.19 करोड़ रुपये है।

(ग) 6 रेल इंजनों के दो-दो प्रोटोटाइप 12 रेल इंजनों का जापान से तथा 6 प्रोटोटाइप रेल इंजनों का स्वीडन से आयात किया जा रहा है। ये गहन सेवा परीक्षणों के लिए तथा उसके फलस्वरूप मूल्यांकन करके उनके देशी निर्माण हेतु अति उपयुक्त किस्म का चयन करने के लिए हैं।

(घ) 6000 अश्व शक्ति के आयातित आधुनिक प्रोटोटाइप रेल इंजन भारतीय रेलों के चितरंजन रेल इंजन कारखाना द्वारा इस समय निर्मित किये जा रहे 3900 अश्व शक्ति के रेल इंजनों से सतही खण्डों पर सम्भव 75 कि० मी० प्र० घं० की अधिकतम सेवा रफ्तार की तुलना में अधिक विश्वसनीयता के साथ सतही खण्डों पर 100 कि० मी० प्र.० घं० की अधिकतम सेवा रफ्तार तक भारी माल गाड़ियां खींचने में समर्थ होंगे।

(ङ.) ये रेल इंजन दक्षिण पूर्व रेलवे को आवंटित करने का प्रस्ताव है।

जहाजरानी उद्योग के विकास के लिए मंत्री की हाल की विदेश यात्रा

2573. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में जहाजरानी उद्योग के विकास के संबंध में कुछ देशों की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो किन देशों की यात्रा की थी और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या भारत में उद्योग के विकास के लिए विभिन्न किस्मों की सहायता हेतु विभिन्न पोत कारखानों से उन्हें आश्वासन मिले थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) : नौवहन और परिवहन राज्य मंत्री ने 1 जुलाई, 85 से 5 जुलाई, 85 तक पोलैंड की यात्रा मुख्यतः भारत-पोलैंड नौवहन सेवा के सफल परिचालन की 25वीं वर्षगांठ के समारोह के संबंध में की थी। मंत्रीजी 1 से 14 जुलाई, 1985 के दौरान पोलैंड, पश्चिम जर्मनी डेनमार्क और स्वीडन भी गये। इस यात्रा का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ समुद्रगामी जहाजों के लिए डिजाइन तैयार करने में सहयोग देने पर विचार करने के लिए पोलैंड, स्वीडन और डेनमार्क में शिपयार्डों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए भी किया गया। इन मदों पर, भारतीय मालिकों/शिपयार्डों द्वारा डिजाइन की तकनीकी रूप से स्वीकार कर लिए जाने के आधार पर विचार किया जाएगा।

कांसे की मूर्तियां बनाने की विश्व भारतीय परियोजना

2574. श्री अजितकुमार साहा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बैज की सभी मूर्तियों को कांसे में ढालने की विश्व भारती परियोजना को धन के अभाव में प्रारंभिक चरणों में गहरा धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना को पर्याप्त धन न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) यथा संभव धनराशि देने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : विश्व भारती ने राम किंकर बैज की सभी मूर्तियों को कांसे में ढलवाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी ने उसकी मूर्तियों का काफी संग्रह उनको कासे में ढलवाने तथा उनके परिरक्षण के विचार से खरीदा है। एक उत्कृष्ट कलाकृति "सन्थाल परिवार" का कांसे में ढलाई का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इस कार्य को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त निधियां मांगी गई थीं, जिसे सरकार ने संस्वीकृत कर दिया है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

2575. डा० गौरी शंकर राजहंस
श्री गुरुदास कामत } : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा देश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी सहायता दी गई है;

(ख) जिन परियोजनाओं के लिए सहायता दी गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रत्येक सिंचाई परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) शेष अधूरी सिंचाई परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) : विवरण-1 तथा 2 संलग्न है।

विवरण-1

पूर्ण हुई परियोजनाएं

मिलियन
(अमरीकी/डालर में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर की तारीख	बाह्य सहायता की राशि	परियोजना को पूरा करने की निश्चित तारीख
1	2	3	4	5
1.	पंचमराव सिंचाई (268 आई० एन०)	23·8·71	39·000	39·000
2.	गोदावरी बराज (532 आई० एन०)	7.3.75	45.000	45.000
3.	आ० प्र० सिंचाई और सी० ए० डी० परियोजना (ऋण 1251—आई० एन०)	10.6.76	145.000	131.707
4.	सोन सिंचाई परियोजना (21—आई० एन०)	29.6.62	15.000	15.000
5.	शतरंजी सिंचाई परियोजना (21—आई० एन०)	22.11.61	44.500	3.34
6.	कडाना सिंचाई परियोजना (176—आई० एन०)	9.2.70	35.000	35.000
7.	गुजरात सिंचाई परियोजना (808—आई० एन०)	17.7.78	85.000	85.000
8.	हरियाणा सिंचाई परियोजना (क्रेडिट 843—आई० एन०)	16.8.78	111.000	111.000
9.	पूर्णा सिंचाई परियोजना (23—आई० एन०)	18.7.82	13.000	13.000

1	2	3	4	5
10.	महाराष्ट्र सिंचाई परियजोना (क्रेडिट 736—आई० एन०)	11.10.77	70.000	70.000
11.	सलंदी सिंचाई परियोजना (14—आई० एन०)	22.11.61	8.000	8.000
12.	उड़ीसा सिंचाई परियोजना (740—आई० एन०)	11.10.77	58.000	58.000
13.	पेरियार वेगई सिंचाई परियोजना (क्रेडिट 720— आई० एन०)	30.6.77	23.000	23.000
14.	उ० प्र० ट्यूबवैल परियोजना (क्रेडिट 8—आई० एन०)	6.9.61	6.000	6.000
15.	उ० प्र० सार्वजनिक ट्यूबवेलों की परियोजना (क्रेडिट 1004—आई० एन०)	12.5.80	18.000	18.000
16.	चम्बल (राजस्थान सी० ए० डी०) परियोजना (ऋण 1011—आई० एन०)	19.6.74	52.000	52.000
17.	राजस्थान नहर और सी० ए० डी० परियोजना (क्रेडिट 502—आई० एन०)	31.7.74	83.000	83.000
18.	चम्बल (म० प्र०) सिंचाई परियोजना (क्रेडिट 562—आई० एन०)	20.6.75	24.000	24.0•0

विवरण-2

चालू परियोजनाएं

मिलियन
(अमरीकी/डालर में)

क्रम० सं०	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर की तारीख	बाह्य सहायता की राशि	सहायता के उपयोग के माध्यम से भुगतान के संबंध में वित्तीय प्रगति	परियोजना को पूरा करने की निश्चित तारीख

1	2	3	4	5	6
1.	दूसरी गुजरात सिंचाई परियोजना (1100—आई० एन०)	12.5.80	175.000	95.084	अप्रैल, 1986
2.	गुजरात मध्यम सिंचाई परियोजना (क्रेडिट—1496—आई० एन०)	29.6.84	172.000	19.238	दिसम्बर, 1989
3.	हरियाणा सिंचाई परियोजना—दो (क्रेडिट 1319—आई० एन०)	23.2.83	150.000	40.454	मार्च, 1988
4.	कर्नाटक सिंचाई परियोजना (क्रेडिट 788—आई० एन०)	12.5.78	117.640	92.015	मार्च, 1986
5.	कर्नाटक टैंक सिंचाई परियोजना (क्रेडिट 1116—आई० एन०)	26.3.81	54.000	11.219	मार्च, 1986
6.	दूसरी महाराष्ट्र सिंचाई परियोजना (क्रेडिट—954 आई० एन०)	14.4.80	210.000	189.944	दिसम्बर, 1985
7.	महाराष्ट्र जल उपयोग परियोजना (क्रेडिट—1383 आई० एन०—ऋण 2308 आई० एन०)	30.6.83	54.700	9.956	अगस्त, 1989
8.	पंजाब सिंचाई परियोजना (क्रेडिट 889—आई० एन०)	30.3.79	129.000	106.428	जून, 1986
9.	महानदी बराज परियोजना (1078—आई० एन०)	5.12.80	83.000	28.837	मार्च, 1987

1	2	3	4	5	6
10.	उड़ीसा सिंचाई—दोपरियोजना (1397—आई० एन०)	16.9.83	105.000	24.252	दिसम्बर, 1987
11.	पेरियार वेगाई सिंचाई—दो परियोजना (क्रेडिट 1468—आई० एन०/एस० एफ० 16—आई० एन०)	12.10.84	35.000	2.102	अप्रैल, 1989
12.	उ० प्र० सार्वजनिक ट्यूब-वेल चरण—दो परियोजना (क्रेडिट 1.332—आई० एन०)	31.3.83	101.000	4.430	मार्च, 1988
13.	अपर गंगा आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजना (क्रेडिट 1483—आई० एन०)	29.6.84	125.000	शून्य	सितम्बर, 1987
14.	म० प्र० मध्यम सिंचाई परियोजना (क्रेडिट 1108 आई० एन०)	26.3.81	140.000	39.904	मार्च, 1987
15.	म० प्र० वृहद सिंचाई परियोजना (क्रेडिट 1177 आई० एन०)	24.2.82	220.000	54.480	जून, 1987
16.	चम्बल (म० प्र०) चरण—दो परियोजना (क्रेडिट 1288—आई एन००	7.9.82	31.000	10.472	मार्च, 1987
17.	कल्लाडा सिंचाई ट्रीकराप विकास परियोजना				

1	2	3	4	5	6
	(क) क्रेडिट (1269 आई० एन०)	6.7.82	60.000	29.095	मार्च, 1987
	(ख) ऋण (2186 आई० एन०)	6.7·82	20.3		
18.	सुवर्ण रेखा (बिहार और उड़ीसा) सिंचाई परियोजना (क्रेडिट 1289—आई० एन०)	9.11.82	127.000	16.501	मार्च, 1987
19.	नर्मदा नदी का विकास (गुजरात)	10.5.85	100.00	शून्य	मार्च, 1987
	सरदार सरोवर बांध और विद्युत परियोजना (क्रेडिट 1552—आई० एन०/ऋण 2497—आई० एन०)	10.5.85	200.00	करार पर हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं।	1994
20.	नर्मदा नदी का विकास (गुजरात) जल वितरण और ड्रेनेज परियोजना (क्रेडिट 1553—आई० एन०)	10.5.85	150.000	शून्य	1994

[हिन्दी]

बीकानेर-सूरतगढ़ लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2576. श्री मनफूल सिंह चौधरी : : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर और सूरतगढ़ के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा रहा है;

(ख) क्या बड़ी लाइन के निर्माण के कारण लाइन का स्तर काफी ऊंचा उठ गया है और अस्थाई क्रासिंगों के बन्द होने के कारण सारा यातायात अवरुद्ध हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेल विभाग का विचार इन रेलवे क्रासिंगों को पहुंच योग्य और यातायात के लिए सुचारु बनाना है; और

(घ) क्या रेल विभाग बीकानेर में एक रेल-क्रासिंग पर उपरीपुल का निर्माण करने पर भी विचार कर रहा है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां। सूरतगढ़-बीकानेर मीटर लाइन का बड़ी लाइन में सामान परिवर्तन एक अनुमोदित परियोजना है और यह प्रगति पर है।

(ख) और (ग) : यद्यपि आमान परिवर्तन परियोजना के सम्बन्ध में कुछ स्थानों पर किनारे ऊंचे किये जा रहे हैं, लेकिन किसी भी यातायात को रोका नहीं गया है। यहां कोई अस्थाई समपार नहीं है, इसलिए इसके बन्द किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकार से प्रस्तावों के प्राप्त होने पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के प्रश्न की जांच की जायेगी जो सूरतगढ़—बीकानेर आमान परिवर्तन परियोजना से अलग होगा।

[अनुवाद]

उड़ीसा में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव

2577. श्री राधाकान्त डिगाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कुछ राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वे संस्थान किन-किन स्थानों में स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का उड़ीसा में ऐसा एक संस्थान स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान स्थापित करने के लिए उड़ीसा में कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : एक राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान पहले ही कलकत्ता में कार्य कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

निवादवालू रेलवे फाटक पर उपरिपुल

2578. श्री श्रीहरि राव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि निवादवालू रेलवे फाटक लम्बी अवधि तक बन्द रहता है जिसके कारण लोगों को भारी असुविधा होती है;

(ख) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि रेल फाटक उस स्थान के समीप है जहां तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ड्रिलिंग का कार्य कर रहा है और इससे प्राय: यातायात रुका रहता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यातायात को सुचारू बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से वे उस स्थान पर एक उपरिपुल के निर्माण की व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बन्सी लाल) :(क) से (ख) : यह सड़क यातायात के लिए खुला सामान्य स्थिति का बी श्रेणी का चौकीदार वाला समपार है। यह सही है कि यह सम्पार व्यस्त रहता है।

(ग) समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों की व्यवस्था का काम लागत में हिस्सेदारी के आधार पर राज्य सरकार के साथ मिलकर किया जाता है। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण प्रतिवर्ष की सीमित संख्या में ही निर्माण कार्य स्वीकार किए जाते हैं और इस कार्य के बारे में अभी कोई योजना बनाना सम्भव नहीं हुआ है।

मूर्तियों को ढालने के लिए विश्व भारती की परियोजना

2579. श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व भारती प्राधिकारियों ने राम किंकर बैज की प्रसिद्ध मूर्ति "दी संथाल फैमिली" को पहले निर्मित करने के लिए सरकार से अतिरिक्त धनराशि देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि दे दी है;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो धनराशि देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी ने 4,80,800/- रु० की लागत पर, दो मूर्तिकारों के साथ "संथाल-परिवार" की एक मूर्ति को कांस्य में ढलवाने के लिए एक करार किया है। विश्व-भारती ने मूर्ति को दोबारा ढलवाने के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगा है।

(ख) से (घ) : कांस्य ढलवाने का कार्य जून, 1984 तक पूरा किया जाना था। तथापि, यह कार्य अभी तक पूरा नही हुआ है। कार्य को पूरा करने के लिए 50,000/- रु० का अतिरिक्त अनुदान इस शर्त पर संस्वीकृत किया गया है कि कार्य नवम्बर, 1985 तक संतोषजनक रूप से पूरा हो जाए। तथापि, मूर्ति को दोबारा ढलवाने के लिए विश्व-भारती का अनुरोध अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

पत्तन सुविधाओं के विकास हेतु आबंटन

2580. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान पत्तन सुविधाओं के विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित क गई है; और

(ख) तत्सम्बन्धी पत्तन-वार ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) : मुख्य पत्तनों पर, पत्तन विकास सुविधाओं के विकास के लिए आबंटन कैलेण्डर वर्ष के अनुसार नहीं, बल्कि वित्तीय वर्ष के अनुसार किया जाता है। वर्ष 1985-86 की वार्षिक योजना में, पत्तन वार किया गया आबंटन, नीचे दिखाया गया है :—

	(करोड़ रु० में)
1. कलकत्ता/हल्दिया	18.95
2. बम्बई	39.60
3. मद्रास	29.25
4. कोचीन	13.50
5. विशाखापत्तनम	19.20
6. कांडला	12.80
7. मुरगांव	4.75
8. पराद्वीप	23.85
9. टूटीकोरिन	6.00
10. न्यू मंगलौर	8.00
11. न्हावा शेवा	40.00
सभी पत्तनों का जोड़ :	215.90

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में बिना चौकीदार वाले रेल फाटक

2581. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र में बिना चौकीदार वाले कितने रेल फाटक हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के बिना चौकीदार वाले फाटकों के दोनों ओर गति-अवरोधकों का निर्माण करने का है ताकि वहां पर सभी वाहन धीमी गति से चलें; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं। भारतीय रेलों पर बिना चौकीदार वाले 22,186 समपार हैं और वर्ष 1984-85 के दौरान ऐसे समपारों पर 43 दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) महाराष्ट्र में बिना चौकीदार वाले लगभग 1276 समपार हैं।

(ग) राज्य सरकारों के पास जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय के इस आशय के आदेश पहले ही मौजूद है कि बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर गति-रोधकों की व्यवस्था की जाये।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आदिवासी पट्टी में भूमिगत जल संसाधनों का अध्ययन

2582. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने आदिवासी पट्टी में भूमिगत जल की उपलब्धता का अध्ययन करने की कोई परियोजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने यू०एन०डी०पी० की सहायता से बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में कसई तथा सुवर्णरेखा नदी बेसिनों में 29,700 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में भूमिगत जल क्षमता का मूल्यांकन करने तथा उसके और विकास हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए एक परियोजना आरम्भ की है। इस परियोजना के अध्ययनों में इन राज्यों का 24,550 वर्ग कि०मी० क्षेत्र, जो

आदिवासी क्षेत्र की श्रेणी में आता है। शामिल होगा। इस परियोजना के अन्तर्गत ड्रिलिंग भू-भौतिक सर्वेक्षण तथा अन्य उन्नत तकनीकों की सहायता से भूमिगत जल के विस्तृत सर्वेक्षण तथा अन्वेषण किए जा रहे हैं। 100 से अधिक परीक्षण नलकूपों को ड्रिल किया जा गा तथा कार्यक्षम नलकूपों को उपयोग हेतु राज्य सरकारों को सौंप दिया जायेगा और भूमिगत जल के विकास और खुदाई कुओं तथा नलकूपों को लगाए जाने के स्थानों के लिए प्रत्याशित क्षेत्रों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सिफारिश की जायेंगी।

जयपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटा के निकट चम्बल नदी पर पुल

2583. **श्री जुझार सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर-जबलपुर राजमार्ग में कोटा के निकट चम्बल नदी पर पुल कई वर्षों से निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त पुल का निर्माण कार्य बहुत धीमा है और यातायात के लिए कब तक इसके तैयार हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या वर्षा के मोसम में कोटा बांध सिचाई मार्ग पर भारी यातायात को मोड़ना और अन्यथा तकनीक दृष्टि से निर्दोष और उचित है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान सरकार के अनुसार पुल के लिए, कुओं के लिए गोला गलाने में उत्पन्न हुई समस्याओं के कारण बिलम्ब हुआ और इसके जून, 1987 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

(ग) राजस्थान के सिंचाई विभाग ने तकनीकी जांच के बाद कोटा डैम की सड़क पर यातायात की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

सौराष्ट्र में संकरी लाइनों और छोटी लाइनों का बन्द किया जाना

2584. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के सौराष्ट्र क्षेत्र में कितनी संकरी और छोटी लाइनों को बन्द कर दिया गया है;

(ख) इन रेल लाइनों को बन्द किए जाने के कारण क्या हैं और इससे कितने यात्री प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या इन रेल लाइनों को पुनः चालू करने के बारे में रेल अधिकारियों को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सौराष्ट्र में पश्चिम रेलवे के पांच शाखा लाइन—एक छोटी लाइन तथा चार मीटर लाइन खण्डों पर यात्री यातायात के लिए गाड़ी सेवाएं बन्द कर दी गयी हैं।

(ख) वीरमगाम—ओखा—पोरबन्दर मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन हो जाने के कारण तीन खण्ड अलग-थलग हो गये थे और शेष दो खण्डों के मामले में मामूली-सा यातायात होने के कारण गाड़ी सेवाएं बन्द कर दी गयी थीं। ये सभी पांचों खण्ड सड़क परिवहन द्वारा भली भांति सेवित हैं और वहां गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा निरन्तर बस सेवाएं चलाई जा रही हैं। इस प्रकार इन खण्डों से गाड़ी सेवाएं हटाये जाने के कारण यात्री प्रभावित नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) : ऐसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

अहमदाबाद और बम्बई के बीच लाइन क्षमता बढ़ाना

2585. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान अतिरिक्त रेलगाड़ी सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत अहमदाबाद-बम्बई के बीच लाइन क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र महिला दशक के दौरान हुई प्रगति पर पुनरीक्षण करने हेतु नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की बैठकें

2586. श्रीमती उषा चौधरी : क्या समाज और महिला कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महिला दशक के दौरान हुई प्रगति पर पुनरीक्षण करने हेतु नैरोबी केन्या में इस वर्ष जुलाई के तीसरे सप्ताह में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त दशक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत में किए गए कार्य की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : विवरण 1 और 2 संलग्न हैं ।

विवरण-1

1. संयुक्त राष्ट्र महिला दशक की उपलब्धियों के पुनरीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए नैरोबी में 15 से 27 जुलाई, 1985 तक एक सम्मेलन हुआ था । इस सम्मेलन में 12— संसदीय शिष्ट मण्डल ने भाग लिया था जिसका नेतृत्व समाज और महिला कल्याण मन्त्री श्रीमती एम० चन्द्रशेखर ने किया था । इस सम्मेलन में 150 से अधिक देशों और संयुक्त राष्ट्र संगठनों, क्षेत्रीय आयोगों अन्तर-सरकारी संगठनों और विशिष्ट एजेन्सियों के 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

2. समाज और महिला कल्याण मन्त्री ने सम्मेलन के प्रारम्भ में 17 जुलाई, 1985 को भाषण दिया । अपने भाषण में उन्होंने अप्रैल, 1985 में दिल्ली में हुई विकास कार्य में महिलाओं की भूमिका पर गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक के निर्णयों का संक्षिप्त विवरण दिया । उन्होंने विधि और विकास योजनाओं के बारे में सरकार द्वारा किये गये उपायों के साथ भारत में महिलाओं द्वारा की गई प्रगति का उल्लेख किया । उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर सरकारी दृष्टिकोण के बारे में भी बताया ।

3. भारतीय शिष्टमंडल ने मुख्य मसलों पर सभी को सहमत कराने के लिए कार्य किया और इसके परिणाम अच्छे रहे ।

4. सन् 2000 तक नीतियों से सम्बन्धित दस्तावेज पर स्वीकृति ही सम्मेलन का मुख्य परिणाम था । इस दस्तावेज में कानूनी और सांविधिक स्थिति, नीति निर्धारण और निर्णय लेने जैसे कार्यों में भाग लेने, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कठिनाईयों का पता लगाकर और प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में कठिनाईयों को दूर करने की नीतियां तैयार करके महिलाओं की प्रगति के लिए रूपरेखा निर्धारित की गई है ।

विवरण-2

संयुक्त राष्ट्र महिला दशक के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दशक के दौरान किए गए कार्य की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) विधायी उपाय :

वर्तमान विधानों की समीक्षा की गई और जहां कहीं आवश्यक था उनमें संशोधन किया गया तथा महिलाओं को समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नए विधान बनाए

गए । उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :—

(i) पुरुषों और महिलाओं को समान पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 ।

(ii) श्रमजीवी महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु सदन प्रदान करने के लिए फैक्टरी अधिनियम में, 1976 में संशोधन किया गया ।

(iii) विवाह कानून में 1976 में संशोधन किया गया ताकि वयस्क होने पर महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया जाए चाहे बचपन में सहवास पूरा हुआ हो या नहीं—निर्दयता और परित्यक्ता को तलाक के रूप में भी जोड़ा गया ।

(iv) प्रसूति लाभ अधिनियम, में उन सभी महिलाओं को जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं थीं, शामिल करने के लिए 1976 में संशोधन किया गया ।

(v) भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अपराधी प्रक्रिया संहिता में 1983 में संशोधन किया गया जिसमें महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार ऐसे अपराधों के लिए कानून को और अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके और पति या अन्य रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं पर किये गए अत्याचारों को दण्डनीय बनाया जाए ।

(vi) दहेज निषेध अधिनियम का 1984 में संशोधन किया गया जिसमें अपराधी को दण्डनीय बनाने, दण्ड को बढ़ाने दोनों जर्माना और जेल के रूप में और अधिनियम में और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाना शामिल है ।

(vii) परिवार न्यायालय अधिनियम, परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए 1984 में पास किया गया ताकि समझौते को प्रोत्साहन मिले और विवाह और परिवार मामलों से सम्बन्धित झगड़ों का जल्दी से निपटारा हो सके ।

(2) शिक्षा :

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं ने प्रगति की है । 1971 से 1981 के दशक के दौरान महिलाओं की साक्षरता की दर 18.7% से बढ़कर 24.82% हो गई थी । प्रारम्भिक स्तर पर लड़कियों की नामंकन प्रतिशतता 1950-51 में 42.6% से बढ़कर 1982-83 में 64.8% हो गई थी । महिला अध्यापिकाओं की संख्या 1950-51 में 82,201 से बढ़कर 1979-80 में 250,206 तक हो गई थी । वयस्क महिलाओं के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, वयस्क महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता, अनोपचारिक शिक्षा और संक्षिप्त पाठ्यक्रम की योजनाओं को उनके शैक्षिक स्तर पर सुधार करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है । शिक्षा मंत्रालय ने एक विशेष कामंदल का गठन किया है जो महिलाओं की शिक्षा के लिए योजनाओं की क्रियान्विति

का पुनरीक्षण करेगा। शिक्षा में बहु प्रवेश को अपनाना, अनौपचारिक अंशकालिक सुविधाएं और कुछ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम, छात्र-वृत्तियां देना, पुस्तकों के लिए ऋण देना और होस्टल सुविधाएं आदि जैसे उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(3) स्वास्थ्य :

महिलाओं की आयु सीमा 1951 में 31.7 वर्ष से बढ़कर 1981 में 54.6 वर्ष हो गई है। 1971 के बाद निम्न सेक्स अनुपात की प्रवृत्ति में बदल गई है। 1971 में यह अनुपात 1000 से 930 हो गया था। 1981 में पुरुषों के लिए यह अनुपात 935 से बढ़कर 1000 हो गया था। उन्हें पोषाहार प्रदान करने के लिए अनेक विशेष कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। बाल और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं का ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विस्तार किया गया है जिनके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र और उपकेन्द्र स्थापित किए गये गये हैं। इसके अतिरिक्त परिवार कल्याण विभाग ने टेट्नेस के विरुद्ध गर्भवती माताओं के प्रतिरक्षण के लिए और दूसरी महिलाओं के पोषाहार की कमी के कारण रोग निरोधन के लिए अनेक योजनाए आयोजित की है।

(4) रोजगार :

रोजगार के क्षेत्र में कार्य सहभागिता की दर 1961 में 11.87% से बढ़कर 1981 में 14.3 प्रतिशत हो गई है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं तथा दूसरे सम्बन्धित मन्त्रालयों के प्रभागों के माध्यम से प्रशिक्षण और रोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। श्रमजीवी महिलाओं की संख्या ने केवल अध्यापन, चिकित्सा, पैरामेडिकल सेवाओं में परम्परागत क्षेत्रों में ही बढ़ी है बल्कि, इलट्रोनिक्स, एसेम्बली कार्य और कम्प्यूटर कार्यक्रम जैसे गैर-परम्परागत क्षेत्रों की भी बढ़ी है। महिला उद्यमियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों सेक्टरों में अपने प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण देने की सहायता दी जाती है। बहुत से संगठनों में महिलाएं प्रबन्धक स्तर पर पहुंच गई हैं और उन्होंने विभिन्न प्रकार के नये व्यवसायों में प्रवेश कर लिया है। उदाहरणार्थ विधि, औषधी, वास्तुकला आदि व्यवसायों में भी महिलाओं को प्रबन्धक स्तर पर लगाया जा रहा है। अधिक से अधिक महिलाओं को अखिल भारतीय सेवाओं और श्रेणी/सेवाओं के लिए नियुक्त किया जा रहा है। यहां तक कि महिलाएं भारतीय पुलिस सेवा में भी शामिल हो गई हैं।

विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों द्वारा अनेक रोजगार प्रजनन योजनाएं शुरू की गई हैं। ग्रामीण युवक स्वयं रोजगार प्रशिक्षण की योजना के अन्तर्गत 1/3 लाभ प्राप्तकर्ता महिलाएं हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाये जा रहे हैं। कुछ राज्यों ने महिला विकास निगमों की स्थापना की है जिसके अन्तर्गत महिला उद्यमियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता तथा विपणन सुविधाएं दी जाती हैं। समाज और महिला कल्याण मंत्रालय ने गैर-परम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं के लिए

रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 1982-83 में एक नई योजना शुरू की है। श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टलों तथा शिशुसदनों जैसी दूसरी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह मन्त्रालय स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रमुख योजनाएं चला रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने योजनाओं का विस्तार किया है और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, नीरसता को कम करने, स्वास्थ्य और वातावरण की स्थिति को सुधारने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को और अधिक शामिल करने जैसे तकनीकियों का विकास किया गया है।

[हिन्दी]

स्वेच्छा से परिवार नियोजन अपनाने वालों को प्रोत्साहन/सुविधाएं

2587. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बहुत से लोगों ने स्वेच्छा से परिवार नियोजन अपनाया है; और

(ख) स्वेच्छा से परिवार नियोजन अपनाने वाले व्यक्तियों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है तथा उपलब्ध करायी जाने वाली अन्य प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर बढ़ावा दिया जाता है। 1984-85 में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों के 1,98,600 स्वीकारकर्ताओं को दर्ज किया गया।

(ख) नसबन्दी आपरेशन करवाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी, विशेष वेतन वृद्धि और भवन निर्माण के लिए ली गई पेशगी पर 1/2 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाती है, बशर्ते कि वे सम्बन्धित सरकारी आदेशों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को भी ये लाभ मिलते हैं। अनेक राज्य सरकारों के पास भी व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रोत्साहन देने की योजनाएं हैं। इनमें नसबन्दी के स्वीकारकर्ताओं को "ग्रीन कार्ड" जारी करने, जिसमें उन्हें उन मामलों में प्राथमिकता मिल सके जिनमें ऐसी प्राथमिकता दिया जाना व्यवहार्य हो, लाटरी टिकट जारी करने और सामुदायिक परिसम्पत्ति के रूप में पुरस्कार देने की योजनाएं शामिल हैं। "ग्रीन कार्ड" योजना दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

देश में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्धेपन का प्रतिशत

2588. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेत्रहीन व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश में प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति अन्धे हो जाते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अन्धेपन का प्रतिशत अधिक है;

(घ) इस अन्धेपन के विभिन्न कारण क्या हैं; और

(ङ) अन्धेपन को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1971-73 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में दृष्टिहीनों की संख्या लगभग 90 लाख है।

(ख) प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति दृष्टिहीन हो जाते हैं इसका पता लगाने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) यह सही है कि शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में दृष्टिहीन लोगों की संख्या कुछ अधिक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद् द्वारा 1971-73 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में दृष्टिहीनता का अनुमानित प्रतिशत 1.4 तथा शहरी क्षेत्रों में 1.1 प्रतिशत है।

(घ) 1971-73 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद् द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार दृष्टिहीनता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :—

मोतियाबिंद	—	55 प्रतिशत
रोहे और सहायक संक्रमण	—	20 प्रतिशत
चेचक	—	3 प्रतिशत
पोषण की कमी	—	2 प्रतिशत
चोटें	—	1.20 प्रतिशत
ग्लूकोमा	—	0.50 प्रतिशत
अन्य	—	18.30 प्रतिशत

(ङ.) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत चलते-फिरते शिवरों के जरिए दूर-दराज के क्षेत्रों में नेत्र परिचर्या सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं और सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला और राज्य स्तरों पर नेत्र परिचर्या की स्थाई सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। यह कार्यक्रम सारे देश में चलाया जा रहा है और आधारभूत ढांचे के विकास के बारे में जो सुविधाएं उपलब्ध की गयी हैं वे इस प्रकार हैं :—

(एक) केन्द्रीय मोबाइल यूनिट	—	80
(दो) प्रा० स्वा० केन्द्र	—	2000
(तीन) जिला अस्पताल	—	404
(चार) मेडिकल कालेज	—	59
(पांच) जिला मोबाइल यूनिटें	—	30
(छः) नेत्र विज्ञान सहायक प्रशिक्षण स्कूल	—	37
(सात) क्षेत्रीय संस्थान	—	9
(आठ) राज्य नेत्र विज्ञान सेल	—	18

जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम के अन्तर्गत विटामिन "ए" सप्लाई किया जा रहा है।

राजस्थान और अन्य राज्यों में खसरे के कारण मौतें और खसरे के टीके का विकास

2589. **श्री बिल मोहन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में खसरा रोग के कारण हाल में 61 बच्चों की मौत हो गई है जैसा कि दिनांक 12 जुलाई, 1985 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे ही कुछ मामले हुए हैं और उसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ग) भारतीय अनुसन्धान परिषद्/चिकित्सा प्राधिकारियों को इस रोग का सामना करने के लिए क्या दीर्घावधि और अल्पावधि और योजनाएं हैं; और

(घ) क्या खसरे का टीका विकसित कर लिया गया है और पश्चिमी देशों में उसका असंक्राम्यता कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपयोग किया जाता है और यदि हां तो उसे भारत में उपयोग में न लाये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा बतलाई गई उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 1984 में खसरे से हुई मौतों की संख्या 472 थी। राजस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार इस रोग से हुई मौतों की संख्या 1984 में 33 और मार्च, 1985 तक 24 थी।

(ग) और (घ) : दूसरे देशों में खसरा वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। इसे भारत में इस वर्ष से रोग प्रति रक्षण के विस्तारित कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सातवीं योजना में इसके प्रयोग को बढ़ाया जायेगा।

त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना और उसका रख-रखाव और पुलों को बदलना

2590. श्री एन० डेनिस : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि बहुत खराब हालत में है, के रख-रखाव के लिए शीघ्र कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सुहिन्द्रम, कुझिथुराई और नयातिनकरई स्थित पुराने और असुरक्षित पुलों को बदलने, नवीनकरण करने और उन्हें चौड़ा करने का विचार है; और

(ग) इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते हुये यातायात को ध्यान में रखते हुए इसे चौड़ा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव एक नैमित्तिक कार्य है। तमिलनाडु और केरल राज्य अपनी सीमा में, राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 के 90 कि०मी० त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी खंड को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखते हैं जो धन के उपलब्ध होने पर निर्भर होता है।

(ख) वर्ष 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम में सुहिन्द्रम और कुझिथुराई पुलों के स्थान पर नये पुल के निर्माण के लिए सर्वेक्षण और जांच की व्यवस्था की गई है। संभवतः नयातिनकरई पुल रह जायेगा और इसलिए इसे मौजूदा समय के लिए यथावत् रखा जा रहा है।

(ग) मौजूदा कैरिजवे को चौड़ा करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

मनखुर्द-बेलापुर रेल लाइन

2591. प्रो० मधु दण्डवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 में प्रारम्भ की गई बम्बई महानगर परिवहन परियोजना रेलवे को तोड़े जाने की सम्भावना है और कार्यरत अधिकारियों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे के इस निर्णय से बम्बई महानगर की भीड़ को कम करने की योजना गम्भीर रूप से प्रभावित नहीं होगी जिसे मनखुर्द-बेलापुर रेल लाइन का निर्माण करके ठाणे क्रीक से पार नई-बम्बई से जोड़ा जाना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बम्बई महानगर परिवहन परियोजना को न तोड़ने और महानगर की भीड़ कम करने की दृष्टि से महानगर परिवहन परियोजना के कर्मचारियों की सेवायें समाप्त न करने का आश्वासन देगी।

रेल मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) मनखुर्द से बेलापुर तक रेल लाइन का विस्तार अनुमोदित कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कार्यभार के अनुरूप रखी जा रही है।

सिक्किम में ग्रामीण विद्युतीकरण

2592. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने गांवों को बिजली दी जा चुकी है;

(ख) राज्य में योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है; और

(ग) सभी गांवों को 1990 तक बिजली देने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या सरकार का सिक्किम सरकार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) 30.6.1985 की स्थिति के अनुसार सिक्किम में 194 राजस्व ब्लाक/गांव विद्युतीकृत किए गए हैं।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम की वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत सिक्किम के ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 1.65 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रारक्षित किया गया है।

(ग) सातवीं योजना के दौरान सिक्किम में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए अन्तिम रूप से 10.79 करोड़ रुपये का प्रावधान दिखाया गया है।

1984-85 के दौरान विशाखापत्तनम शिपयार्ड से उतारे गये नये जहाज

2593. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान विशाखापत्तनम शिपयार्ड से कितने नये जहाज उतारे गये;

(ख) विशाखापत्तनम शिपयार्ड लिमिटेड में कुल कितने कर्मचारी नये जहाजों के निर्माण के कार्य में लगे हैं; और

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान उतारे गये जहाजों का अनुमानित मूल्य क्या था ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम में निम्नलिखित कार्य हुए :—

(1) सात जहाजों के लिए पठाण बिछाई गई।

(2) पांच जहाजों की डिलीवरी की गई। जलवितरित किया गया।

(3) दो जहाजों की डिलीवरी की गई।

कुल 14 जहाज

(ख) जहाजों के निर्माण कार्य पर कुल 7657 कर्मचारी नियुक्त हैं।

(ग) 77.03 करोड़ रुपये के मूल्य का जहाज कार्य हुआ। सरकारी सहायता सहित इन दो जलयानों के मूल्य 36,22,51,321.00 रुपये हैं जिसे शिपयार्ड ने प्राप्त किया है।

[हिन्दी]

सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर

2594. श्री सरफराज अहमद : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) पंजाब और हरियाणा सरकारों के बीच सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के निर्माण के लिये समझौते पर कब हस्ताक्षर किये गये थे और इस समझौते की क्या शर्तें थी;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने इस निर्माण कार्य के लिये अपने हिस्से की राशि अदा कर दी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितनी राशि बकाया है और इसके कब तक अदा किए जाने तथा इस नहर का निर्माण कार्य पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी शंकरानन्द) : (क) रावी तथा व्यास के जल आबंटन के सम्बन्ध में पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान द्वारा 31-12-1981 को हस्ताक्षरित करार में सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना का कार्यान्वयन भी शामिल है। इसमें परियोजना को करार

हस्ताक्षर होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अन्दर पूरा करने की शर्त है। इसमें हरियाणा द्वारा परियोजना की लागत वहन करने की भी व्यवस्था है। तथापि, यह बाद में हरियाणा तथा पंजाब में 5 : 1 के अनुपात में लागत के हिस्से के बंटवारे की पद्धति में बदल दिया गया था।

(ख) और (ग) : परियोजना पर अब तक बताए गए 53 करोड़ रुपए के व्यय में से पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और लगभग 8 करोड़ रुपए बकाया है। पंजाब सरकार द्वारा अपने पूरे हिस्से के भुगतान न करने का कारण वित्तीय कठिनाइयां बताया गया है। इस नहर का निर्माण कार्य 15 अगस्त, 1986 तक पूरा किया जाना है।

चेतक एक्सप्रेस में रोशनी की व्यवस्था में सुधार

2595. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से उदयपुर जाने वाली चेतक एक्सप्रेस में रोशनी का उचित प्रबन्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी में रोशनी की व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोचीन शिपयार्ड में जहाजों का निर्माण

2596. प्रो० के० वी० थामस : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कोचीन शिपयार्ड को कोई नया क्रयादेश प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप अन्ततोगत्वा शिपयार्ड को बन्द करना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो उक्त शिपयार्ड के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) : भारतीय नौवहन निगम ने, फरवरी, 1982 में कोचीन शिपयार्ड को, 67000 डी०डब्ल्यू०टी० के तीन बल्क कैरियर बनाने का आशयपत्र भेजा था। विश्वव्यापी मन्दी आने और 67000 डी०डब्ल्यू०टी० क्षमता बल्क कैरियरों का उपयोग सीमित होने के कारण, भारतीय नौवहन निगम ने बाद में यह आशयपत्र रद्द कर दिया। मैसर्स चौगुले स्टीमशिप लि० ने भी जहाज 006

का अपना आर्डर रद्द कर दिया। इससे कोचीन शिपयार्ड लि० के निर्माण के कार्यक्रम पर असर पड़ा। भारतीय नौवहन निगम ने अब कोचीन शिपयार्ड को, 86000 डी०डब्ल्यू०टी० के तीन तेल टैंकरों के निर्माण के लिए आशयपत्र भेजे हैं। इस सम्बन्ध में डिजाइन के बारे में सहयोग प्राप्त करने और पूंजी लगाने के प्रस्तावों पर सरकार कार्रवाई कर रही है।

वर्ष 1984-85 के दौरान "निरोध" का उत्पादन, वितरण और बिक्री

2597. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में देश में "निरोध" का कितना उत्पादन, वितरण तथा बिक्री हुई;

(ख) 1984-85 के अन्त में सरकार के पास निरोध का कितना भण्डार था; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निरोध पात्र दम्पत्तियों तक पहुंचे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1984-85 के दौरान निरोधों का उत्पादन, वितरण और बिक्री इस प्रकार थी—

	(दस लाख में)
(i) उत्पादन	599.00
(ii) निःशुल्क और डिपो होल्डर योजनाओं के वितरण	346.00
(iii) बिक्री	278.00

(ख) 1500 लाख नग।

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निरोध निम्नलिखित माध्यमों के जरिए बांटा जाता है :—

(i) निःशुल्क निरोध—इस योजना के अन्तर्गत निरोध विभिन्न स्तरों पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त परा-चिकित्सा कर्मचारियों के जरिये बांटे जाते हैं। ये निरोध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों में पात्र दम्पत्तियों को तथा क्षेत्रीय दौरे के दौरान उपयोगकर्ताओं को उनके घरों के नजदीक दिए जाते हैं।

(ii) डिपो होल्डर—इस योजना के अन्तर्गत निरोध ग्राम स्वास्थ्य गाइडों के जरिए गांव में बांटे जाते हैं।

(iii) सामाजिक विपणन—इस योजना के अन्तर्गत निरोध सामाजिक विपणन में शामिल 12 कम्पनियों के माध्यम से रियायती मूल्य पर बेचे जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 9 पर कीसरा में पुल

2598. श्री वी० शोभनाद्रीश्वरा राव : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर कीसरा में पुल का कुछ भाग हाल ही में क्षतिग्रस्त हो गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप भारी वाहन यातायात को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ा गया जिसके कारण 60 मील की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक 2-लेन के पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारी वाहन यातायात का वैकल्पिक मार्ग की ओर मोड़ दिया गया, जिसके कारण 50 कि० मी० की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है ।

(ग) एक नए पुल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

स्वतन्त्रता सेनानियों को स्टालों का आवंटन

2599. श्री हुसैन दलवई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्लेटफार्मों पर स्टालों के आवंटन के क्या मानदण्ड हैं.

(ख) क्या निर्धारित मानदण्डों का पूरी तरह से और कड़ाई से पालन किया जाता है;

(ग) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के पात्र मामलों में ऐसे कुछ स्टालों के आवंटन का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार के आवंटन में प्राथमिकता किसे दी जाती है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) : आधी यूनिट तक के खानपान/वेंडिंग ठेके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अनन्य रूप से आरक्षित होते हैं । बड़े ठेके निम्नलिखित वरीयता क्रम में आवंटित किए जाते हैं :—

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति,

(2) वास्तविक कार्यकर्ताओं/वेंडरों की सहकारी समितियां,

(3) महिला समितियां,

(4) अक्षम भूतपूर्व सैनिक,

(5) 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के भीतर व्यक्तिश: बेरोजगार स्नातक,

(6) स्वतन्त्रता सेनानी, तथा

(7) अन्य।

जिन स्टेशनों पर व्यापक विभागीय खानपान व्यवस्था है, वहां फल तथा फल के रस के स्टालों के अलावा कोई खानपान/वेंडिंग ठेके आवंटित नहीं किए जाते हैं।

आमान परिवर्तन के कारण निर्मित प्लेटफार्मों को छोड़कर सभी नये स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर बुक स्टालों के सभी नये आबंटन 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के भीतर व्यक्तिश: बेरोजगार स्नातकों, उनकी साझेदारियों, सहकारिताओं, एसोशिएशनों तथा रेलवे बुक स्टालों के वास्तविक कार्यकर्ताओं/वेंडरों के लिए अनन्य रूप से आरक्षित होते हैं।

[हिन्दी]

परिक्रमा पर्यटन टिकट पर छूट को वापस लिया जाना

2600. श्री बाबूलाल मालवीय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को रेल गाड़ियों से यात्रा करने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रचार हेतु रेलवे बजट में लाखों रुपयों का प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या भारतीय पर्यटकों को परिक्रमा पर्यटन टिकट पर दी जाने वाली 15 प्रतिशत की छूट वापस ले ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय पर्यटकों को इस छूट से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) इस प्रयोजन के लिए 1985-86 के रेलवे बजट में 15 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) : रेल दर जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर 15.8.1981 से 15% की रियायत को वापस ले लिया गया है। समिति ने यह महसूस किया था कि इस सुविधा का उपयोग मुख्यत: व्यापारिक यात्राओं के लिए या नियोक्ताओं के खर्च पर अन्य प्रयोजनों के खर्च पर अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है और यह कि ऐसी यात्राओं में रियायत देने का कोई सामजिक आधार नहीं है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में कोयना बांध

2601. श्रीमती बसव राजेश्वरी : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में कोयना बांध द्वारा भारी मात्रा में पानी अप्रयुक्त छोड़ दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पानी की वास्तविक मात्रा कितनी है;

(ग) क्या कर्नाटक की ओर से अनुरोध किया गया है कि इस अतिरिक्त पानी को कृष्णा नदी बेसिन के लिए छोड़ा जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) : सम्बन्धित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और उन्हें चौड़ा करना

2602. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि में राष्ट्रीय राजमार्गों की बड़े पैमाने पर मरम्मत और उन्हें चौड़ा करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सभी राजमार्गों को अच्छी हालत में रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक अनवरत प्रक्रिया है। सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की मौजूदा दशा, यातायात परिमाण, धन की उपलब्धता और अखिल भारतीय आधार पर अन्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मंजूरी प्रदान की जाती है। इन राज्यों में आमतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात योग्य हैं। तथापि प्रत्येक वर्ष योजना के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्यों के अलावा भारत सरकार 200 मिलियन अमेरिकी डालर मूल्य के विश्व बैंक ऋण से गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में छह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को विकसित करने पर सहमत हो गई है।

धन न दिए जाने के कारण मणिपुर सिंचाई परियोजना का रुक जाना

2603. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर में ऐसी कितनी सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं जिनकी प्रगति में केन्द्र द्वारा धन जारी किए जाने में बाधाओं के कारण रुकावटें आ गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र और राज्य के बीच परस्पर कुछ गलतफहमियों के कारण थोवल परियोजना में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना को पूरा करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था राज्यों को अपने योजना-संसाधनों में से करनी होती है। केन्द्रीय सहायता राज्य को सम्पूर्ण योजना के लिए दी जाती है और यह क्रिया-कलाप के किसी विशेष सेक्टर या परियोजना से जुड़ी हुई नहीं होती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश द्वारा नर्मदा परियोजना के बारे में बकाया धन राशि का भुगतान

2604. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों ने गुजरात सरकार को नर्मदा सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपने हिस्से की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों ने नर्मदा परियोजना के लिए अन्तिम रूप से कितनी ऋण राशि निर्धारित की है और उसमें से कितनी धनराशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) क्या खोसला आयोग के निर्णय में यह कहा गया है कि परियोजना को खोसला आयोग के निर्णय के अनुसार पूरा होने पर भी बहुत-सा पानी समुद्र में फेंका जाएगा;

(घ) क्या इस फालतू पानी का नर्मदा परियोजना की नहरों से उठाऊ सिंचाई के द्वारा सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण पर मार्च, 1985 तक हुए व्यय में से महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश सरकारों ने अपने हिस्से का भुगतान कर दिया है।

(ख) विश्व बैंक को इस परियोजना के लिए 450 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्रदान करनी है। अभी तक कोई अदायगी नहीं की गई है।

(ग) खोसला समिति ने नर्मदा नदी के पानी के उपयोग पर रिपोर्ट 1965 में प्रस्तुत कर दी थी। उसके बाद नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने दिसम्बर, 1979 में अपना निर्णय दिया था तथा इस निर्णय के अनुसार नर्मदा बेसिन के सम्पूर्ण जल का लाभार्थी राज्यों के बीच पूरा आबंटन कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) गुजरात सरकार से नर्मदा परियोजना की नहरों से किसी भी लिफ्ट सिंचाई स्कीम का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

खड़गपुर रेलवे कार्यशाला में रिक्तियां

2605. श्री नारायण चौबे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खड़गपुर स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे की कार्यशाला में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ख) 30 जून, 1985 को खड़गपुर कार्यशाला में वास्तव में कितने कर्मचारी थे;

(ग) क्या यह सच है कि खड़गपुर कार्यशाला की रिक्तियां काफी लम्बे समय से नहीं भरी गयी हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के रेल अधिकारियों को जनशक्ति की कमी के कारण निर्धारित उत्पादन कर पाना कठिन हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो खड़गपुर कर्मशाला में भर्ती कब शुरू की जाएगी ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) 14,405 आवधिक (वर्ग ग और घ) ।

(ख) 13,165 (वर्ग ग और घ) ।

(ग) कुल रिक्तियां हैं जिन्हें, रिक्तियों को भरने पर प्रतिबन्ध, आरक्षित समुदाय आदि के उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता जैसे कारणों की वजह से नहीं भरा जा सका था ।

(घ) इन रिक्तियों का प्रभाव बिजली और डीजल रेल इंजनों आदि की ओवर हालिंग में वृद्धि करने पर पड़ा है ।

(ङ) इस विषय पर वर्तमान अनुदेशों को ध्यान मे रखकर मौजूदा रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

सातवीं योजना के दौरान राज्य सड़क परिवहन निगमों के सुधार और विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता

2606. श्री के० प्रधानी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य सड़क परिवहन निगमों द्वारा उठाए जा रहे घाटों को ध्यान में रखते हुए उनके मन्त्रालय में, राज्य सड़क परिवहन निगमों के कार्यचालन को कुशल बनाने के लिए राज्य सरकारों को कई उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने अपने सड़क परिवहन निगमों के सुधार और विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा कितनी राशि की मांग की गई है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राज्य सरकारों को, जिनके सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राज्य सड़क परिवहन निगम कार्य करते हैं, यह सलाह दी जाती रही है कि वे अपने-अपने निगमों के कार्य और वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने के लिए उपाय करें। इसके लिए जो उपाय सुझाये जाते हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं : पुरानी बसों को बदलना, बसों का उचित अनुरक्षण और उपयोग, रूटों को युक्तिसंगत बनाकर तथा ईंधन के उपयोग में किफायत संबंधी उपकरणों का इस्तेमाल कर ईंधन की खपत में बचत करना, लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किराये की दरों में संशोधन आदि।

(ख) और (ग) : सातवीं योजना के दौरान सड़क परिवहन में सुधार लाने या उसका विस्तार करने के लिए राज्यों से कोई निश्चित सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 के तहत स्थापित उनके अपने राज्य सड़क परिवहन निगमों के लिए अप्रतिदेय ऋण के रूप में धन राशि देती है जिस पर ब्याज लगता है। यह धनराशि राज्य सरकारों और अपने अपने निगमों में लगाई गई पूंजी के 50 प्रतिशत तक होती है अगर यह परस्पर सम्भव आधार पर होती है।

कैंसर के शीघ्र निदान हेतु केन्द्र तथा और अधिक केन्द्रों की स्थापना

2607. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में 80 प्रतिशत से अधिक कैंसर रोगियों को रोग की तीसरी अथवा चौथी अवस्था में अस्पतालों में लाया जाता है और इन अवस्थाओं पर रोग अत्यधिक बढ़ गया होता है और उपचार की संभावना क्षीण रहती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यदि रोग का पहले निदान हो जाए तो लगभग 30 से 40 प्रतिशत रोगियों को इस रोग से बचाया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) यदि विभिन्न प्रकार के कैंसर का कैंसर होने से पहले की स्थितियों में पता लगाया जाए तो उससे जीवन रक्षा, अच्छे जीवन तथा कुछ हद तक आयु में वृद्धि होगी। इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा और साधारण तथा सस्ते परीक्षण करने की जरूरत है। ये परीक्षण हैं— शारीरिक और आन्तरिक परीक्षण, रेडियोलाजिकल परीक्षण, बायोप्सी, पी०ए०पी० स्मीयर टेस्ट, प्रयोगशाला जांच आदि।

[हिन्दी]

ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी में बाढ़ का नियंत्रण

2609. श्री जैनुल बशर : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी में बाढ़ नियंत्रण के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड और गंगा बोर्ड के लिए क्रमशः कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) उक्त बोर्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या बाढ़ से प्रभावित होने वाली भारी जनसंख्या और सम्पत्ति के असीम नुकसान के तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उक्त नदियों में बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रभावी योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर व्यय के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड अथवा गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। बाढ़ नियंत्रण कार्य सम्बन्धित राज्यों द्वारा किए जा रहे हैं।

(ख) से (घ) : ब्रह्मपुत्र और बारक बेसिनों में बाढ़ नियंत्रण, तट-कटाव तथा जल-निकास के सुधार के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने के वास्ते ब्रह्मपुत्र बोर्ड सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कर रहा है। बोर्ड ने दिहंग तथा सुबनसिरी बांध परियोजना के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली है। लोहित,नवदिहिंग तथा दिबंग, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, पर अन्य बहु-प्रयोजनी परियोजनाओं के लिए बोर्ड ने अन्वेषण भी शुरू कर दिए हैं।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के निर्देशाधीन कार्य करता है, द्वारा गंगा बेसिन के लिए तैयार की गई व्यापक मास्टर योजना इस समय गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के विचाराधीन है। इस बीच गंगा बेसिन के राज्य विभिन्न बाढ़ नियंत्रण स्कीमों को क्रियान्वित कर रहे हैं जो सामान्यतया व्यापक योजना के मुख्य ढांचे में ही है।

डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप, वाराणसी में डीजल इंजनों का निर्माण

2610. श्री जैनुल बशर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप वाराणसी की अनेक वर्कशापों में डीजल इंजन निर्माण की वार्षिक क्षमता कितनी है;

(ख) उक्त डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने डीजल इंजनों का निर्माण करने के क्रियादेश मिले;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उक्त कारखाने में कितने डीजल इंजनों का निर्माण हुआ; और

(घ) यदि उक्त कारखाने की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) सम्भवत. माननीय सदस्य का आशय डीजल इंजन के संदर्भ में डीजल रेल इंजन से है। डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी की क्षमता प्रतिवर्ष 140 डीजल रेल इंजनों के निर्माण की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान डी०रे०का० को निम्नलिखित डीजल रेल इंजनों के निर्माण के लिए आर्डर दिए गए थे :

वर्ष		दिया गया आर्डर
1984-85	—	114 डीजल रेल इंजन
1983-84	—	127 डीजल रेल इंजन
1982-83	—	137 डीजल रेल इंजन

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान डी०रे०का० ने निम्नलिखित डीजल रेल इंजनों का उत्पादन किया :

वर्ष		उत्पादन
1984-85	—	114 डीजल रेल इंजन
1983-84	—	127 डीजल रेल इंजन
1982-83	—	129 डीजल रेल इंजन

(घ) स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच मामूली-सा अन्तर योजना से कम आयोग धन प्राप्त होने के कारण है।

[अनुवाद]

रांची और हावडा के बीच नई रेल गाड़ियां चलाना

26 11. श्री हन्नान मोल्लाह
श्री सैयद मसुदल हुसैन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रांची और हावड़ा के बीच इस समय केवल एक रेलगाड़ी चलती है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस रेलगाड़ी में हमेशा बहुत अधिक भीड़ होती है क्योंकि इसमें न केवल रांची के ही बल्कि लोहारडगा और गुमला जिलों के यात्री भी यात्रा करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रांची और हावड़ा के बीच नई रेल गाड़ियां चलाने या उक्त रेलगाड़ी में डिब्बों की संख्या बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) : सवारी डिब्बों और रेल इंजनों की कमी के कारण रांची और हावड़ा के बीच नई गाडियां चलाना फिलहाल संभव नहीं है । यहां तक कि इस समय वर्तमान गाड़ी में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाना भी संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए एक अतिरिक्त डीजल रेल इंजन की आवश्यकता होगी जो रेलवे के पास उपलब्ध नहीं है ।

एक नई बम्बई-कन्याकुमारी सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाना

2613. **श्री टी० बशीर**
श्री के० मोहनदास : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बम्बई और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस से बम्बई और त्रिवेन्द्रम के बीच यात्रा करने वालों की आवश्यकता पूरी नहीं होती;

(ख) क्या सरकार को एक नई बम्बई-कन्याकुमारी सुपरफास्ट चलाने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सवारी डिब्बों तथा डीजल रेल इंजनों की कमी और मार्गवर्ती खंडों में रेलपथ क्षमता के अभाव के कारण बम्बई और कन्याकुमारी के बीच एक नई गाड़ी चलाना संभव नहीं होगा ।

[हिन्दी]

जोधपुर-लखनऊ मरुधर एक्सप्रेस का बरास्ता पाली मारवाड़-ब्यावर-अजमेर-फुलेरा चलाना

2614. श्री विष्णु मोदी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर-लखनऊ मरुधर एक्सप्रेस को बरास्ता मेरटा सिटी-फुलेरा के स्थान पर बरास्ता पाली-मारवाड़-ब्यावर-अजमेर-फुलेरा चलाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (घ) : मांगें प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की गई है, लेकिन लम्बे मार्ग मारवाड़ जंक्शन—ब्यावर-अजमेर खंड पर लाइन क्षमता की तंगी तथा वर्तमान मार्ग पर इस गाड़ी की अधिक लोकप्रियता होने के कारण इन मांगों को व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल को बिजली की सप्लाई

2615. श्री सनत कुमार मंडल : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की सप्लाई के बारे में दामोदर घाटी निगम तथा पश्चिम बंगाल के बीच समझौते को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है और इस समझौते को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) : 13 जुलाई, 1985 को पश्चिम बंगाल के विद्युत मन्त्री के साथ हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड और कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को विद्युत की सप्लाई के लिए 10 वर्ष के लिए एक दीर्घकालीन समझौता किया जाना चाहिए। संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों की एक समिति यथाशीघ्र समझौते का ब्यौरा तैयार करेगी। दामोदर घाटी निगम इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही कर रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली का उत्पादन

2616. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हुई है; और

(ख) यदि नहीं तो निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू): (क) और (ख) छठी योजना के दौरान राज्य के लिए निर्धारित किए गये 1095 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में, वास्तव में 1235 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता चालू की गई थी। यद्यपि बलिमेला बांध्र बिजली घर की यूनिटें (2 × 30 मेगावाट) पिछड़ गई हैं, फिर भी नागार्जुनसागर पम्प स्टोरेज स्कीम की 100-100 मेगावाट की दो यूनिटों को चालू किया जाना सातवीं योजना के प्रारम्भ के बजाए छठी योजना कर दिया गया था। बलिमेला बांध बिजली घर की यूनिट-एक और दो के पिछड़ने का मुख्य कारण उड़ीसा सरकार द्वारा भूमि देने में विलम्ब होना है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कार्यालय, दुर्गापुर का पटना स्थानान्तरण

2617. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री अजीत कुमार साहा
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक
} : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अपने कार्यालय को दुर्गापुर से पटना स्थानांतरित करने का निर्णय किया है और इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा चुके हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को साल्टलेक, कलकत्ता में अपना पूर्वी क्षेत्र कार्यालय स्थापित करने के लिए 22 एकड़ का प्लाट देने का आश्वासन दिया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल से कार्यालय स्थानांतरित करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के लिए साल्टलेक, कलकत्ता में 22 एकड़ भूमि के प्लाट के लिए विद्युत विभाग ने पश्चिमी बंगाल सरकार से आश्वासन देने के लिए

नहीं कहा है क्योंकि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कभी भी इस कार्यालय को कलकत्ता में स्थापित करने के बारे में नहीं सोचा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

कैंसर से पीड़ित व्यक्ति, रोग के लक्षण और कारण

2618. **श्री लाला राम केन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंसर की प्राथमिक अवस्था के क्या लक्षण हैं और इस रोग के क्या कारण हैं; और

(ख) राजस्थान में निकट भविष्य में इस रोग के उपचार के लिए किन-किन स्थानों पर अस्पताल खोलने का विचार है;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कैंसर शरीर के किसी भी भाग को खराब कर सकता है । कैंसर से प्रभावित अंग और कैंसर की किस्म के अनुसार इसके लक्षण अलग-अलग होते हैं । अंग विशेष में कैंसर किस स्थान पर है और वह किस किस्म का है उसके आमतौर पर एक से अधिक कारण होते हैं । तम्बाकू पीने की आदत और पर्यावरणिक कैंसर जनक ही मुख-ग्रसनी और श्वसनी कैंसर के कारण हैं । महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर आमतौर पर जननांगी की सफाई न रखने के साथ-साथ छोटी आयु में तथा लम्बे समय तक कामुक जीवन व्यतीत करने तथा अधिक बच्चों को जन्म देने से होता है । देश में इन दो प्रकार के कैंसर रोगियों की संख्या कुल रोगियों की संख्या के आधे से अधिक है । पेट के कैंसर का सम्बन्ध खाने-पीने की आदतों से हो सकता है ।

(ख) इस समय राजस्थान में कोई नया कैंसर अस्पताल या केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है । वैसे, राजस्थान में निम्नलिखित अस्पतालों में कैंसर के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

1. जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, जयपुर ।
2. पी० बी० मैन्स अस्पताल, बीकानेर ।
3. एस० एम० एस० अस्पताल, जयपुर ।
4. एम० जी० अस्पताल, जोधपुर ।
5. उमेद अस्पताल, जोधपुर ।
6. जनरल अस्पताल, उदयपुर ।
7. एसोसियेटेड ग्रुप आफ हास्पिटल्स, उदयपुर ।

आर्टिफिशल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन, कानपुर की उत्पादन क्षमता

2619. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या समाज और महिला कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक आर्टिफिशल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन, कानपुर की उत्पादन क्षमता क्या थी;

(ख) 1983 की तुलना में 1984 के दौरान उत्पादन क्षमता में किस सीमा तक कमी या वृद्धि हुई; और

(ग) उक्त निगम की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) इस अवधि के दौरान भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने 44.13 लाख रुपए के यंत्रों का उत्पादन किया।

(ख) 1983 में 91.10 लाख रुपए के उत्पादन की तुलना में, 1984 में 34.43 लाख रुपए का ही उत्पादन हुआ।

(ग) जुलाई, 1985 के उत्पादन --5.43 लाख रुपये।

औषधियों और हार्मोन्स के अधिक इस्तेमाल से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

2620. श्री आर० एम० भोये : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि औषधियों और हार्मोन्स के अत्यधिक इस्तेमाल से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर सामान्यतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) किसी रोगी को दवाइयां और हार्मोन का नुस्खा उसी मेडिकल-प्रेक्टीशनर द्वारा लिखा जाता है जो उस रोगी का इलाज कर रहा होता है तथा यह नुस्खा प्रत्येक व्यक्तिगत रोगी की आवश्यकताओं पर आधारित होता है। मेडिकल प्रेक्टीशनरों को दवाइयों और हार्मोन के उपभोग की जटिलताओ की विशेषकर गर्भवती महिलाओं के मामले में पूरी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय आयुर्विज्ञान संघ और व्यावसायिक विशेषज्ञ निकाय जैसे स्वैच्छिक संगठन भी अपने

सदस्यों को औषधों के उचित प्रयोग के बारे में सलाह देते रहते हैं जिसमें यह पहलू भी शामिल होता है।

ठेके पर कार्य के कारण रेलवे को नुकसान

2621. **श्री आर० एम० भोये**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जून, 1986 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि रेलवे के कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण पश्चिम रेल प्रशासन द्वारा दिये गए एक ठेके में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो रेल प्रशासन द्वारा मई, 1978 में दिए गए ठेके का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई उपाय किए गए है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम रेल प्रशासन ने 3 वर्ष की अवधि के लिए विरार में रेलवे खदान से पत्थर की मिट्टी/टूटे पत्थर/रोड़ी/क्रशर डस्ट के उत्खनन, लदान और सप्लाई का ठेका (मूल्य लगभग 36.61 लाख रुपए) मई, 1978 में दिया था। कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण ठेका अवधि के दौरान ठेकेदार ने दर बढ़ाने का अनुरोध किया था। रेल प्रशासन ने विनिश्चय किया कि दरों में वृद्धि न की जाय बल्कि दोनों ओर से बिना किसी वित्तीय दायित्व के ठेके को समाप्त कर दिया जाय।

(ग) इस मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

ढुलाई के दौरान माल डिब्बों से चोरी किए गए खाद्यान्न

2622. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ढुलाई के दौरान माल डिब्बों से भारी मात्रा में खाद्यान्नों की चोरी किए जाने का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान माल डिब्बों से अनुमानतः कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की चोरी की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) : 1981-82,

1982-83 तथा 1983-84 में परिवहन के दौरान रेलवे माल डिब्बों से चोरी हुए खाद्यान्नों की अनुमानित मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	खाद्यान्नों का अनुमानित मात्रा
	(क्विटल में)
1981-82	75,573.35
1982-83	74,647.05
1983-84	78,161.40

सातवीं योजना में औरंगाबाद-शोलपुर रेल परियोजना का निर्माण

2623. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मराठावाड़ क्षेत्र में औरंगाबाद-शोलापुर रेल परियोजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) क्या इस परियोजना को सातवीं योजना में सम्मिलित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस लाइन का निर्माण शुरू करने के लिए जन प्रतिनिधियों से मांगें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी तथा पहले की गई भारी वचनबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, अभी इस लाइन का निर्माण शुरू करने के बारे में विचार करना संभव नहीं है ।

[हिन्दी]

किशनगढ़ स्टेशन पर गरीब नवाज एक्सप्रेस को रोकने तथा अन्य सुविधाएं देना

2624. **श्री विष्णु मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली-अहमदाबाद लाइन पर किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर गरीब नवाज एक्सप्रेस तथा सुपर फास्ट गाड़ियों रोकने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इस ज्ञापन में उपरिपुल बनाने, साइकिल स्टैण्ड तथा वहां से कलकत्ता के लिए बर्थ कोटा उपलब्ध कराने की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस ज्ञापन पर कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) 505/506 दिल्ली-अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 501ए/502ए गरीब नवाज एक्सप्रेस गाड़ियां लम्बी दूरी की तेज रफ्तार वाली गाड़ियां होने के कारण किशनगढ़ में इनके ठहराव की व्यवस्था नहीं की जा सकती है।

जहां तक ऊपरी सड़क पुलों का संबंध है किशनगढ़ रेलवे स्टेशन के निकट दो समपारों में से किसी के भी बदले में ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने के लिए वर्तमान नियमानुसार लागत में हिस्सेदारी के आधार पर राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव प्रत्योजित नहीं किया है।

किशनगढ़ में साइकिल स्टैण्ड के लिए टेन्डर मांगे गए थे किंतु लाइसेंस फीस की दरें कम होने के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। नए सिरे से टेन्डर मंगाए जा रहे हैं।

कलकत्ता की ओर के लिए कोटे का आबंटन फिलहाल व्यावहारिक नहीं समझा जाता है।

[अनुवाद]

भाड़े से होने वाली आय में कमी

2626. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों में कोयले और इस्पात की पर्याप्त ढुलाई न होने के कारण रेलवे को भाड़े से प्राप्त होने वाली आय में बहुत कमी आई है; और

(ख) क्या माल ढुलाई में आई गिरावट को देखते हुए रेलवे का विचार रेल भाड़े की पुनरीक्षा करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के दौरान इस्पात यातायात में कुछ गिरावट के बावजूद रेलवे की माल भाड़ा आय सामान्यतः निर्धारित लक्ष्य के अनुकूल रही।

(ख) जी, नहीं।

'भारत में धर्म' को स्नातक स्तर पर पढ़ाने का प्रस्ताव

2627. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यार्थियों को विभिन्न धर्मों तथा राष्ट्रीय एकता पर उनके

प्रभाव को समझने के लिए स्नातक स्तर पर "भारत में धर्म" नामक एक विषय प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जा रहे डिग्री पाठ्यक्रमों में किसी एक विषय को प्रारम्भ करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय निकायों का है।

कलकत्ता सर्कुलर रेलवे को मझेरहाट तक बढ़ाना

26 8. **श्री अनिल बसु :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में कलकत्ता सर्कुलर रेल को मझेरहाट तक बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सर्कुलर रेल परियोजना के निर्माण के कारण निष्कासित किए जाने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) रेलवे भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास एक ऐसा विषय है जो राज्य सरकार से सम्बन्धित है।

आगरा तथा लखनऊ के बीच सीधी सुपर-फास्ट गाड़ी

2629. **श्री गंगा राम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा से चलने वाली तथा लखनऊ में समाप्त होने वाली और लखनऊ से चलकर आगरा में समाप्त होने वाली कोई सीधी फास्ट गाड़ी नहीं है जिसके कारण उस क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों को असुविधाएं तथा कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार का कथित मार्ग पर ऐसी सुपर-फास्ट गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्तमान अवध एक्सप्रेस जो पहले लखनऊ तथा आगरा के बीच चलती थी, को कोटा तक बढ़ा दिया गया है जिसके कारण लोगों की कठिनाइयां और बढ़ गई हैं; और

(घ) क्या सरकार का अवध एक्सप्रेस गाड़ी में कोटा से आती तथा जाती बार एक या दो डिब्बे लगाने वाली पिछली प्रणाली पुन: अपनाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जनता की मांग पर इस गाड़ी को कोटा तक बढ़ाया गया था ।

(घ) जी, नहीं ।

बंगलौर शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में दवाओं की उपलब्धता

2630. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने औषधालय हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत आते हैं;

(ग) क्या जिला और तालुक मुख्यालयों में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी उक्त योजना का लाभ प्राप्त होता है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना सभी औषधालयों में अपेक्षित दवाएं उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बंगलौर शहर में आठ एलोपैथिक औषधालय, एक होम्योपैथिक यूनिट और एक आयुर्वेदिक यूनिट कार्य कर रहे हैं ।

(ख) इस योजना में बंगलौर में पेंशन भोगियों सहित केन्द्रीय सरकार के 33175 कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत आते हैं ।

(ग) यह योजना बंगलौर शहर तक ही सीमित है ।

(घ) दवाइयों आदि की कमी की कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के बिना कार्यरत विश्वविद्यालय

2621. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के बिना कितने विश्वविद्यालय कार्यरत हैं;

(ख) क्या उनको केन्द्र से धनराशि मिल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उनके द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने पर उन विश्वविद्यालयों को मान्यता देने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : राज्य विधानमंडल के अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों को कार्य आरम्भ करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। तथापि ऐसे विश्वविद्यालयों को, जिनकी स्थापना 17 जून, 1972 के बाद हुई है, केन्द्रीय स्रोतों से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा योग्य घोषित करना अपेक्षित होता है। फिलहाल ऐसे 13 विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी योग्य घोषित किया जाना है।

(ग) और (घ) : 13 विश्वविद्यालयों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

नाम और स्थापना का वर्ष	
1. ए०पी० ओपन विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1982
2. श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति, (आन्ध्र प्रदेश)	1983
3. अरुणाचल विश्वविद्यालय, इटानगर	1985
4. एच० पी० कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	1978
5. शेर-ए-कश्मीर कृषि-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	1982
6. गुलबर्गा विश्वविद्यालय	1980
7. मैंगलोर विश्वविद्यालय	1980
8. गांधी जी विश्वविद्यालय, कोट्टायम (केरल)	1983
9. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर	1983
10. अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती (महाराष्ट्र)	1983
11. जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी	1981

12. मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडी कनाल	1984
13. विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	1981

जैसे ही ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-ख के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे, आयोग इन विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य घोषित करने पर विचार करेगा ।

कर्नाटक में कुष्ठ रोगियों के उपचार हेतु "हारीजेंटल एवं वर्टीकल" स्वास्थ्य कार्यक्रम

2632. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कुष्ठ रोग हेतु बहु-उद्देशीय कर्मचारियों के साथ चलाया गया हारिजेन्टल स्वास्थ्य कार्यक्रम पूर्णतया अप्रभावी रहा है;

(ख) क्या केवल कुष्ठ रोग के लिए ही कार्यरत पर चिकित्सा कर्मचारियों की मदद से एक "वर्टिकल" कार्यक्रम चलाया जा सकता है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस वर्टिकल कार्यक्रम को कर्नाटक में चलाये जाने की मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को लागू करने से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : कुष्ठ संबंधी कार्यदल की सिफारिश के अनुसार तथा जैसा कि भारत सरकार द्वारा मान लिया गया है, स्थानिकमारी वाले उन सभी जिलों में जहां प्रति हजार 5 या इससे अधिक रोगी होते हैं, वर्टिकल कुष्ठ कार्यक्रम तब तक चलाया जायेगा जब तक इन जिलों में रोग की व्यापकता दर प्रति हजार घटकर 2.5 से कम नहीं हो जाती । ऐसे जिलों में जहां प्रति हजार 5 से कम रोगी होते हैं वहां पर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को चलाने का दायित्व बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्ताओं का है । कर्नाटक सहित सभी राज्यों से इस कार्यक्रम को तदनुसार चलाने का अनुरोध किया गया है ।

कर्नाटक के लिए मंजूर की गई समेकित बाल विकास परियोजना की रियोजनाएं

2633. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या समाज और महिला कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गई समेकित बाल विकास योजना की (आई०सी०डी०एस०) 1000 परियोजनाओं में से कर्नाटक के लिए कितनी है; और

(ख) क्या कर्नाटक में महिलाओं और बच्चों की अधिक जनसंख्या को देखते हुए सरकार का चालू वर्ष में आई०सी०डी०एस० की कम से कम चार और परियोजनाएं मंजूर करने का विचार है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) सातवीं योजना के दौरान समेकित बाल विकास सेवा योजना के विस्तार के परिणाम का अभी तक निश्चय नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

कलकत्ता विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव

2634. डा० सुधीर राय
श्री आनन्द पाठक
श्री भोलानाथ सेन
श्री सत्यगोपाल मिश्र
: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कलकत्ता विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दामोदर के जलाशयों से गाद निकालना

2635. डा० सुधीर राय : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर तथा इसकी सहायक नदियों के जलाशयों में बड़े पैमाने पर गाद इकट्ठी होने के कारण वे बेकार हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गाद निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पंचेट पहाड़ी तथा दामोदर प्रणाली के मैथान जलाशयों पर किए गए आवधिक क्षमता सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इन दोनों

जलाशयों में अवसादन की प्रत्यक्ष दरें, आयोजना स्तर पर कल्पित दरों से अधिक हैं। तथापि, जल भण्डारण क्षमता में वार्षिक कमी प्रति वर्ष 10% से कम है तथा जलाशय बेकार नहीं हो रहे हैं।

(ख) वृहद जलाशयों के मामले में गाद निकालना व्यवहार्य नहीं समझा गया है। कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नदी घाटी परियोजनाओं की एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जलग्रहण उपचारी उपाय क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत 1982-83 तक दामोदर जलग्रहण के लगभग 28% प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ये उपाय किए गए हैं।

एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का सृजन

2536. डा० सुधीर राय : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का सृजन करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम से कासरगोड तक राष्ट्रीय जलमार्ग

2637. श्री टी० बशीर : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम से कासरगोड तक राष्ट्रीय जलमार्ग के निर्माण के लिये एक परियोजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। केवल राज्य सरकार से क्विलन-कोचीन खण्ड में वेस्ट कास्ट कैनाल का सुधार करने के लिए एक स्कीम प्राप्त हुई थी।

(ख) यह स्कीम कैनाल के उक्त खण्ड का राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकास करने से सम्बन्धित है। किसी जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने पर विचार करने के लिए जल-मार्ग की वर्तमान स्थिति और इसके द्वारा होने वाले यातायात के बड़ी मात्रा और प्रकार के अनुसार इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किस सीमा तक विकसित करना है यह जानना आवश्यक है। राज्य सरकार से अपेक्षित आंकड़े एकत्रित करने के लिए जलीय सर्वेक्षण पूरा करने का अनुरोध

किया गया था। उन्हें सूचित किया गया था कि इस स्कीम का खर्च योजना में किए गए प्रावधान से आएगा। चूंकि जलीय सवक्षण करने के लिए केन्द्र सरकार की क्षमता बहुत सीमित है, इसलिए राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किए जाने वाले सभी जलमार्गों का इस प्रकार एक साथ सर्वेक्षण कराना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जाना भी अभी बाकी है।

धौली गंगा जल परियोजना

2638. **श्री हरीश रावत : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धौली गंगा जल परियोजना (उत्तर प्रदेश) के द्वितीय चरण का सर्वेक्षण कार्य करने के लिये अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां कब तक तथा किस समय तक सर्वेक्षण कार्य शुरू होने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा तैयार किए गए धौली गंगा जल विद्युत परियोजना चरण-दो (उत्तर प्रदेश) के अन्वेषण कार्यों के लागत अनुमानों की भारत सरकार द्वारा जांच की जा रही है। इस परियोजना का सर्वेक्षण कार्य इन अनुमानों के अनुमोदित हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा।

नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण

2639. **श्री हरीश रावत**
श्री डाल चन्द्र जैन } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में 1985-86 के दौरान कितनी नई रेल लाइनों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या उनमें से कुछ रेल लाइनें देश के पर्वतीय क्षेत्रों में बिछाने के लिये सर्वेक्षण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) देश के विभिन्न राज्यों में 37 नयी लाइनों के लिए सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों में निम्नलिखित नयी लाइनों के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर हैं:—

1. ब्रह्मपुर—बिलासपुर—रामपुर

2. जगाधरी—पाउंटा साहिब—राजबन
3. टनकपुर—घाट बायेश्वर
4. दिमापुर—चुमुकेडिमा
5. सिलचर—माकरू
6. कुमारघाट—अगरतला
7. मदुरै—बोदिनायकूकनूर का आमान परिवर्तन तथा कोचिन तक बड़ी लाइन का निर्माण ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नई रेल लाइनें

2640. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने रेल मंत्रालय से राज्य में कुछ नई रेल लाइनें बिछाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन नई रेल लाइनों के नाम क्या हैं, जिनके प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं; और

(ग) इस संबंध में आपके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार ने रेल अभिसमय समिति (1980) को अपने ज्ञापन में कई नयी लाइनों के निर्माण का सुझाव दिया था, जो इस प्रकार है:—बांदा—फतेहपुर, अछलदा—फर्रुखाबाद, जरवल—बहराइच, कटरा—अयोध्या, टांडा—बस्ती और चुनार से देहरी—ओन-सोन ।

खुर्जा से पलवल और साहिबाबाद से नौएडा तक नयी लाइन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से भी पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ग) उत्तर प्रदेश में रामपुर से न्यू हलद्वानी और मथुरा से अलवर (आंशिक रूप से राजस्थान में) तक की नयी लाइनों का काम प्रगति पर है ।

दौराला और हस्तिनापुर, धामपुर—अलीगंज—कालागढ़, शाहजहांपुर—बदांयू और खुर्जा—पलवल के बीच नयी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किए जा रहे हैं । सर्वेक्षण पूरे होने पर आगे कार्रवाई की जायेगी ।

रेलें संसाधनों की भारी तंगी का सामना कर रही हैं और उन्होंने पहले से भारी वचनबद्धताएं कर रखी हैं । अतः फिलहाल, और किन्हीं नयी लाइनों का सर्वेक्षण/निर्माण शुरू करने का विचार नहीं किया जा सकता ।

[अनुवाद]

दिल्ली में बिजली की कटौती

2641. श्री जी० एम० बनातवाला
श्री रामाश्रम प्रसाद सिंह
श्री चिंता मोहन
श्री काली प्रसाद पाण्डेय
श्री सिद्धलाल मुरमू
: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बहुत से क्षेत्रों में प्रतिदिन 2 से लेकर 12 घंटे तक बिजली नहीं रहती है और यदि हां, तो ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ख) दिल्ली में बिजली को अनियमित सप्लाई के क्या कारण हैं; और

(ग) बिजली की उचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) : दिल्ली में, विद्युत सप्लाई की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक रही है । यद्यपि वितरण प्रणाली पर अधिक भार होने के परिणामस्वरूप विशेष रूप से शहर के विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों या दिल्ली के विस्तृत सीमावर्ती क्षेत्रों में सप्लाई में बाधाएं आई हैं । गर्मी तथा नमी वाले महीनों के दौरान वितरण प्रणाली में ब्रेक-डाउनों में बढ़ोतरी होती है । उन क्षेत्रों की सूची तैयार करना जिन क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई में बाधाएं आई हैं ; एक जटिल कार्य है और इस प्रकार की सूची तैयार करना इससे निहित श्रम और लागत की दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा ।

(ग) प्रणाली में जहां कहीं भी कमी नजर आई है डेसू ने भी तुरन्त मरम्मत संबंधी कार्य आरम्भ किया है । एक व्यापक अनुरक्षण अभियान भी चलाया जा रहा है । एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें शिकायत केन्द्र वायरलैस संचार सुविधा से लैस मोबाइल ब्रेक-डाउन गैंग जो बिजली की बाधाओं से संबंधित रिपोर्टों पर कार्यवाही करेगा और यथा संभव पुन: सप्लाई चालू करेगा भी शामिल हैं ।

मानखुर्द—बेलापुर रेल लाइन

2642. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मानखूर्द—बेलापुर रेल लाइन के निर्माण के लिये कोई ऋण देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी धनराशि कितनी है और ऐसे ऋण की शर्तें क्या हैं, सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) ब्याज मुक्त 7 करोड़ रुपये के ऋण की वापसी संसाधनों की स्थिति में सुधार होने पर की जानी है।

राज्य सरकार की पेशकश की जांच वित्त मंत्रालय के परामर्श से करायी गयी थी लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास पर व्यय

2643. **श्री आर० एम० भोये**
श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की प्रत्येक योजना पर कितनी धन राशि खर्च की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए विभिन्न स्कीमों पर खर्च होने के लिए चालु वित्तीय वर्ष (1985-86) के दौरान 38.00 करोड़ रु० व्यय की योजना बनाई गई है। अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए स्कीमों पर चालू वर्ष में आय व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

(i)	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०, कलकत्ता की विकासात्मक स्कीमें	26.96 करोड़ रुपये
(ii)	अन्तर्देशीय जल परिवहन से सम्बन्धित अन्वेषण और विकासात्मक स्कीमें	.21 करोड़ रुपये
(iii)	अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास से सम्बन्धित केन्द्रीय स्कीमें	9.62 करोड़ रुपये
(iv)	विभिन्न राज्यों में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	1.21 करोड़ रुपये
	कुल	38.00 करोड़ रुपये

[अनुवाद]

मई 1985 को दिल्ली परिवहन निगम की हड़ताल

2644. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16 और 17 मई, 1985 को दिल्ली परिवहन निगम के सभी कर्मचारी बिना सूचना के हड़ताल पर चले गए;

(ख) यदि हां, तो अनुशासनहीन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इस प्रकार की एकाएक हड़ताल दोबारा न हो ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं। विभिन्न डिपुओं/यूनिटों के सिर्फ ड्राइवरों और कंडक्टरों ने ही 15, 16 और 17 मई, 1985 को हड़ताल का आह्वान किया थो।

(ख) 23 स्थायी कर्मचारियों की जो 15, 16 और 17 मई, 1985 की गैर-कानूनी हड़ताल में सक्रिय रूप से शामिल थे, सेवाएं समाप्त की गई थीं।

(ग) दिल्ली के उपराज्यपाल ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1967 (1947 का 14) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1.3.1985 से छह महीनें की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिल्ली परिवहन निगम को भी जन उपयोगी सेवाओं के तहत लाने का घोषणा की।

दिल्ली प्रशासन गृह (पी-11) दिनांक 17.5.1985 ने दिल्ली परिवहन निगम को एक महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1981 के तहत आवश्यक सेवाएं घोषित कर दी जिसे अब फिर अगले तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

सोन नदी पर बाण सागर परियोजना

2645. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बाण सागर परियोजना के निर्माण पर अब तक कितना धन राशि खर्च की गई है;

(ख) उक्त परियोजना की मूल अनुमानित लागत कितनी थी;

(ग) उक्त परियोजना को किस तारिख को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) निर्माण कार्य को पूरा करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1982 में अनुमानित 260.51 करोड़ रुपए की संशोधित लागत के प्रति मार्च, 1985 तक 73.97 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) योजना आयोग द्वारा 978 में यथा-अनुमोदित 91.30 करोड़ रुपए।

(ग) इस परियोजना के मार्च, 1990 तक सब प्रकार से पूरा किए जाने की संभावना है।

(घ) बाणसागर बांध के चिनाई-भाग के लिए मार्च, 1985 तक खुदाई का 85%, चिनाई कार्य का 40% तथा 25% कंक्रीट बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। रॉक-पित्त भाग में 61% खुदाई-कार्य, 9% मिट्टी कार्य तथा 10% रॉक फिल कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

दिल्ली के अस्पतालों में शय्याओं की आवश्यकता

2646. **डा० ए० के० पटेल**
श्री सी० जंगा रेड्डी
श्री मोहम्मद महफूल अली खां : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में विभिन्न केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में शय्याओं की आवश्यकता/कमी के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन अस्पतालों में भीड़ से बचने, शय्याओं की कमी को दूर करने और मरीजों के इलाज के लिए समुचित सुविधा में प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सातवीं योजना के अन्त तक दिल्ली की अनुमानित मांग क्या है और इसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) हर 1000 जनसंख्या के पीछे 1 पलंग के मानदण्ड को आमतौर पर एक अभीष्ट स्तर के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह सही है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पलंगों की संख्या रोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा अधिकतर इस कारण से है कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली तथा दिल्ली के आस-पड़ोस के राज्यों के रोगी आते हैं। ऐसे अस्पतालों में प्रशासनिक कठिनाइयों के बावजूद भी पलंगों की संख्या में मामूली वृद्धि कर देने मात्र से बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाएंगी। इसलिए सरकार की यह राय है कि दिल्ली तथा दिल्ली के आस-पास परिसरीय स्तर के अस्पतालों की एक चेन स्थापित की जाये जिनमें ऐसे परिसरीय क्षेत्रों की चिकित्सा समस्याओं का ध्यान रखा जा सके। ऐसा करने से वर्तमान अस्पतालों में भीड़-भाड़ कम होगी। तथा सरकार अधिक संतोषप्रद तरीके से चिकित्सा सुविधायें प्रदान कर सकेगी।

इस समय हरीनगर और शाहदरा में 500-500 पलंगों की क्षमता वाले दो अस्पताल खोलने की कार्यवाही की जा रही है। मंगोलपुरी, खिचड़ीपुर, और जफ्फरपुर में 100-100 पलंगों वाले अन्य तीन अस्पताल खोलने की योजना बनाई जा रही है।

विशिष्ट निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं में निवेश

2647. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से ऐसी विशिष्ट निर्माणाधीन परियोजनाओं में पूंजी निवेश करने को कहा है जो अन्तिम चरण में हैं और जिन्हें सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान पूरा किया जाना है ताकि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : सातवीं योजना के दृष्टि-कोण में इस बात पर जोर दिया गया है कि चालू परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा कर उन्हें पूरा करने को प्राथमिकता दी जाए। ये परियोजनाएं इस योजनावधि में लाभ प्रदान करने लगेंगी। राज्यों के प्रतिनिधियों को भी इस बारे में जोर देकर कहा गया है तथा वर्ष 1985-86 और सातवीं योजनावधि के लिए सिंचाई सेक्टर में अलग-अलग परियोजनाओं के लिए परिव्ययों की सिफारिश करने हेतु योजना आयोग में हुए कार्यकारी दल की बैठकों के दौरान भी इस बात को ध्यान में रखा गया था।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश

2648. **श्री मुकुल वासनिक :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), नई दिल्ली उन छात्रों को प्रवेश देने से मना कर रहा है जिन्होंने 10+2+3 से इतर परिक्षाएं पास की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि उन सभी छात्रों, को, जिन्होंने परीक्षा के 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अर्हता प्राप्त हैं, विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय स्वरूप सुनिश्चित करने के लिए जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) उन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के छात्रों के मामले में, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति को अभी नहीं अपनाया है, यह प्रावधान किया गया है कि जिन छात्रों ने स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम का प्रथम वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, एम०ए०/एम०एस०सी० (द्वि वर्षीय) कार्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। इसी प्रकार से, उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के छात्र, जिन्होंने 10+2+पद्धति को नहीं अपनाया है, पंच-वर्षीय समेकित एम०ए० कार्यक्रमों की

प्रवेश-परीक्षा में बैठने के पात्र हैं, यदि उन्होंने सफलतापूर्वक स्नातक डिग्री परीक्षा के प्रथम वर्ष को पूरा कर लिया हो। यह प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करेगा कि किसी भी राज्य या संघ शासित क्षेत्र का छात्र जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के अवसर से वंचित न रहे।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा

2649. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : जामिया मिलिया इस्लामिया की कार्यकारी परिषद ने 4 अक्तुबर, 1983 को हुई अपनी बैठक में जामिया को सांविधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध करने का निर्णय किया। प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया गया और उसने जामिया, जो अभी विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था है, को सांविधिक विश्वविद्यालय में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकार करने में अपनी असमर्थतता व्यक्त की।

आद्रा में इलेक्ट्रिक लोको शेड का बंद होना

2650. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आद्रा में इलेक्ट्रिक लोको शेड को बंद करने और सभी इलेक्ट्रिक लोको ड्राइवरों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) (i) जी नहीं, आद्रा में कोई विद्युत लोको शेड नहीं है।

(ii) आद्रा में तैनात 44 ड्राइवरों में से 15 माल गाड़ी ड्राइवरों को आद्रा से अनारा (14 कि०मि० दूर) स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(ख) चूंकि आद्रा से बहुत कम बिजली मालगाड़ी सेवाएं आरम्भ होती हैं अतः आद्रा स्थित मालगाड़ी ड्राइवरों की सेवाओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए, फालतू ड्राइवरों को अनारा भेज दिया गया है जो कि बिजली माल गाड़ी सेवाओं का केन्द्रीय स्थान है।

[हिन्दी]

बागरी बांध का निर्माण

2651. **श्री एम० एल० झिकराम** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बारगी बांध का निर्माण कार्य किस वर्ष में पूरा होने की संभावना है और इस बांध के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और इस बांध से कितने क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मध्य प्रदेश द्वारा आरम्भ की गयी बार्गी बहुद्देश्यीय परियोजना (यूनिट-I-बांध+यूनिट—II—नहरें) पर 416 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है तथा इससे 2.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। बार्गी बांध (यूनिट-I) पर निर्माण कार्य उन्नत अवस्था में है और इसे सातवीं योजना में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। बांध (यूनिट-I) पर मार्च, 1985 तक 90.91 करोड़ रुपए व्यय हो चुका है जबकि इसकी अनुमानित लागत 113.60 करोड़ रुपए है। नहरों (यूनिट-II) पर कार्य प्रगति पर है।

जबलपुर और गोंदिया तथा मांडला और परसिया के बीच नए डीजल इंजन, सवारी डिब्बे और माल डिब्बे लगाना

2652. **श्री एल० एल झिकराम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर से गोंदिया और मांडला से परसिया के बीच छोटी लाइन पर कुल कितने रेल इंजन चलते हैं और प्रत्येक इंजन का उपयोग कितनी अवधि तक किया जा सकता है;

(ख) क्या ये सभी इंजन उपयोग के लिए हर प्रकार से दुरूस्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इनके स्थान पर अभी तक नये इंजन न लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपरोक्त लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों के सवारी डिब्बे और माल डिब्बे पुराने और खस्ता हालत में हैं और वहां इनका उपयोग कई वर्षों से किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो सवारी डिब्बों को अभी तक न बदलने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या निकट भविष्य में नये इंजन और नये सवारी डिब्बे/माल डिब्बे प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 19 भाप इंजन और 11 डीजल इंजन कार्य कर रहे हैं और उनमें से कोई भी 35 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। अधिकांश सवारी डिब्बे 25 वर्ष से कम पुराने हैं। सवारी और माल डिब्बों को गाड़ियों में चलाने से पहले उनकी पूरी तरह देखभाल की जाती है और उन्हें ठीक किया जाता है।

(ङ) और (च) : भाप रेल इंजनों को उत्तरोत्तर डीजल रेल इंजनों द्वारा बदला जा रहा है। सवारी और माल डिब्बों को आवश्यकतानुसार नये डिब्बों से बदल दिया जाता है।

[अनुवाद]

मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्ति और उनके लिए अधिक धनराशि का आवंटन

2653. **श्री धर्म पाल सिंह मलिक :** क्या समाज और महिला कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिये अधिक धनराशि, अधिक सुविधायें/चिकित्सा के लिए आवंटित करने का है ; और

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सातवीं पचंवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है :—

1. सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और इन्-प्लांट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां चालू वर्ष के बजट में सभी श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों को, जिनमें मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं, छात्रवृत्तियां देने के लिए 250.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

2. मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान देना। सभी स्वयंसेवी संगठनों को, जिनमें मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित संगठन भी शामिल हैं, वित्तीय सहायता देने के लिए चालू वर्ष के बजट में 295.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। लगभग 50.00 लाख रुपये की धनराशि केवल उन्हीं स्वयंसेवी संगठनों को दी जाने की संभावना है जो केवल मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित हैं।

3. हाल ही में हैदराबाद में एक राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना की गई है। यह संस्थान एक सर्वोच्च संगठन होगा जो व्यावसाइयों के प्रशिक्षण देने और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित सर्विस माडलों के विकास और अनुसंधान सम्बन्धी कार्य करेगा। इस संस्थान के लिए चालू वर्ष के बजट में 70.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

4. मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए, विशेष रोजगार कार्यालय और व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, उनका नाम दर्ज करते हैं।

5. निजी क्षेत्रों में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के राष्ट्रपति प्रति वर्ष उत्कृष्ट विकलांग कर्मचारियों और वियोक्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हैं।

6. मंत्रालय मंद-बुद्धि बच्चों के लिए नई दिल्ली में एक विशेष स्कूल अर्थात् मंद-बुद्धि बच्चों के लिए माडल स्कूल चलाता है। इस संस्थान के लिए चालू बजट में लगभग 9.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

7. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर और केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन दो ऐसे संस्थान है जो मनश्चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर अनुसंधान प्रशिक्षण आदि में लगे हुए हैं।

संसाधनों की उपलब्धतता के अनुसार, इन कार्यक्रमों का सातवीं पंचवर्षीय योजना में विस्तार किया जाएगा।

वाल्टेयर और नई दिल्ली के बीच सुपर फास्ट गाड़ी

2654. **श्री एस० एम० भट्टम**
श्री विजय कुमार राज } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वाल्टेयर और नई दिल्ली के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाने की आवश्यकता के बारे में जून, 1985 में केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन किया था;

(ख) क्या यह अनुरोध किया गया था कि उक्त प्रस्ताव पर अन्तिम कार्यवाही किये जाने तक वाल्टेयर और काजीपेट के बीच दिल्ली की ट्रेनों को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेस शुरू की जाये जो आरंभ में सप्ताह में कम से कम दो बार चले;

(ग) क्या केन्द्र से वाल्टेयर का नाम बदलकर विशाखापत्तनम करने का भी अनुरोध किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) वाल्टेयर और नयी दिल्ली के बीच एक सुपर फास्ट गाड़ी तथा वाल्टेयर और काजीपेट के बीच लिंक एक्सप्रेस चलाने के प्रस्ताव की जांच गयी है लेकिन सवारी डिब्बा, डीजल इंजनों आदि संसाधनों की कमी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

वाल्टेयर का नाम बदलकर विशाखापत्तनम करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को भेजा गया है।

विशाखापत्तनम में परिक्रमा रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव

2655. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशाखापत्तनम में परिक्रमा रेलगाड़ी शुरू करने के किसी अभ्यावेदन अथवा प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर अनुमानत: कितना खर्चा होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

विशाखापत्तनम और टुनी के बीच शटल रेल चलाना

2656. **श्री एस०एम०भट्टम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और टुनी के बीच भारी यातायात को देखते हुए वहां एक शटल रेल चलाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो वहां जनता और यात्री यातायात की वास्तविक जरूरतों और मांगों का मूल्यांकन करने के लिये कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) एक सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है जिससे तूनी और वाल्तेर के बीच एक

शटल गाड़ी चलाने के पर्याप्त औचित्य का पता चला है, लेकिन सवारी डिब्बों, रेल इंजनों की तंगी और वाल्तेरू में टर्मिनल सुविधाओं के अभाव में ऐसी एक गाड़ी चलाना अनुमेय नहीं है।

लंगर बांधने के दौरान एम०वी० लोक प्रकाश का क्षतिग्रस्त होना

2657. **श्री एम० एम० भट्टम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम द्वारा जलावतरण के लिए छोड़ा गया शिपयार्ड नम्बर वी० सी० 1128 का एम० वी० लोक प्रकाश जलपोत लंगर बांधने के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके परिणामस्वरूप उसमें लगभग एक दर्जन गड्ढे पड़ गये हैं तथा उसकी लेमिनेशन खराब हो गई है, और जिनकी पर्याप्त मरम्मत की जानी आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या लापरवाही से जलपोत का लंगर बांधने के लिये किसी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जहाजों को एक बर्थ से दूसरे बर्थ पर कुशल कर्मियों की सहायता से एक बर्थ से दूसरे बर्थ पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में पोर्ट ट्रस्ट के मान्यता प्राप्त पायलट भी साथ में होते हैं। जब जहाज तट के किनारे-किनारे ले जाया जाता है, तब इसमें छोटे-मोटे गड्ढे पड़ जाना कोई असामान्य बात नहीं है जो हवा और ज्वार की स्थिति पर निर्भर होता है। शिपयार्ड का नम्बर एम०वी०सी० 1128 नंबर का एम०वी० "लोक प्रकाश" नामक जहाज जब डोलफिन बर्थ में तट के किनारे-किनारे ले जाया जा रहा था, तब इसमें कुछ गड्ड़े पड़ गए। बाद में सामान्य उत्पादन कार्यक्रम के अंग के रूप में सूखी गोदी में लाकर जहाज की मरम्मत की गई और जहां कहीं गड्ढे थे, इन गड्ढ़ों को ठीक कर दिया गया जैसा कि शिपयार्ड में आमतौर पर किया जाता है।

(ख) जी, नहीं, क्योंकि जहाज के बर्थ पर लाने में लापरवाही सिद्ध नहीं हुई है।

भाखड़ा प्रणाली में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का हिस्सा

2658. **श्री वीरेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहर और पोंग पन बिजली परियोजनाओं सहित भाखड़ा प्रणाली से उत्पादित बिजली में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का कोई हिस्सा है; और

(ख) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने जून, 1984 से मई, 1985 तक की अवधि में भाखड़ा व्यास प्रबन्ध मंडल (बी०बी०एम०बी०) पर दबाव डालकर हिस्सेदार राज्यों के खर्च पर निर्धारित उत्पादन से अधिक बिजली का उत्पादन करवा कर अवैध रूप से बिजली प्राप्त की है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अपनी भार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जून, 1984 से मई, 1985 तक भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड के केन्द्रों से कुछ बिजली ली थी क्योंकि समय-समय पर बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र सहित इसके अपने साधनों से विद्युत का उत्पादन कम हुआ था और साथ ही सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र से इसे अपना पूरा हिस्सा नहीं मिला था ।

इन्द्रप्रस्थ ताप संयंत्र में हरियाणा का हिस्सा

2659. **श्री बीरेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ ताप संयंत्र से उत्पादन की जाने वाली बिजली में हरियाणा का भी काई हिस्सा है;

(ख) इन्द्रप्रस्थ ताप संयंत्र में जून, 1984 से जून, 1985 तक महावार बिजली का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) उपरोक्त भाग "ख" में उल्लिखित अवधि के दौरान इस ताप संयंत्र से हरियाणा को उसके अधिकृत हिस्से की तुलना में माह-वार कितनी बिजली मिली ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत संयंत्र का महीने-वार विद्युत उत्पादन इन्द्रप्रस्थ के विद्युत उत्पादन में हरियाणा का हिस्सा तथा जून, 1984 से जून, 1985 तक हरियाणा द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई विद्युत संलग्न विवरण में दिखाई गई है ।

विवरण

इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र के ऊर्जा उत्पादन का महीने-वार ब्यौरा तथा जून, 84 से जून, 85 की अवधि के दौरान केन्द्र से हरियाणा को वास्तविक रूप से सप्लाई की गई ऊर्जा की तुलना में इसका हिस्सा

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)

महीना	इन्द्रप्रस्थ का विद्युत उत्पादन (जोड़)	इन्द्रप्रस्थ केन्द्र में हरियाणा का हिस्सा	इन्द्रप्रस्थ केन्द्र से हरियाणा को सप्लाई
1	2	3	4
जून, 84	124.4	29	18
जुलाई, 84	143.6	29	25
अगस्त, 84	156.0	33	21

1	2	3	4
सितम्बर, 84	142.8	31	20
अक्तूबर, 84	137.7	29	23
नवम्बर, 84	127.4	25	23
दिसम्बर, 84	125.9	25	25
जनवरी, 85	129.3	24	18
फरवरी, 85	104.4	23	21
मार्च, 85	124.6	27	17
अप्रैल, 85	125.2	32	11
मई, 85	115.0	23	8
जून, 85	116.8	26	9
		356	239

ठाणे और बम्बई के बीच चलने वाली स्थानीय रेलगाड़ियों के रद्द किए जाने के कारण राजस्व की हानि

2660. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठाणे और बम्बई के बीच चलने वाली स्थानीय रेलगाड़ियां रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व में हुई हानि के बारे में अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों के रद्द किये जाने से रेलवे को कितनी वार्षिक हानि हुई है; और

(ग) इन रेलगाड़ियों के रद्द किये जाने से पहले इस सैक्शन से प्रति वर्ष कितना राजस्व प्राप्त होता था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) : बम्बई और ठाणे के बीच उपनगरीय गाड़ी सेवाओं की वर्षानुवर्ष संख्या 30-9-1983 को प्रतिदिन 476 गाड़ियों से बढ़कर 1-11-84 को प्रतिदिन 545 गाड़ियां हो गयीं। तथापि, 22-11-84 को भायखला में हुई एक दुर्घटना के कारण इस संख्या में अस्थायी तौर पर कमी कर दी गई थी और 17-1-1985 तक रद्द की गई 40 गाड़ियों की तुलना में 1-5-1985 को यह संख्या घटकर 16 रह गयी है।

बम्बई वी०टी०—ठाणे क्षेत्र से हुई आमदनी का अलग से लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है। तथापि, 1983-84 के दौरान बम्बई उपनगरीय क्षेत्र (मध्य रेलवे) से हुई कुल आमदनी 52.72

करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी। यह देखा जा सकता है कि बम्बई वी० टी०—ठाणे सेवाओं में कमी होने से आमदनी पर कोई प्रस्ताव नहीं पड़ा।

घरेलू डिटरजेंटों के इस्तेमाल से कैंसर

2661. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विष विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि घरेलू डिटरजैंटों के इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है और गम्भीर दृष्टि रोग उत्पन्न हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और आम जनता को घरेलू डिटरजेंटों के इस्तेमाल से होने वाले प्रभावों की जानकारी देने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ ने विभिन्न वाणिज्यिक डिटरजेंटों तथा प्रसाधन सामग्री उत्पादों पर अध्ययन शुरू किये हैं। ये अध्ययन चल रहे हैं तथा इस समय स्पष्ट तौर से यह नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू डिटरजेंट के कारण चर्म कैंसर और गम्भीर दृष्टि विकार हो सकता है। वह समाचार जो 16 जुलाई, 1985 के दि टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ था, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वैज्ञानिकों के लेख की समीक्षा पर आधारित है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका के जनवरी, 1985 के अंक में प्रकाशित यह समीक्षा लेख, विषय के अन्य भागों में किये गये अध्ययनों के परिणामों पर आधारित है।

(ग) उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय कोई उपाय करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टांडा ताप विद्युत संयंत्र

2662. **श्री राम प्यारे सुमन :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में टांडा ताप विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सरकार ने कुल कितनी राशि मन्जूर की है;

(ख) परियोजना पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान था और उसमें किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(ग) क्या इस परियोजना की पहली यूनिट को चालू करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसके पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या परियोजना को अधिक तेजी से पूरा करने के लिए सरकार ने कोई अनुदेश जारी किए हैं अथवा करने का विचार है और यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में महानदी का विकास

2663. **श्री जयन्ती पटनायक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान अन्तर्देशीय जल परिवहन पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार का उड़ीसा में महानदी का और आगे विकास करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) छठी योजना के दौरान अन्तर्देशीय जल परिवहन पर केन्द्रीय क्षेत्र में 39.05 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

(ख) और (ग) : सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जाना अभी बाकी है।

कटक और भुवनेश्वर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चौड़ा करना

2664. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक के निकट महानदी और भुवनेश्वर के निकट खंडगिरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चार लेनों में चौड़ा करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर अब तक कितनी धन राशि खर्च हुई है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) : कटक के पास कि० मी० 22-82 से 24.60 तक के खण्ड में 1.78 कि० मी० मार्गों को चार लेनों में चौड़ी करने के लिए 91.42 लाख रुपये की धनराशि के अनुमान को संस्वीकृति दी गई है। यह निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और इस कार्य को 1987 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जून, 1985 तक इस कार्य पर लगभग 3 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

सातवीं योजना में रेल इंजन कार्यशालाओं की स्थापना

2666. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित रेल इंजन कार्यशालाओं का ब्यौरा क्या है, यह कार्य कब शुरू किये जाने की संभावना है और इनमें अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना होगा;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के बहुत ही अविकसित और पिछड़ा राज्य होने के कारण वहां वह कार्यशाला स्थापित की जायेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) : सातवीं योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी नहर से 5 उठाऊ नहरें निकालना

2667. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर से पांच उठाऊ नहरें निकालने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं;

(ख) प्रत्येक उठाऊ नहर की कितनी क्षमता होगी;

(ग) चालू वर्ष में गजनेर और कोलायट के लिए कितनी धनराशि का उपबन्ध किया गया है;

(घ) इन उठाऊ सिंचाई योजनाओं के पूरा किये जाने में कितना समय लगने की सम्भावना है;

(ङ.) इन्दिरा गांधी नहर के लिए चालू वर्ष के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(च) क्या इस अनुदान में पेयजल की व्यवस्था भी सम्मिलित है; और

(छ) क्या इन उठाऊ सिंचाई योजनाओं से न केवल बीकानेर को बल्कि नागौर को भी पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : राजस्थान सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर से निम्नलिखित लिफ्ट स्कीमें निकाले जाने का प्रस्ताव किया है :

क्रम सं०	लिफ्ट स्कीम का नाम	क्षमता
1.	सहावा	25.22 क्यूसेक
2.	गजनेर	12.66 ,,
3.	कोलायत (वाणसागर सहित)	21.96 ,,
4.	फलोदी	14.47 ,,
5.	पोकरान	5.82 ,,

(ग) राज्य सरकार ने गजनेर तथा कोलायत लिफ्ट स्कीमों के लिए चालू वर्ष में क्रमश: 40 लाख तथा 25 लाख रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव रखा है।

(घ) इन स्कीमों के आठवीं योजना के अन्त तक पूरा किये जाने की संभावना है।

(ङ.) और (च) : चालू वर्ष में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिये 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें पीने के पानी के लिये स्कीमों के लिए प्रावधान शामिल नहीं है। इसकी अलग से वित्त-व्यवस्था की जाती है।

(छ) बीकानेर के लिए पीने के पानी की आपूर्ति इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के चरण-एक के अन्तर्गत शामिल है। नागौर के लिए पीने के पानी की आपूर्ति उपर्युक्त (क) में उल्लिखित स्कीमों में शामिल है।

पालना ताप विद्युत संयंत्र

3668. **श्री मनफूल सिंह चौधरी**
श्री वृद्धि चन्द्र जैन } : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पालना विद्युत संयंत्र को तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से मन्जूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना तथा राजस्थान में बिजली उत्पादन के लिये सातवीं योजना में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(ग) पालना ताप संयंत्र की स्थापना का कार्य कब शुरू होने और पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निवेश संबंधी निर्णय ले लिये जाने के बाद ही पालन परियोजना की प्रतिष्ठापना का कार्य शुरू किया जा सकता है तथा इसे पूरा करने का कार्यक्रम निर्धारित किया जा सकता है।

(घ) परियोजना की प्रस्तावित क्षमता 120 मेगावाट है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर तंगारापल्ली में सड़क पर ऊपरि पुल

2669. **श्री राधाकांत डिगाल :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में झारसुगुडा—सम्बलपुर रेल लाइन पर होकर निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर तंगारापल्ली में सड़क पर उपरि पुल की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) केन्द्र ने सड़क पर इस उपरि पुल के निर्माण के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है; और

(ग) निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) : वर्ष 1985-86 की वार्षिक योजना में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 में तंगारापल्ली पर पहुंच मार्ग सहित सड़क के ऊपरि पुल के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए रखे गए हैं। इस संबंध में अनुमानित लागत को मंजूरी देने के लिए मंत्रालय विचार कर रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में दाखिले की प्रक्रिया

2670. **श्री शांति धारीवाल :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने सम्बद्ध कालेजों में स्नातक स्तरों के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कोई नई प्रक्रिया आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नई प्रक्रिया के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय में दाखिले की नई प्रक्रिया का केन्द्रीयकरण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

(ग) और (ङ) : विद्यमान पद्धति के अनुसार, प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्र अपनी पसन्द के कालेजों में आवेदन करते हैं। चूंकि यह पद्धति सन्तोषजनक ढंग से चल रही है, अत: विश्वविद्यालय के सभी कालेजों में सभी दाखिलों को केन्द्रीयकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[**अनुवाद**]

यात्री यातायात में गिरावट

2671. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में भारतीय रेलों में यात्रा करने वालों की वार्षिक संख्या में काफी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) यात्री यातायात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	मूल यात्री
	(मिलियन में)
1981-82	3,704
1982-83	3,655
1983-84	3,325
1984-85 (अनुमानित)	3,330

(ग) और (घ) : अल्प दूरी के यातायात में गिरावट आयी है। इसका मुख्य कारण यह है कि रेल दर जांच समिति की सिफारिश के अनुसार अल्पदूरी की यात्रा के किराये बढ़ा दिए गए हैं। इसके पीछे यह विचार था कि अल्प दूरी का यात्री यातायात सामान्यतः सड़क मार्ग से अधिक किफायत से ढोया जा सकता है।

लालगोला घाट और कलकत्ता के बीच और अधिक रेल गाड़ियां चलाना

2672. **श्री रेणुपद दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुर्शीदाबाद और नदिया जिले से कलकत्ता तक अपर्याप्त रेल सेवाओं के कारण यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार लाल गोलाघाट और कलकत्ता के बीच और अधिक रेल-गाड़ियां चलाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं। लालगोला और सियालदह के बीच पर्याप्त सेवाएं हैं जो समस्त मुशिदाबाद और नदिया जिलों की सेवा करती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस तथ्य के कारण कि वहां पहले से ही पर्याप्त सेवायें मुहैया करायी गयी हैं।

सुपरफास्ट गाड़ियों के चलने के समय को कम करने का प्रस्ताव

2673. **श्री रेणुपद दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी सुपरफास्ट गाड़ियों के चलने के समय में काफी हद तक कमी करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कलकत्ता और दिल्ली तथा दिल्ली और कलकत्ता के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस और कालका मेल के मामले में उनके चलने का समय पूर्ववत रखने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) : सभी सुपर-फास्ट गाड़ियों का चालन समय कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जहा तक राजधानी एक्सप्रेस और कालका मेल का संबंध है, इन गाड़ियों के :चालन समय को कम करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

केरल में कालीकट उप-मार्ग

2674. **डा० के० जी० आडियोडी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित 28 किलोमीटर लम्बे कालीकट उप-मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ख) कुल कितने व्यय का अनुमान किया गया है और वर्ष 1985-86 के दौरान कितने लम्बे उपमार्ग का कार्य पूरा किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) कालीकट बाईपास बनाने के काम को अनुमोदित कर दिया गया है। पुलों के लिए अनुवेषण कार्य करने के लिए 3.24 लाख रुपए मूल्य के अनुमान की मंजूरी दी गई है। बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाराद्वीप बन्दरगाह पर निकर्षण पोत को निकालने के कार्य का स्थगित किया जाना

2675. **श्री के० प्रधानी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रेजर कारपोरेशन आफ इंडिया के निकर्षण पोत को जो 22 जून, 1985 को पाराद्वीप बन्दरगाह के पहुंच मार्ग पर दक्षिणी तरंगरोध के निकट रेतीली मिट्टी की सतह में फंस गया था, निकालने का कार्य अशांत समुद्र के कारण नवम्बर तक स्थगित कर दिया गया है; और

(ख) इस निकर्षण पोत के डूबने से "बल्क कैरियर" का प्रवेश न हो पाने के परिणाम-स्वरूप बन्दरगाह पर मालवाहक जहाजों के यातायात पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) ड्रेजर के डूबने से पत्तन के कार्गो ट्रैफिक पर असर नहीं पड़ा है। नहर जहाजों के नौचालन के लिए ठीक है।

सातवीं परियोजना में उड़ीसा की पनबिजली परियोजनायें

2676. **श्री के० प्रधानी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए सातवीं योजना में कितना ।रिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) उड़ीसा में सातवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख पन-बिजली परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक प्रमुख पन-बिजली परियोजना के निर्माण पर कितनी अनुमानित लागत आएगी; और

(घ) उड़ीसा में उन पन-बिजली परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) सातवीं योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और अनुमोदित किया जाना है ।

(ख) से (घ) : निम्नलिखित छः वृहत् जल-विद्युत स्कीमों के लिए प्रावधान करने की सिफारिश की गई है :

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	
1. अपर इन्द्रावती	380.65	(विद्युत से सम्बन्धित भाग का हिस्सा)
2. अपर कोलाब	168.03	
3. रेंगाली	103.82	
4. हीराकुड चरण-तीन	27.88	
5. अपर कोलाब विस्तार	18.61	
6. रेंगाली विस्तार	40.55	

ये स्कीमें निर्माणाधीन हैं। रेंगाली विस्तार को अभी राज्य योजना में शामिल किया जाना है ।

आयुर्वेदिक प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम

2677. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुर्वेदिक कालेजों से प्रत्येक वर्ष डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आयुर्वेद के बहुत से डाक्टर बेरोजगार हैं तथा यदि हां, तो उनकी लगभग संख्या कितनी है;

(ग) इस अति प्राचीन तथा प्रभावी उपचार को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन बेरोजगार डाक्टरों की सेवाओं का उपयोग किया जा सके; और

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का है ताकि बेरोजगार डाक्टरों की सेवाओं का उपयोग किया जा सके ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार आयुर्वेदिक कालेजों से हर वर्ष लगभग 2000 स्नातक परीक्षा पास करते हैं ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1983 के अन्त तक भारत के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में 6874 स्नातकों का नाम दर्ज था ।

(ग) देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र क्षेत्र में लगभग 43.00 करोड़ रुपये की रकम प्रस्तावित की गई है ।

(घ) आयुर्वेदिक औषधालय खोलना मुख्यतया एक राज्य विषय है और इसलिए यह विषय राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है ।

नर्मदा परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता

2678. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा परियोजना के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता मिलने की संभावना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक से इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु अनुरोध किया है और कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(ग) इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि विश्व बैंक से सहायता नहीं मिलती है तो परियोजना के वित्त पोषण के लिए अन्य क्या विकल्प सोचे गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) : विश्व बैंक से गुजरात में नर्मदा परियोजना, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है के वास्ते सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था। विश्व बैंक पहले ही इस परियोजना के लिए 450 मिलियन अमरीकी डालर के लिए दो क्रेडिट करारों पर हस्ताक्षर

कर चुका है । मध्य प्रदेश में दूसरी नर्मदा परियोजना का भी विश्व बैंक दल मूल्यांकन कर चुका है तथा विश्व बैंक के साथ क्रेडिट के लिए विचार-विमर्श उन्नत अवस्था में है।

डिपथीरिया, टेटनस, पोलियो, तपेदिक और टायफायड के विरुद्ध प्रतिरक्षण सुविधायें

2679. **श्री जी० भूपति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गांवों का ब्यौरा क्या है जहां पर डिपथीरिया, टेटनस, पोलियो, तपेदिक और टायफाइड जैसे रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षण सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे गांव भी हैं जहां पर माता-पिताओं को इन सुविधाओं के बारे में पता नहीं है और उनके बच्चे इन घातक रोगों से मर जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुविधाएं गांवों में भी पहुंचे सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, क्षय रोग और टाइफाइड के लिए रोग प्रतिरक्षण सेवायें सारे देश में स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि शामिल हैं, प्रदान की जाती हैं। रोग प्रतिरक्षण के महत्व और इसके लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी जन प्रचार और लोगों से सम्पर्क करके विभिन्न माध्यमों से दी जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को और सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

सौरा और संथाल आदिवासियों की भाषाओं का विकास

2680. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौरा और संथाल आदिवासियों की भाषा की अपनी विशिष्ट लिपि है; और

(ख) यदि हां, तो इन लिपियों के आविष्कार विकास और प्रसार के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) सौरा और संथाली ने अपनी लिपियों की खोज की है। ये राज्य भाषा लिपियों में भी लिखी जाती हैं।

नई सौरा लिपि की खोज श्री मंगोल द्वारा की गई थी। यह उनके अनुयायियों द्वारा प्रयोग की जाती है। किन्तु उड़िया लिपि भी सौरा लिखने के लिए प्रयोग की जाती है। उड़िया की

ध्वनि प्रणाली के अनुरूप आवश्यक संशोधनों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर तथा रा० शै० अ० प्र० परिषद ने सौरा लिपि के लिए प्रवेशिका (प्राइमर) तैयार की है।

ओल चिकी नामक संथाली लिपि की श्री मुरमु द्वारा खोज की गई थी तथा उनके अनुयायियों द्वारा प्रयोग की जाती है। ओल चिकी के अलावा रोमन, बंगाली, देवनागरी तथा उड़िया लिपियां भी संथाली लिखने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जबकि बंगाली, देवनागरी, उड़िसा लिपियां संथाली के लिए क्रमश: पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में प्रयोग की जाती है। रोमन लिपियों को इसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा वरीयता दी जाती है। संथालियों ने लिपि पर एक सम्मेलन आयोजित किया था किन्तु उनमें मतैक्य न हो सका।

रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

2681. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों के दौरान रेल गाड़ियों का समय पर चलना अत्यधिक प्रभावित रहा है;

(ख) यदि हां, रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने के क्या कारण हैं;

(ग) रेलगाड़ियों के समय से चलने में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) रेल सेवाओं के कब से समय से चलने की संभावना है।

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) मई/जून 1984 की तुलना में मई और जून, 1985 में समय पालन प्राय: एक समान रूप से होता रहा है, लेकिन जुलाई, 1984 की तुलना में जुलाई, 1985 के दौरान इसमें मामूली-सी गिरावट आयी थी।

(ख) मुख्य कारण थे—भारी वर्षा, लाइन की टूट-फूट, दुर्घटनायें, खतरे की जंजीर का खींचा जाना, अन्य शरारतें तथा चल-स्टाक और सिगनल की खराबियां।

(ग) रेलवे बोर्ड कार्यालय में 240 महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन पर दिन-प्रति दिन के आधार पर निगरानी रखी जा रही है। महा-प्रबन्धक तथा मंडल रेल प्रबन्धक गाड़ियों के समय-पालन से सम्बन्धित मामलों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं। खतरे की जंजीर खींचने, होज पाइप अलग करने तथा अन्य शरारती कार्यों पर, जिनके कारण गाड़ियों के समय-पालन पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है, काबू पाने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क रखा जा रहा है।

(घ) समय पालन में सुधार के प्रयास की प्रक्रिया सतत् रूप से चलती रहती है।

सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों को सहायता दिया जाना बन्द करने का प्रस्ताव

2682. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री सनत कुमार मंडल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों को सहायता दिया जाना बन्द करने के किसी प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों को सहायता दिया जाना बंद करने का अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन जून मास में हुआ था?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) से (घ): केन्द्रीय सरकार किसी भी राज्य सड़क परिवहन उपक्रम को कोई आर्थिक सहायता नहीं देती है। इसलिए उनकी आर्थिक सहायता को रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

रेल सेवा में कम्प्यूटर प्रणाली आरम्भ करना

2683. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल सेवाओं में कम्प्यूटर प्रणाली आरम्भ करने के लिए विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनसे (एक) रेल यात्रा में अधिक सुरक्षा और (दो) यात्री सुविधाओं में किस प्रकार योगदान मिलने की संभावना है; और

(ग) क्या कम्प्यूटर प्रणाली को शुरू करने से पहले रेलवे कर्मचारियों के विस्थापित होने और उनकी वैकल्पिक नियुक्ति पर संघों से चर्चा की जाएगी?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) माल यातायात परिचालन तथा यात्री आरक्षण सेवाओं के क्षेत्र में संगणक लगाने की एक योजना भारतीय रेलों के

हाथ में है। यह योजना रेलों द्वारा अपनी आन्तरिक प्रबन्ध सूचना प्रणाली के लिए अपेक्षित संगणक सम्बन्धी सुविधाओं के बदलाव तथा वृद्धि के अलावा है।

(ख) संगणकीकृत माल यातायात परिचालन नियंत्रण के अंग के रूप में, भारतीय रेलों पर हो रही दुर्घटनाओं का एक व्यापक विश्लेषण किया जाएगा जिससे भारतीय रेलों को इनकी रोक-थाम करने में मदद मिल सकती है। यात्री आरक्षण के संगणकीकरण से यात्रियों की आरक्षण सेवा की क्वालिटी में काफी सुधार हो जाएगा।

(ग) यदि कर्मचारियों के विस्थापन और वैकल्पिक नियोजन का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ तो इन मामलों पर यूनियनों से विचार-विमर्श किया जाएगा। पहले भी इस प्रकार के विचार-विमर्श किए गए हैं।

बम्बई में उपनगरीय स्टेशनों पर स्टालों में वृद्धि

2684. **श्री मुरली देवरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई नगरीय स्टेशनों पर जब यात्री आराम से आ-जा नहीं सकते तो वहां रेलवे स्टालों में वृद्धि करने की आवश्यकता तथा औचित्य क्या है;

(ख) इन स्टालों के आवंटन का आधार क्या है और क्या एक बार आवंटित स्टालों को आवंटियों द्वारा अन्य व्यक्तियों को अधिक किराये पर दे दिया जाता है; और

(ग) प्लेटफार्मों पर नए स्टालों के लिए जगह बनाने हेतु रेलवे द्वारा शौचालयों को गिराने का क्या औचित्य है जबकि इनके गिराने से बड़ी संख्या में यात्रियों की, विशेषकर महिलाओं को, असुविधा होती है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) : वर्तमान खानपान व्यवस्था, यात्रियों की मांग आदि-आदि विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद औचित्यपूर्ण पाए जाने पर अतिरिक्त स्टालों की व्यवस्था की जाती है। उप-पट्टे पर देने का कोई मामला रेल प्रशासनों के नोटिस में नहीं आया है।

(ग) रेलों द्वारा नये स्टालों के लिए जगह बनाने के प्रयजनो से कोई शौचालय अथवा प्रसाधन सुविधायें नहीं गिराई गयी हैं।

सम्बलपुर में डिवीजन बनाना

2685. **श्री चिंतामणि जेना**
श्रीमती जयन्ती पटनायक } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने सम्बलपुर में एक डिवीजन बनाने तथा केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन अन्य रेल परियोजनाओं के लिए धन देने के लिए रेल प्राधिकारियों से कहा है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) : जी, हां। जिन परियोजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार ने धन की मांग की है वे इस प्रकार हैं :--

(i) सम्बलपुर मंडल का सृजन।

(ii) तालचेर—सम्बलपुर नयी बड़ी रेल लाइन।

(iii) कोरापुट—रायगड़ा नयी बड़ी रेल लाइन।

(iv) जखापुरा—दैतारी—बांसपानी नयी बड़ी रेल लाइन।

(ग) धन की कमी के कारण सम्बलपुर मंडल के सृजन के काम को बजट मे शामिल करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था करना संभव नहीं हुआ है।

कोरापुट—रायगड़ा नयी बड़ी रेल लाइन के लिए 1985-86 में 9.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

तालचेर—सम्बलपुर नयी बड़ी रेल लाइन के लिए 1985-86 में परिव्यय की राशि 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3.00 करोड़ रुपये कर दी गयी है।

इस्पात संयंत्र के निर्माण के बारे में निश्चय कर लिए जाने के बाद ही दैतारी से बांसपानी तक की शेष नयी बड़ी रेल लाइन के निर्माण कार्य पर विचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय कुष्ठ-रोग उन्मूलन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में राज्यों की असफलता

2686. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि कुछ राज्य केन्द्र द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के राज्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार ने कुष्ठ-रोग उन्मूलन के संबंध में पालन करने हेतु राज्यों को क्या निर्देश भेजे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ऐसा कोई संकेत नहीं है कि किसी राज्य में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम असफल रहा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कुष्ठ के रोगियों का पता लगाने, उनका उपचार करने एवं अनुवर्ती देखरेख करने और सूचना देने सम्बन्धी परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०** —1313/85]

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम की मई में हुई हड़ताल के कारण सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की बहाली

2687. **श्री राजकुमार राय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों ने मई माह में कतिपय कारणों से हड़ताल कर दी थी और इस कारण से अनेक कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उन कर्मचारियों को बहाल करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन सभी कर्मचारियों को सेवा में कब तक वापस लिए जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां । कुछ श्रमिकों ने बिना किसी औचित्य के 15,16 और 17 मई, 1985 को गैर-कानूनी हड़ताल कर दी और कुछ स्थायी कर्मचारियों को जो इस काम में शामिल थे बर्खास्त कर दिया है । परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को जो 18 तारीख से पहले काम पर नहीं आए, भी बर्खास्त कर दिया गया ।

(ख) सिर्फ परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के मामले में जिसके पास देर से काम पर आने के ठोस सबूत थे, पुर्नविचार किया जा रहा है ।

(ग) जब यह सिद्ध हो जाता है कि अनुपस्थिति या देर से काम पर आने का सही औचित्य है, तब ऐसे बर्खास्त कर्मचारियों को फिर से बहाल कर लिया जाता है ।

[अनुवाद]

विद्यालयों में "बुक बैंक"

2688. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार विद्यालयों में कितने "बुक-बैंक" खोले गए हैं; और

(ख) क्या बुक बैंकों के कार्यकरण के लिए कोई संचालन प्रक्रिया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) देश में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और केन्द्रीय विद्यालय संगठन में स्थापित पुस्तक बैंकों की संख्या संलग्न विवरण 1 तथा 2 के अनुसार हैं।

(ख) स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तथा प्रबन्ध उन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। अतः यह राज्य सरकारों का काम है कि वे स्कूलों में पुस्तक बैंकों की स्थापना करें तथा उनके कार्यकरण का अनुश्रवण करें। वर्ष 1975, से सरकार ने समय-समय पर कक्षा I—VIII में पढ़ रहे अ०जा० तथा अनु०ज०जा० तथा अन्य वंचित वर्गों के बच्चों को ऋण के आधार पर पाठ्य-पुस्तकें देने के लिए सभी प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में पुस्तक बैंक स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को सिफारिश की है।

विवरण—1

स्कूलों की कुल संख्या तथा विभिन्न स्तरों पर उन स्कूलों की संख्या जिनमें पाठ्य-पुस्तक बैंक हैं।

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राइमरी स्कूल		मिडिल स्कूल		हाई स्कूल		उच्चतर माध्यमिक स्कूल और आई०एन०आई०/जे०/पी०यू० कालेज	
		कुल संख्या	पाठ्य-पुस्तक बैंकों वाले स्कूलों की संख्या	कुल संख्या	पाठ्य-पुस्तक बैंकों वाले स्कूलों की संख्या	कुल संख्या	पाठ्य-पुस्तक बैंकों वाले स्कूलों की संख्या	कुल संख्या	पाठ्य पुस्तक बैंकों वाले स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	39696	1414	4382	1286	3567	2846	312	239
2.	असम	21603	351	3653	1939	1679	1216	112	92
3.	बिहार	50934	—	10643	—	3041	171	4	1
4.	गुजरात	10958	2526	12500	2886	2141	1545	771	558
5.	हरियाणा	5384	4595	801	753	1096	999	105	95
6.	हिमाचल प्रदेश	4416	2650	981	757	526	430	88	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	जम्मू और काश्मीर	6709	7	1990	3	673	104	94	20
8.	कर्नाटक	22528	7579	11913	5668	2184	1664	317	250
9.	केरल	6033	4966	3686	3207	1696	1277	12	8
10.	मध्य प्रदेश	53572	43198	9082	7836	—	—	2081	1723
11.	महाराष्ट्र	32794	26405	16348	14197	5202	3586	716	543
12.	मणिपुर	3437	—	378	49	223	77	15	9
13.	मेघालय	3575	132	374	240	163	140	—	—
14.	नागालैंड	969	—	330	14	88	19	6	2
15.	उड़ीसा	32103	76	6507	618	2167	1831	13	10
16.	पंजाब	13410	2129	1576	443	1754	566	249	81
17.	राजस्थान	20822	11839	5121	3826	1583	1363	487	449
18.	सिक्किम	299	85	40	23	17	9	8	4
19.	तमिलनाडु	27588	25424	5700	5371	2172	2003	933	867
20.	त्रिपुरा	1573	1494	292	292	92	92	52	52
21.	उत्तर प्रदेश	68122	23145	12049	6676	2182	1923	2687	2479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	पश्चिम बंगाल	42659	37722	3082	2006	3732	2359	861	491
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	160	128	35	31	10	8	10	7
24.	अरुणाचल प्रदेश	735	—	105	—	25	—	8	—
25.	चंडीगढ़	39	31	22	19	42	31	8	6
26.	दादरा और नगर हवेली	134	131	23	22	3	3	1	1
27.	दिल्ली	1620	208	322	275	202	170	458	411
28,	गोवा, दमन और दीव	951	711	137	107	237	153	8	3
29.	लक्षद्वीप मिनिकाय व अमन दीव	17	—	5	—	7	—	—	—
30.	मिजोरम	516	185	245	71	114	23	—	—
31.	पांडिचेरी	280	2	82	64	57	49	12	7
	कुल	474636	197133	112404	58679	36675	23357	10429	8478

स्रोत : (30.9.78 को चतुर्थ अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण) की स्थिति ।

विवरण—2

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अन्तर्गत स्कूलों में स्थापित किए गए पुस्तक बैंकों की राज्य-वार संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विद्यालयों की संख्या	पुस्तक बैंकों की संख्या
1	2	3	4
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1	—
2.	आंध्र प्रदेश	25	17
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	2
4.	असम	26	12
5.	बिहार	35	9
6.	चंडीगढ़	5	1
7.	दिल्ली	24	11
8.	गोआ	3	2
9.	गुजरात	25	18
10.	हरियाणा	13	7
11.	हिमाचल प्रदेश	8	5
12.	जम्मू और कश्मीर	15	4
13.	कर्नाटक	19	16
14.	केरल	14	7
15.	मध्य प्रदेश	42	18
16.	महाराष्ट्र	36	15
17.	मणिपुर	3	1
18.	मेघालय	4	2
19.	मिजोरम	1	—
20.	नागालैंड	3	—
21.	उड़ीसा	16	11
22.	पाण्डिचेरी	1	1
23.	पंजाब	21	15

1	2	3	4
24.	राजस्थान	27	14
25.	सिक्किम	1	1
26.	तमिलनाडु	22	15
27.	त्रिपुरा	4	1
28.	उत्तर प्रदेश	68	24
29.	पश्चिम बंगाल	28	7
30.	विदेश	3	1
		499	237

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

2689. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कौन-सी रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ख) शुरू किए गए विद्युतीकरण के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) : रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित की गयीं विद्युतीकरण परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :—

पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए विद्युतीकरण कार्य	अनुमोदन का वर्ष	अनुमानित लागत करोड़ रुपयों में
1	2	3
1. बल्लारशाह—वर्धा	1982-83	37.46
2. इटारसी—नागपुर	1982-83	34.61
3. इटारसी—-भुसावल	1982-83	77.13
4. भोपाल—नागदा	1982-83	29.00

1	2	3
5. काजीपेट—सनतनगर	1982-83	28.00
6. खड़गपुर—मिदनापुर	1984-85	01.82
7. दुर्ग—नागपुर	1984-85	67.15
8. वीना—कटनी	1984-85	63.17
9. कटनी—अनूपपुर—बिलासपुर	1984-85	71.81
10. जोल्लारपेट्टै—बैंगलूर	1984-85	24.01

खड़गपुर—मिदनापुर खंड का विद्युतीकरण पहले ही कर दिया गया है।

मद सं० 1, 2 तथा 7 के निर्माण कार्यों के संबंध में विद्युतीकरण के प्राथमिक निर्माण कार्य प्रगति पर है। जहां तक मद सं० 3 से 5 तथा 8 से 10 के विद्युतीकरण कार्य का सम्बन्ध है, संसाधनों की तंगी के कारण इन परियोजनाओं को निम्न प्राथमिकता दी गयी है।

अतिसार से बच्चों की मृत्यु के बारे में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

2690. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अतिसार से बच्चों की मृत्यु के बारे में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो भारत में इस रोग से प्रति वर्ष कितने बच्चे मरते हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस रोग की रोकथाम के लिए कोई निवारक उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में पिछले तीन वर्षों के दौरान अतिसार के रोगियों तथा उसके कारण हुई मौतों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	रोगियों की संख्या	मौतों की संख्या
1982	6929475	2283
1983	7918128	2202
1984	7367847	4829

(ग) इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) ओरल रीहाईड्रेशन थेरापी के संबंध में चिकित्सकों तथा अर्ध-चिकित्सकों के लिए एक गहन शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है।

(2) बाल रोग चिकित्सकों तथा सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों को उन्नत रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

(3) सामुदायिक स्तर पर पेरिफेरल हैल्थ वर्करों के जरिए ओरल रीहाईड्रेशन साल्ट सप्लाई किया जा रहा है।

(4) अतिसार रोगों की रोकथाम और उन पर काबू पाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 11 लाख पुस्तिकाएं छापी गई हैं और लोगों में बांटी गई हैं।

(5) भारतीय चिकित्सा संघ के सहयोग से विभिन्न भागों में कार्यरत प्राईवेट डाक्टरों की ओरल रीहाईड्रेशन टेक्नालॉजी के जरिए अतिसार रोगों की नई विधि में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(6) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ओरल रीहाईड्रेशन साल्ट की उत्पादन क्षमता बढ़ा दी है और अब देश उसमें आत्मनिर्भर हो गया है।

(घ) स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों की ओरल रीहाईड्रेशन थेरापी में प्रशिक्षित कर दिया गया है और अतिसार रोगों की रोकथाम तथा उन पर काबू पाने की दृष्टि से लोगों को जागरूक कर दिया गया गया है। आशा है कि अन्त में यह प्रभावशाली सिद्ध होगा।

नर्मदा परियोजना के गुजरात भाग की प्रगति

2691. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा सिंचाई परियोजना के गुजरात भाग की अब तक कुल मिला कर कितनी प्रगति होने की संभावना है;

(ख) क्या नर्मदा नियंत्रण बोर्ड का गठन करने का कोई विचार है, यदि हां, तो इसके कार्मिक कौन हैं;

(ग) वर्ष 1984-85 तक कुल कितनी राशि व्यय हुई और वास्तव में क्या लक्ष्य प्राप्त हुए;

(घ) केन्द्रीय जल आयोग के अन्तर्गत निगरानी संगठन क्या है; और

(ङ) दूसरी ओर से रिपोर्ट कितने अन्तराल के पश्चात् प्राप्त होती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ग) : मार्च, 1985 तक अर्थात् वित्तीय वर्ष (1984-85) के अन्त तक परियोजना पर 266.23 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। अगस्त, 1985 के अन्त तक लगभग 281 करोड़ रुपए व्यय होने की आशा है। नदी व्यपवर्तन, दोषपूर्ण-जोन को पक्का करना तथा मुख्य बांध स्थलों के खुदाई कार्य पूरे हो गए हैं। दुर्बल परतों को संसाधित करने, पिलाई (ग्राउन्टिंग) कार्य, 1 से 10 के लेफ्ट ब्लाकों का निर्माण, रॉकफिल बांध तथा 0 किलोमीटर से 21 किलोमीटर के बीच मुख्य नहर पर कार्य चल रहे हैं। रॉकफिल बांध का कार्य वर्ष 1985-86 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) गुजरात सरकार ने नर्मदा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव को समाप्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में : अप्रैल, 1984 से नर्मदा घाटी विकास विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया है।

(घ) और (ङ) : सरदार सरोवर परियोजना की मानीटरी केन्द्रीय जल आयोग, आयोग द्वारा नहीं की जाती है बल्कि सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के कार्यालय द्वारा की जाती है, जहा पर मुख्य इन्जीनियर के दर्जे का एक सचिव है। सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के समक्ष तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं।

[हिन्दी]

अजमेर में केन्द्रीय विद्यालय

2692. **श्री विष्णु मोदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में अजमेर में राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के कई कार्यालय हैं जहां पर अनेक कर्मचारी काम करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अजमेर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार को ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो अजमेर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो अजमेर में केन्द्रीय विद्यालय न खोलने के क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (घ) : चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान अजमेर में एक नया केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत कर दिया गया है।

[अनुवाद]

उपनगरीय यात्रियों के लिए यात्री डिब्बों के निर्माण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया प्रावधान

2693. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों में दैनिक रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपनगरीय रेल सेवाओं को अधिक कुशलता से आर तेजी से चलाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या रेल मंत्रालय का मत है कि उपनगरीय यात्री सेवा के लिए इस समय उपलब्ध यात्री डिब्बों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं;

(ग) क्या सरकार ने सातवीं योजना में इस परियोजना के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए सातवीं योजना में प्रस्तावित प्रावधान क्या है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारतीय रेलें सीमित संसाधनों के भीतर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास महानगरों में 1 अप्रैल, 1983 से धीरे-धीरे लेकिन उत्तरोत्तर अधिक सेवाएं उपलब्ध करा रही है। सौ से अधिक उपनगरीय गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाने के अलावा रेलों ने इन महानगरों में दो सौ से अधिक नयी उपनगरीय गाड़ियां चलायीं हैं जब भी और ई० एम० यू० सवारी डिब्बे उपलब्ध होंगे, सेवाओं का उपयुक्त विस्तार किया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) : सातवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। यदि पर्याप्त योजना आबंटन दिया गया तो रेलों की यह चेष्टा होगी कि अतिरिक्त सवारी डिब्बों के लिए स्वदेशी उत्पादन क्षमता का भरपूर उपयोग किया जाए।

न्हावा शेवा पत्तन के निर्माण में प्रगति

2694. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के न्हावा शेवा उप-पत्तन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा उस परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) अपेक्षित भूमि में से लगभग 70% भूमि का अधिग्रहण हो गया है। लेकिन जेटी, कार्यालय, आवासीय भवन, जल और बिजली की आपूर्ति जैसे प्रारंभिक निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए आवास के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। ठेका-1 (मुख्य निर्माण कार्य) जुलाई, 1985 में दिया गया है। अन्य प्रमुख निर्माण कार्य से संबंधित टेंडरों को तय किया जा रहा है। यह कार्य विभिन्न चरणों में है।

(ख) जून, 1985 तक इस परियोजना पर 18.99 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं।

कर्नाटक में रेल लाइनों का निर्माण

2695. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में नई लाइनों का निर्माण प्रारम्भ करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके वित्तीय प्रभाव क्या होंगे;

(घ) क्या इसके लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) : कर्नाटक सरकार ने रेल अभिसमय समिति (1980) को दिये गये अपने ज्ञापन में कई नयी लाइनों को शुरु करने का अनुरोध किया है। उनका ब्यौरा और मौजूदा स्थिति इस प्रकार है :—

(1) चित्रदुर्ग से रायदुर्ग (100 कि० मी०) यह अनुमोदित हो गयी है और निर्माण कार्य-प्रगति पर है। इसकी प्रत्याशित लागत लगभग 35 करोड़ रुपए है।

(2) हुबली—करवाड़ (191 कि० मी०)

(3) चामराजनगर—सत्या मंगलम-कोयम्बत्तूर (180 कि० मी०)

इन परियोजनाओं की लागत और वित्तीय लाभ प्रदता के आकलन के लिए इन लाइनों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(4) चामराजनगर मददूर वाया येलेन्दूर (लगभग 180 कि० मी०)।

(5) मैसूर—बेल्लारी वाया सिका (लगभग 340) इन लाइनों के वित्तीय फलितार्थों का का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है। संसाधनों की अत्यधिक तंगी और पहले से की गयी भारी बचनबद्धताओं को देखते हुए इस समय इन परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जा सकता।

अल्लेप्पी-कायनकुलम रेल लाइन

2696. **श्री टी० बशीर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्लेपी-कायनकुलम रेल लाइन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) जून, 1985 तक इसमें कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) : परियोजना को बजट में शामिल करने के लिए 1985-86 में 1000 रुपये की सांकेतिक धनराशि का आवंटन किया गया है ।

(ग) इस परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

कोट्टूर-अम्बासामुडम अन्तर्राज्य मार्ग का निर्माण

2697. **श्री टी० बशीर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोट्टूर-अम्बासामुडम अन्तर्राज्य मार्ग (केरल-तमिलनाडु) के निर्माण हेतु लोगों द्वारा लम्बे अर्से से मांग की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) : केरल सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता देने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें कोट्टूर-अम्बासुन्दरम नामक एक अन्तर्राज्यीय सड़क भी शामिल थी । यह प्रस्ताव, संसाधनों की सीमा और अन्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका ।

रेल गाड़ियों में डाइनिंग कार उपलब्ध कराने संबंधी नीति

2699. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी रेल गाड़ियों में डाइनिंग कार की व्यवस्था है;

(ख) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में डाइनिंग कार उपलब्ध कराने सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) : 18 जोड़ी गाड़ियों पर भोजन यानों तथा 71 जोड़ी गाड़ियों पर पेन्ट्री/बुफे कारों की व्यवस्था की गयी है । अब जो नीति अपनाई जा रही है, वह यथासंभव भोजन यानों को पेन्ट्री कारों से बदलने तथा गाड़ियों में यात्रियों को स्टेशनों के स्थैतिक खानपान यूनिटों से भोजन आदि लेकर परोसने की है ।

नए विश्वविद्यालय खोलने पर रोक लगाना

2700. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए विश्वविद्यालय खोलने पर रोक लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से और कब तक;

(ग) क्या विश्वविद्यालय की तरह माने जाने वाले कुछ संस्थानों ने सरकार से उन्हें पूर्ण विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केन्द्र के अन्तर्गत ऐसे कितने संस्थान हैं जिन्हें विश्वविद्यालय के समान माना जाता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ): जामिया मिलिया इस्लामिया की कार्य कार्यकारी परिषद् ने 4 अक्तूबर 1983 को हुई अपनी बैठक में जामिया को सांविधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध करने का निर्णय किया। प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया गया और उसने जामिया, जो अभी विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था है, को सांविधिक विश्वविद्यालय में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक पन्द्रह संस्थाओं को विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था के रूप में घोषित किया गया है।

एडामलायर पन बिजली परियोजना विद्युत टनेल में रिसाव का पता लगना

2701. **प्रो० के० वी० थोमस :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय जल विद्युत प्राधिकरण से एडामलायर पन बिजली परियोजना के विद्युत टनेल में पता लगे रिसाव के बारे में विस्तृत अध्ययन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) : जी, हां । अध्यक्ष, केरल राज्य बिजली बोर्ड के अनुरोध पर केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधिकारियों के एक दल ने एडामलयार जल विद्युत परि: योजना के कार्य-स्थल का दौरा किया था । दल ने आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड को सुझाव दिए हैं ।

भावनगर डिवीजन में स्थायी रूप से रद्द की गई रेल गाड़ियां

2702. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावनगर डिवीजन में गत तीन वर्षों में कितनी रेल गाड़ियों को स्थायी रूप से रद्द किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन्हें पुनः चलाने का कोई विचार है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तीन जोड़ी ।

(ख) 285/286 सिहोर-पालीटाणा पैसेंजर और 397/298 गढदा-स्वामीनारायण-निंगाला मिली जुली गाड़ियों को उनका कम उपयोग होने के कारण और 379/380 सराडिया-जूनागढ़ मिली-जुली गाड़ी को रेलपथ के पूरी तरह बह जाने की वजह से रद्द कर दिया गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

मलेरिया की रोकथाम के लिए गुजरात सरकार को दी गई सहायता

2703. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मलेरिया की रोकथाम के गुजरात राज्य सरकार को वर्ष-वार कितनी सहायता दी गई ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन पिछले तीन वर्षों के लिए गुजरात सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता का

वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :—

वर्ष	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)		राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (नगरीय)		
	नकद	सामग्री	नकद	सामग्री	योग
	(रुपए लाखों में)				
1982-83	345.00	139.28	15.41	3.49	503.18
1983-84	500.00	276.54	—	0.09	776.63
1984 85	809.09	327.23	—	30.51	1166.83

देश में बने सैटों द्वारा बिजली पैदा करना

2704. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में बने सैटों द्वारा बिजली पैदा करने का कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान ताप बिजली पैदा करने में देश में बने ऐसे कितने सैट लगाए गए है; और

(ग) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) : देश में निर्मित अनेक ताप विद्युत उत्पादन यूनिटें प्रचालन में हैं। चालू वर्ष 1985-86 के प्रारम्भ में इनकी संख्या 117 थी, जिनकी कुल क्षमता 17,440 मेगावाट है। यद्यपि ये यूनिटें भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० द्वारा बनाई गई हैं, इनका प्रचालन राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है तथा विद्युत उत्पादन का कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्डों/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाता है।

छठी योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा पर किया गया व्यय

2705. **श्री हन्नान मोल्लाह**
श्री अनिल बसु } : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा छठी योजना में शिक्षा के लिए आवंटित और खर्च की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : संस्कृति और खेल को छोड़कर शिक्षा पर केन्द्रीय

सरकार का छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रावधान और खर्च क्रमश: 652.92 करोड़ रुपये और 587.17 करोड़ रुपए हैं।

वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं।

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रावधान	खर्च
1980-81	85.03	66.48
1981-82	94.53	86.06
1982-83	122.93	108.11
1983-84	151.78	133.25
1984-85	198.65	193.27

नौवहन विकास निधि समिति की मछली पकड़ने वाली कम्पनियों के पास बकाया धनराशि

2706. **श्री प्रकाश चन्द** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवहन विकास निधि समिति के मछली पकड़ने वाली कम्पनियों के पास कितनी धनराशि बकाया है और 30 जून, 1985 को मूलधन और उस पर लगने वाले ब्याज के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : संलग्न विवरण 1 और 2 में ब्यौरा दिया गया है।

विवरण-1

पुनर्भुगतान के लिए बकाया रुपए ऋण की मूलधन और फिशिंग कम्पनियों द्वारा भुगतान नहीं की गई राशि सम्बन्धी विवरण (30.6.1985 के अनुसार स्थिति)

क्रम सं०	कम्पनियों के नाम	राशि
1	2	3
	(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	
1.	आन्ध्र प्रदेश फिशरिज लिमिटेड	6,30,000.00
2.	केरल फिशरिज कारपोरेशन लि०	45,399.00
3.	तमिलनाडु फिशरिज विकास निगम	1,03,116.00

1	2	3
	(ख) निजी क्षेत्र	
1.	अकबा फूड प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०	9,75,000.00
2.	पोन मैगनेट (प्रा०) लि०	2,32,227.11
3.	वेस्ट कोस्ट मैरिन (प्रा०) लि०	7,25,000.00
4.	मार्शल सी फूड्स	8,41,580.00
5.	सूरज फिशरिज (प्रा०) लि०	5,74,800.00
6.	यूनी मैरिन (प्रा०) लि०	8,76,200.00
7.	फोयनिकस इन्डिया मैरिन (प्रा०) लि०	1,95,000.00
8.	वाणी मैरिन्स (प्रा०) लि०	2,00,000.00
		53,98,322.11

विवरण-2

फिशिंग ट्रालर कम्पनियों के पास अर्धवार्षिक बकाया ब्याज संबंधी विवरण (40.6.1985 के अनुसार स्थिति)

क्रम सं०	कम्पनियों के नाम	राशि
1	2	3
	(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	
1.	आन्ध्र प्रदेश फिशरिज लिमिटेड	4,01,938.18
2.	केरल फिशरिज कारपोरेशन लिमिटेड	4,45,308.66
3.	तमिलनाडु फिशरिज कारपोरेशन	480.78
	(ख) निजी क्षेत्र	
1.	अकवा फूड प्रोडक्टस (प्रा०) लि०	12,25,813.66
2.	फोयनिकस इन्डिया मैरिन (प्रा०) लि०	2,89,859.33
3.	वेस्ट कोस्ट मैरिन (प्रा०) लि०	9,51,040.900
4.	संचेती फूड प्रोडक्ट्स लि०	13,30,469.82
5.	सत्यसाई मैरिन (प्रा०) लि०	2,72,406.25

1	2	3
6.	आर्या फिशरिज लि०	—
7.	यूनी मैरिन (प्रा०) लि०	8,49,024.34
8.	मार्शल सी फुड्स लि०	8,26,616.32
9.	सूरज फिशरिज (प्रा०) लि०	6,70,509.90
10.	वाणी मैरिन (प्रा०) लि०	62,223.35
11.	मैरिन फिशरिज (प्रा०) लि०	39,994.93
12.	प्रोन मैगनेट प्रा० लि०	82,739.77
13.	यमुना फुड्स प्रा० लि०	—
14.	सफायर फिशरिज (प्रा०) लि०	—
15.	एस०बी०एस० मैरिन एक्सपोर्ट (प्रा०) लि०	4,45,901.12
16.	अनाई फिशरिज (प्रा०) लि०	73,980 03
17.	कोलम्बिया सी फूड्स (प्रा०) लि०	1,00,941.50
18.	रेनबो सी फूड्स (प्रा०) लि०	67,418.09
19.	कोरमण्डल मैरिन (प्रा०) लि०	1,82,480.82
20.	लीला सी फूड्स (प्रा०) लि०	22,207.37
21.	डान फिशरिज (प्रा०) लि०	22,207.37
22.	समारो फूड प्रोसर्स (प्रा०) लि०	—
23.	गोल्डन फिशरिज (प्रा०) लि०	—
24.	फोर सीजन्स फिशरिज (प्रा०) लि०	3,097.89
25.	वरुण मैरिन प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०	—
26.	ट्रोपिकल शिपिंग कम्पनी लि०	—
27.	श्रीनिवास सी फूड्स (प्रा०) लि०	74,551.73
28.	गुजरात फिशरिज डेवलपमेंट कारपोरेशन	—
29.	वेहल ग्लास (प्रा०) लि०	—
	कुल	88,38,212.11

विश्वविद्यालयों द्वारा प्राध्यापकों और प्रोफेसरों की भर्ती

2707. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थानीय अध्यापन कर्मचारियों में से प्राध्यापकों, रीडर और प्रोफेसरों की भर्ती करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा 1983-85 के दौरान विश्वविद्यालय-वार चयन किये गये रीडरों और प्रोफेसरों के बारे में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति, जिसने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा की, ने 1983 के अन्त तक प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि पुराने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के अधिकांश वरिष्ठ पदों को उन अध्यापकों की भर्ती द्वारा भरा जाता है, जो इन विश्वविद्यालयों में पहले से ही कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक प्रस्ताव की जांच कर रहा है, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों में सृजित कम से कम 50% नये पद अन्य विश्वविद्यालयों के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने चाहिएं। कोई भी दृष्टिकोण अपनाने से पहले, इस प्रस्ताव में शामिल कानूनी और अन्य मामलों की ध्यान पूर्वक जांच करनी होगी।

(ग) सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न कालिजों के प्रवेश के लिए आरक्षण आदेशों का कार्यान्वयन

2708. **श्री नारायण चौबे**
श्री रामाश्रम प्रसाद सिंह } : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए आरक्षण के संबंध में क्या दिशा-निर्देश हैं;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन विभिन्न कालिजों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश देने संबंधी इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है, (जैसा कि दिनांक 9 जुलाई, 1985 के टाइम्स आफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है); और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि इन निर्देशों का पालन किया जाये ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) कालेजों में विभिन्न अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कुल स्थानों की संख्या में से 22.5 (अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिये 7.5 प्रतिशत यदि आवश्यक हो तो परिवर्तनीय) स्थान आरक्षित किये जाने चाहिएं। प्रत्येक कालेज के लिए इस श्रेणी के छात्रों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) : दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार यह कहना ठीक नहीं है कि कालेजों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर दिये गये निर्देशों की अवज्ञा की जाती है तथापि विश्वविद्यालय को, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों से, जिन्हें 1985-86 शैक्षणिक वर्ष के लिए कला/सामाजिक विज्ञान के लिए अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में दाखिला प्रदान किया गया था, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि विभिन्न कालेजों द्वारा उन्हें दाखिला नामंजूर कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्राधिकारी इन उम्मीदवारों को दाखिला देने के लिये संबंधित कालेजों के प्रधानाचार्यों पर जोर डाल रहे हैं और विश्वविद्यालय आशा करता है कि इस तरह के सभी उम्मीदवार किसी न किसी कालेज में समायोजित हो जाएंगे।

बन्दरगाहों का कार्य-निष्पादन तथा उनकी क्षमता का उपयोग

2709. **श्री के० प्रधानी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख बन्दरगाहों के उत्पादक कार्य-निष्पादन तथा उनकी क्षमता के उपयोग की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उन बन्दरगाहों के नाम क्या हैं जिनकी क्षमता के उपयोग का निर्धारण किया जा चुका है;

(ग) क्या पारादीप बन्दरगाह की क्षमता के उपयोग में काफी कमी रही है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पारादीप बन्दरगाह तथा अन्य बन्दरगाहों, जिनकी क्षमता का छठी योजना के दौरान कम उपयोग किया गया, की क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख): सातवीं योजना के लिये गठित कार्यदल ने सभी महापत्तनों के कार्गो हैंडलिंग स्तर तथा क्षमता उपयोग का मूल्यांकन किया है।

(ग) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) परादीप, मद्रास, मुरगांव और विशाखापत्तनम पत्तनों पर लोह अयस्क हैंडलिंग की क्षमता का इसलिए कम उपयोग हो रहा है क्योंकि लोह अयस्क की निर्यात मंडी में आम मंदी है। सरकार लौह अयस्क के निर्यात के उन्नयन के लिए प्रयास कर रही है। कलकत्ता में ट्रैफिक में कमी के कारण डाक की क्षमता का कम उपयोग हो रहा है और सरकार ने इसे कुछ हद तक बढ़ाने के क्रम में कलकत्ता में आधुनिक कंटेनर हैंडलिंग उपकरण स्थापित करने की एक स्कीम को मंजूरी दी है। अन्य पत्तनों में क्षमता उपयोग आमतौर पर संतोषप्रद है।

उड़ीसा विद्युत परियोजना की प्रतिष्ठापित क्षमता

2710. **श्री राधाकान्त डिगाल : क्या सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है।

(ख) उक्त राज्य में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को पूरा होने पर कुल कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा; और

(ग) निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की आशा है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) : उड़ीसा राज्य में इस समय प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की क्षमता लगभग 1135 मेगावाट (अनन्तिम) है। कुल 1207.5 मेगावाट की वृहत् तथा मध्यम विद्युत परियोजनाएं राज्य में निर्माणाधीन हैं। इनकी क्षमता तथा प्रगति के वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर इन्हें चालू करने का प्रत्याशित कार्यक्रम नीचे दिया गया है :--

क्र०सं०	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने की संभावित तारीख
1.	हीराकुंड यूनिट-7	1 × 37.5	1987-88
2.	रेंगाली	2 × 50	1985-86
3.	अपर कोलाब	3 × 80	1986-87 एवं 1987-88
4.	अपर इन्द्रावती	4 × 15.0	1989-90 एवं 1990-91
5.	रेंगाली विस्तार	3 × 50	1987-88 एवं 1988-89
6.	अपर कोलाब विस्तार	1 × 80	1988-89

रूस के विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी

2711. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस के सभी विश्वविद्यालयों में वर्ष 1984-85 में कितने भारतीय विद्यार्थी अध्ययन और अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं; और

(ख) रूस में कितने भारतीय विद्यार्थी अन्तरिक्ष टैक्नोलोजी में अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत : (क) : 1010।

(ख) कोई नहीं।

पारादीप बन्दरगाह के गहरा करने के लिये दक्षिण कोरिया की पेशकश

2712. **श्री सोमनाथ रथ**
श्री सत्येन्द्रनारायण सिंह } : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरिया की एक फर्म ने परादीप बन्दरगाह को गहरा करने के लिए जिससे कि इस बन्दरगाह में 2 लाख डी०डब्ल्यू०टी० क्षमता के विशाल पोत प्रवेश कर सकें, भारत को 11 करोड़ 50 लाख डालर का ऋण देने की पेशकश की है तथा इस पेशकश का लक्ष्य यह भी है कि उक्त बन्दरगाह से दक्षिणी कोरियाई इस्पात कम्पनी को लोह का अधिक निर्यात किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दक्षिण कोरिया की फर्म की ऋण देने की पेशकश स्वीकार कर ली है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य शर्तें क्या हैं और परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) कब तक इस परियोजना के पूरा हो जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमन अंसारी) : (क) जी, हां। एम०एस०टी०सी० को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) इस प्रस्ताव में पत्तन को आने वाले जलमार्ग, मुहाने व भीतरी बेसिन को 12.25 मीटर से 20 मीटर तक गहरा करना और कच्चे लोहे के निर्यात के लिय मशीनों की सुविधाओं वाली एक नई बर्थ की स्थापना करना शामिल है। मैसर्स हुंडाई कारपोरेशन ने सूचित किया है कि

पत्तन में उपर्युक्त कार्य करने व सुविधाओं की व्यवस्था करने पर 115.525 मिलियन अमरीकी डालर खर्च होगा।

(ग) दक्षिण कोरियाई फर्म मैसर्स हुंडाई कारपोरेशन ने अपने प्रस्ताव में सूचित किया है कि इस कार्य के पूरा होने में तीन वर्ष लगेंगे।

बम्बई में भारतीय नौवहन निगम के सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के लिए एक ठेकेदार की नियुक्ति

2713. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में भारतीय नौवहन निगम के मुख्यालय में सिविल इंजीनियरिंग कार्य करने के लिए तकनीकी कर्मचारी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कार्यों के लिए 26,000/- रुपये प्रति मास के भुगतान पर एक ठेकेदार नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : भारतीय नौवहन निगम के पास इस समय सिविल इंजीनियरी कार्यों की देख-रेख के लिए एक सिविल इन्जीनियर और 6 अन्य तकनीकी कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी भारतीय नौवहन निगम के बम्बई स्थित मुख्यालय भवन का अनुरक्षण करते हैं। इसके अलावा भारतीय नौवहन निगम के पास बम्बई और वृहत्तर बम्बई में 45 कि०मी० दूरी तक अपने/पट्टे पर 110 मकान हैं और इन मकानों का अनुरक्षण मौजूदा कर्मचारियों की सहायता से नहीं किया जा सकता है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और यदाकदा अनुरक्षण कार्य के लिए भारतीय नौवहन निगम अपनी स्थापना के दिन से ही इन मकानों के अनुरक्षण के लिए ठेकेदारों को लगाता रहा है। इस पर प्रतिमाह 15,500 रुपये खर्च होते हैं।

भारतीय नौवहन निगम बम्बई द्वारा गैर-सरकारी कम्पनियों को किया गया जीरोक्स/फोटोकोपिंग

2714. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम, बम्बई के मुख्य कार्यालय में काफी एटोमेटिक जीरोक्स/फोटोकोपिंग मशीनें बेकार पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और,

(ग) यदि ऐसे कार्यों को जिसे उन मशीनों द्वारा किया जा सकता है, गैर-सरकारी कंपनियों को दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : भारतीय नौवहन निगम लि० के पास 14 जीरोक्स/फोटोकोपिंग मशीनें हैं। इनमें से अधिकांश मशीनें पुरानी है। इसलिए कल-पुर्जों के अभाव के कारण ये मशीनें बन्द पड़ी हैं।

(ग) उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौवहन निगम इस समय रिपोर्ट, प्रलेख बड़े-बड़े विवरण आदि से संबंधित जैसे भारी काम को जीरोक्स/फोटोकोपिंग से कराने से संबंध कुछ कार्यों को ठेकेदारों से करा रही है। भारतीय नौवहन निगम को यह सुझाव दिया गया है कि वह इन मशीनों को अपने यहां मंगाने की व्यवस्था कर लें।

सिंचाई की स्प्रिंकलर और ड्रिप प्रणाली

2715. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई को "स्प्रिंकलर" और "ड्रिप" प्रणाली जल संरक्षण और इसको बरबाद होने से बचाने के लिए उपयोगी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत में छोटे और सीमांत कृषकों के लाभ के लिए इन प्रणालियों के उपयोग हेतु एक कार्य योजना पर विचार कर रही है; और,

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बात क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : छिड़काव/ड्रिप प्रणाली के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय ने 1982-83 के दौरान एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम को स्वीकृति प्रदान की थी। इस स्कीम के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों और अन्य किसानों को निम्नलिखित पद्धति पर सब्सिडी उपलब्ध कराई गई थी :—

1.	सब्सिडी की दरें		सब्सिडी की उच्च सीमा	
	लघु तथा सीमान्त किसान (प्रतिशत)	अन्य किसान (प्रतिशत)	लघु तथा सीमान्त किसान	अन्य किसान (रुपए में)
	50	20	20,000	8,000

2.	**यूनिटों के अनुसार अनुमोदित सीमा**	
1.	लघु तथा सीमान्त किसान	75 प्रतिशत
2.	अन्य किसान	25 प्रतिशत

1982-83 से 1984-85 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को 2.16 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में रिलीज की गई थी। इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम को सातवीं योजना के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत सम्बन्धी कार्यबल द्वारा की गई मांग

2716. **श्री राज कुमार राय** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप विद्युत संबंधी कार्य दल द्वारा की गई मांग का ब्यौरा क्या है और क्या योजना आयोग ने ताप विद्युत के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) विद्युत पर कार्यकारी दल ने सातवीं योजना अवधि के दौरान 22,990 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता जोड़ी जाने की परिकल्पना की थी।

(ख) सातवीं योजना को अभी राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है तथा अनुमोदित किया जाना है; वर्तमान संकेतों के अनुसार योजना अवधि में लगभग 16,000 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता की वृद्धि के लक्ष्य का सुझाव दिया गया है।

कहलगांव में सोवियत संघ की सहायता से एक ताप बिजली परियोजना की स्थापना

2717. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम सोवियत संघ की सहायता से बिहार में कहलगांव में एक परियोजना की स्थापना कर रहा है, और यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत कितनी होगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परियोजना से निकलने वाली राख को वर्ष 1980-81 में किए गये सर्वेक्षण के बाद पहले चुने गए माधोपुर-भोरथ के स्थान पर एकचारी डालने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को मानसून के दौरान बाढ़ के कारण जब राख बहकर गंगा नदी में चली जाएगी नदी के प्रदूषित होने के खतरे की जानकारी है क्योंकि एकचारी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है;

(घ) यदि हां, तो राख के वर्षा के पानी के साथ मिलकर गिरने से गंगा नदी के पानी को प्रदूषित होने से रोकने के लिए पुश्ता बनाने पर कितनी अनुमानित लागत आएगी; और

(ङ) इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राख डालने के लिए स्थान के चयन के बारे में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू):(क) : सरकार ने 10'8.64 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना (4 × 210 मेगावाट) को अनुमोदित कर दिया है । सोवियत सहायता लगभग 250 मिलियन रूबल होगी ।

(ख) एकचारी के पास एक क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है जो कि संयंत्र क्षेत्र से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है । इस क्षेत्र का सर्वेक्षण इसलिए किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में आबादी नहीं है और यह संयंत्र के समीप है ।

(ग) और (घ) : सरकार तथा रा०ता०वि०नि० यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह जागरुक है कि राख के निपटान क्षेत्र से किसी भी मौसम में प्रदूषण न हो । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं में राख के निपटान क्षेत्रों का डिजाइन उपयुक्त तटबन्ध बना कर प्राकृतिक जल में राख के जाने को रोकने के लिए बनाया जाता है । इसमें किसी अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा नहीं है क्योंकि रा०ता०वि०नि० द्वारा ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे राख निपटान का क्षेत्र कहीं भी स्थित क्यों न हो ।

(ङ) व्यापक रूप से सर्वेक्षण कर लिए जाने और वैकल्पिक क्षेत्रों के लाभों पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात राख के निपटान क्षेत्र के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा ।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन के लिये प्रेरित करना

2718. **श्री राजेश पायलट** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रचार माध्यमों द्वारा जागृति उत्पन्न करने के अतिरिक्त लक्ष्य समूहों से सीधे बात करने और उनको परिवार नियोजन अपनाने के लिये प्रेरित करने के लिये कदम उठा रही है;

(ख) क्या महिलाओं को प्रेरित करने के लिए अस्पतालों में "पोस्ट पार्टम स्टेज" पर परामर्श दिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के अत्यधिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में एक कक्ष अथवा यूनिट स्थापित करने पर विचार कर रही है?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) से (ग) : पारस्परिक संचार गर्भनिरोधन की मांग को बढ़ाने की कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। भिन्न-भिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संगठन के विभिन्न कार्मिकों की यह एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वे लोगों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित करें। विभिन्न अस्पतालों से सम्बद्ध प्रसवोत्तर यूनिट आवश्यक प्रेरणा और परिवार नियोजन सेवायें प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के लिये आवासीय योजना

2719. **डा० सुधीर राय** : क्या शि ा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हड़ताली प्राध्यापकों के लिए जनवरी, 1983 में 6 करोड़ रुपये की एक आवासीय योजना का प्रस्ताव दिया था;

(ख) क्या ऐसी आवासीय योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च, 1985 में स्वीकृति दे दी थी; और

(ग) शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जनवरी, 1983 में, मंत्रालय कालेज कर्मचारियों के लिए दिल्ली में 6 करोड़ रुपये की लागत से कर्मचारी-क्वार्टरों के निर्माण की योजना पर विचार करने के लिए सहमत हुआ था। इस योजना के लिए कुल परिव्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बढ़ाया जाना था, जिसमें से एक करोड़ रुपये का अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वीकृत करेगा, कालेजों के प्रबन्धक एक करोड़ रुपए की व्यवस्था करेंगे तथा विश्वविद्यालय कालेज कर्मचारियों के भविष्य निधि निवेश में से चार करोड़ रुपए का अग्रिम लेगा। विश्वविद्यालय को भविष्य निधि में से ली गई अग्रिम राशि ब्याज सहित, सरकार द्वारा वर्षवार दिए जाने वाले अनुदानों में से अनेक वर्षों में लौटाया जाना था। विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जानी थी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से सरकार को प्रस्तुत करनी थी।

(ख) और (ग) : मार्च, 1985 से अब तक 22 कालेजों से अनेक किस्तों में प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर अनुदान देने के लिए एक योजना बनाई गई है। इस योजना के लिए वित्तीय संस्वीकृति अभी प्रदान करनी है।

[हिन्दी]

सहायक स्टेशन मास्टर के पद के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण

2720. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सेवा आयोग की सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो क्या असफल प्रशिक्षणार्थियों के स्वयं के व्यय पर परीक्षा में पुनः बैठने का अवसर प्रदान किया जाता है और यदि वे पुनः भी सफल नहीं होते हैं तो क्या उन्हें सेवा में नहीं लिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे अभ्यर्थियों का निम्न स्तरीय पदों पर काम करने का अवसर प्रदान करने का है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां, साधारणतः लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षार्थियों को छोड़कर, जिन्हें दूसरा अवसर छात्रवृत्ति सहित तथा तीसरा अवसर बिना छात्रवृत्ति के दिया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा भरे गये अन्तर्राष्ट्रीय टेंडर

2721. **श्री के० एस० राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम ने कुछ देशों द्वारा आमंत्रित किए गए अन्तर्राष्ट्रीय टेंडरों को भर लिया था;

(ख) अब तक इन पर कितना घाटा हुआ है और क्या इस निगम को निकट भविष्य में लाभ होने के कोई आसार हैं; और

(ग) इसके लिए पूर्णकालिक चेयरमैन नियुक्त किए जाने में देर क्यों की गई है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) संचयी हानियां कोई नहीं हैं तथा यह अनुमान लगाया गया है कि निगम 1984-85 में लगभग 2.12 करोड़ रुपए का लाभ कमाएगा ।

(ग) पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

नगर पालिका कस्बों के अस्पतालों में शरीर की जांच तथा सिर की जांच करने की मशीनों की व्यवस्था की योजना

2722. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पूरे शरीर तथा सिर की जांच करने की कितनी मशीनें स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने की कोई योजना है कि बहुत कम समय के भीतर सभी नगर पालिका कस्बों में यह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए; और

(ग) यदि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से मिलकर ऐसी योजना निकट भविष्य में बनाएगी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार के पास पूरे शरीर तथा सिर की जांच करने की डब-स्केनिंग मशीनों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है जो देश में स्थापित कर ली गयी हैं वैसे, उपलब्ध सूचना के अनुसार, 26 संस्थाओं को सी० पी० स्केनर्स का आयात करने के लिए सीमा-शुल्क छूट दी गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) संसाधनों की कमी को देखते हुए ऐसी योजना तैयार करना सम्भव नहीं है ।

वर्ष 1985-86 के दौरान स्वीकृत बालवाड़ियां

2723. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या **समाज और महिला कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी बालवाड़ियां स्वीकृत की जाएंगी; और

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान कितने शिशु-गृह (क्रेश) स्वीकृत किये जाएंगे ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम विस्तार न किये जाने वाली और एक गैर-योजना स्कीम है । अतः 1985-86 के दौरान और बालवाड़ियां स्वीकृत करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

(ख) 1985-86 के दौरान 1000 नए शिशु सदनों के खोले जाने का प्रस्ताव है ।

बाल समस्या सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग

2724. **श्री मुरली देवरा** : क्या **समाज और महिला कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बाल अपराधियों के संबंध में विद्यमान कानूनों में गम्भीर त्रुटियां है और इससे सारे देश में काफी संख्या में बच्चे गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार बाल अपराधियों की समस्याओं की जांच करने के बारे में एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने और उसके लिए आदर्श विधान का सुझाव देने का है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) बाल अधिनियम, 1960 (केन्द्रीय) में जो सभी केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू हैं, 1978 में उपयुक्त संशोधन किया गया था जिससे कि अधिनियम में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। बाल अधिनियमों को लागू करना और बाल अपराधियों के लिए कल्याणकारी उपाय करना राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है।

(ख) इस समय, बाल समस्याओं पर राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी पोत कारखानों से जहाजों की खरीद

2725. **श्री अमल दत्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का देश में पोत कारखाना परिसर की स्थापना करने, जिससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि हमारी मांग भी पूरी होगी और बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार भी मिलेगा, के स्थान पर विदेशों से जहाजों की खरीद करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय को बदलने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) : नौवहन कम्पनियों को विदेशी कम्पनियों से जहाज खरीदने की अनुमति सभी पहलुओं की जैसे भारतीय शिपयार्डों की इस प्रकार के जहाज बनाने की क्षमता/सामर्थ्य, शिपिंग कम्पनियों का समान दायित्व, भारतीय शिपयार्डों द्वारा जहाज बनाने में लिया जाने वाला समय, विदेशी शिपयार्ड द्वारा दी जाने वाली आस्थगित ऋण की शर्तें, देशी शिपयार्ड की तुलना में विदेशी शिपयार्ड को दिया जाने वाला मूल्य आदि को भली-भांति जांच करने के बाद ही दी जाती है। चूंकि बजटीय कठिनाई और अन्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के कारण धन देना सम्भव नहीं है इसलिए एक अतिरिक्त शिपयार्ड स्थापित करना संभव नहीं है।

विद्युत वित्त और विकास निगम

2726. **श्री जयन्ती पटनायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में विद्युत और वित्त और विकास निगम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) नई परियोजनाएं शुरू करने के मामले में वित्त और विद्युत निगम की भूमिका क्या होगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) : विद्युत वित्त निगम स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव

2727. **चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसको किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) तत्संबंधी अन्य ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना का एक प्रस्ताव, शिक्षा मंत्रालय के सातवीं योजना के प्रस्तावों में शामिल किया गया है। ये प्रस्ताव अभी योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने हैं।

(ख) और (ग) : इन पर निर्णय के लिए, प्रस्ताव के अनुमोदन की प्रतीक्षा करनी होगी।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के माध्यम से समस्त खरीद करने के आदेश

2728. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने दिनांक 14-7-1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/14/80-वेलफेयर के माध्यम से सभी केन्द्रीय विभागों, उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और दिल्ली नई दिल्ली स्थित सरकार द्वारा वित्त पोषित और/अथवा नियंत्रित अन्य प्रतिष्ठानों को स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी और अन्य सभी सामान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता समिति लिमिटेड नई दिल्ली से खरीदना अनिवार्य कर दिया था;

(ख) क्या मन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाले सभी अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान उक्त आदेशों का पालन कर रहे हैं और इन मदों की खरीद उक्त समिति से कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त आदेश के अन्तर्गत आने वाले उन मन्त्रालय के अधीन सभी कार्यालयों की सूची सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(घ) आदेशों की शब्दशः क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : स्टेशनरी आदि खरीदने के बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेशों का पालन करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त/सांविधिक संगठनों को हिदायतें जारी की गयी थीं। इन आदेशों का पालन करने के बारे में स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

कामगारों के लिए विश्वविद्यालय

2729. **श्री चिन्ता मोहन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कामगारो के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त विश्वविद्यालय में कामगारों की समस्या को ठीक से समझने के लिए उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

शिक्षा की 10+2 प्रणाली

2730. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली की तुलना में हाल ही आरम्भ की गई 10+2 प्रणाली सुधारात्मक और प्रगतिशील होगी और यदि हां, तो किस रूप में;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर कुछ अतिरिक्त व्यय किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी कुल राशि कितनी होगी और इसे कहां से पूरा किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 1968 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई,

शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति संकल्प में, देश के लिए शिक्षा की एक नई सामान्य पद्धति की परिकल्पना की गई है। शिक्षा की इस नई पद्धति में शिक्षा की 10+2+3 पद्धति की परिकल्पना की गई है जिसमें कक्षा X तक सामान्य शिक्षा की सिफारिश की गई है, ताकि बच्चे अपने विकास के वर्षों में सर्वांगीण विकास के वास्ते अवसर प्राप्त कर सकें। भाषाओं, विज्ञान गणित और समाज-विज्ञानों के अध्ययन को कक्षा X तक अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य तथा शारीरिक-शिक्षा, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादनकारी कार्य तथा ललित-कलाओं को अनिवार्य विषय बना दिये गये हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर अर्थात् + 2 स्तर पर विविध पाठ्यक्रम, शैक्षिक तथा व्यावसायिक, दोनों, प्रदान किए गए है ताकि इस स्तर पर शिक्षा विस्तृत हो। शिक्षा की 10+2 पद्धति, निम्नलिखित के सम्बन्ध में पुरानी पद्धति में सुधार है :—

(i) सामान्य शिक्षा, सात अथवा आठ वर्षों जैसी कि यह पिछली पद्धति में थी, की बजाए दस वर्षों के लिए है।

(ii) पाठ्यक्रमों को शाखा में बांटने अथवा उवका विविधीकरण उस समय होता है जब बच्चा सोलह वर्ष का होता है और ज्ञान के सभी मुख्य क्षेत्रों में से अपनी रुचि तथा अभिरुचि के अनुसार चुनने के लिए इनसे परिचित होता है।

(iii) यह पद्धति, शैक्षिक अवसरों और समदृष्टि के बेहतर पहुंच को सुनिश्चित करती है, क्योंकि इसने विशिष्टता वाले पाठ्यक्रमों अथवा एकल विषय में दो स्तरों की सक्षमताओं वाले पाठ्यक्रमों का परित्याग किया है।

(iv) नई पद्धति और अधिक उन्मुख बनाई गई है, और या हर प्रकार के कार्य जिसमें शारीरिक-कार्य शामिल हैं, की ओर बेहतर अभिरुचि अभिवृत्ति के निर्माण में सहायक होता है और नीति-परक बेहतर कार्य को प्रोत्साहित करता है तथा छात्रों में रचनात्मक चेतना को विकसित करता है।

(v) 10+2 पद्धति का उद्देश्य छात्रों के बड़े समूह को कक्षा XII के अन्त तक उपयक्त रोजगारों के लिए तैयार करके व्यावसायिक विषयों की ओर अग्रसर करना है जिससे विश्वविद्यालयों पर भार कम हो सके। 10+2 शिक्षा पद्धति हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपनाई गई है। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर इन राज्यों ने सिद्धान्त रूप से 10+2 प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है तथा ये इस समय पाठ्यक्रमों, परीक्षा प्रणाली आदि को आवश्यक तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं।

(ख) और (ग) : स्कूल शिक्षा की 10+2 प्रणाली अपनाने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है।

नाथपा झाकरी परियोजना

2731. **श्री सुख राम** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत विभाग ने हिमाचल प्रदेश की नाथपा लाखारी पनबिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापन क्षमता कितनी होगी और बिजली की प्रति यूनिट अनुमानित उत्पादन लागत क्या होगी;

(ग) क्या राज्य और केन्द्र की सातवीं योजना में इसके व्यय के लिए वित्त व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और इसमें राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार का क्या-क्या अनुपात होगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) : नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना को, जिसमें 170-170 मेगावाट के छः यूनिट प्रतिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना है, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश के एक संयुक्त उपक्रम के रूप में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है जिसकी लागत और लाभों का बंटवारा क्रमशः 75 : 25 के अनुपात में किया जाएगा। बिजली घर के बस बार पर ऊर्जा की एक यूनिट की अनुमानित बिक्री लागत 34.5 पैसे है। निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने के संबंध में रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस परियोजना के लिए सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय योजना में 90.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इन्सुलेटरों पर बढ़े हुए उत्पाद शुल्क की अदायगी

2732. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक ने अपनी वर्ष 1983-84 की रिपोर्ट में एक मामले का उल्लेख किया है जिसमें भारतीय रेलवे द्वारा मद्रास और कलकत्ता पत्तनों के माध्यम से आयात किए गए एक जैसे इंसुलेटरों पर लिये जाने वाले शुल्कों की दरों में विसंगति के कारण बढ़े हुए उत्पादन शुल्क की अदायगी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस विसंगति को दूर करने और अदा किए गए अतिरिक्त शुल्क को वापस लेने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्तनों पर इंसुलेटरों के वर्गीकरण में की गयी विसंगति और धन-वापसी से सम्बन्धित विषय सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण, नयी दिल्ली की विशेष न्यायपीठ के विचाराधीन है तथा मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर जाली नामों में आरक्षित टिकटों की बिक्री

2733. **काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुली दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को गाड़ियों में सीट दिलाने और गाड़ियों में उनके लिए विशेषकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जयन्ती जनता एक्सप्रैस के लिए जाली नामों में आरक्षित टिकटों को बेचकर उनके नाम आरक्षण कराने के लिए काफी पैसा लेते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोगों को जयन्ती जनता एक्सप्रैस और कई अन्य गाड़ियों में आरक्षण प्राप्त करने के लिए दो महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) क्या ट्रैवल एजेंट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट अमृत कौर बाजार में खुले-आम रिश्वत लेकर टिकट बेचते है, जो जाली नामों पर आरक्षित कराई गई होती है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन मामलों की उच्चस्तरीय जांच के बाद कोर्ट कार्यवाही करने का है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है कि लाइलेन्सधारी भारिक गाड़ियों में, जिनमें जयन्ती जनता एक्सप्रैस भी शामिल है अनारक्षित डिब्बों में सीटें घेर लेते हैं और पैसे लेकर यात्रियों को दे देते है। लेकिन, इस तरह का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है कि भारिकों ने फर्जी नामों पर आरक्षित कराए हुए टिकट बेचे हों।

(ख) जयन्ती जनता एक्सप्रैस तथा अन्य गाड़ियों में सामान्यत: अल्प काल के नोटिस पर स्थान उपलब्ध हो जाता है। लेकिन गर्मी की छुट्टियों तथा त्योहार के व्यस्त दिनों में जब स्थान बहुत पहले बुक करा लिए जाते हैं, कुछ कठिनाई होती है।

(ग) इस बारे में कुछ शिकायतें नोटिस में आयी हैं कि नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने अमृत कौर मार्केट में यात्रा एजेन्ट जाली नामों पर बुक किए गए आरक्षित टिकटों की पुन: बिक्री करते हैं।

अनारक्षित सीटों घेराबन्दी तथा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए जोरदार उपाय किये जाते हैं। फरवरी से जुलाई, 1985 तक 31 व्यक्ति, जिनमें 6 लाइसेन्सधारी भारिक भी थे सीटें घेरने के मामले में पकड़े गये थे और उन्हें मुकदमा चलाने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इसके अलावा 12 दलालों को आरक्षित टिकटों की पुन: बिक्री करते हुए पकड़ा गया था और उन्हें राजकीय रेलवे पुलिस के सुपुर्द किया गया था।

[अनुवाद]

भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी राष्ट्रिकों की नियुक्ति

2734. श्री गुरुदास कामत
श्रीमती किशोरी सिंह
श्री सी० जंगा रेड्डी
: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों और उनके अनुसंधान कार्यक्रमों में विदेशी राष्ट्रिकों की नियुक्ति के संबंध में कुछ नए प्रतिबन्ध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) विश्वविद्यालयों द्वारा इस संबंध में सरकारी अनुदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या इन प्रतिबन्धों से शैक्षणिक स्वातंत्र पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी राष्ट्रिकों की नियुक्ति और उनके अनुसंधान कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत का दौरा करने वाले विदेशी अध्येताओं के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में भारत सरकार द्वारा पालन किये जा रहे अनुदेशों को अभी हाल ही में समेकित किया गया है ताकि उनका संदर्भ सुकर बन सके और ये सभी विश्वविद्यालयों/समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों आदि के कुलपतियों के ध्यान में उनके मार्ग दर्शन/अनुपालन के लिए ला दिए गए हैं। विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया है कि विदेशी राष्ट्रिकों की नियुक्ति के लिए तथा विदेशी अध्येताओं द्वारा शुरू की जाने वाली अनुसंधान परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लें। उक्त निर्धारित पद्धति के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रस्ताव अनुमोदित किये जाने के बाद, ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों के सम्बन्ध में भारत में प्रवेश के लिए वीजा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा जारी किया जाता है।

भाषाओं के विकास पर व्यय

2735. श्री हनुमान मोल्लाह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी तथा देश की अन्य भाषाओं के विकास पर वर्ष-वार कुल कितना व्यय किया गया तथा तत्सम्बन्धी भाषा-वार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : हमारे देश की हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए वर्ष-वार और और भाषा-वार

खर्च के विस्तृत ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपयों में)

	1982-83	1983-84	1984-85
हिन्दी	164.23	321.59	393.59
संस्कृत	254.25	306.58	346.04
उर्दू	26.07	30.21	40.33
सिन्धी	3.10	3.20	4.00
अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं	131.19	143.87	170.31

छिड़काव (स्प्रिंक्लर) सिंचाई योजना

2736. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि बड़े किसानों को छिड़काव सिंचाई के लिए दी जाने वाली राज सहायता समाप्त कर दी जानी चाहिए और भुगतान की अवधि को 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाना चाहिए;

(ख) यह योजना कब आरम्भ की गई और इसके अन्तर्गत कितने किसानों को लाभ पहुंचा;

(ग) अब तक कितनी राज सहायता दी जा चुकी है; और

(घ) क्या यह योजना धन और जल के रूप में लाभकारी है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : सिंचाई मंत्रालय ने अन्य उठाऊ साधनों के साथ छिड़काव सिंचाई प्रणाली के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 1982-83 में केन्द्र प्रायोजित स्कीम लागू की थी। इस स्कीम के अन्तर्गत छिड़काव सेटों के प्रतिष्ठापन के लिए लघु एवं सीमान्त किसानों तथा अन्य किसानों को भिन्न-भिन्न दरों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। 1982-83 से 1984-85 की अवधि के दौरान राज्यों को 2.16 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है।

(घ) अध्ययनों से पता चलता है कि जहां मिट्टी छिद्रिल है, भूमि असमतल है तथा जल संसाधनों की कमी है, उन क्षेत्रों में छिड़काव प्रणाली लागत-सार्थक है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनवईवेलू (गोबिकेट्टिपालयम) : महोदय, मैंने नियम 193 के अन्तर्गत दंड विधि (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत मानव हत्या के लिए मृत्यु दंड दिए जाने के बारे में चर्चा करने के लिए एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में हम लोग कार्य मन्त्रणा समिति में चर्चा करेंगे और इस पर निर्णय लेंगे।

श्री पी० कुलनवईवेलू : महोदय उसका सम्बन्ध दंड विधि (संशोधन) अधिनियम से है···

अध्यक्ष महोदय : हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मुझे आपका पत्र मिल गया है। किन्तु मेरे विचार से इसके बारे में इस समय चर्चा करना मेरे लिए संभव नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, इस सभा में दूरदर्शन के कार्य-निष्पादन पर चर्चा हुई थी और प्रधानमन्त्री ने सूचना और प्रसारण मंत्री को एक पत्र दिया था। वह समाचार-पत्र में प्रकाशित हो गया है। हम संसद सदस्य उसका पूरा पाठ जानने के अधिकारी हैं और यह जानना चाहते हैं कि दूरदर्शन के बारे में क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त नियत किये गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उसे सभा-पटल पर रखें अथवा नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपका ध्यान लोक-सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 370 की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी इसे पढ़ा है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, यदि मंत्री किसी पत्र का हवाला देता है तो वह दस्तावेज सभा-पटल पर रखा जाता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह दस्तावेज नहीं है। जी नहीं, महोदय।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया ने प्रधान मन्त्री के पत्र का एक अंश प्रकाशित किया था और हम लोग उस पत्र का पूरा पाठ जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे देखा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। अनुमति नहीं है। मैं सहमत नहीं हूं।

(व्यवधान) **

प्रो० मधु दंडवते : आप सहमत नहीं है, किन्तु यह बात उचित नहीं है, महोदय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रधान मन्त्री का पत्र है। वह अनेक पत्र लिखते हैं। मुझे पता है और मैंने उसे देखा है।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया नियम 370 पढ़िये।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हमारी मांग उस नियम के अन्तर्गत है। यहां तक कि यदि कोई मन्त्री भी हवाला दे तो हम यह मांग कर सकते हैं कि उसे सभा-पटल पर रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। मैंने उसे पढ़ा है। मुझे आपका पत्र प्राप्त हो गया है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या आप पत्रों के समाचार-पत्रों को पता लगाने की इस परिपाटी को पंसद करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर किन्हीं भी पत्रों को रखना उन पर निर्भर करता है। परन्तु मैं किसी भी पत्र को सभा-पटल पर रखने की मांग नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी स्वीकृति नहीं दी जाती है। मैं सहमत नहीं हूं।

अब पत्र सभा-पटल पर रखे जाएंगे।

12.05 म०प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

क्षेत्रीय इन्जीनियरी महाविद्यालय' दुर्गापुर का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) क्षेत्रीय इन्जीनियर महाविद्यालय, दुर्गापुर, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**कार्यवाही वृत्तांत में साम्मिलित नहीं किया गया।

(2) क्षेत्रीय इन्जीनियरी महाविद्यालय, दुर्गापुर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1271/85]

राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान के वर्ष 1983-84 और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 तथा योग 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेतन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1272/85]

(3) (एक) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—1273/85]

(5) (एक) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय योग अनुसधान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०— 1273/85]

नौवहन विकास निधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और उक्त समिति के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उपधारा (6) के अन्तर्गत नौवहन विकास निधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नौवहन विकास निधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०**---1274/85]

भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1985

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : मैं भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 27 अप्रैल, 1985 को अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 425 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०**—1275/5]

केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय से रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०**—1276/85]

12.07 प० म०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :

> "राज्य सभा के प्रतिक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 7 अगस्त, 1985 को हुई अगली बैठक में, लोक सभा द्वारा 24 जुलाई, 1985 को पारित किए गए राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, 1985 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है महोदय, मैंने इस विषय पर कुछ समय पहले एक प्रश्न की सूचना दी थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उस विषय के विरुद्ध नहीं हूं जिस पर अब सभा में चर्चा होने जा रही है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं उसके बारे में बहुत ही चिन्तित हूं। परन्तु मेरा मुद्दा यह है कि मैंने इसी विषय पर लगभग एक मास पूर्व एक प्रश्न की सूचना दी थी। कुछ दिन पूर्व मुझे आपके सचिवालय की प्रश्न शाखा से एक पत्र मिला था कि नियम 41(2) उप-खण्ड (19) के अधीन मेरे प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियम में कहा गया है :

> "(19) इसमें किसी मित्र देश का अभद्रता से उल्लेख नहीं किया जाएगा।"

अतः महोदय, यदि मेरे प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया गया था तो फिर उसी आधार पर इसे भी अस्वीकृत किया जाना चाहिए। मैं यह तो नहीं जानता कि इसे किस प्रकार स्वीकृत किया गया है। महोदय, मुझे आपका मार्ग दर्शन चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह इस पर चर्चा करने का समय नहीं है। आप मेरे प्रकोष्ठ में आकर इस पर मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं।

श्री पी० नामग्याल : ठीक है महोदय, मैं आकर आपके साथ इस पर विचार करूंगा। परन्तु महोदय, मुझे इस पर बोलने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। इस पर आपको बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री पी० नामग्याल : तो फिर महोदय, आप इस पर नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दे सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। बिना किसी वजह के, इसी विषय पर मेरे प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री नामग्याल जी क्या आप अब बैठ जायेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह एक वैध मुद्दा है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : आपको उन परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए कि इसे अस्वीकृत क्यों किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : हमसे गलती हो गई होगी।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री भट्टम बोलेंगे।

———

12.08 म० प०

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

[**अनुवाद**]

पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने के प्रयास और उसको संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा क्रिप्टन इलेक्ट्रानिक ट्रिगरों की सप्लाई से उत्पन्न स्थिति

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं विदेश मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

"पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने के प्रयास और उसको संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा क्रिप्टान इलेक्ट्रानिक ट्रिगरों की सप्लाई से उत्पन्न स्थिति तथा इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम का गैर-शांतिपूर्ण आयाम भारत के लिए चिन्ता का विषय रहा है। पाकिस्तान के नेताओं द्वारा किए गए दावों के विपरीत उपलब्ध प्रमाणों और पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के सार्वजनिक वक्तव्यों से यह पता चलता है कि पाकिस्तान नाभिकीय हथियारों को बनाने और बड़ी मात्रा में उन्हें रखने के लिए कहीं से भी साधनों को जुटाने के लिए प्रयास कर रहा है। सरकार कुछ देशों के इस खेदजनक रवैये से भी चिन्तित है जिन्होंने पाकिस्तान के इन प्रयासों को अनदेखा कर दिया है जिससे पाकिस्तान को इस दिशा में और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन ही मिलेगा।

इस सम्बन्ध में और विशेषकर पाकिस्तान द्वारा नाभिकीय उपकरणों और नाभिकीय पुर्जों की चोरी-छिपे खरीद के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में समय-समय पर छपी खबरों से हमारी इन आशंकाओं की और पुष्टि होती है। इस सिलसिले में वह पाकिस्तानी राष्ट्रिक एक

ताजा उदाहरण है जो संयुक्त राज्य अमरीका से पाकिस्तान को "क्राइट्रोन्स" की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। ए०ए०बी०सी० के संवाददाता जान स्कालो की हाल ही की यह रिपोर्ट भी इसका एक अन्य उदाहरण है जिसमें उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान ने एक गैर-नाभिकीय विस्फोट किया है जिसमें अमरीकी "क्राइट्रोन" का प्रयोग किया गया है। हालांकि अमरीकी विदेश विभाग ने स्कालो के उद्‌घाटनों पर कोई स्पष्ट बात नहीं कही है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति रीगन के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका पाकिस्तान को इस रास्ते पर आगे न बढ़ने से रोकने पर जोर देगा।

इस सम्बन्ध में हमने अपनी चिन्ता से विभिन्न अवसरों और विभिन्न स्तरों पर पाकिस्तान सरकार को पहले भी अवगत कराया है और पाकिस्तान के विदेश सचिव की हाल की यात्रा के दौरान भी इसे दोहराया गया था।

सरकार इस संभावना से चिन्तित है कि अगर पाकिस्तान नाभिकीय अस्त्र अर्जित कर लेता है तो इससे हमारे क्षेत्र के सुरक्षा पर्यावरण में गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही नाभिकीय प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वचनबद्ध है लेकिन हम अपने पड़ौस की इन घटनाओं को अनदेखा नहीं कर सकते जिनका हमारी सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार उन सभी घटनाओं पर निरन्तर निगाह रख रही है और बराबर रखती रहेगी जिनका हमारे देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता हो।

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : पाकिस्तान बहुत तेजी से परमाणु शक्ति बन रहा है और नाभिकीय क्षमता प्राप्त कर रहा है। पाकिस्तान इस संबंध में हर सम्भव प्रयास कर रहा है और परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। हमारे प्रधान मंत्री ने हाल ही में कहा है कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने के बहुत नजदीक पहुंच गया है। वास्तव में, इसने पहले ही बम प्राप्त कर लिया है; और उसने बम पहले से बना लिया है और उसके पास है।

अमेरिकन ब्रोडकास्टिंग कार्पोरेशन ने हाल ही में यह घोषणा की है कि पाकिस्तान ने काहुटो नाभिकीय कम्पलैक्स में क्राइटोन इलक्ट्रोनिक ट्रिगर्स की सहायता से सफलतापूर्वक परमाणु बम विस्फोट का परीक्षण किया है।

इससे स्थिति बदल गई है और दक्षिण एशिया में सैनिक और राजनैतिक दृष्टि से सन्तुलन बिगड़ गया है। पाकिस्तान के राजदूत ने हाल ही में कहा है कि पाकिस्तान ने एक वर्ष में दो परमाणु बम बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है।

पाकिस्तान के पास पांच नाभिकीय संस्थापन हैं, जिनमें से केवल एक ही का सुरक्षा की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण किया जा सकता है।

12.10 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[श्री एस०एम० भट्टम]

पाकिस्तान ने काहुटा में एक यूरेनियम संवर्धन संयंत्र स्थापित किया है। यह संयंत्र परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक 90 प्रतिशत समृद्ध युरेनियम का उत्पादन करता है। पाकिस्तान ने प्लुटोनियम बनाने की क्षमता की रिप्रौसेसिंग सुविधा का भी निर्माण किया है जिसका परमाणु बम बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए वस्तुतः यह पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का शक्ति केन्द्र है। अब इससे भी बढ़कर पाकिस्तान ने नाभिकीय विस्फोट के लिए ट्रिगरिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वास्तव में वह बम का भी विस्फोटित कर सकता है।

इसके साथ ही, हम यह भी नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान हमारे देश पर तीन बार हमला कर चुका है। और इस तरह यह देश की सुरक्षा और स्वतन्त्रता के लिए, वास्तविक रूप से खतरा बन गया है। हमें इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री के क्या विचार हैं ? सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ? एक बार प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह इस बारे में काफी चिन्तित हैं। उन्होंने इस बारे में देश की चिन्ता व्यक्त की और असल में यह भी कहा कि इससे इस उपमहाद्वीप में सैनिक सन्तुलन में भारी परिवर्तन हो जाएगा। इस बारे में हम वास्तव में क्या करने जा रहे हैं ? यह कहना कोई अच्छी बात नहीं है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं या हमें इस बारे में क्या करना है और हमने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। एक बार प्रधान मन्त्री ने यह वक्तव्य दिया था। मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में हिचकिचाहट नहीं दिखाई जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की अस्पष्टता, अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए और हमें इस मामले में सुस्पष्ट होना चाहिए। हमारे निर्णय दृढ़ और सुस्पष्ट होने चाहिएं और राष्ट्र को उनकी जानकारी होनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा सोचती है तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रीमण्डल में इस पर क्या विचार किया गया है ? क्या सत्ताधारी दल ने इस पर विचार किया है, अगर हां तो क्या निर्णय लिया है ? क्या सरकार ने विपक्ष को इस सम्बन्ध में विश्वास में लिया है और विपक्षी नेताओं से अपने विचार रखने के लिए कहा है ? सरकार खुद ही इस विषय पर एक श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर देती और उस पर चर्चा क्यों नहीं करवाती ? क्या इस विषय पर हम राष्ट्रीय सहमति प्राप्त नहीं कर सकते? मैं समझता हूं कि इस विषय पर जल्द ही राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करनी आवश्यक है और सभी सम्बन्धित पक्षों द्वारा और हमारे देश का हित चाहने वाले सभी लोगों द्वारा, लिए गए किसी ठोस निर्णय के आधार पर हम अपनी वांछित दिशा में चल हैं, उस दिशा में जिस पर फैसला किया गया है।

हमारे सामने दो या तीन विकल्प हैं। या तो हम बम बनाएं या एक बार फिर अपने नैतिक निश्चय को दोहराएं कि हमारी परमाणु हथियारों में दिलचस्पी नहीं है, पर फिर हम किसी दूसरे देश के संरक्षण में जायें, जिसके लिए हम तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमारा एक गुट-निरपेक्ष राष्ट्र है और हम गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के संचालक-सदस्य हैं। यहां प्रश्न यह नहीं है कि क्या हम परमाणु बम बनाने का खर्चा वहन कर सकते हैं या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या

हम बिना परमाणु बम के रह सकते हैं ? श्रीमन्, पिछले अनुभवों से हमें पता चलता है कि हमें इस बारे में आत्म-निर्भर बनना होगा। आइये, देखें पाकिस्तान क्या कहता है ? पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहते हैं कि उन्हें परमाणु बम बनाने का पूरा अधिकार है। वास्तव में, वे कहते हैं कि भारत ने इस बारे में पाकिस्तान के विरुद्ध विश्व-अभियान चला रखा है, लेकिन वे पीछे नहीं हटेंगे और इस दिशा में आगे ही बढ़ते जायेंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस बारे में स्पष्ट वक्तव्य दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान को 1985-87 के बाद भी अमेरिका से भारी मात्रा में सैनिक सहायता मिलती रहेगी।

अगर मैं थोड़ा अतीत में जाऊं तो, हमें याद आएगा कि एक बार श्री भुट्टो ने कहा था कि अगर पाकिस्तान को घास और पत्तों पर भी गुजारा करना पड़े तो भी वह परमाणु बम अवश्य बनायेगा। उनका यही मूल इरादा है।

पाकिस्तान की सेना ने भारत की वायु सीमा का अनेक बार उल्लंघन करके लद्दाख के सियाचेन हिमनद क्षेत्र का अतिक्रमण किया। इस क्षेत्र में भीषण मौन युद्ध भी चल रहा है। पाकिस्तान काराकोरम दर्रे के निकट के क्षेत्र को अपने कब्जे में करने की फिर कोशिश कर रहा है। इस समय पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों की ऐसी स्थिति है।

आइए, अब हम दूसरे पड़ौसी देशों के साथ अपने संबंधों का विवेचन करें। चीन के साथ हमारे संबंध अभी मधुर नहीं बने हैं। यहां तक कि बंगला देश के साथ भी हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। हाल ही में अमेरिका ने चीन से एक समझौते अर्थात् परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समाचार पत्रों को दिए गए ब्यौरे के अनुसार इस समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि चीन इस परमाणु तकनीक और अन्य नाभिकीय उपकरणों को अपनी इच्छा से दूसरे देश को न दे सके। हमें इस बारे में अच्छी प्रकार से पता है कि चीन कुछ समय से इस तकनीक और परमाणु बम बनाने की विधि की जानकारी दूसरे देशों को दे रहा है।

अतः आज स्थिति यह है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें निर्णय लेना होगा। प्रधान मंत्री ने हाल ही में विदेश यात्रा के दौरान और उसके बाद जो घोषणाएं की हैं, उनको मैंने सावधानीपूर्वक समझने की कोशिश की है। शायद सन्तुष्ट होने का उनके पास कोई कारण रहा हो। अमरीका के राष्ट्रपति के साथ सम्भवतः उनकी कई बार लम्बी बातचीत हुई है और शायद वे इस बात से सन्तुष्ट हैं कि अमरीका के राष्ट्रपति ऐसे सभी कदम उठायेंगे, जिससे पाकिस्तान बम न बना सकें। यही बात वह अक्सर स्पष्ट करते रहे हैं। मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य अभी पढ़ा है, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को परमाणु बम न बनाने के लिए कहेंगे और इस बारे में कोशिश भी करेंगे।

ऐसी स्थिति में, मेरे जैसे व्यक्ति के दिमाग में कुछ शंकाएं आना स्वाभाविक है। क्या अमरीका ही पाकिस्तान को परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं उकसाता और प्रेरणा देता रहा है ? खुद अमरीका ही उसे सहयोग, प्रेरणा आदि देने लिए जिम्मेदार है। अमरीका से ही

[श्री एस०एम० भट्टम]

क्राइटोन ट्रिगर प्रणाली की तस्करी की गई है। क्या उन्हें परमाणु बम बनाने के लिए तकनीक मुहैया करना ही काफी नहीं है ? मगर ऐसा है तो हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि अमरीका अवश्य ही हमारी सहायता के लिए आयेगा और हमारे पक्ष का प्रभावी रूप से समर्थन करेगा और पाकिस्तान को परमाणु बम न बनाने के लिए कारगर रूप से रोक लगायेगा ?

हमारा पिछला अनुभव क्या रहा है ? यह क्या कहता है ? पहले, अमरीका ने पाकिस्तान को भारी मात्रा में सैनिक सहायता प्रदान की और उन्होंने कई बार दोहराया है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता का प्रयोग भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा। लेकिन इसे कभी निभाया नहीं गया। उनको दी गई सैनिक सहायता का प्रयोग निश्चित रूप से भारत के विरुद्ध किया गया। इसके अलावा, पहले, जब पाकिस्तान ने हम पर तीन बार हमला किया तो अमरीका ने मैत्रीपूर्ण, सहयोगपूर्ण और सहायतापूर्ण रवैया नहीं अपनाया। इस देश के प्रति उसने शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया।

मैं, इस सन्दर्भ में अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री निक्सन का हवाला देना चाहता हूं। उन्होंने एक पत्रकार सम्मेलन में एक दफा कहा था कि 1971 के दौरान अमरीका भारत के विरुद्ध परमाणु हथियार इस्तेमाल करना चाहता था। भारत के विरुद्ध अमरीका का ऐसा रवैया रहा है। अगर ऐसा है तो हम अब अमरीकी राष्ट्रपति की बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं ? हाल ही में, जब पाकिस्तान अपनी यूरेनियम समता बढ़ाना चाहता था और एक संयंत्र स्थापित करना चाहता था, तो तत्कालीन अमरीका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देनी बन्द कर दी थी। लेकिन इसके बाद अमरीका के नये राष्ट्रपति श्री रीगन ने यह प्रतिबन्ध हटा कर पाकिस्तान को पुनः सैनिक सहायता देनी आरम्भ कर दी। ऐसी स्थिति अमरीका द्वारा इस बारे में दिए गए आश्वासन पर विश्वास करने का कोई लाभ नहीं है।

यह आवश्यक है कि हम इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र निर्णय लें और जहां तक हो सके अपने हितों की रक्षा करते हुए आवश्यक उपाय करें। और हम इस महत्वपूर्ण मामले पर किसी भी प्रकार से हिचकिचाहट महसूस न करें, जो इस राष्ट्र के भविष्य और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि परमाणु हथियारों से सुरक्षा नहीं बढ़ती है और न ही उनसे पर्याप्त सुरक्षा हो सकती है। लेकिन कुछ देशों के अनुभव से इस तर्क को बिलकुल झुठला दिया गया है।

मध्य युरोप और रूस-चीन सीमा पर स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु हथियार सहायक बने हैं। इसके अलावा सुरक्षा के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। आजकल ईरान-इराक में युद्ध चल रहा है। लोग पूछ सकते हैं कि अगर इन दोनों देशों के पास परमाणु हथियार होते तो, क्या स्थिति होती ? उत्तर सरल है। उस स्थिति में, शायद युद्ध ही न

होता। अगर जापान के पास परमाणु बम होता तो शायद अमरीका जापान पर बम गिराने का जोखिम न उठाता। रूस और अमरीका द्वारा आतंकवाद के संतुलन को बनाए रखने के लिए ही वे शांति और सहअस्तित्व बनाए रखें हुए हैं।

इस मामले पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले कुछ नए मुद्दों पर अध्ययन करना होगा। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि देश की स्वतन्त्रता, सुरक्षा और एकता से अधिक किसी अन्य बात को पवित्र, परमपावन नहीं है। इस देश की सुरक्षा और एकता के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने जरूरी हैं, वे उठाने चाहिएं अवश्य उठाये जाने चाहिएं और इससे पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार को इस मामले में राष्ट्र की गरिमा को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसे सावधान रहना चाहिए और समय की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

श्री खुर्शीद आलम खां : हम माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावों से पूरी तरह सहमत हैं तथा उन्होंने जो कुछ कहा है, हमने उसे गम्भीरता ने नोट कर लिया है। क्या यह सच है कि सभी प्रमाणों से पता चलता है कि पाकिस्तान का आण्विक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण नहीं है। वास्तव में जो कुछ वे पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं तथा जो दावे कर रहे हैं उनसे प्रकट होता है कि उनका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण नहीं है। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि यूरेनियम को समृद्ध बनाना वास्तव में पाकिस्तान के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि उनके रिएक्टर को प्राकृतिक यूरेनियम तथा हैवी वाटर चाहिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है कि समृद्ध यूरेनियम केवल पांच प्रतिशत है जो कि शस्त्रों के ग्रेड का नहीं है। परन्तु एक बार वे इस तकनीक से परिचित हो जाते हैं, चाहे यह 5 प्रतिशत हों अथवा 95 प्रतिशत हो, तो वह उसका उपयोग मनचाहे के रूप में कर सकते हैं।

हमें आशंका है कि उनका कार्यक्रम उतना शान्तिपूर्ण नहीं है, वे करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। उनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। पाकिस्तान तरह-तरह के वक्तव्य देता है वे एक साथ कभी शान्ति की बात करते हैं और कभी क्रोध दिखाते हैं। एक ओर कहते हैं कि उनके सभी कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हैं और दूसरी ओर वे कहते हैं कि उन्हें बम बनाने का अधिकार है। उनके पास समृद्ध यूरेनियम है। उनके वैज्ञानिक दावा करते रहे हैं वे अपना उद्देश्य प्राप्त करने की स्थिति में हैं। स्वाभाविक रूप से यही उनका उद्देश्य है। परन्तु न तो उनका कार्यक्रम न ही उनके इरादे शान्तिपूर्ण हैं।

यह सही है कि जॉन स्काली ने बी०बी०सी० से समाचार दिया है कि पाकिस्तान विस्फोट के लिए किस सामग्री का उपयोग कर रहा है। मैं समझता हूं उनके अपने संबंध हैं। वे संयुक्त राष्ट्र संघ में अमरीका के राजदूत रहे हैं। उनके कथन कर कुछ आधार है। एक अन्य पत्रकार श्री हर्ष ने भी ऐसा ही वक्तव्य दिया है। हमारी सरकार इन सभी बातों को गम्भीरता से देखती है परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अपने विकल्प हैं। मैं विवरण नहीं बता पाऊंगा कि हमारी योग्यताएं और क्षमतायें क्या हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी क्षमता 1974 में प्रदर्शित हो गई थी परन्तु हम ऐसे दावे नहीं करते जैसे कि सीमा पार के वैज्ञानिक करते आ

[श्री खुर्शीद आलम खां]

रहे हैं कि आण्विक कार्यक्रम में वे भारत से बहुत आगे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यदि उन्हें यह भ्रम है तो मैं उन्हें उसी भ्रम में रहने देना चाहता है।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि भारत कभी भी किसी देश से आण्विक संरक्षण नहीं लेगा और हमें अपनी तैयारी, अपनी सेनाओं पर अपनी योग्यता तथा क्षमता पर विश्वास है। हमें किसी अन्य देश से संरक्षण की आवश्यकता नहीं हैं।

मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में हमें अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। यह सही है कि पाकिस्तान को अमरीका से भारी सहायता मिलती रही है। 1981 में उन्हें 3.2 बिलियन डालर की सहायता मिली थी उसमें से 50 प्रतिशत सहायता आधुनिकतम तथा आक्रामक शस्त्रों के लिए दी गई। हमें चला है कि पाकिस्तान 1981 से 6 वर्षों के लिए अर्थात् 1987 तक अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि उन्हें 4.5 बिलियन डालर की एकमुश्त सहायता भी दी जा सकती है। हमें पता चला है कि अमरीका पाकिस्तान को अतिरिक्त सहायता देने को राजी हो गया है। यह भी सच है कि पाकिस्तान आण्विक कार्यक्रम के लिए कई देशों से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। एक उदाहरण नजीर अहमद वैद्य का है जिसने ह्रोस्टन से 50 कायट्रॉन (परमाणु गैस) की तस्करी करने की चेष्टा की तथा उस पर अभियोग चलाया गया। ऐसे अभियोगों में लगभग 20 वर्ष का कारावास दिया जाता है, परन्तु उसे केवल दो वर्ष की सजा दी गई और बाद में उसे भी पहले भुगत ली गई सजा तक घटा दिया गया। उसे तीन महीनों के भीतर उसके देश वापस भेज दिया गया।

मैंने श्री निक्सन के उस वक्तव्य को देखा है जिसमें उसने 1971 में बम के उपयोग किए जाने का इरादा व्यक्त किया था। वही यह व्याख्या कर सकते हैं कि उनका यह कहने का अभिप्राय क्या था तथा उसे वह कैसे तथा किसके विरुद्ध उपयोग में लाना चाहते थे।

मै माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत की सुरक्षा की किसी भी तरह उपेक्षा नहीं की जाएगी। इस बारे में कोई आत्म तुष्टि नहीं रखी जा सकती। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था हमारे विकल्प स्पष्ट और निश्चित हैं, निश्चय ही हम ध्यान देंगे कि जो भी हमारे विकल्प हों, वे ऐसे हों कि भारत की सुरक्षा, एकता तथा अखण्डता हर मामले में, हर स्तर पर तथा किसी देश के मुकाबले में सुरक्षित तथा सुनिश्चित हो।

श्री एस० एम० भट्टम : मन्त्री महोदय ने प्रकट किया है कि पाकिस्तान द्वारा आणविक क्षमता के अधिग्रहण से हमारे क्षेत्र में सैनिक संतुलन में गुणात्मक तथा व्यापक परिवर्तन हुए हैं। प्रधान मंत्री ने भी सहमति व्यक्त की है। हमारे लिए इस मामले में तटस्थ रहना कठिन है तथा हमें उसका मुकाबला करना होगा। ऐसी स्थिति में आपके समक्ष बहुत से विकल्प हो सकते हैं।

फिर आपको इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से दृढ़ और विशिष्ट निर्णय लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं यदि हां, तो कब ?

रक्षा मंत्री ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते समय पाकिस्तान की परमाणु क्षमता का उल्लेख किया उन्होंने इस मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवाद की भी मांग की। क्या सरकार की वर्तमान नीति इस मामले में राष्ट्रीय सहमति अर्जित करने की नहीं है। क्या सरकार इस मामले में किसी भी अन्य व्यक्ति को शामिल किए बिना स्वयं निर्णय लेना चाहती है ? क्या आप सभी बातों को गोपनीय तथा अपने तक ही गुप्त रखना चाहते हैं ? क्या वे देश के भविष्य पर किसी राजनीतिक पार्टी अथवा व्यक्ति से परामर्श किए बिना अपने तक सीमित रखना चाहते हैं ? इसे स्पष्ट किया जाए।

श्री खुर्शीद आलम खां : शुरू में मैंने बताया था कि सरकार सभा में व्यक्त माननीय सदस्यों के भावों पर अवश्य ही ध्यान देगी। मैंने बताया है कि सरकार के विकल्प खुले हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इन विकल्पों को प्रकट करने के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि इन मामलों में हम अधिक विस्तार में नहीं जायेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : महोदय, मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। हालांकि अमरीकी विदेश विभाग श्री स्काली द्वारा रहस्योद्घाटन के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं कह रहा है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति रीगन के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत के परिणामस्वरूप अमरीका पाकिस्तान को इस रास्ते पर आगे न बढ़ने पर जोर देगा। हमारे प्रधान मंत्री ने अमरीका की यात्रा की तथा वहां पर राष्ट्रपति रीगन से उपयोगी तथा अर्थपूर्ण चर्चा हुई, मैं चाहता हूं कि इनकी आशा सच निकले। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने से रोका जाए परन्तु इस सन्दर्भ में मैं नहीं समझ पाया कि पाकिस्तान इन उपकरणों को कैसे प्राप्त कर पाया। वे कहते हैं कि उनकी अमरीका से तस्करी की गई। यह कैसे संभव है कि इतने कठोर सुरक्षा उपायों के बावजूद वे इसकी तस्करी करने में सफल हुए। मैं ऐसा सोचने से रह नहीं सकता कि इसके पीछे अमरीका की मौनानुमति है। मैं गलत हो सकता हूं परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह मामला अमरीका सरकार के साथ उठाया गया है। यदि इन आण्विक उपकरणों को पाकिस्तान चोरी अथवा तस्करी द्वारा प्राप्त कर रहा है तो क्या अमरीका का यह कर्तव्य नहीं है कि पाकिस्तान को बम बनाने से रोके ? मैं जानना चाहता हूं कि हम क्या हम यह मामला अमरीका के साथ उठा रहे हैं। जो भी स्थिति हो तथ्य यह है कि पाकिस्तान आणविक देश बन गया है। उन्होंने पहले ही गैर-आण्विक विस्फोट किया है। परमाणु बम तैयार करने के लिए यह पर्याप्त है। हाल ही में समाचार पत्रों में एक समाचार पढ़ा था जिसमें एक प्रमुख पाकिस्तानी वैज्ञानिक ने बताया था कि उनका देश उन पांच छः देशों में है जो यूरेनियम को समृद्ध बना सकते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बताया कि वे यूरेनियम को केवल 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक समृद्ध और शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए बना रहे हैं। अतः इस बारे में कोई सन्देह नहीं कि पाकिस्तान ने आण्विक बम बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है। तथ्य यह है कि वे आणविक बन गये हैं। उस स्थिति में हमारी क्या नीति होनी चाहिए ? इस पर हमें विचार

[प्रो० पी०जे० कुरियन]

करना है। क्या हम परमाणु बम बनाने की हानि या लाभ के बारे में सोचकर ही समय नष्ट करते रहेंगे। क्या हम इन तथ्यों के प्रति आंखें मूंद सकते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि हमें आण्विक नहीं बनना चाहिए क्योंकि इस पर बहुत व्यय होगा? मैं समझता हूं मुख्य बात यह है कि क्या हम वर्तमान संदर्भ में आणिवक न बनना बरदाश्त कर सकते हैं। मेरे से पूर्व बोलने वाले सदस्य ने विस्तार पूर्वक बताया है कि शक्ति असंतुलन से सुरक्षा में बाधायें पैदा हो सकती हैं। अत: हमारे पास विकल्प क्या है? क्या हम पाकिस्तान के राष्ट्रपति के इस वक्तव्य पर विश्वास कर सकते हैं कि पाकिस्तान आण्विक बम नहीं बनाएगा? अथवा बम बनाने की दशा में वे उसे हमारे विरुद्ध उपयोग में नहीं लाएगा, अथवा राष्ट्रपति रीगन अथवा कोई अन्य देश पाकिस्तान को हमारे विरुद्ध बम का उपयोग करने से रोक सकेगा परन्तु यदि हम पूर्व अनुभव के आधार पर देखें तो उत्तर अत्यन्त स्पष्ट है। मैं उत्तर का उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि यह हर एक को अति स्पष्ट है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वे पाकिस्तान के साथ आण्विक मुक्त क्षेत्र इत्यादि कोई करार करना चाहते हैं। यदि ऐसा करार होता भी है, तो भी पाकिस्तान पहले की तरह और गुप्त रूप से विस्फोट कर सकता है, और आण्विक शस्त्रों का निर्माण कर उन्हें गुप्त रूप से रख सकता है। अत: पाकिस्तान के साथ परमाणु मुक्त क्षेत्र करार अथवा कोई अन्य करार उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। मंत्री महोदय ने इस बात की संभावना से पहले ही इन्कार कर दिया है कि हम किसी अन्य देश से आण्विक संरक्षण प्राप्त करेंगे क्योंकि इससे हमारी स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जाएगी? अत: हमारे समक्ष क्या विकल्प है? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें।

मंत्री महोदय ने पहले ही बताया है कि हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की बुद्धिमता से हमने 1974 में आण्विक विस्फोट करने की क्षमता प्राप्त कर ली थी।

हम सभी जानते हैं कि हमारे स्पष्ट आश्वासन के बावजूद कि हमारा इरादा आण्विक बम बनाने का नहीं है तथा हमारी आण्विक क्षमताओं का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाएगा, कुछ देशों ने कितना कड़ा विरोध किया था। उसके परिणामस्वरूप कनाडा ने जो सहायता हमारी आण्विक परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित की थी, उसे वापस ले लिया। अब जब पाकिस्तान ने विस्फोट किया है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है? अत: जो भी स्थिति हो हमारे पास आण्विक शस्त्र बनाने की तकनीकी क्षमता है। हमारे पास यूरेनियम को समृद्ध बनाने की प्रक्रिया न भी हो, परन्तु मुझे विश्वास है कि हमारे पास प्लूटेनियम न केवल आण्विक बम बनाने के लिए है अपितु हाईड्रोजन बम के लिए भी है। हमारे पास पर्याप्त क्षमताएं तथा तकनीकी जानकारी है।

इस संदर्भ में प्रश्न यह है कि हम क्या कर सकते हैं अथवा हमें क्या करना है? क्या हम अपने देश को पाकिस्तान द्वारा अपने देश का आण्विक बलैकमेल करने के लिए असहाय छोड़ सकते

हैं? आण्विक अस्त्र-मात्र युद्ध का अस्त्र नहीं है। इसका सर्वाधिक महत्व है। आण्विक शक्ति सम्पन्न देश निश्चय ही अन्य देशों की तुलना में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रेष्ठ स्तर का माना जाता है। हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत से विवाद पड़े हुए हैं हम आण्विक पाकिस्तान का सामना कैसे कर पायेंगे तथा पाकिस्तान के बारे में हमारी स्थिति क्या होगी। उस स्थिति में मुझे विश्वास है न केवल शक्ति संतुलन मे परिवर्तन के कारण अपितु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारी स्थिति कमजोर रहेगी।

अतः इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमाणु हथियारों का उपयोग ही क्या है; आप उन्हें इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसे इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती। अमेरिका और सोवियत संघ के पास परमाणु हथियार हैं। अमेरिका सोवियत संघ के विरुद्ध परमाणु हथियार क्यों नहीं इस्तेमाल करता? कारण बहुत सरल है। परमाणु हथियारों के आत्मघाती स्वरूप के कारण ऐसा है। अगर अमेरिका सोवियत संघ के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग करता है तो, उन्हें डर है कि इससे उनका अपना विनाश हो जाएगा। अतः वे इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के विरुद्ध यह सबसे बड़ा निवारक है। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूं। हमें पिछले कई वर्षों का पाकिस्तान का अनुभव है। हम उनके आश्वासन पर भरोसा नहीं कर सकते। हम उनके तर्क पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर उनके पास परमाणु हथियार हों तो कौन उन्हें इस्तेमाल करने से रोक सकता है? अमेरिका उन्हें इनके इस्तेमाल न करने के लिए उन्हें कभी भी राजी नहीं कर सकता। परमाणु हथियारों को इस्तेमाल न करने, में सबसे बड़ा निवारक, वह खतरा है, जो खुद इससे पैदा होगा। अतः अगर हमारे पास भी परमाणु हथियार होंगे तो, यही खतरा सबसे बड़ा निवारक होगा। अतः इस सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि, क्या हमें परमाणु हथियार नहीं बनाने चाहियें? इन्हें इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देश इनका हमारे विरुद्ध इस्तेमाल न कर सकें, सरकार के पास दोनों रास्ते है। मंत्री महोदय को लोगों को और इस सभा को विश्वास में लेकर घोषणा करनी चाहिए कि इन उपायों का प्रयोग किया जाएगा, ताकि देश की एकता, अखण्डता और प्रभुसत्ता बनाये रखी जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने जा हैं? हमारा देश एक गुट-निरपेक्ष देश है; हम गुट-निरपेक्षता के समर्थक हैं। हम किसी दूसरे देश की परमाणु छत्रछाया में नहीं रह सकते। अतः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि: "अगर आप परमाणु हथियार नहीं बनाते हैं तो आप दूसरा क्या वैकल्पिक उपाय करने जा रहे है? मैं मंत्री महोदय से इस बारे में जानना चाहता हूं।

श्री खुर्शीद आलम खां : जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे अपने विकल्प हैं, हम इस सभा के माननीय सदस्यों के विचारों को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं। यह सही ही है कि इस प्रकार के मामलों में सरकार को इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अतः यही काफी है कि अगर मैं कहूं कि हमने अभी विकल्प रखा हुआ है और हम माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को उच्च प्राथमिकता देते हैं।

[श्री खुर्शीद आलम खां]

यह सत्य है कि जब हमारे प्रधानमंत्री अमरीका में थे तो उन्होंने राष्ट्रपति रीगन से इस बारे में बातचीत की थी और राष्ट्रपति ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे पाकिस्तान को इस बात के लिए राजी करेंगे कि वे परमाणु शक्ति का गैर-शांतिपूर्ण कार्यों में इस्तेमाल न करे। मुझे आशा है कि एक लोकतांत्रिक महान देश के राष्ट्रपति की हैसियत से राष्ट्रपति रीगन द्वारा दिया गया यह आश्वासन पूरा किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि वे मामले पर आगे कार्यवाही करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जहां तक सम्भव हो सके इस आश्वासन को पूरा किया जाए। यह सत्य है कि क्राइट्रोन और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। मैंने पहले ही कहा है कि पाकिस्तान विभिन्न स्त्रोतों से इन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। अन्यथा जैसा कि उनके साथी ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए हाल ही में किया गया विस्फोट सम्भव न हो पाता। इसके बिना वे ऐसा नहीं कर पाते। यह भी आवश्यक नहीं है कि इस्तेमाल करने से पहले बम का परीक्षण किया ही जाए। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि हिरोशिमा पर 30 वर्ष पूर्व जो बम गिराया गया, उसका पूर्व परीक्षण नहीं किया गया था। केवल उपकरणों की ही जांच की गई थी और एक दफा यह सुनिश्चित हो गया कि उपकरण संतोषजनक हैं तो यह निर्णय ले लिया गया कि बम भी प्रभावी होगा।

पाकिस्तान चाहे जो कुछ भी करता या करता रहे, वह हमारे निर्णय पर प्रभाव नहीं डाल सकता। हम अपने देश के हित में, अपने देश की एकता, अखण्डता और प्रभुसत्ता के हित में जो भी निर्णय लेंगे, उस पर पाकिस्तान प्रभाव नहीं डाल सकता। हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें क्या कार्यवाही करनी है और इस संदर्भ में पाकिस्तान या कोई अन्य देश हम पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा। पाकिस्तान के वैज्ञानिक श्री ए०क्यू० खान ने कहा है कि पाकिस्तान उन 5-6 देशों में से एक है जिनके पास यूरेनियम समृद्ध करने की तकनीक या जानकारी है। मैं नहीं जानता कि वे भी इस क्लब में शामिल हो गये हैं। ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हालांकि हमारे देश में उच्च श्रेणी के वैज्ञानिक हैं, वे ऐसा दृढ़ दावा कभी नहीं करते और न ही इस प्रकार बोलते है। सीमा के उस पार इस प्रकार का जनजीवन है, उनके वैज्ञानिक सामान्यत: ऐसा करते हैं, वे ऐसा करते रहें और अगर वह इस भ्रान्ति में रह रहे हैं कि वे हम से कहीं अधिक विकसित हैं तो उन्हें इस भ्रान्ति में ही रहने दिया जाए और जब उन्हें स्थिति का मुकाबला करना पड़ेगा तब उनके होश ठिकाने आ जायेंगे।

जहां तक परमाणु मुक्त क्षेत्र का संबंध है, यह सुझाव पाकिस्तान की ओर से आया था। परमाणु मुक्त क्षेत्र या शांति क्षेत्र संबद्ध क्षेत्र के देशों में पारस्परिक विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप ही बनाया जा सकता है। बिना किसी से सलाह किये पाकिस्तान ने 1975 में संयुक्त संघ में इस मुद्दे को उठाया। तब यह कैसे हो सकता है कि इस क्षेत्र को शान्ति क्षेत्र घोषित किया जाए? अगर शांति क्षेत्र बनाना ही है तो यह संबंधित देशों के लोगों की सर्वसम्मत राय से ही बनाया जाना चाहिए।...(**व्यवधान**) कृपया मुझे भाषण समाप्त कर लेने दीजिए। जब आप

बोलते हैं तो मैं बाधा नहीं डालता।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं सोच रहा था कि अनुमति लेकर मैं बीच में बोलूं।

श्री खुर्शीद आलम खां : आपको हमेशा अनुमति है। परमाणु मुक्त क्षेत्र वास्तव में एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा एक बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब सबको मालूम है कि चीन एक परमाणु शक्ति है तो यह परमाणु मुक्त क्षेत्र कैसे हो सकता है ? यह परमाणु मुक्त क्षेत्र कैसे हो सकता है, जबकि हिन्द महासागर में दो बड़ी शक्तियां विद्यमान हैं और कौन कह सकता है कि इस क्षेत्र में उनके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है ? यह भी कहा जाता है कि इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं। उस स्थिति में, यह परमाणु मुक्त क्षेत्र कैसे हो सकता है, मात्र इसलिए कि पाकिस्तान ने महासभा में यह जाकर कह दिया कि इसे परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाया जाए ? परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए इन सभी तथ्यों और बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उसके बाद सर्वसम्मति होनी चाहिए और इसे परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाया जा सकता है।

मैं एक दफा पुन: अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि हम आत्म-निर्भरता, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता पर विश्वास करते हैं और इसलिए मैं नहीं समझता कि जब हम पाकिस्तान के साथ बात-चीत करते हैं तो हम में कोई हीन भावना होती है। कभी नहीं। हम उनसे बराबरी की शर्तों पर बातचीत करते हैं। वे कभी भी हमसे आशा नहीं कर सकते कि हम हीन भावना से उनके साथ बातचीत करेंगे। जहां तक पाकिस्तान या इस सन्दर्भ में किसी भी देश का प्रश्न है, हममें कोई हीन भावना नहीं है। हम आत्मनिर्भर हैं, हमारे अपने विचार हैं, स्पष्ट और दृढ़ विचार हैं और हमारी निश्चित नीतियां हैं। इन्हीं नीतियों और विचारों के बल पर हम उनसे बातचीत करेंगे। मैं नहीं जानता कि वे अपनी बनायी हुई बड़प्पन की भावना ओढ़े हुए हैं। वे ऐसा कर सकते हैं। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो वे भ्रम में रह रहे हैं।

यह मत भी है कि परमाणु हथियार दोनों महाशक्तियों के मामले से निवारक सिद्ध हुए हैं, क्योंकि वे पिछले 40 वर्षों से इन परमाणु हथियारों को रखे हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि परमाणु हथियार रखने वाले पांच देशों के पास करीब 50,000 कुल परमाणु हथियार हैं। आज की तारीख में इन 50,000 हथियारों में से करीब 95% हथियार दोनों बड़ी शक्तियों के पास हैं। लेकिन वे इनको एक-दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकीं। मैं समझता हूं कि यही वह मत है जो कुछ लोग समझते हैं कि परमाणु हथियार एक-दूसरे के खिलाफ निवारक सिद्ध हुए हैं।

अनुसंधानों से पता चला है कि अगर इन परमाणु हथियारो में से मात्र 10% का भी इस्तेमाल किया गया तो पृथ्वी के वायुमण्डल का तापमान —40 हो जायेगा। इसका तात्पर्य है धरती पर ठंड के कारण सब कुछ समाप्त हो जायेगा।

मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि चीन एक परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र है। ऐसे संकेत हैं कि 1975 में भुट्टो के समय में, जब श्री भुट्टो ने चीन की यात्रा की थी तो परमाणु

[श्री खुर्शीद आलम खां]

कार्यक्रम में सहयोग के बारे में पाकिस्तान का चीन से कोई समझौता या करार आदि हुआ था। लेकिन उसके बाद चीन के प्राधिकारी और चीन की समाचार एजेंसियां इसको नकारती रही हैं। श्री भुट्टो ने अपनी 'यादें' (मेमअर्स) में लिखा है कि 1975 में पाकिस्तान-चीन के मध्य परमाणु सहयोग समझौता हुआ था। इसके अलावा हमारे पास कोई सूचना नही है। जैसा कि मैंने कहा, चीन द्वारा यह घोषणाएं की जाती रही हैं कि वे किसी भी देश के साथ किसी किस्म का सहयोग करने का इच्छुक नहीं हैं। वे इस क्षेत्र में परमाणु शस्त्रों का विस्तार करने में विश्वास नहीं करते हैं।

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से पूरी तरह सहमत हूं। मैं मानता हूं कि इन दोनों माननीय सदस्यों ने काफी मूल्यवान सुझाव दिये हैं। शायद अन्य सदस्य भी यही सुझाव दें। निश्चय ही सरकार इस सभा या राज्य सभा में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखेगी। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा, कि अगर आप मुझसे स्पष्ट शब्दों में यह कहने के लिए कहें कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए इस समय यह कह पाना देश हित में नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विष्णु मोदी—उपस्थित नहीं है।

1.00 म० प०

यूगांडा में विद्यमान स्थिति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : जैसा कि सदन को मालूम है यूगांडा में 27 जुलाई, 1985 को राज्य विप्लव हुआ और राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे की सरकार का तख्ता पलट दिया गया। भूतपूर्व मंत्रीमंडल के बहुत से सदस्य या तो देश छोड़कर चले गए अथवा उन्हें नजरबन्द कर दिया गया। कम्पाला में कर्फ्यू लगा दिया गया और देश की सीमाओं को बन्द कर दिया गया। कुछ दिन बाद कम्पाला रेडियो ने घोषणा की कि लेफ्टिनेंट जरनल टीटो ओकेल्लो को नए राज्याध्यक्ष की शपथ दिलाई गई है। एक भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति श्री पोलो मुआंगा को नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया है। वे अपने मंत्रीमंडल की गठन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। यूगांडा की भू-सीमाएं खोल दी गई हैं और उम्मीद है कि वहां के हवाई अड्डे भी खोल दिए जाएंगे।

भारत सरकार यूगांडा की घटनाओं पर निकट से निगाह रख रही है। यूगांडा में कोई एक हजार भारतीय राष्ट्रिक काम करते हैं और इसके अतिरिक्त वहां काफी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं। इस सभी लोगों की सुरक्षा और उनके हित-कल्याण के संबंध में हमें चिन्ता होना स्वाभाविक है। भारतीय राष्ट्रिकों में से यद्यपि कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन विप्लव के बाद की लूट-पाट में बहुत से लोगों को माली नुकसान हुआ लेकिन इसका ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

हमारी यह कोशिश रही है कि जो भारतीय राष्ट्रिक अस्थायी रूप से यूगांडा से बाहर जाना चाहते हैं उन्हें आवश्यक सहायता और सुविधा प्रदान की जाए। इस सिलसिले में हम यूगांडा स्थित अपने राजनैतिक प्रतिनिधि के माध्यम से यूगांडा की नई सरकार के साथ और नई दिल्ली में यूगांडा के हाई कमीशनर के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हमें यह आश्वासन दिया गया है कि यूगांडा की सरकार भारतीयों की जान और माल की हिफाजत की हर मुमकिन कोशिश करेगी। यूगांडा की सरकार ने हमारे प्रतिनिधियों से यह भी कहा है कि जो भारतीय अस्थायी रूप से भारत से बाहर जाना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

हमारे प्रयासों के फलस्वरूप करीब 270 भारतीय जिनमें औरतें और बच्चे भी हैं, सड़क के रास्ते यूगांडा से केन्या पहुंचा दिए गए हैं। इनके साथ कम्पाला स्थित हमारे कार्यवृत भी इन्हें पहुंचाने के लिए गए थे। सीमा पर केन्या के एशियाई स्वंयसेवी संगठनों ने तथा केन्या स्थित भारतीय हाई कमीशन ने उनकी सहायता की।

उस भारतीय राष्ट्रिकों को विमान द्वारा लाने के प्रबन्ध भी किए गए हैं जो यूगांडा से चले गए थे और जो भारत वापस आना चाहते हैं। एयर इंडिया के एक विमान को विशेषत: इसी काम के लिए तैयार रखा गया है और नैरोबी में जैसे ही आवश्यक प्रबन्ध पूरे हो जाएंगे और वहां से आने वाले यात्री काफी संख्या में तैयार हो जाएंगे वैसे ही इस विमान को नैरोबी भेज दिया जाएगा।

यूगांडा से जैसे ही इन घटनाओं की खबर आई भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में एक टास्क फोर्स को काम पर लगा दिया ताकि वह लगातार इन घटनाओं पर निगाह रख सके और उनसे निपटने के उपाय सुझा सके, खासतौर पर भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा के संबंध में। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए की गई यह योजना बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई है और जो भारतीय यूगांडा से आना चाहते थे वे ऐसा कर सके हैं। जिन लोगों को माली नुकसान हुआ है उनके मामले राजनैतिक सूत्रों के माध्यम से उठाए जाएंगे। यूगांडा तथा केन्या स्थित हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों ने अपने दायित्वों को पूरी तत्परता, निष्ठा और दायित्व बोध के साथ निभाया है। मैं इस बात पर भी बल देना चाहूंगा कि भारत की सरकार और भारत के लोग यूगांडा की सरकार और वहां के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के इच्छुक हैं और हम हृदय से आशा करते हैं कि हाल की ये घटनाएं हमारे दोनों देशों के बीच की परम्परागत मित्रता में बाधक सिद्ध नहीं होंगी।

1.03 म०प०

कार्य-मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 7 अगस्त, 1985 को पेश किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 7 अगस्त, 1985 को पेश किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मध्याह्न भोजन के लिए 2 बज कर 5 मिनट म०प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.04 म०प०

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 5 मिनट म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 7 मिनट पर पुन: समवेत हुई।)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

2.07 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) रबड़, इलायची, काली मिर्च और नारियल आदि पर आधारित उद्योग समूह स्थापित करने के लिए केरल राज्य को पर्याप्त धनराशि और तकनीकी सहायता देना

श्री के० मोहन दास (मुकुन्दपुरम) : औद्योगिक दृष्टि से केरल एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यह उन कुछ एक राज्यों में से एक है जहां केन्द्रीय सरकार का निवेश, राष्ट्रीय औसत से कहीं कम है। औद्योगिक क्षेत्र में निवेश न होने से अर्थव्यस्था पिछड़ गई है और समय गुजरने के साथ इसके फलस्वरूप बेरोजगार लोगों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है।

केरल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है और नकदी फसलों जैसे रबड़, नारियल, आदि पर आधारित है। इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बहुत कम हैं और यहां बेरोजगार लोगों को जिनकी संख्या लाखों में है बहुत ही कम खपाया जा सकता है? इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों के होने से सामाजिक तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है।

बेरोजगारी की समस्या को हल करने का एक उपाय है राज्य में औद्योगिकीकरण का तेजी से विकास करना। ऐसा राज्य जोकि देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है, उसे केन्द्र से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा होती है। केरल में कई प्रकार की नगदी फसलें, कृषिक फसलें और फल पर्याप्त मात्रा में पैदा होते हैं; राज्य में कृषि पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने की भारी क्षमता है। रबड़, इलायची, काली मिर्च, नारियल-उत्पादों, फलों आदि पर आधारित उद्योग यहां स्थापित किए जा सकते हैं जिससे राज्य में लोगों को रोजगार मिलेगा और आर्थिक विकास भी होगा।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त धन-राशि और अन्य तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए।

(दो) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वनियोजन कार्यक्रम को तत्परता से क्रियान्वित करने हेतु राजस्थान सरकार को धन देने की आवश्यकता

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : स्वर्गीया नेता श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए आरम्भ किया गया स्वनियोजन कार्यक्रम देश के युवकों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। इससे राष्ट्र के असंख्य शिक्षित बेरोजगारों को लाभ पहुंचा है। जिला उद्योग केन्द्रों ने विभिन्न व्यवसायों की अनेक परियोजनाएं तैयार करी हैं और उन्हें कार्यान्वित करने की विधियां अनुमोदित की हैं। बेरोजगारी देश में मूल समस्या है और शिक्षित युवकों में इसकी प्रतिशतता अपेक्षाकृत अधिक है। उक्त कार्यक्रम से देश की युवा पीढ़ी को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनने का प्रोत्साहन मिलता है तथा उनमें भावी निर्माण की आशा उत्पन्न होती है। बेरोजगारी का उन्मूलन करने के अन्य कार्यक्रमों की तुलना में इस कार्यक्रम को अधिक प्राथमिकता देने की जरूरत है। देश में रोजगार कार्यालयों में दर्ज शिक्षित युवकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्वनियोजन कार्यक्रम से एक ओर जहां आत्मविश्वास तथा आर्थिक स्वावलम्बन की भावना पैदा होगी वहां दूसरी ओर भावी रोजगार के लिए उनमें व्याप्त असंतोष भी समाप्त हो जाएगा। इस समय वित्तीय कठिनाइयों के कारण कार्यक्रम पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए निहित धनराशि अभी तक नहीं दी है और इसीलिए इसे पूरा करने में बाधा पड़ रही है। राजस्थान में जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अनेक युवा उद्यमियों की फाइलें तैयार की गई हैं लेकिन धन के अभाव के कारण युवा उद्यमियों को ऋण नहीं मिल रहा है। अतः भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस योजना के अन्तर्गत धनराशि तुरन्त दे ताकि देश की राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को अधिक तत्परता से लागू कर सकें।

[हिन्दी]

(तीन) बस्तर जिले के आदिवासियों के पुनर्वास के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करना

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में बस्तर जिला के कुटरू सेंच्यूरी एरिया में लगभग 56 ग्राम आते हैं, उन आदिवासी गांवों को उस वन एरिया से अन्यत्र

[श्री मानकूराम सोडी]

हटाना है। उन्हें गांव छोड़ने के लिए सूचना दी गई है, पर उन्हें बसाने के लिए कोई जगह अब तक निश्चित नहीं किया गया है। उनके लिए दूसरी जगह में जब तक स्थान चयन नहीं किया जाता तब तक अभी गांव छोड़ने के लिए मजबूर करना बिल्कुल परेशानी में डालना है। उन्हें जबरन भगाने की दृष्टि से उनके मवेशी को शेर मार कर खा जाता है तब वन विभाग द्वारा मवेशी की मुआवजा देने की कार्यवाही नहीं करते, साथ ही गांव में पीने के पानी, ग्रामीण सड़क, निस्तारी तालाब व अन्य आई०आर०डी० के कुछ भी कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं।

अतएव केन्द्र शासन से अनुरोध है कि राज्य शासन को आदिवासियों पर आये इस विकट समस्या को हल करने हेतु तत्काल अन्य जगस निश्चित करने का निदेश दें ताकि उनको अन्य लोगों की भांति विकास कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो।

[अनुवाद]

(चार) राजस्थान में टोंक में तपेदिक के फैलने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए वहां तपेदिक-रोधी दवाओं सहित चिकित्सकों का एक दल तत्काल भेजने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : राजस्थान में टोंक जिला सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। बेरोजगारी, गरीबी-अस्वच्छता तथा पोषक आहारों के अभाव के साथ-साथ मच्छरों के प्रकोप ने इस शहर के निवासियों के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। परिणामस्वरूप यहां क्षय रोग बड़े पैमाने हर फैला हुआ है। टोंक राजकीय अस्पताल के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हाल ही में इस आशय का एक प्रैस वक्तव्य जारी किया है कि टोंक की 30% जनसंख्या क्षय रोग से ग्रस्त है। इस रोग से अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार विशेष रूप से ग्रस्त हैं जिन्हें जीवन की आधारभूत जरूरतों के अभाव में दयनीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। यह रोग टोंक जिले के समीपवर्ती गांवों में भी फैल रहा है और इसके और अधिक फैलने की सम्भावना है। इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्र की ओर से डाक्टरों का एक दल क्षय रोग के उपचार की औषधियों सहित तत्काल टोंक भेजा जाए।

(पांच) केरल में कन्नानोर में एक खेल परिसर स्थापित करने की मांग

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : खेल-कूद के क्षेत्र में केरल के कन्नानोर जिले की समृद्ध पमम्परा रही है। सामान्य रूप से केरल राज्य विशेष रूप से कन्नानोर जिले ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी दिए है।

विश्व में बालीबाल के 10 सर्वोत्तम खिलाड़ियों में से एक अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री जिमी जार्ज, ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाली कुमारी एम० डी० वलसम्मा तथा फुटबाल और हाकी के अनेक खिलाड़ी कन्नानोर जिले के ही हैं। कन्नानोर जिला केरल फुटबाल का 'मक्का' कहा जाता है। ओलम्पिक खेलों में भारत का गौरव बढ़ाने वाली कुमारी पी० टी० ऊषा ने भी कन्नानोर में ही प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

यहां के खिलाड़ियों तथा खेल प्रेमियों के अलावा कन्नानोर एक ऐसा उपयुक्त स्थल है जो परिवहन के सभी साधनों से जुड़ा हुआ है और मंगलूर हवाई अड्डे से भी जुड़ा हुआ है जहां से केवल ढाई घण्टे की हवाई यात्रा से कन्नानोर पहुंचा जा सकता है।

इसके साथ-साथ कन्नानोर में किसी भी तरह के खेलों के लिए पर्याप्त स्थान का अभाव नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए केरल राज्य खेल-कूद परिसर की स्थापना के लिए कन्नानोर एक आदर्श स्थान है। यहां खेल-कूद परिसर की स्थापना के लिए अगर मंजूरी दी जाती है तो वह वास्तव में इस क्षेत्र के प्रतिभा सम्पन्न खिलाड़ियों को ऐसी मान्यता देना होगा जिसके वे हकदार हैं। मेरा प्रधान मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि केरल के कन्नानोर में खेल-कूद परिसर स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(छः) नारियल और सुपारी की फसलों को बचाने के लिए कर्नाटक के किसानों को वित्तीय सहायता देने और ड्रिप-सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा कुएं खोदने की आवश्यकता

***श्री जी०एस० बसवराज (टुमकुर)** : टुमकुर तथा टिपनुर, चिकनायेकनहैली, तुरुवेकर, गुबी, सिरा, हसनन, छन्नरायपटना, अरासीकेरी, कादूर, चिकमंगलूर. बंगलोर, चेन्नापटना हीरीयूर, होसादुर्गा आदि स्थानों पर सुपारी बहुतायत में उगाई जाती है। उक्त स्थानों पर सुपारी और नारियल मुख्य नकदी फसलें हैं तथा बहुत-से किसानों की जीविका मुख्यतः इन्हीं पर निर्भर करती है। यहां से नारियल और सुपारी देश के सभी भागों में भेजी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य इन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण किसान बहुत कठिनाई में हैं। नारियल और सुपारी के उत्पादन में 75% की कमी आई है। इस साल भी उन क्षेत्रों में वर्षा न होने के कारण फसलें सूख रही हैं। अतः केन्द्रीय सरकार को ड्रिप-सिंचाई सुविधाओं तथा कुएं खोदने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि सिंचाई की इन नई योजनाओं को तत्काल कार्यान्वित नहीं किया गया तो मुझे विश्वास है कि सुपारी और नारियल की खेती नहीं की जाएगी। इन किसानों को सभी तरह की आर्थिक सहायता तथा ऋण दिए जाने चाहिएं। प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ भूमि के लिए कम से कम 5000 रु० दिए जाने चाहिएं।

अतः मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इस काम के लिए कम से कम एक करोड़ रुपए मंजूर किये जायें ताकि किसानों की फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके।

(सात) अगरतला और कलकत्ता के बीच हाल में बढ़ाए गए विमान किराए को कम करने और राज्य के विकास के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की मांग

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : सभी राजनीतिक दलों के लोग और त्रिपुरा सरकार

**कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री अजय विश्वास]

बेहतर रेल परिवहन, दूरसंचार सुविधाओं तथा त्रिपुरा के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वहां अधिकाधिक उद्योग स्थापित करने का अनुरोध करते आ रहे हैं। इस राज्य में प्राय: बाढ़ आती रहती है और हर साल असंख्य लोग इसके शिकार होते हैं। बाढ़ से सभी मुख्य सड़क डूब जाती हैं और राज्य में सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। यात्रा का एक और मांध्यम है—हवाई यात्रा—यह भी हाल ही में 14.5% मंहगी हो गई है और इस प्रकार विमान यात्रा करना आम आदमी के बस की बात नहीं रही। वैसे भी कम्प्यूटरीकृत बुकिंग व्यवस्था के कारण पुष्टिकृत हवाई टिकट प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। दैनिक यात्रियों की संख्या की तुलना में विमान सेवा बहुत ही सीमित है। कलकत्ता के लिए केवल एक बोइंग विमान सेवा है जो यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए अपर्याप्त है। सबसे समीपवर्ती रेलवे स्टेशन, धरमनगर भी राज्य की राजधानी अगरतला से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी तरह दूरसंचार व्यवस्था में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। राज्य विधान सभा ने बजट सत्र में सर्वसम्मत्ति से एक संकल्प पारित करके यह मांग की है कि विमान-सेवा के बढ़े किराए पर 25% आर्थिक सहायता दीजिए अथवा बढ़ाया गया विमान किराया समाप्त किया जाए, मौजूदा दूरसंचार व्यवस्था और ऐसे ही अन्य मामलों में सुधार किया जाये। राज्य की विशेष भौगोलिक स्थिति तथा उसके छोटे आकार लेकिन सामरिक महत्व के कारण त्रिपुरा राज्य कम से कम यह आशा करता है कि उसके साथ केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में विशिष्ट व्यवहार किया जाए ताकि वह देश के दूसरे राज्यों के साथ-साथ आगे बढ़ सके।

अत: मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह त्रिपुरा राज्य में विमान किराए में हुई 14·5% की वृद्धि को समाप्त करने या किराए में हुई उक्त वृद्धि पर आर्थिक सहायता देने, मौजूदा दूरसंचार व्यवस्था को ठीक करने के प्रयासों, रेलों द्वारा अगरतला को देश के शेष हिस्सों से जोड़ने, राज्य में सड़कों के निर्माण तथा रोजगार के अवसर पैदा करने वाले उद्योगों की स्थापना करने सम्बन्धी योजनाओं के बारे में सरकार के निर्णय की घोषणा करें।

[हिन्दी]

(आठ) बिहार के मधुबनी जिले के बाढ़ पीड़ित लोगों को बचाने के लिए स्थायी आधार पर एक केन्द्रीय योजना बनाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी (मधुबनी) : बिहार राज्य के मधुबनी जिला में कमला बलान बांध कई जगह से टूट जाने के कारण लाखों परिवार बाढ़ की चपेट में आ गये हैं और बाढ़ के पानी ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया है जिसके ऊपर सरकार का ध्यान मैं आकर्षित कर रहा हूं कि शीघ्र उन तमाम बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रबन्ध करें और जो उन लोगों की क्षति हुई है सहायता द्वारा शीघ्र उसकी व्यवस्था की जाय। इस प्रकार का बाढ़ प्रकोप हर साल हुआ करता है और वहां के लोग बराबर बाढ़ के कारण जान-माल का नुकसान उठाते रहते हैं। इसलिए स्थायी रूप से इससे बचने की केन्द्रीय सरकार योजना बनाए ताकि बार-बार की क्षति से वहां के लोगों को मुक्ति मिल सके।

[अनुवाद]

(नौ) फरीदाबाद स्थित बाटा शू कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियों की समस्यायें

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : बाटा शू कम्पनी की फरीदाबाद स्थित फैक्टरी के लगभग 1600 कार्मिक बेकार बैठे हैं और पिछले तीन महीनों से उन्हें कोई वेतन भी नहीं मिल रहा है। कार्मिक हड़ताल पर भी नहीं हैं, प्रबन्धक उन्हें कोई काम नहीं दे रहे हैं। प्रबन्धकों ने पैकरों से जबरन नियंत्रकों का काम लेना चाहा। नियंत्रकों का वेतन पैकरों के वेतन से अधिक है। कार्मिकों की अप्रत्यक्ष रूप से छंटनी करना उनकी संख्या कम करना प्रबन्धकों का प्रयास है। प्रबन्धकों ने कार्मिकों को काम देने से इनकार कर दिया और सरकार को सूचित कर दिया कि कार्मिक हड़ताल पर हैं। परन्तु कार्मिक प्रतिदिन हाजरी दे रहे हैं तथा काम मांग रहे हैं। लेकिन प्रबन्धक उन्हें काम नहीं दे रहे हैं। फरीदाबाद के जिला कलेक्टर जांच करने हेतु मौके पर गए तथा उन्होंने कार्मिकों को कार्य स्थल पर पाया। लेकिन फिर भी प्रबन्धकों ने कार्मिकों को काम देने से इनकार कर दिया और न ही तालाबन्दी की घोषणा की। इतना ही नहीं प्रबन्धकों के कहने पर कार्मिकों को राशन की सप्लाई भी बन्द कर दी गई है। केन्द्रीय श्रम विभाग को समस्या के समाधान करने के लिए आगे आना चाहिए तथा तुरन्त उत्पादन शुरू करने के लिए प्रबन्धकों पर जोर डालना चाहिए।

(दस) हैदराबाद से बेल्लारी और रायचूर तक वायुदूत सेवा प्रारम्भ करने की मांग

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : कर्नाटक राज्य में बेल्लारी तथा रायचूर जिलों के लिए वायुदूत सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। मैं सरकार का ध्यान होसपेट, बेल्लारी और हम्पी (विजय नगर, साम्राज्य के अवशेष) तुंगभद्रा बांध और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की दानीमलाई लौह आयस्क परियोजना के महत्व की ओर दिलाना चाहती हूं। हम्पी ऐतिहासिक स्थल है तथा प्रतिवर्ष 10—150 विदेश यात्री महान विजय विथल मन्दिर की प्रसिद्ध मूर्तिकला को देखने के लिए आते हैं। हाल में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि हवाईपट्टी उपयुक्त है। कर्नाटक सरकार पहले ही केन्द्रीय सरकार से इस वर्ष अक्तूबर-नवम्बर से वायुदूत सेवा शुरू करने का अनुरोध कर चुकी है। मुझे बताया गया है कि हैदराबाद हवाई अड्डे से डोरनियर 228 विमान सप्ताह में प्रति मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार को कुद्दापह राजमुंदरी जाता है तथा 12.50 बजे दोपहर बाद वापिस आता है। उन दिनों इसका अन्य कोई उपयोग नहीं किया जाता है। मैं सुझाव दूंगी कि डोरनियर 228 फालतू समय में हैदराबाद से रायचूर बेल्लारी उड़ान भर सकता है तथा बेल्लारी रायचूर के रास्ते बंगलौर और हैदराबाद वापस आ सकता है। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही यात्री यातायात जोर पकड़ जायेगा तथा सरकार को हैदराबाद और बंगलौर के बीच दैनिक वायुदूत सेवा शुरू करनी पड़ सकती है।

2.22 म० प०

वस्त्र नीति के बारे में चर्चा—(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगला विषय लेंगे। अब सभा सरकार द्वारा 6 जून, 1985 को घोषित वस्त्र नीति पर चर्चा करेगी। माननीय सदस्य इसके लिए आवंटित समय पहले ही समाप्त कर चुके हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मुझे सहयोग दें। मैं प्रत्येक सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह पांच मिनट से अधिक समय न लें क्योंकि बहुत से सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं। मैं सदस्यों से अत्यन्त संक्षेप में बोलने के लिए कहूंगा। चार मिनट बाद में घंटी बजा दूंगा तथा पांचवें मिनट से आपका भाषण रिकार्ड नहीं किया जाएगा। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुख्य बातें ही कहें। अब श्री वाई० एस० महाजन बोलेंगे।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, सरकार द्वारा घोषित वस्त्र नीति यथार्थ है तथा इसका उद्देश्य उद्योग का शीघ्र एवं सन्तुलित ढंग से विकास करना है। उपभोक्ता ने सम्मिश्रित तथा पोलिस्टर फिलामेंट के कपड़ों के लिए अपनी वरीयता प्रकट कर दी है। विभिन्न प्रकार के रेशों के उपयोग में पूरी लचीलापन दिए जाने तथा मानव निर्मित रेशों का देश में उत्पादन बढ़ाकर और यदि आवश्यकता हुई तो उसका आयात कर उसकी पर्याप्त रूप से उपलब्धता सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं की वरीयताओं को संतुष्ट करने के लिए सरकार की दृढ़ता का नीति वक्तव्य में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार नई नीति में दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में उद्योग के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया है। पूरी नीति का उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या का उचित मूल्य पर वस्त्र उपलब्ध करने का है। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इससे 12 लाख व्यक्तियों को संगठित मिल में रोजगार मिलता है जो भारत में कुल फैक्टरी श्रमिकों का 17 प्रतिशत है, विद्युतकरघा क्षेत्र में 32 लाख लोगों तथा और 72 लाख व्यक्तियों को हथकरघा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध होता है। रोजगार की दृष्टि से हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा क्षेत्र है। अतः नीति समिति ने बुनकरों की आय में वृद्धि करने तथा उनके कल्याण के लिए बहुत से प्रस्ताव किए हैं। इससे उन्हें अपने करघों का आधुनिकीकरण करने और अपने उत्पादों की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। मुझे विश्वास है कि इस बारे में किए गए उपबन्ध पर्याप्त हैं।

संगठित मिल क्षेत्र जिस पर कि सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है जबकि दूसरे क्षेत्र प्रबन्धात्मक तथा संरचनागत कमजोरियों के शिकार हैं। नीति वक्तव्य में रुग्ण एककों को स्वस्थ कार्यशील बनाने के लिए कुछ उपायों का प्रस्ताव है। प्रत्येक रुग्ण एकक की रुग्णता के कारणों का पता लगाने के लिए उनका गहन और वस्तुपरक के अध्ययन करना है और यदि वह सक्षम रूप से स्वस्थ है तो उसके पुनर्वास के लिए एक मुश्त उपाय करना तथा उचित वित्तीय सहायता करना है और इसे पूरा करने के लिए यह कार्य नोडल एजेंसी को सौंपना है।

यदि कोई एकक के निकट भविष्य में सक्षम रूप से स्वस्थ बनने की आशा नहीं है तो नीति में सुझाव दिया गया है कि उस मिल को बन्द कर दिया जाए। नीति में यह निहित है कि नियम के अनुसार सरकार उसके राष्ट्रीयकरण करने अथवा उसके प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का कोई प्रयास नहीं करेगी। कोई कारण नहीं मूल रूप से अस्वस्थ एककों या अव्यवस्थित प्रबन्धकों वाले एककों को कार्य सक्षम बनाने के प्रयासों पर करदाताओं को धन बरबाद करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि गलत पूंजी निवेश किया गया है अथवा परिस्थितियों के बदलने पर एकक पुराना पड़ गया है तो आर्थिक बुद्धिमता की दृष्टि से उन्हें बन्द कर देना ही बेहतर है। आर्थिक नीति में गया सो गया। शोषण अथवा आर्थिक कदाचारों के दोषी प्रबन्धकों को दण्डित किया जाना ही चाहिए। फिर मेरा यह सुझाव है कि नियम के अनुसार राष्ट्रीयकरण अथवा अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए और इसे कठोरता से लागू भी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे कुछ मामलों में कोई अन्य विकल्प भी नहीं होता है।

महाराष्ट्र में मेरे क्षेत्र जलगांव में एक कपड़ा मिल है जिसे ग्यारह महीने पहले बन्द किया गया था। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उस एकक के कार्यकलापों की समुचित रूप से जांच की जाए। जब प्रबन्धकों ने मिल को अपने अधिकार में लिया तो उसका ऋण 80 लाख रुपए था तथा बन्द किए जाने के समय ऋण बढ़कर 11 करोड़ रुपए हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने इस मिल के चलाए जाने की संभावना पर विचार किया है तथा उसकी तकनीकी समिति ने बताया है कि एकक कार्य सक्षम और स्वस्थ है। महाराष्ट्र सरकार इस मिल को सहकारी आधार पर चलाना चाहती है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है। मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर अनुकूल दृष्टि से विचार करेगी।

यह सुस्पष्ट बात है कि बम्बई में अनेक मिल मालिक अपने मिल को बन्द करने की योजना बना रहे हैं और मिलों की भूमि बेच कर धन कमाना चाहते हैं क्योंकि भूमि के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह एक समाज विरोधी कार्यवाही है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर नजर रखेगी और कार्मिकों के हितों की सुरक्षा करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो भूमि को बेचकर कार्मिकों का पुनर्वास कर उन्हें राहत देगी।

कपड़ा उद्योग की वर्तमान कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार एक और महत्वपूर्ण कारण पुराने तथा अप्रचलित संयंत्रों तथा मशीनरी का अपर्याप्त आधुनिकीकरण तथा उनका नवीकरण नहीं करना है। इस मामले में नीति वक्तव्य में सम्पूर्ण उद्योग का, ओटाई हथकरघा विद्युतकरघा बुनाई और कताई से लेकर उद्योग के अन्य विभागों सहित उसका आधुनिकीकरण करने के लिए कुछ प्रस्ताव किए गए हैं। आधुनिकीकरण का सम्पूर्ण मामला एक केन्द्रीय ऐजेंसी को सौंपा जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा अथवा इस उद्देश्य के लिए निर्मित विशेष निधि से वित्त पोषण किया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह दृष्टिकोण उद्योग एककों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा लागत कम करने और गुणवत्ता में सुधार लाने को बढ़ावा देगा।

[श्री वाई०एस० महाजन]

वस्त्र उद्योग में पावरलूम क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस बारे में सिफारिशों में प्रावधान है कि जहां तक कराधान का सम्बन्ध है इस उद्योग का अनिवार्य पंजीकरण तथा इसे संगठित उद्योग के समान माना जाना चाहिए।

पावरलूम क्षेत्र उद्योग का द्रुत विकासशील तथा सक्रिय अंग है। प्रतिदिन 120 के हिसाब से वर्ष में 40000 नई पावरलूमें लग रही हैं। इसके सशक्त विकास तथा कम लागत के कारण ऐसा कोई भय नहीं है मिल क्षेत्र की तुलना में पावरलूम क्षेत्र हानि में रहेगा। इस नीति की बहुत आलोचना की गई है परन्तु मेरा विश्वास है कि इस नीति के ठोस प्रयासों में बदली जाने तक यदि हम दो-तीन वर्ष की प्रतीक्षा करें तो उद्योग समेकित तथा आधुनिक हो जायेगा। रेशे पूर्ण लचकता और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से इसका शीघ्र विकास होगा और यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं वस्त्र नीति का समर्थन करता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, नई वस्त्र नीति वर्तमान सरकार की नये आर्थिक दर्शन तथा नए बजट-दर्शन की निश्चय ही पुष्टि प्रदर्शित करती है। संक्षेप में इसमें हथकरघा उद्योग के प्रति घड़ियाली आंसू बहाए गए हैं और सभी वास्तविक रियायतें मिल क्षेत्र को दी गई हैं। इससे पता चलता है कि सरकार ने मूक किन्तु सभी अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय (क) भारी उद्योग क्षेत्र, (ख) पूंजीगत गहनता तथा आयातित उच्च प्रौद्योगिकी और (ग) निंजी क्षेत्र के पक्ष में लिया गया है। महोदय, इन तीन मुख्य संधि क्षेत्रों के प्रति वचन बद्धता के रूप में सरकार भारी सामाजिक व्यय बरदाशत करने के लिए तैयार है।

अब मैं उस भारी सामाजिक व्यय का उल्लेख करूंगा जो सरकार को इस बारे में वहन करना पड़ेगा। पहले, सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की छंटनी करनी पड़ेगी। दूसरे लघु क्षेत्र, सर्वप्रथम हथकरघा क्षेत्र एक तरह से समाप्त हो जाएगा। तीसरे, उत्पादन ऐसे होंगे जो मध्य तथा उच्च वर्ग की आकांक्षाओं को ही पूरा करेंगे और परिश्रमशील जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की उपेक्षा होगी। चौथे सातवीं योजना में खाद्यान्न निर्माण कार्य और उत्पादकता जैसी वस्तुओं के लिए जो प्राथमिकता देने के दावे किये गये थे उनको प्राथमिकता देने की बात यदा-कदा ही देखी जा सकी थी। और अन्त में मेरा कहना है कि देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य का हवाला दिये बिना ही आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सका था। नीति सम्बन्धी इस दस्तावेज का आधार विशेषज्ञ समिति को गुप्त प्रतिवेदन बताया जाता है। किन्तु, तद्पश्चात वस्त्र उद्योग के बहुत बड़े उद्योगपतियों ने यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी कि उनका ज्ञापन विशेषज्ञ समिति को प्राप्त हो गया था। एक विशेषज्ञ, श्री एल०सी० जैन ने समिति के समक्ष साक्ष्य रखने का प्रस्ताव रखा था किन्तु इस समिति के पास साक्ष्य प्राप्त करने का समय ही नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में इंडियन कॉटन मिल्स में फेडरेशन के महासचिव श्री सी०वी० राधाकृष्णन् ने गौरव के साथ यह उद्घोषणा की थी उनकी एसोसियेशन की सभी मांगें मान ली गई हैं और

उसी लेख में, उन्होंने स्वीकृत मांगों की सूची भी दी है : प्रथम है, विद्युत करधा के साथ समानता की मांग (प्रसंगवश, जिसका मैं स्वागत करता हूं) दूसरी है, रेशे का इस्तेमाल करने की छूट (जिसका मैं स्वागत नहीं करता हूं); तीसरी है, पर्याप्त मात्रा में रेशे का उपलब्ध होना (जिसका मैं स्वागत नहीं करता हूं) चौथी है; आधुनिकीकरण के लिए मशीनों का उदारतापूर्वक और रियायत देकर आयात करना (जिसका मैं स्वागत नहीं करता); पांचवीं है; अलाभकारी अथवा पुनरोद्धार न किये जा सकने योग्य यूनिटों का बंद किया जाना; छठी है; बिना भेद-भाव के श्रमिकों की छंटनी करने की अनुमति दिया जाना; और अन्तिम है; महोदय, नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन करने की अनिवार्यता से मिलों को मुक्त करना। महोदय, इस नीति ने हथकरघा क्षेत्र की कमर तोड़ दी है। स्वयं बजट पेश किये जाने के साथ ही इस क्षेत्र के बारे में यह प्रक्रिया आरंभ हो गई थी जबकि वित्त मन्त्री ने 'कोन' सूत पर 25 प्रतिशत कर बढ़ा दिया था किन्तु जब मिल से बने कपड़े और विद्युत करघा से बने कपड़ों के बीच उत्पाद शुल्क का अन्तर समाप्त किया गया था; तब मैंने उसका स्वागत किया था। किन्तु 'कोन' सूत पर उत्पाद शुल्क बढ़ा देने से तो हथकरघा क्षेत्र में 'हैंक' सूत का उत्पादन और भी कम होता लगता है।

स्वर्गीय प्रो० राजकृष्ण के अनुसार, हथकरघा के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत हैंक सूत विद्युत करघा द्वारा तैयार किया जाता था। उनकी गणना के अनुसार 1550 लाख किलो हैंक सूत हथकरघा क्षेत्र से विद्युत करघा क्षेत्र को दिया जा रहा था। उत्पाद शुल्क बढ़ा देने से तो यह प्रक्रिया और भी बढ़ जायेगी। विद्युत करघा और मिल क्षेत्र के बीच उत्पाद शुल्क का जो अन्तर बना हुआ था सरकार ने उसे क्यों समाप्त कर दिया ? ऐसा हथकरघा क्षेत्र की रक्षा के लिए नहीं अपितु मिल क्षेत्र की रक्षा के लिए किया गया था। सर्वप्रथम तो यह सिद्धान्त रूप से ही गलत है कि अन्तिम रूप से निर्मित उत्पादों पर कर लगाने की बजाय अन्तवर्ती उत्पादों पर वस्तु कर लगाया जाय।

अब, मैं हथकरघा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कहूंगा। 1961 की जनगणना के अनुसार हथकरघा उद्योग में कुल 21.35 लाख श्रमिक लगे हुए थे। किन्तु 1981 की जनगणना के अनुसार, आबादी के बढ़ने के साथ इस क्षेत्र में श्रमिकों की कुल संख्या बढ़ने की बजाय घटकर 14.74 लाख रह गई है। किन्तु सरकार जनगणना पर आधारित आंकड़ों से सहमत नहीं है अपितु उन्होंने कुल आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताये हुए माने हैं जिसका आधार हैंक सूत की सुपुर्दगी तथा सहकारी क्षेत्र में बढ़े हुए आंकड़े हैं। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार को अपनी वस्त्र नीति में संशोधन करना चाहिए अन्यथा श्री राजीव गांधी को परिसमाप्त हथकरघा क्षेत्र की अध्यक्षता करनी होगी। उन्हें रोजगारोन्मुख गांधी जी के आर्थिक सिद्धान्त को दफन करना होगा। इस सम्बन्ध में निष्कर्ष रूप में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, वस्त्र नीति में परिवर्तन करते समय उन पर अवश्य ही विचार किया जाय। सर्वप्रथम 'कोन' सूत पर बढ़ाया गया उत्पाद शुल्क तत्काल वापस लिया जाय। दूसरे मिल मालिकों को अनुमति देने का निर्णय............ (व्यवधान)

मिल मालिकों को मनमाने ढंग से मशीनों के आयात की अनुमति देने के निर्णय को समाप्त किया जाय। तीसरे, मिल मालिकों की अलाभकारी अथवा पुनरोद्धार न किये जा सकने योग्य मिलों

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

के बहाने मिलों के बंद करने और श्रमिकों की छंटनी करने की अनुमति दिए जाने के निर्णय को रद्द किया जाये। नियन्त्रित कपड़े के उत्पादन के लिए दी जाने वाली राज सहायता की राशि की मात्रा पर्याप्त बढ़ा दी जाये अन्यथा नियन्त्रित कपड़े के उत्पादन का भार हथकरघा क्षेत्र पर अंतरित करने की चेष्टा का कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए मिलों पर विशेष उपकर लगाया जाये। मुझे आशा है कि सरकार यह सब करेगी अन्यथा इस देश के लाखों हथकरघा बुनकर उसकी भर्त्सना करेंगे।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने नये मंत्री द्वारा उद्घोषित नयी वस्त्र नीति का मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं उसका सीधा-सा कारण यह है कि उसके पृष्ठ 2 पैरा 10(1) में निम्नलिखित बात कही गई है :—

> "जैसी पूर्ण रेशा नम्यता कपास और मानवकृत रेशा/सूत के बीच उपलब्ध है वैसी ही पूर्ण नम्यता वस्त्र उद्योग को सुलभ होगी।"

इसके अलावा मानव कृत रेशे/सूत पर तथा निवेश को निवेश सामग्री के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली अन्तवर्ती वस्तुओं पर लगाये गये वित्तीय करों के बारे में·········

इसके अतिरिक्त भी उनका कहना है कि "उत्तरोत्तर इस प्रकार कम किया जाएगा जिससे कि बढ़े हुए देशी उत्पादन की खपत हो सके और सिन्थेटिक तथा ब्लेंडेड रेशे का कीमतों में कमी होने के कारण उपभोक्ताओं को उसका लाभ हो सके।"

कपास उत्पादक के रूप में मैं यह महसूस करता हूं कि वर्तमान नीति उन उत्पादकों के अस्तित्व के लिए चुनौती बनी हुई है जो वर्षा वाले क्षेत्रों में कपास उगाते हैं। आप देखेंगे कि अपने देश में कपास की 80 प्रतिशत खेती वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है और उन लोगों के लिए केवल कपास ही नकदी फसल है। इस नीति को कार्यान्वित करके सरकार धनी व्यक्तियों के हितों की तो रक्षा कर रही है किन्तु गरीबों की नहीं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसानों का जिनकी आजादी देश में लगभग 70 प्रतिशत है, हित ध्यान में रखते हुए इन बातों पर पुनः विचार किया जाए।

सरकार ने क्या किया है ? इस पूरी पुस्तक में केवल एक पैरा कपास के बारे में है। वे कहते हैं : "हम लोग लाभकारी मूल्य देंगे।" सरकारी उपक्रम समिति ने उनसे अपने अन्तिम प्रतिवेदन में कच्ची कपास के मूल्य को सज्जित वस्तुओं के मूल्य के साथ जोड़ देने की बात कही है। उन्होंने इसकी अवहेलना की है। उन्होंने वह कार्य उस समय क्यों नहीं किया ? क्या हानि थी ? जब आप मानवकृत रेशे के लिए सारी सुविधायें धनी व्यक्तियों को दे रहे हैं; तब आप उतनी सुविधा हमें क्यों नहीं दे सकते हैं ? इसके विपरीत आप कहते हैं कि आप हमें लाभकारी मूल्य देंगे मानो कि आप हमें कोई गुड़िया दे रहे हैं। ऐसा क्यों है ? आप सभी वस्तुओं का उत्पादन मशीनों अर्थात् आधुनिकतम मशीनों द्वारा कराना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि बेकारी बढ़ेगी।

मैं एक बात कहना चाहता हूं अर्थात् हर वस्तु का उत्पादन मशीनों द्वारा करना कोई प्रगति नहीं है। कोई समय था जब लोग अमूल स्प्रे इस्तेमाल करना पसन्द करते थे किन्तु अब लोग पुराने ढर्रे पर लौट आये हैं और उनका कहना है कि मां का दूध सर्वोत्तम दूध है। अतः मां का दूध सर्वोत्तम भोजन है। हम लोगों ने यही प्रचार करना आरम्भ किया है। यह उन लोगों के लिए ठीक है जो इसका भार वहन कर सकते हैं। वे लोग काले बाजार से खरीद सकते हैं और तस्करी से ले सकते हैं। किन्तु आप निर्धन कपास उत्पादकों को क्यों मार रहे हैं ? यदि आप इसे कार्यान्वित करने के इच्छुक हैं, तो मैं आपको सचेत करता हूं कि "आप हमें वैकाल्पित फसल भी प्रदान कीजिए अर्थात् वर्षा वाले क्षेत्र में कपास की खेती करने वालों को कोई नकदी फसल उगाने की सुविधा दें। जब तक आप हमें वह नहीं देते तब तक हम उसकी अनुमति नहीं देंगे।" यह हमारे हितों के प्रतिकूल है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके बारे में दुबारा विचार करना चाहिए।

उनका कहना है कि वे अधिक उत्पादन करते हैं इसलिए वस्तु सस्ती पड़ती है। ऐसा हमने सीमेंट के मामले में क्यों नहीं किया ? अनेक लाइसेन्स दिये गये हैं और छोटे सीमेंट संयंत्र भी लगाए गए हैं। किन्तु एक बोरी सीमेंट की कीमत क्या है ? 70 रुपये से लेकर 75 रुपये तक। अतः अधिक उत्पादन करने के बावजूद सीमेंट की कीमत नहीं घटाई जा सकी। स्वयं को थोड़े समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है किन्तु हर समय हर व्यक्ति को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश केवल एक ही अर्थात् योजना बनाने वाले उसके अपवाद रहे हैं। उन्होंने इस बात पर कभी विश्वास नहीं किया। वे लोग स्वयं को तो मूर्ख बनाते ही रहते हैं, दूसरों को भी मूर्ख बनाते हैं। किन्तु इस मामले में हम मूर्ख नहीं बनना चाहते हैं।

अन्त में, कपास उत्पादक की हैसियत से मैं इस विशेष नीति का विरोध करता हूं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : सरकार कपास का मूल्य घटाना नहीं चाहती। ऐसा कहां कहा गया है ?

श्री उत्तम राठौड़ : किन्तु आप इसे इसके साथ क्यों नहीं जोड़ देते ? इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि लाभकारी मूल्य दिया जायगा। ए०पी०सी० ने कुछ मूल्य निर्धारित किये थे। आप 4 या 5 रुपये अधिक देते हैं और कहते हैं कि यही लाभकारी मूल्य है, जो वास्तव में ठीक नहीं है

श्री गुरुदास कामत **खड़े हुए**—

श्री उत्तम राठौड़ : नहीं, श्री कामत, आप बम्बई से निर्वाचित हुए हैं। आप हमारे बारे में मत बोलिए। अधिकांश मिलें आपके शहर में हैं और वे बंद हो गई हैं। सभी व्यक्ति अपनी मिलें वहां से ले जाना चाहते हैं। आपके पास एक प्रदूषण का बहाना और है आप मिलों को किसी दूसरी जगह ले जा सकते हैं और इमारतें बनवा सकते हैं। इससे आपको धन प्राप्त होगा ?

[श्री उत्तम राठौड़]

इसलिए कपास उत्पादक की हैसियत से, विशेषकर वर्षा वाले क्षेत्र के किसान की हैसियत से मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता हूं। मुझे खेद है। धन्यवाद।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : महोदय, मैं वस्त्र नीति का उतना विरोधी नहीं हूं किन्तु माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि यदि सम्भव हो सके तो इस नीति के दायरे में आने वाली कुछ बातों की पुनरीक्षा तथा पुनः जांच कर ली जाये।

सर्वप्रथम, मैं मिलों के बारे में कहूंगा। समय बहुत कम है। मैं इस समय सारी बातें व्यक्त नहीं कर सकता हूं। किन्तु बम्बई में, एक नयी मुसीबत खड़ी हो गई है.........वस्त्र उद्योग में धीरू भाई अम्बाणी और विमल का नाम प्रसिद्ध है। वह अल्लाद्दीन बन गया है और उसके जादुई चिराग से उसके पास 12000 से अधिक शेयरधारी हैं और किसी स्टेडियम में ही उनकी बैठक में इन शेयरधारियों को आमन्त्रित किया जा सकता है। मुझे उससे न तो कोई ईर्ष्या है और न ही मैं किसी के विचार प्रकट कर रहा हूं। इससे पहले भी कच्चे माल का दुरुपयोग करने, उत्पाद-शुल्क की चोरी करने आदि के मामले में बिरला, मोदी तथा अन्य लोगों के विरुद्ध जांच-पड़ताल कराई गयी थी। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है, यदि वह सहमत हों तो, रिलायेन्स टैक्सटाइल इन्डस्ट्री के बारे में तीन मामलों के संबंध में जांच-पड़ताल कराई जाये। (1) गत 1½ वर्ष के भीतर जो लाइसेन्स अर्जित किए गए हैं, क्या वे लाइन्सेस केवल उन्हीं को दिए गए हैं। जब इन लाइसेन्सों का समय पूरा हो गया तो क्या सरकार की ओर से दी जाने वाली विशेष राज सहायता इन्हीं लाइसेन्सों पर दी गयी थी। जब उन्हें ये लाइसेन्स प्राप्त हुए थे, तब उस समय क्या उन्हें यह बात पता थी कि छः अथवा आठ महीने बाद राज सहायता दी जाएगी। (2) क्या यह सच है कि इस यूनिट में उत्पाद शुल्क की चोरी के रूप में गत 1½ वर्षों के दौरान सरकार के साथ बड़े पैमाने पर ठगी और धोखा-धड़ी की गयी है? वहां उत्पाद शुल्क अदा किए बिना ही कच्चे माल का उपयोग तैयार माल में किया गया/पाया गया है। मामला वित्त मंत्रालय के अधीन विचाराधीन पड़ा है और वस्त्र मंत्रालय को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि मंत्री महोदय का विचार जांच-पड़ताल कराने का हो तो, मैं इस सभा का एक जिम्मेदार सदस्य हूं और मैं सारी सूचनायें देने तथा इसका भंडाफोड़ करने का उत्तरदायित्व लेता हूं क्योंकि विकास उद्योग के नाम पर यह विशेष यूनिट सरकार को भी राजस्व की हानि पहुंचा रहा है और देश के सम्पपूर्ण वस्त्र उद्योग में आतंक और भय फैला रहा है। यदि मंत्री महोदय का ऐसा करने का विचार न हो तो, मैं इस मामले को याचिका समिति के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पूर्वी भारत में राष्ट्रीय वस्त्र निगम का सबसे बड़ा यूनिट मेरे निर्वाचन क्षेत्र हावड़ा में केन्द्रीय कॉटन मिल के नाम से स्थित है। कुछ महीने पूर्व मुझे बताया गया था कि उसकी स्थिति बड़ी खराब है। मैं वहां गया था। मैं मंत्री महोदय को सूचित करना चाहता हू कि जिस दिन से इसका अधिग्रहण किया गया है, उस दिन से आज तक वहां न तो कोई करधा बदला गया और न आधुनिकीकरण का कोई कार्यक्रम चलाया गया है। सभापति जी ने वहां का दौरा किया था। वहां न तो कोई आधुनिकीकरण का कार्यक्रम चलाया गया है और न कोई करधा बदला गया है। वह श्रमिकों को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं कि यूनिट श्रमिकों के कारण रुग्ण हैं। आपको उसका निरीक्षण करना

होगा तथा यूनिट को जीवित रखने के लिए समुचित व्यवस्था करनी होगी तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका आधुनिकीकरण किया जाये ।

इस नीति की घोषणा के बाद से पूरे देश में अब हथकरघा बुनकरों में भय व्याप्त है……

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : मुझे खेद है कि आपको किसी ने बहका दिया है ।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : दो बातों का भय है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे । वस्त्र नीति के बारे में आप पूर्णत: स्पष्ट हैं कि मिल क्षेत्र में, आप क्या-क्या रियायतें देंगे और किस प्रकार देंगे । किन्तु हथकरघा क्षेत्र में आपके अश्वासन बहुत ही साधारण हैं तथा कुछ धुंधले से हैं और स्पष्ट नहीं हैं । उदाहरण के तौर पर, आपने कहा कि वस्तुओं के आरक्षण के सम्बन्ध में आप इस संसद में पारित अधिनियम के अनुसार करेंगे ।

इस सदन में मुझे बताइए कि कौन से विभाग हस्तनिर्मित वस्त्र को अनिवार्य बनाएंगे ? क्या ये सरकारी विभाग या अस्पताल है ? इनमें से कोई भी नहीं है । अश्वासन देने का मतलब क्या है ? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बुनकरों के प्रति न्याय होगा अगर उनके उत्पादन को आरक्षित कर दिया जाता है ? इस बात की कोई भी घोषणा नहीं है कि इन चीजों का आरक्षण कहाँ किया जाना है । इस प्रकार के आश्वासन मैं पिछले एक दशक से सुनता आ रहा हूं । अगर आप सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों में जायें तो आप शायद ही किसी को हथकरघा के वस्त्र या खादी पहने हुए पायेंगे । अत: आप कृपया इस मुद्दे को स्पष्ट कीजिए । यह मेरी आशंका है । आप किस प्रकार इन चीजों का आरक्षण करने जा रहे हैं और किस क्षेत्र के लिए ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : आरक्षण उत्पादन पर लागू होता है न कि उसके उपयोग पर ।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : अगर इसका उपयोग नहीं है तो आप उत्पादन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं ? अगर इसका उपयोग नहीं है तो इसका उत्पादन होगा तथा बोट क्लब मैदान में इसे रखा जाएगा । इस प्रकार बुनकरों को संरक्षण कैसे मिलेगा ? क्या यही आपका इरादा है कि उत्पादन का तो आरक्षण होना चाहिए परन्तु उसके उपयोग से कोई सरोकार नहीं है । मुझे खेद है, अगर आपका इरादा यही है तो मेरी आशंका एकदम उचित है ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : जिस अधिनियम को यहां पारित किया गया है उसका उद्देश्य यही है ।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : इसलिए, प्रारम्भ में मैंने कहा था कि आप कृपया इसका पुनरीक्षण करें ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : हम इसका पुनरीक्षण नहीं कर सकते । हम उस अधिनियम का पुनरीक्षण कैसे कर सकते हैं जो पिछले सत्र में ही पारित किया गया है ?

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : माननीय मंत्री जी आप जानते हैं अगर किसी चीज को पारित कर दिया जाता है तो सरकार उसकी जांच कर सकती है और उसकी पुनरीक्षा कर सकती है। इसकी पुनरीक्षा करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अगर हम संविधान में एक हजार बार संशोधन कर सकते हैं तो अधिनियम में क्यों नहीं ? हम इसकी पुनरीक्षा कर सकते हैं। इसमें हर्ज क्या है ?

अन्त में, मैं खादी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। खादी तथा हथकरघे के लिए आपने विकास आयुक्त बनाया है। मेरा सुझाव है, एक वैधानिक निकाय बनाइए जिसका नाम खादी विकास प्राधिकरण हो। इस प्राधिकरण का कार्य खादी, धागा, उत्पादन, तथा राज्य सरकारों के साथ सहयोग एवं समझौता करना होगा। खादी के बारे में मैं कहूंगा कि यह वास्तव में जनोन्मुखी तथा रोजगार-उन्मुखी कार्यक्रम है। परन्तु एक बात कहते हुए मुझे खेद है। कृपया खादी बोर्ड अथवा इस उद्योग में ऐसे व्यक्ति को मत रखिए जिसका रिश्तेदार या संबंधी भी खादी उद्योग और इस व्यवस्था में पहले से ही हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं ऐसे एक सौ उदाहरण दे सकता हूं जिसमें एक ही परिवार ने बेनामी नौ खादी इकाईयां लगायी हुई हैं और पश्चिम बंगाल में मुर्शीदाबाद जिले में इकाई लगाने के लिए भी उसे प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है। यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। साथ ही अन्य कई योग्य व्यक्ति खादी इकाईयां लगाने के लिए प्रमाण-पत्र मांग रहे हैं परन्तु उन्हें नहीं दिया जा रहा है। राज्य विभाग उन्हें प्रमाणित करने से इन्कार कर देते हैं। मूझे यह कहते हुए भी दुख होता है कि मान्यता प्रदान करने के नाम पर भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। खादी के नाम पर एक विशाल साम्राज्य बनाया जा रहा है। एक परिवार में पिता, बच्चे, उसके भतीजे एक ही उद्योग में कार्यरत हैं, और यहां तक कि खादी बोर्ड में भी। यह गांधी दर्शन तथा सरकार की नीति के विरुद्ध है। आप कृपया इस बात की जांच करिए तथा कोशिश करिए कि इसे तुरन्त रोका जाये।

एक बार फिर मैं मन्त्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि यह इस बात को सुनिश्चित करें कि सरकारी विभागों में खादी का उपयोग हो। खादी उत्पादों का उपयोग सरकारी विभाग में भी होना चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मुझे अफसोस है कि आपको आधारभूत बातें भी मालूम नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस नई टैक्सटाइल पॉलिसी का समर्थन करूं या विरोध करूं क्योंकि इसमें कई चीजें स्पष्ट ही नहीं हैं। नई टैक्सटाइल पॉलिसी को पढ़ने के बाद और माननीय प्रधान मन्त्री जी तथा हमारी सरकार की जो नीति है कि सबसे गरीब आदमी को योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, उसको ऊपर उठाना चाहिए, इन दोनों बातों का आपस में तारतम्य नहीं बैठता। आज हमारे देश का सबसे गरीब आदमी हैंडलूम वीवर है और हैंडलूम वीवर के लिए आपने क्या किया, यदि हम आपसे यह प्रश्न पूछें तो इस पोलिसी से हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता।

ठीक है, आपने रिजर्वेशन कर दिया कि पूरा का पूरा कन्ट्रोल्ड क्लाथ हैंडलूम सैक्टर में बनेगा पर आप हमें यह समझाइए कि एक हैंडलूम के करघे के ऊपर कितना कपड़ा बनेगा और उसमें उस मजदूर को कितना पैसा मिलेगा। क्या आपने यह सारा अध्ययन करवाया है कि उसको कितनी मिनिमम वेज मिलेगी ? क्या उसको कम से कम 20 रुपया मिल पाएगा, क्योंकि आज के हालात को देखते हुए महंगाई को देखते हुए, कम से कम 20 रुपया प्रति दिन तो उसे मिलना ही चाहिए। आप हमें सारी कैलकुलेशन करके बता दीजिए तो हम आपकी बात का विश्वास कर लेंगे कि एक करघे के ऊपर उस गरीब मजदूर को कम से कम 20 रुपया रोजी रोटी खाने के लिए मिलेगा। आज हालत इतनी खराब है और फिर उस कपड़े को खरीदेगा कौन, यह प्रश्न भी है।

आपने जिस तरह से नयी टैक्सटाइल पॉलिसी बनाई है, यदि उसमें हाथकरघे के लिए आप दस पेज भी लिख दें तो कम है मगर उससे यह पता नहीं चलता कि आप किस तरह से हाथ-करघा के मजदूर के इंटरैस्ट को प्रोटैक्ट करेंगे। जब तक आप हमें स्पष्ट शब्दों में नहीं समझायेंगे, हम आप की नीति का समर्थन नहीं कर सकते।

यह इससे स्पष्ट नहीं होता कि आप उसको कितना यार्न देने वाले हैं, क्या उनको गारंटी के साथ यार्न मिल पाएगा और क्या कोई कार्पोरेशन बनाकर उनका तैयार कपड़ा आप लेने वाले हैं या नहीं, यह कुछ भी इससे स्पष्ट नहीं होता है। उनके हितों की रक्षा के लिए आप कौन-सा आर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं, यह सब आप हमें स्पष्ट कीजिए। जब तक हमें यह नहीं बताएंगे कि इस हिसाब से हम हर हाथ-करघा का इंटरैस्ट प्रोटैक्ट करने जा रहे हैं, जब तक स्पष्ट शब्दों में आप हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं देंगे, तब तक हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। तभी हम समझेंगे कि आपने अच्छा काम किया वरना यह नीति हमारी कुछ समझ में नहीं आई है।

हमको विश्वास लगता है कि हमारा गरीब हाथ-करघा उद्योग का मजदूर इससे लाभांवित नहीं होगा और उसके साथ अन्याय होता रहेगा। जहां तक बड़ी-बड़ी मिलों का सम्बन्ध है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, विरोधी नहीं हैं, उनका भी माडर्नाइजेशन होना चाहिए, टैक्सटाइल इंडस्ट्री का, उनमें नई-नई मशीनें लगनी चाहिएं। एक तरफ से देखा जाए तो इसकी आवश्यकता भी है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहता हूं कि यदि कोई उद्योगपति अपनी मिल को बंद भी करना चाहे तो उसको आप बंद करने दीजिए। कोआपरेटिव सैक्टर में आज मजदूर लोग उसको चलाने की हिम्मत रखते हैं। उनके पास इतने असैटस हैं, मैं बम्बई और विदर्भ की बात जानता हूं, उन मिलों के पास इतनी खाली जगह पड़ी है कि उसको यदि आप कोआपरेटिव सैक्टरों में मजदूरों को चलाने के लिए देंगे तो उस जमीन को बेचने से इतना पैसा मिल जाएगा कि आप मिल को माडर्नाइज कर सकेंगे पर मिल मालिक को मलाई न खाने दें।

आप बम्बई की मिलों का अध्ययन कर लीजिए आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। इसलिए इन लोगों से डरने की आवश्यकता बिलकुल नहीं है। जो भी थ्रेटेन करे, उसकी थ्रेटनिंग में न आइए, कम से कम आप मजदूरों का इंस्टरेस्ट देखिए और आपको मजदूरों का हित हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

[श्री बनवारी लाल पुरोहित]

अभी हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि आपने अपनी टैक्सटाइल पॉलिसी में कपास के बारे में तो कहा ही नहीं है। किसानों का जो कपास जाएगा, उनसे आप मिनिमम किस भाव में कपास खरीदेंगे; इसकी आपने कहीं गारन्टी दी है? इस कपास के भरोसे हमारे महाराष्ट्र की पूरी इकनौमी चलती है, हमारे यहां की सबसे बड़ी कैश-क्राप है कपास महाराष्ट्र और गुजरात की। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कपास होने लगा है, उस कपास के बारे में आप अपनी नीति में बिल्कुल साइलेंट है, आपकी नीति में कहीं नहीं है कि आपकी इस नीति के कारण कपास के भाव बढ़ेंगे या घटेंगे, इसके बारे में आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया और हमें डर है कि आपकी इस नीति की वजह से हमारे देश का किसान जो कपास उगाता है, वह मारा जाएगा। वह आज भी चिल्ला रहा है कि हमारी लागत का आधा पैसा भी हमें नहीं मिलता है। आप इनका कैसे संरक्षण करने वाले हैं, यह भी तो हमें समझाइए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले स्वयं इस नीति को पूरी तरह समझिए और जब आपकी समझ में आ जाए, तब आप हमें इसे पूरी तरह समझाइए। ऐसे ही हॉच-पांच जनता के सामने आपने नीति रख दी है जो न आपकी समझ में आती है और न हमारी समझ में आती है। इसका क्या परिणाम होगा, इस बात को सामने रखे बिना आपने टैक्सटाइल पॉलिसी रख दी। लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थे कि भाई टैक्सटाइल पॉलिसी आएगी और एक बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन होगा, ऐसी टैक्सटाइल पॉलिसी आएगी जिससे हमारे यहां पर इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह की चीज नहीं आई है और जो पॉलिसी आई है वह हमारी समझ में नहीं आई। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जहां भी परिवर्तन करना हो, आप वहां पर परिवर्तन कीजिए। कितना रुपया आप हैंडलूम वीवर्स को सबसिडी में देना चाहते हैं, यह भी आप हमें समझाकर बताइए, तब हमारी अच्छी तरह से समझ में आएगी। मिनिमम वेज आप कितना देंगे, ये सब चीजें आप हमें समझाइए। हैंडलूम इंडस्ट्री जिसके भरोसे हमारा देश था और जिसके परिणामस्वरूप हमारे यहां पहले ढाका की मलमल बनती थी जो दुनिया में प्रसिद्ध थी और जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश में आज हाथ-करघे की ये हालत है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा फिर निवेदन है कि आप इसके ऊपर गम्भीरता से विचार कीजिए। इस प्रकार से हैंडलूम इंडस्ट्री को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है, इसके लिए पूरा पूरा सेफगार्ड होना चाहिए, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर-दक्षिण) : सर्वप्रथम मैं रेशम कीट पालने के बारे में बोलूंगा। वस्त्र नीति में यह है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस बारे में वस्त्र नीति में बहुत कम बताया गया है। हमारे देश में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग है। चीन, जापान तथा कोरिया के पश्चात सिल्क उत्पादन करने वालों में भारत का नाम आता है। हमारे देश में सिल्क का 80 प्रतिशत उत्पादन कर्नाटक में होता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीति वक्तव्य में कुछ भी नहीं बताया गया है कि हमारे देश में रेशम कीट पालन उद्योग का विकास कैसे होगा। दूसरी ओर, सरकार की वर्तमान नीति है चीन से सिल्क का आयात करना। इस निर्यात से हमारा सिल्क

उद्योग समाप्त हो जाएगा। भारतीय सिल्क सम्पूर्ण विश्व में विख्यात है। मैं इस बात का साक्षी हूं कि जब कभी बंगलौर में कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो वे वहां सिल्क की दुकान में जाना कभी नहीं भूलते। चाहे वे साड़ी खरीदें या नहीं परन्तु वे स्कार्फ तो खरीदते ही हैं। परन्तु भारत सरकार समझती है कि भारत की सिल्क चीन से घटिया किस्म की है। सिल्क कैसे पैदा होती है। किसान लोग (मलबरि) शहतूत की खेती करते हैं। इनको उगाने वाले होते हैं जो रेशम कीट पालते हैं। तथा इसके अलावा चरखी चलाने वाले तथा बुनकर भी रोते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत-सी चीजें होती हैं। परन्तु हम एक तीर से इन सबको समाप्त कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दे कि कच्चे सिल्क के आयात पर रोक होनी चाहिए। आयात का प्रभाव क्या है ? इससे हमारे कच्चे सिल्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो जबरन कम मूल्य पर बेची जाती है।

मुझे बड़ी खुशी है कि सत्तापक्ष के एक सदस्य ने भी कपास-कृषकों के बारे में बोला है।

3.00 म०प०

वस्त्र उद्योग के लिए कपास ही आधार है। परन्तु आपने इसे क्या दर्जा दिया हैं ? आप हस्तनिर्मित कपड़ों को तो प्रोत्साहन दे रहे हैं परन्तु आपने कपास-कृषकों की सहायता करने के लिए कोई भी योजना शुरू नहीं की है। कपास-कृषकों की नियति क्या है ? कर्नाटक में हजारों रूई की गांठें बिना मांग के पड़ी हुई हैं। माननीय सदस्या श्रीमती बासव राजेश्वरी ने भी इस बात का उल्लेख किया है। अत: कपास-कृषकों को कुछ ठोस प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

इसके बाद, नई वस्त्र-नीति के अनुसार मिल प्रबन्धकों को रेशे का उपयोग करने के बारे में कोई सीमा बन्धन नहीं है। वे सूती रेशा अथवा हस्त-निर्मित रेशे का उपयोग कर सकते हैं। हस्त-निर्मित रेशे का अर्थ क्या है ? यह कहां से आता है ? हस्तनिर्मित रेशे में कौन-सा कच्चा माल उपयोग किया जाता है ? हस्त-निर्मित रेशे में उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री यूक्लिपट्स तथा बांस के पेड़ों से प्राप्त होती है। हमारे जंगलों का क्या होगा ? वन-कटाई के बारे में हम पहले ही चर्चा कर रहे हैं। प्रधान मंत्री हमारे देश में पारिस्थितिकीय संतुलन के बारे में कह रहे हैं। हमारे अपने राज्य, कर्नाटक में कागज उद्योग के लिए हमें युक्लिपट्स तथा बांस नहीं मिलता है जो एक महत्वपूर्ण उद्योग है। हरिहर पोलिफाइबर इन सब चीजों को प्राप्त कर रहा है जो इस हस्त-निर्मित रेशे का निर्माण कर रहा हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से नम्र अनुरोध करता हूं कि नई नीति बनाते समय वे उन्हें कपास-कृषकों, किसानों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। हस्त-निर्मित रेशे का असीमित उपयोग तुरन्त रोका जाना चाहिए। कृत्रिम (सिन्थेटिक) रेशे के उपयोग पर भी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। पहली वरीयता कपास रेशे को दी जानी चाहिए।

अन्त में मैं अपने प्रिय विषय पर आता हूं यानि खादी। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे माननीय सदस्य श्री पी० आर० दास मुन्शी भी इस विषय पर बोले हैं। परन्तु उन्होंने खादी बोर्ड में

[श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर]

हो रही अनियमितताओं के बारे में बताया है। यह एक भिन्न विषय है। आजादी के पश्चात् अनियमिततायें इसमें हैं... (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : यह बढ़ती जा रही हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : यह सम्पूर्ण नैतिक वातावरण पर निर्भर करता है। आजादी से पहले जब गांधी जी जीवित थे तो हम सभी कांग्रेसी थे। उस वक्त हम नैतिकता तथा सिद्धांतों को अधिक महत्व दिया करते थे। परन्तु आजकल नैतिकता का पतन हो गया है। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता—क्योंकि वातावरण ऐसा ही है। परन्तु हमें उसी समय में वापस जाने की कोशिश करनी चाहिए।

जहां तक खादी का सम्बन्ध है वक्तव्य में भी खादी के बारे में सिर्फ सहानुभूति दर्शायी गई है। वक्तव्य में कोई ठोस सुझाव नहीं रखे गए हैं जबकि भारत सरकार यह महसूस करती है कि खादी से लोगों को रोजगार मिलता है। परन्तु अभी भी वे सिर्फ यथापूर्व स्थिति को बनाये हुए हैं। मेरा सुझाव है कि खादी को प्रोत्साहन देने के लिए प्रभावशाली कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए।

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पशोपेश में नहीं हूं कि क्या मैं हम इस नीति का समर्थन करूं अथवा नहीं। मैं इसे दूसरे ही तरीके से कहूंगा। मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। मैं सुझाव दूंगा कि वस्त्र नीति में सुधार करने तथा प्रगति करने की काफी गुंजाइश है। मुझे बहुत बुरा लगा जब अधिकांश वक्ताओं ने समाज के संगठित क्षेत्र अर्थात या तो वस्त्र उद्योग अथवा मिल मालिकों या हथकरघा बुनकरों के बारे में बोला... (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हथकरघे संगठित नहीं हैं।

श्री मधुसूदन वैराले : ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं।

हमारे देश में सबसे ज्यादा असंगठित हैं कृषक तथा किसान। किसान देश की अर्थ-व्यवस्था का आधार है। मुझे ऐसा लगता है कि इस नीति को बनाते समय कपास उत्पादक कृषकों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस आठ पृष्ठों के दस्तावेज में निष्ठुरता से देश के कपास उत्पादक कृषकों के बारे में केवल ग्यारह लाइनें लिख दी गई हैं। मैं कपास उत्पादन क्षेत्र से आता हूं मैं स्वयं भी कपास उत्पादक हूं और हमें याद रखना चाहिए कि जब कभी हम भारतीय अर्थ-व्यवस्था की चर्चा करते हैं तो हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी अर्थ-व्यवस्था बरसात पर निर्भर करती है यानि मुख्यतः यह बारानी खेती पर निर्भर करती है जो हमारे देश में यह 80 प्रतिशत है। और अगर हम देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या की बात नहीं करते तो मैं नहीं समझता कि हमें लोगों का प्रतिनिधि कहलाने तथा इस सदन में बैठने का नैतिक अधिकार है। अत: मैं उनकी ओर से बोलने की मांग करता हूं। परन्तु इस नीति में अच्छी बातों की सराहना

करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि देश में सम्पूर्ण कपास उगाने वालों में से 60 प्रतिशत कपास महाराष्ट्र में होता है। इस 60 प्रतिशत कपास में से 90 प्रतिशत विदर्भ के पांच जिलों से मिलता है। इस क्षेत्र के कृषकों की बराबर शिकायत है कि कपास का उत्पादन कम होता जा रहा है और इसका उत्पादन राष्ट्रीय स्तर तक नहीं है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है ? इसका मुख्य कारण है कि इस क्षेत्र में बरसात अधिक होती है और कपास की खेती शुष्क-भूमि पर होती है। यह प्रकृति पर निर्भर करता है।

हमारे वरिष्ठ सदस्य, प्रो० रंगा का मैं धन्यवाद करता हूं कि हाल ही में उन्होंने इस सदन में इन कपास-उत्पादक कृषकों के आर्थिक संरक्षण के बारे में कहा। इस बारे में मैं भी कहूंगा कि जो लोग राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की बात करते हैं वे संगठित क्षेत्र से संबंधित होते हैं तथा रियायतें प्राप्त करने के लिए वे लोबी बना सकते हैं परन्तु किसान आदि, जो संगठित नही हैं और उनकी कोई लोबी नहीं है और वे अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए शिक्षा-शास्त्रियों या अर्थ-शास्त्रियों को संरक्षण नहीं दे सकते। इस कारण इस देश में कपास उत्पादक अधिकांशत: उन सफेदपोश बुद्धिजीवियों की सहानुभूति नहीं जीत पाते हैं जो पच्चीसवीं मंजिल पर बैठकर शुष्क खेती कठिनाइयों के बारे में लिखने का प्रयास करते हैं। मेरे विचार में यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए उत्साहवर्धक नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कच्चे माल और तैयार माल के मूल्यों में कोई समता नहीं है। आज मैं यदि बाजार जाऊं तो मुझे रेमन्ड या इसी प्रकार का अन्य कोई कपड़ा 1200 रुपए प्रति मीटर मिलेगा और यदि मैं अपनी एक एकड़ शुष्क भूमि बेचूं तो मुझे केवल 2500 रुपए मिलेंगे। यदि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों में इस प्रकार की समता होगी तो मेरे विचार में हमें और कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हमारे योजना निर्माताओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं अभी अपने एक मित्र से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में उनके इलाके में एक एकड़ शुष्क भूमि की कीमत लगभग 4000 रुपए हैं। इसका अर्थ है मैं अपनी एक एकड़ भूमि बेचकर आधा स्कूटर खरीद सकता हूं। इस स्थिति को बदलना है।

महोदय, इन परिस्थितियों के लिए वस्त्र मंत्रालय को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। जब तक कृषि मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच समुचित समन्वय नहीं होगा तब तक इस समस्या को हल नहीं किया जा सकेगा।

सहकारी उपक्रमों सम्बन्धी एक समिति ने अपने प्रतिवेदन में सर्वसम्मति से यह सिफारिश की थी कि सरकार को कच्चे माल और तैयार उत्पाद के बीच कुछ सम्बन्ध रखना चाहिए। मंत्रालय का उत्तर था कि सम्भव नहीं है। भारत सरकार ने 1976 में एक समिति बनाई थी। उस समिति ने इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन तैयार किया था परन्तु बाद में उसे खतम कर दिया गया।

अब एन०टी०सी० मिलें हमारे साथ हैं। मैं उनकी बढ़ी हुई कार्यकुशलता की प्रशंसा करता हूं। हमारे पास अब सरकारी आंकड़े मौजूद हैं, और हम तैयार उत्पाद और कच्चे माल के बीच-संबंध स्थापित कर सकते हैं जैसा कि हमने चीनी के क्षेत्र में किया था।

[श्री मधुसूदन वैराले]

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय की सराहना करता हूं, क्योंकि जब कभी हम उनके पास कोई समस्या लेकर जाते हैं तो वह हमारी बात पूरी हमदर्दी से सुनते हैं। उन्होंने कपास उत्पादकों के पक्ष में कुछ कार्यवाही भी की है।

महोदय, भारत में कपास का आयात करने का भी प्रस्ताव है। इस वर्ष मई में माननीय मंत्री जी ने बम्बई में कहा था कि इस वर्ष भारत से 43 प्रतिशत अधिक कपड़ा निर्यात हुआ है। यह एक स्वागत योग्य संकेत है। हमारी जब यह स्थिति है तो हम विदेशों से कपास के आयात की बात क्यों करें ? महाराष्ट्र कॉटन फेडरेशन और गुजरात तथा भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की और अधिक मात्रा के निर्यात की अनुमति दिये जाने की बात कही जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस पर पूरी सहानुभूति से विचार करेगी। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि तीनों संबंधित मंत्रालयों को साथ बैठकर इसे अन्तिम रूप देना चाहिए। महाराष्ट्र में कपास एकाधिकार योजना चल रही है। हमें इस योजना को जारी रखने के लिए प्रति वर्ष वित्त विभाग के पास जाना पड़ता है। इससे अनिश्चितता पैदा होती है। इस योजना को स्थायी बनाकर हमें इस प्रश्न को हमेशा के लिए हल कर लेना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जनप्रतिनिधियों और सरकार तथा हमारे मंत्री महोदय, एवम् नीति निर्माता इस मामले में आवश्यक कदम उठायेंगे और लोगों की सेवा का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मोटे तौर पर मैं इस पॉलिसी को सपोर्ट करता हूं लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ मेरे सुझाव हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि वह तवज्जह दें और जितना हो सके इस वस्त्र-नीति को दोबारा सुधारने की कोशिश करें।

कपड़ा मिलों के मजदूर जो पूरे मजदूरों में नम्बर 2 पर हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नम्बर दो पर आते हैं वह पहले से ही परेशान हैं। इस वर्ष इस नीति से आपने मैनजमेंट को पूरी ताकत दी है और मजदूरों का भला नहीं किया है, यह बिलकुल साफ बात है। जो मिलें कन्ट्रोल क्लाथ पहले बनाया करती थीं उनका बोझ उनके ऊपर से हटाकर आपने हथकरघा पर डाल दिया है और यह इसलिए डाला है कि कन्ट्रोल क्लाथ बनाकर वे मिलें बीमार हो जाया करती थीं। और ला-इलाज हो जाती थीं, इसलिए इसको मिलों के मजदूरों पर से हटाकर इस बीमारी के बोझ को हथकरघा के मजदूरों पर डाल दिया है। यह गलत है और यह बोझ हथकरघा का मजदूर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देश से यह उद्योग धीरे-धीरे लुप्त हो जाएगा। इसलिए जो कन्ट्रोल के क्लाथ की भारी जिम्मेदारी हथकरघा उद्योग पर डाल दी है वह न डाली जाय।

पावर लूम सैक्टर और मिल्स पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और लेवी आपने ऐट पार कर दी है। यह गलत हुआ है। इससे पावरलूम वाले मिलों के कपड़े से काम्पीट नहीं कर पायेंगे।

कम्पटीशन में वह पिछड़े जायेंगे और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने उनको कंसेशन न देकर मिल सैक्टर के बराबर में लाकर खड़ा कर दिया। अक्सर यह देखने को मिलता है कि ओल्ड टैक्नोलाजी और ओल्ड मशीनरी के कारण, और पुराने मजदूरों को मिलने वाली साहूलियतों से पीछा छुड़ाने के लिए वे सरकार से इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकार उनकी इस मिल को टेक ओवर कर ले और वे धीरे-धीरे उस बात में सफल भी हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि जब सरकार मिल को टेक ओवर करने की बात तय कर लेती है तो उनको यह भी देखना चाहिए कि कब वह मिल जिस को टेक ओवर किया गया है स्थापित गई थी और टेक ओवर करने के टाइम पर उस मिल के लाभ से जो-जो भी संस्थाएं बनाई गई हैं या जो-जो इंडस्ट्रीज खोली गई हैं जो आज प्राफिट में चल रही हैं, उन सब संस्थाओं को भी उसके साथ टेक ओवर करना चाहिए ताकि मिल मालिक को उससे सबक मिले।

दूसरे निवेदन यह है कि पावरलूम्स के लिए प्रोसेसिंग एंड डाइंग हाउसेज खोलने वाली बात पर सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया। पावरलूम सेक्टर के बारे में मेरा निवेदन है कि स्पिनिंग मिल्स जितनी भी हैं वह कोआपरेटिव सेक्टर में होनी चाहिए।

जहां पर पावरलूम हों वहीं पर प्रोसेसिंग हाउसेज और डाइंग हाउसेज भी बनाए जाने चाहिएं और वह भी कोआपरेटिव सेक्टर में होने चाहिएं ताकि अभी पावरलूम वालों को जो दिक्कत हो रही है, दो-चार सौ किलोमीटर दूर जाकर डाइंग प्रोसेसिंग करवानी पड़ती है, वह दिक्कत दूर हो सके। सरकार को प्रोसेसिंग हाउसेज और डाइंग हाउसेज पर तवज्जह देनी चाहिए।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कन्ट्रोल क्लाथ बनाने के लिए आपने जो जिम्मेदारी हैंडलूम पर डाली है उसको वापिस मिलों पर ही डाला जाना चाहिए और इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि अगर मिलें बीमार हो गईं तो क्या होगा। बल्कि सरकार को यह देखना चाहिए कि हैंडलूम का जो कुटीर उद्योग है, जो लाखों की तादाद में लोगों को काम दे रहा है यदि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, इस कन्ट्रोल क्लाथ की वजह से, तो कितना बड़ा नुकसान इस देश को पहुंचेगा।

श्री काली प्रसाद पांडे (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल पॉलिसी के बारे में सत्ता पक्ष तथा विरोध पक्ष—दोनों ही पक्ष के सदस्यों ने ऐसी भावना व्यक्त की है कि इस बजट से करघा उद्योग की उपेक्षा हुई है। इस सदन में यह पहला बजट आया था जिसका सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने मोटे तौर से समर्थन तो किया लेकिन किसी माननीय सदस्य के अन्दर यह भावना उत्पन्न नहीं हुई कि खुले दिल से इसका समर्थन किया हो।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में हथकरघा उद्योग करोड़ों लोगों को रोजगार देता है और जनसाधारण के लिए सस्ते कपड़े का निर्माण करता है। देश के अन्दर सदैव यह बातें रही हैं कि मानव द्वारा निर्मित और मशीन द्वारा निर्मित उत्पादन में अधिकतम संतुलन होना चाहिए ताकि देश के गरीब तबके के लोगों की भी सहायता की जा सके। लेकिन नयी कपड़ा नीति में ऐसा

[श्री काली प्रसाद पांडे]

कोई संकेत नहीं दिया गया है जिससे यह पता चल सके कि इसका कितने लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। यह सोचना गलत होगा कि कीमत गिर जाने से कपड़े की अधिक बिक्री होगी।

पिछली बार इस सदन में कपड़ा नीति के बारे में कहा गया था कि उससे देश की जनता को उचित दामों पर कपड़ा उपलब्ध होगा लेकिन अनेक कठिनाइयों के कारण ऐसी नीति कार्यान्वित नहीं हो सकी। ऐसा प्रतीत होता है कि मिल-मालिकों का बराबर इस नीति पर वर्चस्व रहा है। आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान की वस्त्र नीति पर मिल-मालिकों का वर्चस्व कायम है। इसके चलते दस वर्षों में 100 मिलें रुग्ण हो गई और सरकार को उनका कार्यभार सम्भालना पड़ा। फैक्टरी ऐक्ट जो ब्रिटिश काल में शुरू किया गया था उसको आज भी पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है। बम्बई में 70 हजार मजदूर बेकार पड़े हुए हैं, अहमदाबाद में 50 हजार मजदूर बेकार पड़े हुए हैं और गुजरात में 30 मिलें बन्द हैं।

यदि सरकार इन मिलों को अपने अधिकार में लेगी तो उसको 150 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। इस समय 1 लाख 50 हजार मजदूर भारतवर्ष में बेकार हैं। उन मजदूरों की बेकारी को दूर करने के लिए कोई भी प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। सरकार ने आंकड़े दिए थे कि 1984 तक 11 लाख मजदूर बेरोजगार हुए तो उनको रोजगार देने के लिए सरकार कब तक कार्यवाही करने जा रही है? राष्ट्रीय कपड़ा मिलों में 1985 तक 619 करोड़ की हानि हुई है और आप इन मिलों को आधुनिकीकरण करने हेतु 300 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है—यह इस बजट में नहीं बताया गया है।

वर्तमान कपड़ा नीति में हथकरघा उद्योग को इस प्रकार से बढ़ावा देने, नियंत्रित कपड़ा का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में सौंपने का निर्णय किया गया है अतः हथकरघा उद्योग के बुनकरों और गरीब उपभोक्ताओं की सहायता के लिए अधिक राष्ट्रीय सहायता दी जानी चाहिए।

मैं उत्तरी बिहार से यहां पर आता हूं कहां पर दुर्गा टेक्सटाइल मिल, जो कम से कम चार सौ लोगों को रोजगार देती है, उसके सम्बन्ध में मैंने माननीय चन्द्रशेखर जी, जो कि बिहार के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, उनका पत्र दिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि गोपालगंज जिला जो कि बार्डर का जिला है……

वहां पर भी 300 से अधिक मजदूर बेकार पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। करोड़ों की राहत जो सरकार द्वारा दी जाती है, उसका लाभ निश्चित रूप से उनको उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए आपको कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। जिससे आपके द्वारा जो दी गई राशि है, उसका फायदा वे उठा सकें। कन्ट्रोल का कपड़ा बनाने का बोझ हथकरघा उद्योग पर डाला गया है इससे कन्ट्रोल के कपड़े को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। इस वजह से कोई मिल वाला इसको बनाने को तैयार नहीं है।

जहां हिन्दुस्तान के मिल मालिकों की मशीनरी का प्रश्न है, वह भी बहुत पुरानी हो गई है। मिल-मालिकों द्वारा अपनी मशीनरी का आधुनिकीकरण नहीं किया गया है, जिसकी कि सारी जिम्मेदारी मिल-मालिकों की है। इसके लिए मजदूरों को दंडित करना उचित नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नई वस्त्र नीति का बिना किसी हिचकिचाहट के समर्थन करता हूं। महोदय, मेरे विचार में कोई भी नीति सुस्पष्ट नहीं है। पिछले सात वर्षों में इस नई नीति सहित हमने कई नीतियां बनाई हैं। आरम्भ में 1978 में जब पहली नीति की घोषणा की गई थी तब हथकरघा बुनकरों, खादी और रेशम उद्योग को संरक्षण देने की बात विशेष रूप से कही गई थी। यदि हम नीति वक्तव्य की पंक्तियों की संख्या से, शब्दों की संख्या से और पृष्ठों की संख्या से यह अनुमान लगाएं कि किसमें सरकार की अधिक रूचि है और सरकार किस पर जोर देना चाहती है तो मेरे विचार में हथकरघा सरकार का प्रिय विषय होगा। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि क्रियान्वयन एजेंसियों को अभ्यस्त होने का अवसर दिए बिना नीतियों में परिवर्तन किया जा रहा है। प्रत्येक नीति के अपने गुणावगुण होते है। मेरे विचार में हम नए वस्त्र मंत्री श्री चन्द्र शेखर के हाथों में सुरक्षित हैं। परन्तु मुझे यह आशंका है कि इस नई नीति का पूर्णतया परीक्षण किए बिना, मेरे द्वारा बतायी गयी कतिपय त्रुटियों के बावजूद यदि फिर नई नीति आ जाती है तो यह केवल शब्द जाल है और हम इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते।

हथकरघा नीति के बारे में—मैं एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसमें प्रत्येक परिवार—चाहे उसका सामाजिक स्तर कुछ भी हो—हमारे यहां चूंकि राजशाही रही है—इसलिए राजा से लेकर उसके नौकर और समाज के निम्नतम व्यक्ति तक के परिवार में से कोई न कोई करघे का काम अवश्य करता होगा। विशेष रूप से समाज में प्रत्येक महिला अवश्य ही बुनकर होगी और हमें अपनी महिला बुनकरों पर गर्व है। मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। अत: मेरे विचार में आप इस मोह का ध्यान रखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस ओर अवश्य ही ध्यान दें। उस क्षेत्र में हथकरघे का अभी तक अस्तित्व किसी आर्थिक सहायता के कारण नहीं, अपितु इस कारण बना हुआ है कि हमारे समाज के सभी सदस्य हथकरघे से निर्मित कपड़े का इस्तेमाल करते हैं भले ही लाभ हो या न हो।

मुझे याद है, पिछले सत्र में मेरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए हमारे माननीय मंत्री महोदय ने वायदा किया था कि वह हमारे क्षेत्र का हमारे राज्य का दौरा करेंगे। मैं नहीं जानता कि उनका इससे क्या अर्थ था। मैं यह भी नहीं जानता कि उन्होंने उस राज्य का दौरा किया भी है या नहीं। परन्तु मैं और उत्तर पूर्वी राज्यों के अन्य सदस्य अप्रसन्न हैं। संभवतः उन्होंने शिलांग का दौरा किया था। परन्तु आपको शिलांग में मणिपुर की कोई झलक नहीं मिलेगी, आपको अगर-तला की कोई झलक नहीं मिलेगी, आपको असम की कोई झलक नही मिलेगी, आपको मिजोरम

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

की कोई झलक नहीं मिलेगी। मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां हथकरघा भावनाओं के आधार पर और पारम्परिक आधार पर अस्तित्व में है अन्य किसी आधार पर नहीं। अब आपको इन बुनकरों की समस्याओं पर गहराई से विचार करना होगा। मेरे विचार में अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति होगी। मैं अन्य क्षेत्रों के बारे में विश्वास से कुछ नहीं कह सकता। उचित मूल्य पर धागा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। 1978 में प्रथम नीति में यह कहा गया था कि हथकरघा और खादी बुनकरों की मुख्य कठिनाई यह है कि धागा उचित मूल्य पर नहीं मिलता। प्रथम नीति में धागा उचित मूल्य पर उपलब्ध करने का वायदा किया गया था। दूसरी नीति में भी यह वायदा किया गया था। अब भी यह वायदा भिन्न शब्दों में किया गया है। यदि इस शाब्दिक आश्वासन का कोई अर्थ है तो हमें तत्काल बुनकरों की सहायता करनी चाहिए विशेषरूप से सस्ता धागा उपलब्ध कराने के लिए और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। इन दो क्षेत्रों में सरकार यदि कुछ कर सकती है तो उससे बड़ी सहायता मिलेगी।

विदेशी बाजारों में कुछ वस्त्रों पर, धोती पर और हथकरघा वस्त्रों पर मणिपुरी डिजाइन बहुत लोकप्रिय हैं। निर्यातक मांग करते हैं कि उनका उत्पादन एक या दो या सौ की बजाए लाखों में किया जाए। इस प्रकार गुणवत्ता और डिजाइन की एकरूपता की आवश्यकता होती है ऐसा केवल उत्पादन केन्द्रों के नियन्त्रण द्वारा किया जा सकता है। हम यह कैसे कर सकते हैं? आपने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र का विकास राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर सहकारी क्षेत्र और निगम क्षेत्र में किया जा सकता है। इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार एक बड़े स्तर पर कार्य कर सकती है, ताकि इन क्षेत्रों के, विशेषरूप से मणिपुर और इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों के बुनकरों को निर्यात हेतु लोकप्रिय डिजाइनों में उत्पादन का अवसर प्रदान किया जा सके। इससे हमें एक ओर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की आय होगी और दूसरी ओर इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के बुनकरों को आजीविका के अवसर मिलेंगे।

3.28 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुये]

आवश्यकता उत्पादन केन्द्र सुनिश्चित करने की है। मेरे विचार में माननीय मंत्री महोदय इस पर विस्तार से विचार करेंगे और इन क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे सामने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में समस्यायें भी भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। किसी क्षेत्र के एक दौरे, हवाई दौरे से सन्तुष्ट होने की बजाए और यह कहने की बजाए कि "मैंने इस क्षेत्र का दौरा किया है, मैं इस सम्बन्ध में कुछ करूंगा," उन्हें इन क्षेत्रों की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं। दूसरी नीति में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की बात कही गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी स्थापना कर दी गई है और यदि हां, तो यह क्या कार्य कर रहा है और यदि नहीं, तो क्या इसे शीघ्र स्थापित किया जाएगा, ताकि हथकरघा प्रौद्योगिकी में आधुनिक विकास किया जा सके।

समाप्त करने से पहले मैं पुनः यह अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य और केन्द्र में क्रियान्वयन एजेन्सियों को इस नीति के विस्तृत उपबन्धों की तथा हथकरघे के लिए कुछ मदों को आरक्षित करने के बारे में बनाए गए कानून की जानकारी होनी चाहिए। यदि क्रियान्वयन एजेंसियां कमजोर होंगी और उन्हें पूरी जानकारी नहीं होगी, यदि वे ईमानदार नहीं होंगी तो इन नीतियों से और इस कानून से उतना लाभ नहीं होगा जितना कि इनसे अपेक्षा की जाती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं नई वस्त्र नीति का पूर्ण समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, टैक्सटाइल पालिसी जो प्रस्तुत की गई है, उसका मैं समर्थन करता हूं मगर जो सबसे अहम मुद्दा है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सिक यूनिट्स के सम्बन्ध में आपने इस पालिसी में कुछ इस प्रकार के मुद्दे रख दिए हैं, जिनकी वजह से जो लोग जान बूझकर इस टैक्सटाइल इंडस्ट्री को सिक बनाते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो लोग मिसमेनेजमेंट की वजह से या एसेट्स ट्रांसफर करके कुछ टेक्सटाइल मिलों को सिक बनाते हैं, उनकी तरफ आपको खासतौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि जिन लोगों ने टेक्सटाईल इन्डस्ट्रीज के जरिए से लाखों, करोड़ों रुपया कमाया है और नई-नई इन्डस्ट्रीज खड़ी कर ली हैं, अपनी पुरानी इन्डस्ट्रीज से सारा माल निकाल लिया, उन्हें माडरेनाइज नहीं किया, न उनमें किसी और प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया और उन्हें सिक बना दिया, ऐसी इन्डस्ट्रीज के मेनेजमेंट के खिलाफ आप इस तरह की कार्यवाही करें जिससे उन्होंने जो नये असेट्स खड़े किए हैं वे भी उन इन्डस्ट्रीज के साथ जुड़ जाएं और आप उन सबका टेकओवर कर सकें।

आपने यह कहा है कि न हम नेशनेलाइज करेंगे, न टेकओवर करेंगे। ऐसी हालत में जो इन्डस्ट्रीज में मिसमेनेजमेंट हो रहा है, और उसकी वजह से नए-नए असेट्स खड़े किए जा रहे हैं और दूसरे प्रकार की धोखाधड़ी की जा रही हैं जिससे कि इन्डस्ट्रीज सिक हो रही हैं, इन इन्डस्ट्रीज के मालिकान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी और उनको गलत काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय टेक्सटाईल मिनिस्टर साहब मैं आपका ध्यान अपनी कांस्टीच्युएंसी में स्थित मेवाड़ टेक्सटाईल मिल की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि सिक बन गई है और जिसके संबंध में मैंने आपसे निवेदन भी किया था आपने कृपा करके कार्यवाही भी की थी और राजस्थान सरकार ने रिलीफ अण्डरटेकिंग के तहत उसको अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन उसमें कुछ खामियां रह गई हैं। एक खामी यह रह गई है कि आई०डी०बी०आई० को लोन के लिए एप्लीकेशन दी गई थी। आई०डी०बी०आई० का यह कहना है कि जब तक इस मिल के 60 परसेंट शेअर ट्रांस्फर नहीं होते तब तक इस मिलको लोन नहीं मिलेगा। इस मिल का पुराना मालिक...**...

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

60 परसेंट शेअर ट्रांस्फर करने को तैयार नहीं है। ऐसी हालत में इस मिल को लोन मिलने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

इस······**······ने इस मिल का करोड़ों रुपया खाया है। उसके खिलाफ अब तक सख्त कार्यवाही नहीं की गई है। 80 लाख रुपया प्रोविडेंट फण्ड का, 35 लाख रुपया ई०एस० आई० का, और कम्पलरी डिपाजिट का सारे का सारा पैसा यह सेठ हजम कर गया है। उसके खिलाफ फौजदारी केसिज चल रहे हैं। चार करोड़ रुपया उसने धोखाधड़ी देकर फाइनेंशल इंस्टी-च्यूशंस का हजम कर लिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्यवाही होनी चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं करते हैं तो आप जो ये कदम उठा रहे हैं उन कदमों को नाकाम करने के लिए ये पूंजीपति कार्यवाही करते रहेंगे और आपकी नई व्यवस्था ठीक से नहीं चल पायेगी। ऐसे पूंजीपति के खिलाफ आप सख्त कार्यवाही करके उसे जेल भिज-वाइये। उसके जो शेअर हैं वे फाइनेंशल इंस्टीच्युंशस के पैसे से खरीदे हुए हैं इसलिए वे शेअर आई०डी०बी०आई० को ट्रांस्फर कराकर उस मिल को लोन दिलवाइये जिससे कि वह मिल चले और जो उसके ढाई हजार मजदूर जो सालों से बेकार बैठे हैं उन्हें काम मिले। उन्हें भी इसके मेनेजमेंट में शामिल कीजिए। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इसके लिए आपको तुरन्त कार्यवाही करनी पड़ेगी तब जाकर आपकी सारी व्यवस्था ठीक बैठ पायेगी। इस सम्बन्ध में आप कोई-न-कोई कदम उठाकर हमको राहत दिलवाइये। वहां की यूनियन से समझौता हो चुका है और वे लोग इस इन्डस्ट्री को चलाने में सहयोग देने को तैयार हैं। गवर्नमेंट के हाथ लम्बे हैं। गवर्नमेंट इस पूंजीपति के खिलाफ सख्त कार्यवाही करके इस मिल को चालू करवाने में मदद कर सकती है।

इस मिल के अन्दर कुछ फालतू जमीन पड़ी है। जिसको राजस्थान सरकार ने अपने हाथ में लेकर उसका डेढ़ करोड़ रुपया देना तय किया था। उसमें भी यह पूंजीपति आनाकानी कर रहा है। इसमें उसका कोई लेना-देना नहीं है लेकिन वह इस रुपये से भी नये असेट्स तैयार करना चाहता है। इस मिल को जो पांच-छः करोड़ रुपये की आवश्यकता है, उसमें इस डेढ़ करोड़ रुपये में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसलिए इस व्यवस्था को तुरन्त लागू करने की व्यवस्था आप अपने प्रभाव से जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। इस तरीके से यह मिल वापिस चालू हो जाएगी और 2500 मजदूरों को रोजी-रोटी मिल सकेगी। इसलिए इस व्यवस्था को कृपा करके जल्दी से जल्दी लागू करने की व्यवस्था करें।

दूसरा मेरा निवेदन हैण्डलूम के बारे में है। हैण्डलूम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। पहले प्राइवेट सेक्टर और नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के अंदर को कंट्रोल का कपड़ा बनता था, अब वह हैण्डलूम के अंदर बनेगा। मैं यह नहीं कहता कि यह कदम अच्छा नहीं है, यह बहुत अच्छा कदम है मगर उनको जो सबसीडाइज्ड करने की बात कही गई थी कि जितना भी

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

घाटा होगा, उसको सबसीडाइज्ड करेंगे, उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी मणिपुर से आए एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हैण्डलूम को सस्ते भाव से धागा ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसी चर्चा है कि इस तरह की पालिसी बनाई गई है कि नई स्पिनिंग मिलों को लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। अगर नई स्पिनिंग मिल्स को लायसेंस नहीं देंगे तो हेण्डलूम के लिए सस्ते धागे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। सस्ते धागे की व्यवस्था वे किस प्रकार से कर पायेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पालिसी पर दोबारा गौर करें और इस प्रकार की कोई बंदिश न लगाई जाए कि नई स्पिनिंग मिलें नहीं स्थापित होंगी। इससे अव्यवस्था बढ़ेगी। इसलिए मेरा खासतौर से निवेदन है कि नई स्पिनिंग मिलें कोआपरेटिव सेक्टर में जितनी भी आवश्यकता हो, लगाई जानी चाहिएं। इससे हैंडलूम और दूसरी कपड़ा नीति को कामयाब बनाने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। इसको निश्चित तरीके से करना चाहिए। हम लोग अपनी कांस्टीटूवेंसी भीलवाड़ा में आसींद और शाहपुरा में को-आपरेटिव सेक्टर में दो स्पिनिंग मिलें स्थापित करने के लिये काफी अरसे से कार्यवाही कर रहे हैं। जिस पालिसी का मैंने जिक्र किया है, अगर वह हो जाती है तो निश्चित तरीके से इस प्रकार की स्पिनिंग मिलें स्थापित करने में बहुत बड़ी अड़चनें आएंगी। इसलिए इस पालिसी को रिवाइव करने की आवश्यकता है। अगर ऐसी पालिसी नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर है तो इसको रिवाइव करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें हैण्डलूम को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना है और सारे देश की कपड़े की आवश्यकता को पूरा करना है इसलिए स्पिनिंग मिलें स्थापित होनी चाहिएं और सस्ते भाव पर धागा हैण्डलूम को मिलता रहना चाहिए ताकि हैण्डलूम बड़े पैमाने पर काम कर सके और हिन्दुस्तान की कपड़े की आवश्यकता पूरी हो सके।

इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री महोदय ने जो टेक्सटाइल पालिसी यहां रखी है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, मंत्री महोदय निश्चित तरीके से उन पर गौर करेंगे और इन व्यवस्थाओं को पूरा करने में योगदान देंगे।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं सरकार द्वारा प्रतिपादित तथा इस सभा में प्रस्तुत की गयी इस वस्त्र नीति का समर्थन करता हूं। हमारे देश की वस्त्र नीति का हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्त्व है। वस्त्र उद्योग देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना उद्योग है। इस उद्योग में 120 लाख कामगार लगे हैं और इससे प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय होती है।

राष्ट्रपिता गांधी जी दक्षिण अफीका में सत्याग्रह कार्यक्रम चलाने के बाद जब वहां से भारत आए तो उनका ध्यान कपड़ा क्षेत्र या कपड़ा मिल मजदूरों के कष्टों की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने भारत में अपने सार्वजनिक जीवन के प्रथम चरण में अहमदाबाद में कपड़ा मजदूरों के आन्दोलन का अथवा हड़ताल का नेतृत्व किया।

इसके अतिरिक्त, महोदय, हस्त-निर्मित वस्तुयें तथा खादी चरखा गांधीवादी अर्थ-व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण पहलू थे जिनके कारण अन्ततः देश को आजादी प्राप्त हुई। इस गांधीवादी

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

अर्थ-व्यवस्था ने ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था पर एक कठोर आघात किया। अतः यह हमारी वस्त्र नीति ने बहुत बड़ा महत्व प्राप्त किया है। आजादी के बाद संगठित क्षेत्र के कपड़ा मिलों की संख्या बढ़ी है परन्तु विडम्बना यह है कि मिलों की संख्या के बढ़ने के साथ-साथ कपड़ा श्रमिकों की समस्यायें भी बढ़ती चली गयीं और अभी हाल ही में रुग्ण कपड़ा मिलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसको कैसे हल किया जाए।

इस नयी कपड़ा नीति में बहुत-सी बातें स्वागत योग्य हैं। 1968 से राष्ट्रीय कपड़ा निगम एक के बाद एक रुग्ण मिल को अपनाता जा रहा है और अब उनकी संख्या 125 तक पहुंच गयी है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपनी देख-रेख में इन रुग्ण मिलों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के रूप में लगभग 340 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया है परन्तु इसका कुल परिणाम क्या निकला है। कोई भी लाभ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ लगभग 100 करोड़ रुपये का भारी नुकसान प्रति वर्ष हो रहा है। यह कैसी विडम्बना है। स्वाभाविक है कि हमें रुग्णता को समाप्त करना होगा और हमें इस रुग्णता को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे तथा वस्त्र उद्योग को स्वस्थ्य हालत में लाना होगा। नयी कपड़ा नीति में बहुत से अच्छे उपायों का उपबन्ध किया गया है और ये उपाय स्वागत योग्य हैं।

महोदय, हमारी कपड़ा नीति में तीनों क्षेत्रों का अच्छा मिश्रण होना चाहिए। इसे संगठित मिल क्षेत्र, असंगठित विद्युत करघा तथा हथकरघा क्षेत्रों का 'संगम' तथा 'त्रिवेणी' होना चाहिए। जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया, मुझे यह जानकर दुःख है कि यह नीति संगठित क्षेत्र के मिलों के बहुत अधिक पक्ष में है। संगठित क्षेत्र के बारे में इसका खूब व्याख्यान है परन्तु दूसरे दो क्षेत्रों, मुख्यतः हथकरघा क्षेत्र जो कभी देश का गौरव था, को जो रियायतें ये देना चाहती हैं उसके बारे में कुछ चुप है।

महोदय, मैं उड़ीसा के उस संभलपुर से आता हूं जिसने अपने सुन्दर वस्त्रों तथा संभलपुरी साड़ियों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी को संभलपुरी साड़ियां बहुत ही प्रिय तथा पसन्द थीं। जब कभी वह उड़ीसा और खासतौर पर संभलपुर की यात्रा करती थीं तो वह इन साड़ियों की फरमाइश करती थीं और कुछ ले जाती थीं। परन्तु अब हथकरघा क्षेत्र के श्रमिकों की दशा क्या है? उनकी कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। मैं यहां पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मुझे प्रसन्नता है कि नयी वस्त्र नीति में हथकरघा क्षेत्र को काम दिलाने का एक उद्धारक पहलू है। सरकार ने नियंत्रित मूल्य के कपड़े का उत्पादन संगठित क्षेत्र से लेकर हथकरघा उद्योग को सौंप दिया है। ऐसा संगठित क्षेत्र को लाभदायक तथा आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए किया गया है क्योंकि यह लाभ के बजाय हानि में चल रहा था। अतः उन्होंने यह भार हथकरघा क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया है। आखिरकार हथकरघा क्षेत्र जो पहले ही इस नए भार की वजह से दब रहा है, हम उसके फलने-फूलने की आशा कैसे कर सकते हैं? जब तक इस उद्योग को आर्थिक

सहायता न दी जाए, प्राथमिकता न दी जाए तथा धागे की पूर्ति निश्चित न की जाए—धागा बढ़िया होना चाहिए तथा समय पर दिया जाना चाहिए—और नई तकनीक का प्रवेश न कराया जाये, तब तक यह फल-फूल नहीं सकता। कुछ संस्थान, कुछ कार्यक्रम हथकरघा उद्योग को नई तकनीक उपलब्ध कराने के लिए बनाए जायें ताकि यह उद्योग विद्युतकरघा तथा संगठित क्षेत्र के मिलों से प्रतिस्पर्धा कर सकें और सस्ती दरों पर भी वस्त्र का उत्पादन कर सकें। अब, नकल एक समस्या खड़ी कर रही है, जो हथकरघा उद्योग के विकास के लिए एक खतरा है। इन सब बातों से निपटना चाहिए। हथकरघा उद्योग के विकास हेतु न केवल केन्द्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी एक संगठन की स्थापना की जानी चाहिए और इस संगठन को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। इसको केवल अपने काम से सरोकार रखना चाहिए। इसे बुनकरों तथा अन्य जो इस उद्योग में कार्यरत हैं उन्हें आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हथकरघा कपड़े का निर्माण कठोर निर्देशों के साथ किया जाना चाहिए कि सरकारी एजेंसियों तथा संगठन सभी सरकारी कार्यालयों के प्रयोग के लिए और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रयोग हेतु हथकरघा कपड़ा ही खरीदें। जब तक ये बातें नहीं होंगी तो यह स्वाभाविक है कि हथकरघा उद्योग का विकास नहीं होगा।

अब, महोदय, इसमें संपूर्ण वस्त्र उद्योग के 75% श्रमिक कार्यरत हैं। स्वाभाविक ही उनका भविष्य खतरे में है। मुझे आश्चर्य है कि हमारे जैसे गरीब देश में, जो गरीबी से दबा हुआ देश है तथा लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाने के प्रति बचनबद्ध है, क्या हमें, जैसी कि वर्तमान स्थिति है, बहुत किस्म की साड़ियों और 'धोतियों' एवम् अन्य कपड़ों का उत्पादन करना चाहिए। मेरे विचार में इसकी आवश्यकता नहीं है। यह उचित समय है जब हम किस्मों की संख्या कम करे और आवश्यकता के अनुरूप स्वीकार्य क़िस्म का कपड़ा लोगों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्य पर स्वयं को केन्द्रित करें।

महोदय, संभलपुर जिले के जरसगुड़ा में भास्कर कपड़ा मिल के नाम से एक कपड़ा मिल है। यह मेरे चुनाव क्षेत्र में है। यह पश्चिम उड़ीसा में अपने किस्म की अकेली मिल है और यह उड़ीसा का पिछड़ा क्षेत्र है। वहां पर जनजाति के लोग रहते हैं। इस मिल के बन्द होने से लगभग दो हजार श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। इसे क्यों बन्द किया गया है? यह एक स्वस्थ्य एकक है, एक स्वस्थ्य मिल है। मिल ठीक से कार्यकर रहा था और लाभ में चल रहा था परन्तु मालिक परिवार में बाप-बेटे के बीच किसी पारिवारिक झगड़े के कारण इसे गत दो वर्षों से बन्द करना पड़ गया है। उड़ीसा सरकार ने इसमें रुचि दिखायी है। राज्य सरकार इसे अधिग्रहण करने के बाद पुन: खोलना चाहती है। इस मिल को फिर से चालू करने के लिए केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह उड़ीसा सरकार को सभी प्रकार का समर्थन तथा प्रोत्साहन दे। दो हजार से अधिक श्रमिकों को, जिन्हें कार्य से निकाल दिया गया था, लाभ पहुंचेगा। महोदय, हम इस नीति का स्वागत करते हैं परन्तु इससे असंगठित क्षेत्र, विद्युतकरघा तथा हथ-करघा क्षेत्र के भविष्य के बारे में शंका पैदा होती है। अतः मंत्री महोदय को चाहिए कि वह इन बातों को स्पष्ट करें तथा हथकरघा उद्योग को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा था

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

कि हमारी वस्त्र नीति को तीनों क्षेत्रों— संगठित मिल क्षेत्र, असंगठित विद्युतकरघा क्षेत्र तथा हथकरघा क्षेत्र का —'संगम' अथवा 'त्रिवेणी' होना चाहिए। मंत्री महोदय इसे सुनिश्चित करें।

*श्री जी०एस० बसवराजू (टुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वस्त्र नीति की चर्चा में हिस्सा लेते हुए, मुझे इस बात का खेद है कि वस्त्र उद्योग के गरीब श्रमिकों के साथ अन्याय किया गया है। इस देश का लगभग 11 प्रतिशत व्यापार वस्त्र से संबंधित है। परन्तु बुनकरों और चरखी कातने वालों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मिल क्षेत्र को बैंकों से ऋण सहित सभी प्रकार की सहायता मिल रही है। परन्तु ऐसी सुविधायें हथकरघा क्षेत्र को प्राप्त नहीं है जबकि इस क्षेत्र में 75 लाख लोग कार्य कर रहे हैं। हथकरघा क्षेत्र के इन गरीब श्रमिकों के कल्याण के बारे में कोई नहीं सोचता। मिल क्षेत्र में बहुत सी अनियमिततायें हैं। कभी-कभी मिल मालिक मुआवजा वसूल करने के उद्देश्य से मिल को रुग्ण कर देते हैं। यह क्षेत्र कर-अपवंचन तथा अन्य अनियमितताओं में लिप्त रहता है। इसी कारण मिलों की बेहिसाब बढ़ोतरी हो रही है। एक ही व्यक्ति विभिन्न नामों से कई मिलें चलाता है। विद्युतकरघों को सुरक्षा तथा संरक्षण प्राप्त है। हथकरघा उद्योग जिसका देश में भविष्य अंधकारमय है, की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि हथकरघा क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा तथा संरक्षण दिलाने की ओर ध्यान दें। उन्हें सभी आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिएं। उन्हें आवास की सुविधा भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। अन्यथा हथकरघा क्षेत्र के गरीब श्रमिकों की दशा खराब हो जायेगी और वे कभी भी मिलों के साथ स्पर्धा नहीं कर सकेंगे। यह बात स्वाभाविक ही है कि जो कपड़ा हथकरघा क्षेत्र में बनाया जायेगा वह हल्की किस्म का होगा। अत: यह बहुत ही आवश्यक है कि हथकरघा उद्योग को वस्त्र उद्योग से पृथक किया जाये और हमें एक अलग हथकरघा नीति बनानी चाहिये। धागे का मूल्य उचित होना चाहिये तथा यह मूल्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाना चाहिये।

आज यह एक दु:खद मामला है कि इस देश में 15-16 करोड़ लोग जो कपास का उत्पादन करते हैं कठिनाई में हैं। इस नीति में इन गरीब कपास उत्पादकों को सहायता पहुंचाने के लिए कोई योजना नहीं है। गरीब कपास उत्पादकों को केवल 420 रुपये प्रति क्विंटल मिलते हैं। उतनी ही कपास जब मिलों से आती है तो उसकी लागत लगभग 4500 रुपये होती है। इस देश में इस प्रकार से गरीब कपास उत्पादकों का शोषण किया जाता है।

कर्नाटक राज्य अपने रेशम के उत्पादन पर गर्व महसूस करता है। इस राज्य में टीपू सुल्तान के जमाने से रेशम का उत्पादन हो रहा है। आज अकेले मेरे राज्य में 45 लाख से अधिक लोग रेशम के उत्पादन पर निर्भर करते हैं। कर्नाटक में लगभग 4 ½ हजार मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन किया जाता है। हमने विश्व बैंक से भी कर्नाटक में रेशम-कीट-पालन के लिए सहायता ली है। आश्चर्य की बात यह है कि दूसरी ओर हमारी केन्द्रीय सरकार चीन से रेशम का

*मूल कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आयात कर रही है । हमारे देश में कृत्रिम कपड़े की मांग बढ़ रही है । वाराणसी के बहुत से लोग निजी लाभ के लिए संपूर्ण रेशम उद्योग के हित की उपेक्षा करके इस आयातित कच्चे रेशम का पक्ष ले रहे हैं । हमने चीन से 250 मीट्रिक टन निम्न स्तर के कच्चे रेशम का आयात किया है। यह वास्तव में एक खतरनाक चाल है। इसे हमारी सरकार को रोकना होगा। वास्तव में कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह अग्रिम लाइसेंसिंग योजना तथा निर्यात की संपूर्ति, दोनों के अन्तर्गत आने वाले कच्चे रेशम पर नियंत्रण रखे ताकि राज्य सरकार छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि इस नीति के परिणामस्वरूप स्वदेशी कच्चे रेशम के धागे का मूल्य बहुत कम हो गया है और इसके कारण चरखी कातने वाले किसानों को कोकूनों की बहुत ही कम कीमत दे रहे हैं । यह न केवल रेशम-कीट-पालन के और अधिक उत्पादन को रोकेगा बल्कि पुराने शहतूत की खेती करने वालों को किसी वैकल्पिक खेती करने के लिए विवश करेगा । अतः मैं मांग करता हूं कि रेशम के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये । हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था तथा समाजवाद को इस आयात पर प्रतिबन्ध लगाने से बहुत प्रेरणा मिलेगी ।

बिचौलिये भी रेशम तथा कपास के गरीब उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं। एक किलोग्राम कपास का मूल्य सिर्फ 4 रुपये है परन्तु एक वस्त्र (धोती) जो उतनी ही कपास की मात्रा से बनती है 130 रुपये में बिकती है ।

यह महात्मा गांधी की भूमि है जहां कुटीर उद्योगों को फलना-फूलना चाहिए परन्तु दुर्भाग्य से हथकरघा उद्योग तथा कुटीर उद्योग सबसे ज्यादा कठिनाई में हैं ।

कर्नाटक अच्छी किस्म के रेशम का उत्पादन कर रहा है । यह राज्य देश की पूरी आवश्यकता के अनुसार रेशम का उत्पादन कर सकता है । इसलिए गरीब रेशम उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । जापान तथा अन्य देशों से हमेशा के लिये पोलिएस्टर के आयात पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये, अन्यथा कृषकों का नाश हो जायेगा । बिचौलियों के शोषण को समाप्त करना चाहिए । वह साड़ी को 450 रुपये में बेचता है । साड़ी केवल 160 रुपये की लागत के रेशमी धागे से तैयार होती है । ऐसे शोषण को समाप्त करना चाहिए । अगर किसानों को सभी सुविधायें मिलें तो मुझे विश्वास है कि हमारा देश बहुत अच्छी प्रगति कर सकता है। महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल हन्नान अंसारी (मधुबनी) : चैयरमैन साहब, आपने जो इस पर बोलने का मुझे अवसर दिया, मैं पहले ही आपको धन्यवाद देता हूं ।

मुझ से पहले बहुत से लोग इस नीति पर बोल चुके हैं, खासतौर से इस हाउस के बहुत तजुर्बेकार श्री रंगा जी जो हैंडलूम सेक्टर से भी ताल्लुक रखते हैं और हैंडलूम कांग्रेस में उनकी

[श्री अब्दुल हन्नान अंसारी]

बहुत बड़ी हैसियत है, और साथ ही साथ प्रो० दंडवते जी भी इस पर बोल चुके हैं। मैं आज खासतौर से हैंडलूम के बारे में कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। हर बार इस हाल के अन्दर हैंडलूम के बारे में बड़े-बड़े वायदे किये गये, उसके जो भयानक अंजाम हुए, उनका चन्द जुमलों में मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं।

1971 और 1972 में जब पावरलूम को इन्ट्रोड्यूस किया गया, उस वक्त यह कहा गया कि यह गरीब बुनकरों को दिया जायेगा, उनके करघों का नवीकरण किया जायेगा, लेकिन इंतिहा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस मौके पर वह सब पावरलूम पूंजीपतियों के हाथ में दिये गये जिनके पास लम्बी-लम्बी रकमें जेबों के अन्दर थी, उन्होंने बांये हाथ से उन करघों को खरीदा और उनको बड़े-बड़े शहरों में स्थापित किया। हमारे मिलों के मजदूरों को बेकारी से दो-चार होना पड़ा। इस रूप में हमारे मुल्क में बुनकर तबके में भयंकर बेरोजगारी उत्पन्न हुई और लाखों की संख्या में लोग हाथ करघों को छोड़कर भागने लगे।

मैं अपने जिले मधुबनी के आंकड़े देता हूं। जो इस देश में जगह-ब-जगह बुनकर समुदाय रहते हैं, उसके मुख्तलिफ स्थान हैं, उसमें से यह इलाका मानचेस्टर माना जाता है, जहां करीबन 35 हजार करघे चलते थे लेकिन 1971 में जब यह नीति बनाई गई, पावरलूम की तो वहां के 10 हजार बुनकर हाथकरघा छोड़कर बम्बई के फुटपाथ पर आसमान के नीचे नाली के किनारे पड़े हुए हैं, जिसके स्थान का नाम गांवड़ी नाम भिवंडी है। आज भी एक पत्र मुझे मिला है जिसमें लिखा है कि इस देश में कोई ऐसा नहीं जो हमारी समस्याओं को रख सके और हमारी समस्याओं का भी निदान हो सके। आज हमें अपने उद्योगों को छोड़कर नालियों के पास आकर

4.00 म०प०

जमा होना पड़ा। जो बड़े-बड़े सेठ साहूकार जो कि पावरलूम को ले लेते हैं, वह आज उनका शोषण कर रहे हैं, उनके लिये न रहने को घर है और न ही रहने का दूसरा तरीका है। मैंने इस सम्बन्ध में आवास मंत्री के पास भी उनके आवेदनों को भेजा था, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।

श्रीमन्, 1974 में श्री शिवरमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। कमीशन ने अपनी रिर्पोट में कहा था कि बुनकरों के अन्दर बेचैनी और बेरोजगारी की समस्या है। उस कमीशन ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि जिस 24 हथकरघे पर जो बुनकर काम करते हैं, उसके मुकाबले में यह एक पावरलूम 24 बुनकरों के काम को हजम कर लेता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस पावरलूम को दिया जाना ही जरूरी है तो उन गरीब बुनकरों को सरकार की तरफ से आप कर्ज के तौर पर दें और उन्हीं के हाथों इसको लगाया जाये, लेकिन कमीशन की जो सिफारिशें थीं, यह फाइलों में ही रह गईं। इसके बाद दूसरी पालिसी 1981 के अन्दर जो कामर्स मिनिस्ट्री के जरिये से जो स्टैंडिंग कमेटी बनायी गई उसने यह कहा कि कम से कम यह बात की जाये कि यह पावरलूम जो बना ली है वह हाथकरघा वस्तु नहीं आज बुनकरों के पेट काटने के लिये है

और यह जो हैंडलूम प्रोडेक्शन है, उस पर नियंत्रण किया जाये, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह नियंत्रण केवल फाइलों में रहा और बराबर उस पावरलूम ने उस हैंडलूम सेक्टर के ऊपर जो उत्पादन होता है, उसी को बनाना शुरू किया। इससे बेकारी की समस्या बुनकरों के अन्दर उत्पन्न हुई।

1977 के अन्तर्गत सरकार की नीति के मुताबिक 1984 में सरकार ने एक और नीति चलायी, जिसके जरिए थोड़ा बहुत यानी कि 1/10वां हिस्सा बुनकरों को उससे काम मिलना शुरू हुआ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूंजी की जो मात्रा थी, वह उनको नहीं दी गई, जिसकी वजह से जो उसका लाभ मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे मधुबनी जिले में 35 हजार में से 10 हजार बुनकर भाग गये और शेष 25 हजार बचे। उस जिले के अन्दर सिर्फ 2 हजार बुनकरों को ही काम मिल पाया। एक हजार को कोआपरेटिव द्वारा, 500 को कारपोरेशन के जरिये से और 500 को खादी भण्डार के जरिये से काम मिला। इस तरह से बाकी 23 हजार लोग बेकारी के शिकार हैं। अगर आप प्रोडक्शन लागत पर गौर करें तो 2 हजार रुपये की लागत एक महीने में आती है इस तरह से दो हजार लूम के प्रोडेक्शन को मल्टीप्लाई करें तो करीब 20 लाख की आवश्यकता होगी। कंट्रोल के कपड़ों के जरिये से बुनकरों के रोजगार की जो बात कही गई, मैं उसका बहुत ही स्वागत करता हूं, लेकिन मैं यह भी आग्रह करूंगा कि कृपया आप इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन बुनकरों की कार्यशील पूंजी को भी आबंटित करें, जिससे सारे लोग उससे काम पा सकें। अगर आप इसमें असफल रहे तो यह मिल मालिक, सेठ और साहूकार आपको ताने देंगे कि इनके पास क्षमता नहीं है कि वह मूल्क की जरूरत को पूरा कर सकें। इसलिए मैं आपसे पुरजोर शब्दों में गुजारिश करूंगा कि आप उन बुनकरों की जरूरतों के बारे में जरूर गौर करें।

सभापति महोदय आप घंटी न बजायें। मैं आज एक ऐसे तबके के बारे में बोलना चाहता हूं जिसको कि न बोलना आता है, वह सिर्फ इतना ही जानता है कि मुसीबत के वक्त में अपने बच्चों को सिरों पर उठकर बड़े-बड़े शहरों के अन्दर मारे-मारे फिरते रहें, इसलिए मैं उनकी आवाज इस सभा में देना चाहता हूं ताकि उसको न्याय मिले। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे कुछ बात कहने दीजिए। आज उनके अन्दर जो बेकारी की जिन्दगी हो रही है उसकी एक वजह यह भी है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपने माल को स्टोर कर सकें। बरसात के दिनों में उनकी यह समस्या होती है कि बड़े-बड़े पूंजीपति और जो दूसरे इस तरह के लोग हैं वे लागत दाम पर भी उनके कपड़ों को नहीं लेते हैं जिससे उनके सामने अनेक तरह की कठिनाइयां होती हैं। वह दूसरे महाजनों के पास भेजने हैं वह उनको आगे के सीजन के लिए बन्धक रखते हैं और उसके लिए उसको इतनी बड़ी सूद चुकानी पड़ती है कि जिसकी कोई इन्तहा नहीं है। यह एक बहुत कमजोर तबका है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि खास कर उनकी पूंजी के बारे में आप जरूर कोई इंतजाम करें। आज खुद मैं जिस राज्य से आता हूं वहां की हालत थोड़ी बहुत मैं बता देना चाहता हूं। सरकार एक तरफ यहां से तो छूट एवं शेयर कैपिटल का आबंटन करती है लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार वह उनको देने के लिए तैयार नहीं है। आज भी यहां से भेजे हुए 40 लाख रुपये बिहार राज्य के पास पड़े हुए हैं और बुनकरों को वह नहीं मिल पा रहा है।

[श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी]

इन कठिनाइयों को आप देखें वरना जो आप इस नई नीति के जरिये से राजीव जी द्वारा हैंडलूम सेक्टर को किए गए वादों को पूरा करने की बात सोच रहे हैं उसके पूरे होने में हमें पूरा अन्देशा है और आज आप जो बुनकरों से उम्मीद रख रहे हैं कि वह अपनी बेकारी को मिटा पायेंगे उसके अन्दर बहुत बड़ी परेशानी पैदा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बातों पर पूरा गौर किया जायेगा।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : हमारे देश में कृषि और उद्योग के बाद वस्त्र क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहां लोगों को सर्वाधिक रोजगार मिलता है। उस परिप्रेक्ष्य में हमें राष्ट्रीय वस्त्र नीति को देखना होगा, अर्थात् कौन से कदम उठाकर हम शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अधिकतम रोजगार प्रदान कर पाएंगे।

हाथ द्वारा कताई तथा हथकरघा— इन दोनों क्षेत्रों को प्रोत्सासन देना होगा। श्री दंडवते जी ने हथकरघों का पक्ष लिया, एक सीमा तक मैं उससे सहमत हूं। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब महात्मा गांधी ने मैनचेस्टर में निर्मित कपड़े के विरुद्ध आवाज उठाई, तो उनका उद्देश्य विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना नहीं, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार प्रदान करना था। इसी कारण उन्होंने हाथ द्वारा कताई तथा बुनाई का समर्थन किया।

यद्यपि इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि हाथ द्वारा कताई को प्रोत्साहन दिया जाएगा, मेरा अनुरोध है कि हाथ द्वारा कताई को कुछ संरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि 40 सूत से कम का धागा हाथ द्वारा कताई के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए, ताकि हाथ द्वारा कताई का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में हो सके और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लाभप्रद रोजगार मिल सके।

इसी तरह, हम इस बात का समर्थन करते हैं और हम आभारी हैं कि कंट्रोल कपड़ा हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित रखा गया है। यद्यपि इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि ऐसा तो कपड़ा मिल-मालिकों को अनुग्रहीत करने के लिए किया गया है, मैं समझता हूं कि देश में हथकरघा उद्योग के लिए ईमानदारी से प्रयास किया गया है। लेकिन हथकरघा उद्योग के लिए कंट्रोल के कपड़े को मात्र आरक्षित रखना ही पर्याप्त नहीं है। उस आरक्षण के साथ-साथ, आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता जिस कपड़े को प्राथमिकता दे, उसके अनुसार कपड़ा बनाया जाए। इसके अतिरिक्त कंट्रोल के कपड़े का मूल्य ऐसा रखा जाना चाहिए जो उपभोक्ताओं को आकृष्ट करें ताकि आम आदमी उसे खरीद सके, अन्यथा आपके पास हथकरघा उद्याग में निर्मित कंट्रोल के कपड़े का ढेर लग जाएगा।

उपयुक्त विपजन आवश्यक है और उपभोक्ता की पसंद को भी ध्यान में रखना होगा। फैशन, डिजाइन, रंग सभी बातों को ध्यान में रखकर कपड़ा बनाया जाना चाहिए।

मुझे बहुत खुशी है कि मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहीं यह कहा है कि हथकरघा विकास निगम में विशेष डिजाइन कक्ष बनाया जाएगा जो यह देखेगा कि बाजार में किस तरह का

रंग पसंद किया जा रहा है, उपभोक्ता की पसन्द क्या है, ताकि हथकरघा उद्योग में वैसा कपड़ा बनाया जा सके। हथकरघा क्षेत्र को बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि सभी सरकारी खरीद हथकरघा क्षेत्र के माध्यम से की जाए और जब तक हम ऐसा नहीं करते, हथकरघा उद्योग को बचाया नहीं जा सकेगा क्योंकि ऐसा करना बहुत आवश्यक है जब तक आप उचित विपणन, हथकरघा पर निर्मित वस्त्र की उपयुक्त खरीद सुनिश्चित नहीं करते, हथकरघा उद्योग को आवश्यक प्राथमिकता और समर्थन नहीं मिल पाएगा।

अनुसंधान और आधुनिकीकरण की ओर ध्यान देना होगा, जिसे कि प्रोत्साहन दिया भी जा रहा है। साथ ही यह देखने के लिए प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कार्यान्वित करना होगा कि हथकरघा उद्योग में अधिक से अधिक युवा लोग आएं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से कताई, हथकरघा क्षेत्र और हथकरघा परियोजना को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ला सकते हैं ताकि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को 'ट्राइसेम' के माध्यम से बैंक से ऋण देकर, राज-सहायता देकर हाथ द्वारा कताई करने तथा हथकरघा क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

हाथ की रंगाई और हाथ की छपाई की कला समाप्त हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से परम्परागत स्थानों में हाथ की रंगाई और छपाई का काम होता है, जो कि विदेशों में बहुत पसंद किया जाता है; इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए; इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इस संबंध में उपयुक्त परीक्षण कार्यक्रम और उचित विपणन सुनिश्चित कराना होगा, ताकि इस देश में हाथ की रंगाई और हाथ की छपाई की कला समाप्त न हो।

वन क्षेत्र, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में रेशम का उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण लाभप्रद रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस देश में रेशम के उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दें। कर्नाटक के एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि जब हमारे यहां ऐसे कई पारम्परिक क्षेत्र हैं जहां रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सकता है फिर हमें विदेशों से रेशम का आयात करने की क्या आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि रेशम का उत्पादन संबंधी सभी कार्य आदिवासी क्षेत्रों में किए जाने चाहिएं अन्यथा आज मध्य प्रदेश में बस्तर तथा रायगढ़ क्षेत्र में कोया (ककून) का उत्पादन किया जा रहा है और उसे संसाधित करने के लिए रांची और कलकत्ता भेजा जा रहा है जिससे हजारों आदिवासी लड़के और लड़कियां लाभप्रद रोजगार पाने से वंचित हो रहे हैं। इसीलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह देखें कि संसाधन कार्य, बुनाई, रंगाई, छपाई आदि कार्य सभी आदिवासी क्षेत्रों में किया जाए, जो कोया उत्पादन क्षेत्र हैं। साथ ही रेशम उत्पादन वन क्षेत्र के मार्ग में वन संरक्षण अधिनियम बाधक बन रहा है। कोसा ककून के उत्पादन के लिए वन क्षेत्र में पेड़ों की शाखाओं को गोल करना बहुत आवश्यक है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इसे विशेष छूट दी जानी चाहिए, ताकि आदिवासी क्षेत्रों, वन क्षेत्रों में इसे प्रोत्साहन दिया जा सके और इसका उत्पादन किया जा सके।

[श्री दिग्विजय सिंह]

हमें राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए विशेष अध्ययन करना होगा, यद्यपि आधुनिकीकरण इनमें से एक है। लेकिन इसके साथ ही, हमें यह भी देखना चाहिए कि कपड़ा निगम में अपव्यय कम किया जाए। राष्ट्रीय कपास निगम के एजेंटों के माध्यम से कपास खरीदी जा रही है और राष्ट्रीय कपड़ा निगम के एजेन्टों के कृपापात्रों को कमीशन के रूप में काफी पैसा दिया जा रहा है। कपास की खरीद सीधे भारतीय कपास निगम के माध्यम से की जानी चाहिए न कि एजेन्टों के माध्यम से। इसके साथ ही एक विशेष बात यह है कपड़ा मिलों में बोबिन में बचे धागे को निकाला जा सकता है। बहुत सी गैर-सरकारी कपड़ा मिलें इस बात का ध्यान रखती हैं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम कपड़े के उत्पादन के पश्चात् बचे हुए उपयोगी धागे को क्यों नहीं निकालता है? हमने घोषणा की है कि मानव निर्मित रेशे पर शुल्क में कमी की जाएगी लेकिन विशिष्ट रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है जिसके कारण सभी वस्त्र निर्माता, पोलिएस्टर रेशा-मिलों ने अपना काम बन्द कर दिया है; वे शुल्क घटने का इन्तजार कर रहे हैं और इसी कारण उत्पादन में कमी आई है। यदि आप शुल्क घटाना चाहते हैं तो उसे घटाइए, यदि आप कुछ रियायत देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन आपको इस सम्बन्ध में सतर्क रहना चाहिए कि मानवनिर्मित रेशे पर शुल्क घटाने से कपास के मूल्य कम नहीं होने चाहिएं, क्योंकि आवश्यक रूप से कपास के मूल्य ठीक रखे जाने चाहिएं क्योंकि अंततः यह किसानों के कल्याण के लिए है जिसके बारे में अपने चुनाव-प्रचार के दौरान भी हमने वचन दिया था। कपास की किस्मों का पता लगाना होगा। आज ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई परियोजना शुरू नहीं की गई है। वस्त्र उद्योग और कपास निगम ने कोई निदेश नहीं दिया है कि लम्बे रेशे वाली किस्मों अथवा मध्यम आकार के रेशे वाली किस्मों के कैसे वस्त्र तैयार किए जाने चाहिएं। जब तक कृषि विभाग किसानों को उपभोक्ता की पसन्द की जानकारी नहीं देता कि किस तरह कि किस्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, कुछ नहीं किया जा सकता। उसे सुनिश्चित करना होगा।

मैं वस्त्र मन्त्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने काफी समय से पुरानी पड़ गई मिलों का आधुनिकीकरण करने का कार्य शुरू किया है और साथ ही हाथ से कपड़ा तैयार करने को बढ़ावा दिया। लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से कपड़ा तैयार करने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा नीति इस तरह बनाई जाए कि इससे हमारी ग्रामीण जनता को लाभप्रद रोजगार मिले, ताकि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में दिए गए वचनों को पूरा कर सकें।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा घोषित कपड़ा नीति का स्वागत करता हूं। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि मजदूर इससे प्रेरित नहीं होगा और इससे नियोजन की संभावनायें नहीं बढ़ेंगी।

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, जब से कपड़ा नीति की घोषणा हुई है, तब से उद्योग में उत्साहवर्धक वातावरण का सृजन हुआ है। 1984-85 में जो इस उद्योग के अन्दर घाटे की राशि 14 करोड़ रुपए प्रतिमाह थी, वह घटकर 9 करोड़ रुपए आ गई है। इससे यह साबित होता है कि इसकी एफिशियेंसी बढ़ी है और कार्यकुशलता बढ़ी है। इसके अन्दर जो फिजूलखर्ची हो रही थी, उस पर भी काफी मात्रा में काबू पाया गया है।

मैं सरकार को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं, जो 70 मिलें बन्द पड़ी हुई थीं, उनमें से चार मिलें चालू हो चुकी हैं और 20-22 मिलें शीघ्र ही रोगमुक्त होने के क्रम में हैं। मेरा सरकार से आग्रह होगा कि सरकार इस दिशा में दिलचस्पी लेकर बड़ी संख्या में मिलों को चालू करवाने का प्रयास करे। नियोजन के दृष्टिकोण से हमारा उद्योग आबादी को प्रभावित करता है और हर प्रकार के लोगों से इसका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। इस उद्योग के अन्दर 120 लाख लोग लगे हुए हैं, जिनमें से 13 लाख लोग संगठित क्षेत्र में, 32 लाख लोग पावरलूम के क्षेत्र में और 75 लाख लोग हथकरघा के क्षेत्र में लगे हुए हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए, मैं कह सकता हूं कि भारत का कोई ऐसा जिला नहीं हैं, जो इससे जुड़ा हुआ न हो।

इस उद्योग से भारत को एक हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए पावरलूम संगठित क्षेत्र से, 200 करोड़ रुपए हैंडलूम के क्षेत्र से और 600 करोड़ रुपए वस्त्रों के क्षेत्र से, लेकिन दुनिया के बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा कोरिया से है। कोरिया से भारत की प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से भारत को नई तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है और इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी ख्याति एवं नेतृत्व को कायम करने के लिए भारत को अपनी मशीनों का नवीनीकरण करना पड़ेगा। हमारी अभी तक की जो मशीनें हैं, वे पुरानी पड़ रही हैं। इसलिए जब तक आप इस उद्योग को अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक आप कम्पीटीशन में सही नहीं उतर सकेंगे। मशीनों का अगर नवीनीकरण नहीं होगा, तो ये उद्योग घाटे में चले जायेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर ये उद्योग ठीक से नहीं चलेंगे तो जो रिहेबिलिटेशन का कार्यक्रम जो आपने अपनाया है, उस हर काफी बोझ पड़ेगा। मुझे खुशी है कि सरकार ने रिहेबिलिटेशन की जो स्कीम बनाई है, उससे कई और चीजें भी जुड़ी हुई हैं। छटनीग्रस्त होने के बाद उनकी क्षतिपूर्ति तथा पुर्नस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष फंड की स्थापना तथा नियोजन में प्राथमिकता देना, स्वरोजगार के लिए अवसर एवं ऋण प्रदान करना और पुर्ननियोजन को सरल बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना आदि चीजें मजदूरों के हक में एक सही चिन्तन और कार्यक्रम है, किन्तु कोशिश यह होनी चाहिए कि यह नौबत न ही आए, तो अच्छा है क्योंकि छटनी के वक्त उम्र वह आ जाती है कि वह किसी रोजगार के लिए सही नहीं रह जाता है। इसलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी नौबत ही न आए जिससे फैक्ट्री और मिल बन्द हों और लोगों को पुर्नस्थापित करने की जरूरत पड़े क्योंकि मजदूर जिस ट्रेड में लगता है, उसकी वैसी आदत बन जाती है और वह फिर स्वतन्त्र उद्योग करने के काबिल नहीं रह जाता है और उस को हम किसी तरह के उद्योग के लिए तैयार नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है।

[श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश]

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे मालिक भी हैं जो उद्योग को बीमार करने के चक्कर में रहते हैं क्योंकि उससे उन की सुविधाएं बढ़ जाती हैं और उनके मुनाफे बढ़ने लगते हैं। इसलिए जानबूझ कर वे फैक्ट्रियों को बीमार कर देते हैं और बीमार घोषित करने के बाद ट्रेड यूनियन के लोगों का उन पर दबाव पड़ता है और मजदूरों की सुविधाओं में कटौती होती है। इससे मजदूरों का तो नुकसान होता है और उसकी ताकत बढ़ती है। इस तरह के जो उद्योग हैं उनके हिस्सेदारों के बीच में कम्पीटीशन होता है और विकास के लिए जो फंड रहता है, उसको वे अपने प्रयोग में लाने के लिए कदम उठाते हैं। इस तरह से उद्योग का नुकसान होता है।

मैं एक चीज की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आपने जो नई नीति की घोषणा की है, वह बहुत अच्छी नीति है मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार में भी आपको ऐसे उद्योगों को ले जाना चाहिए खासतौर से ऐसे इलाकों में जहां आदिवासी और पिछड़े लोग और गरीबां वर्गों के लोग निवास करते हैं। आप तो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और आपको वहां के लोगों की मजबूरियां मालूम हैं और उन की परेशानियों से अवगत हैं। मैं चाहूंगा की चतरा के फील्ड में उद्योग लगाए जाएं।

मैं एक बात की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मजदूरों की जो मजदूरी है, उसमें यूनिफार्मिटी नहीं है और एक राज्य से दूसरे राज्य के मजदूरों की मजदूरी में भिन्नता है। बिहार राज्य में मजदूरी का स्टैंडर्ड दूसरे बड़े राज्यों के स्टैन्डर्ड से कम है। टैक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में जो मजदूर बिहार में लगे हुए हैं, उन की मजदूरी का स्टैन्डर्ड कम है बनिस्बत दूसरे बड़े राज्यों के मजदूरों के। हथकरघा उद्योग में लगे हुए मजदूरों की भलाई आप कर चुके हैं और उनकी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रेरणा दी है लेकिन इस दिशा में अभी भी जो कमियां हैं, उन पर फिर से विचार करके उसके विकास के लिए कोई रास्ता आप अपनाएं।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे मौका दिया है, उसके लिए आप को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर जिसका सम्बन्ध हर भारतीय से है निःसंकोच अपने विचार व्यक्त किए हैं।

सदस्यों ने अपने क्षेत्रों तथा निर्वाचन क्षेत्रों में विद्यमान स्थिति पर प्रकाश डाला है। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि अपने भाषणों में उन्होंने जो विशेष बातें बतायी हैं, उन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत सैकड़ों मामले आते हैं। यदि कोई सदस्य, अपने मूल्यांकन और अपने विचार से यह समझता है कि एक या दो मुद्दों में कुछ कमी है, तो मैं यह नहीं मानता कि वह नई कपड़ा नीति से असहमत है। मैं यह मानता हूं और यह मेरी ही जिम्मेदारी है कि इन कमियों की जांच की जाए और उन पर विचार किया जाए। मैं यहां माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए ऐसे सभी मामलों के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

आज हमें जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण हमें देश में नई वस्त्र नीति बनाने की आवश्यकता पड़ी है, उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं। हमने महसूस किया है कि हमारे देश में कपड़े की खपत प्रायः ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमारी अर्थ-व्यवस्था में विकास के साथ ही इसमें भी वृद्धि होनी चाहिए थी लेकिन उसकी भांति इसमें वृद्धि नहीं हुई है। पुनः हम देखते हैं कि कपड़ा उद्योग के तीन माने हुए क्षेत्रों—हथकरघा, विद्युत-करघा और संयुक्त मिलें—में स्पष्ट रूप से असंतुलन है। आज हम देखते हैं कि जबकि हथकरघा उद्योग और संयुक्त मिलें छठी पंचवर्षीय योजना में अपने निर्धारित उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रही हैं, विद्युतकरघों ने अपने लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया है और उसका प्रभाव केवल संयुक्त मिलों पर ही नहीं पड़ा है अपितु हथकरघा क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुआ है। तीसरे, हम सब महसूस करते हैं और सरकार भी माननीय सदस्य की चिंता से सहमत है कि वस्त्र उद्योग में रुग्णता बढ़ रही है। यदि कुछ उद्योगपति अथवा मिल मालिक खराब हैं और उन्होंने वांछनीय रूप में काम नहीं किया है, तो हममें से कोई भी इस बात से सहमत नहीं है कि उस कारण से समूचा उद्योग ही समाप्त कर दिया जाए। हम देखते हैं कि आज हमारे देश में न केवल 70 मिलें ही बन्द हैं अपितु बड़ी संख्या में मिलें बन्द होने की स्थिति में हैं, जो कि हम सबके लिए अत्यधिक चिंता की बात है। हम सबको यह मानना चाहिए कि मिश्रित कपड़े की काफी मांग है जिसे पूरा नहीं किया जा सका है, और जिसे निम्न मध्यम वर्ग के लोग पसन्द करते हैं क्योंकि वे पहनने में अच्छे तथा टिकाऊ होते हैं।

अन्त में मैं यह और कहना चाहूंगा कि हम कपड़े का निर्यात बहुत कम करते हैं और इसके निर्यात में कमी आ रही है। यद्यपि सरकारी क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में हमने अच्छी प्रगति की है, किन्तु फिर भी जहां तक सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात का सम्बन्ध है, भारत इसमें बहुत पीछे है। हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए नई कपड़ा नीति अनिवार्य थी।

मैं नई कपड़ा नीति की चार मुख्य बातें बताना चाहता हूं जिसके आधार पर हमें इसका निर्माण करना है। पहली बात है आधुनिकीकरण—हमें केवल संयुक्त मिलों का ही नहीं अपितु हथकरघा क्षेत्र का भी आधुनिकीकरण करना है। हमने नई कपड़ा नीति में उन्नत करघों को शुरू करने की भी व्यवस्था की है जिससे एक साधारण हथकरघा बुनकर की अर्थोपार्जन करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी।

[श्री चन्द्रशेखर सिंह]

दूसरे, हमने रेशे के सम्बन्ध में उदारता की नीति अपनाई है। हमने कुछ ऐसे प्रतिबन्ध हटाने का प्रयत्न किया है जो कि बदलती हुई स्थिति में असंगत हो गए हैं। यह उदारनीति कपड़ा क्षेत्र के तीनों अंगों में अपनाई गई है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हथकरघा क्षेत्र में यह कैसे हो सकता है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : आप संभवत: यह नहीं समझते कि यदि हथकरघा क्षेत्र को मिश्रित वस्त्र बनाने की अनुमति दी जाती है तो निश्चय ही उनका बाजार बढ़ेगा और उस कपड़े की मांग भी बढ़ेगी।

तीसरे, हमारा प्रयास है कि विशेषकर संयुक्त मिल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़े, ताकि कपड़ा सस्ता बने और समाज के निर्धन वर्ग के लोग उसे खरीद सकें।

चौथी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नयी वस्त्र नीति में न केवल उन्नयन और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अपितु इस दृष्टि से भी कि हमने विद्युतकरघों के इस क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए है, हथकरघा उद्योग को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है।

सर्वप्रथम मैं हथकरघों के संबंध में उठाए गए मुद्दे स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा।

हम इसे पूर्णतया अनुभव करते हैं और इस तथ्य के प्रति पूर्णतया सजग हैं कि 70 लाख से अधिक बुनकरों को इस क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। मैं भी कुछ समय तक व्यक्तिगत रूप में उनकी समस्याओं से परिचित रहा हूं। अत: यदि आप नई वस्त्र नीति पर दोबारा दृष्टिपात करें तो, आप पायेंगे कि हमने हथकरघा बुनकरों की समस्याओं पर—ठीक धागा सप्लाई करने का अवस्था से लेकर उनके उत्पादों को बाजारों में भेजने की अवस्था—तक ध्यान दिया है। मैंने इस लोक सभा के गत सत्र में चर्चा के दौरान हथकरघा बुनकरों को यह आश्वासन दिया था कि हम हर समय बुनकरों को उचित दरों पर धागा सप्लाई करने के समुचित प्रबन्ध करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि इस वर्ष भी धागे की सप्लाई की समस्या को हल कर लिया गया है और अब बुनकरों ने इस बात को अपनी शिकायतों के रूप में वयक्त नहीं किया है, क्योंकि उनको स्थिर मूल्य पर धागा सप्लाई करने के प्रबन्ध किए गए हैं।

बुनकरों के वर्ग से एकमात्र आने वाले सदस्य श्री अन्सारी महोदय ही हैं।

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं भी उसी वर्ग का हूं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : हां, श्री मकवाना भी हैं। और यदि आप उनकी बात सुनें तो आप समझ जायेंगे कि वह समस्याओं से अवगत हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह कैसे हुआ कि किसी भी हथकरघा प्रतिनिधि को विशेषज्ञ समिति के समक्ष साक्षी देने की अनुमति नहीं दी गई ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं आपको बताता हूं कि करघे लगाने से पूर्व और लगाने के बाद सुविधाएं प्रदान की जायेंगी, सुधरे हुए करघों को काम में लेकर हथकरघा उत्पादन की प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाया जायेगा और मिश्रित तथा बलैन्डिड (सम्मिश्रित) वस्त्रों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायेगा।

मैं एक बार फिर अपनी ओर से पूर्ण बल देकर कहूंगा कि इस सरकार ने हथकरघा बुनकरों के लिए कपड़े की कुछ मदों का उत्पादन विशेष रूप से हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित करने हेतु एक विधान अधिनियमित करने का श्रेय और विशेष स्थिति प्राप्त की है। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि इस अधिनियम के उपबन्धों को कठोरता से लागू किया जायेगा। मैंने श्री मुन्शी के भाषण में इसलिए व्यवधान डाला क्योंकि यह कतई स्पष्ट है कि यदि मैं ऐसा कहूं कि उपयोग के आरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता है। केवल हथकरघा क्षेत्र में जिन चीजों का उत्पादन किया जा रहा है जोकि विद्युत चालित करघों या मिश्रित मिलों में उत्पादित नहीं किया जाता है और जो सभी के द्वारा उपयोग में लाया जायेगा तथा हथकरघा उत्पादों के उपयोग को आरक्षित करने का प्रश्न ही नही उठता है। हमने एक समिति गठित कर दी है जिसकी बैठक हो रही है। समिति में हथकरघा बुनकरों के प्रतिनिधि भी हैं। हम समिति की सिफारिशों पर पूरी तरह विचार करेंगे और यदि वर्तमान वस्तुओं की सूची का विस्तृत करना सम्भव है तो हमें ऐसा करके निश्चय ही प्रसन्नता होगी। परन्तु कुछ सदस्यों ने यह कहने के लिए अपनी आवाज बुलन्द की कि हथकरघा उत्पादों को सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर कई श्रमिक संघों के नेता बैठे हैं, उनकी इस सम्मानित सभा में कोई कमी नहीं है मैं इस देश के हथकरघा बुनकरों की ओर से उनसे निवेदन करता हूं कि उन्हें आगे आना चाहिए, श्रमिक संघों को हमें यह लिखने दीजिए कि उन्हें अपने सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों के लिए केवल हथकरघा उत्पाद चाहिए आदि-आदि। मैं बिना किसी हिचक के उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। यह बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं मैं जानता हूं कि श्रमिक संघों को न केवल सूती कपड़े चाहिएं, बल्कि टेरीकोट भी चाहिए। मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है, परन्तु हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर तो आप कहते हैं कि हथकरघा उत्पाद सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयोग में लाये जाने चाहिए और दूसरी ओर आप मांग करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को न केवल सूती बल्कि टेरीकोट के कपड़े भी सप्लाई किए जाने चाहिएं। मैं इन दोनों बातों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि रेलवे के अपने शासन के दौरान कपड़े का हर टुकड़ा जो भी रेलवे में उपयोग में लाया जाता था, खद्दर और केवल खद्दर का होता था।

श्री चन्द्रशेखर सिंह । मैं आपके अनुभव का भी उल्लेख करूंगा। यह सर्वथा हथकरघा—बनाम—विद्युतचालित करघा की स्थिति है। कुछ क्षेत्रों में विद्युतचालित करघों को सीमित

[श्री चन्द्रशेखर सिंह]

रखना होगा जिससे कि उन्हें हथकरघों के क्षेत्र में प्रवेश न कर पायें। हमने यह स्पष्ट रूप से कहा है और हम इस पर अमल कर रहे हैं। हम इस पर पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर चुके हैं; जिससे कि हथकरघा समृद्ध हो, प्रगति करें और लाखों बुनकरों को रोजगार मिल सके।

मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि यह पहली बार ही हुआ है कि सरकार ने बुनकरों के लिए शुद्ध रूप से कल्याणकारी उपायों की शुरूआत की है। उनके लिए अंशदायी भविष्य निधि योजना है तथा आवास-एवं-कार्य-स्थल निर्माण योजना है। मैं कहता हूं कि हम हथकरघा बुनकरों के लिए जो कुछ करने जा रहे हैं, यदि आप उसमें कुछ जोड़ने का सुझाव दे सकते हैं तो आपके निवेदन पर विचार करने वाला और हथकरघा बुनकरों की सहायता के लिए आगे आने वाला पहला आदमी मैं हूंगा।

परन्तु, माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए हैं, मैं उनमें से कुछेक को स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे कि जनता कपड़े के उत्पादन का काम हथकरघे को सौंपने का फैसला कोई बोझ हो, इस पर बड़ा हल्ला-गुल्ला मचाया गया। प्रो० मधु दण्डवते ने इसी शब्द का प्रयोग किया था। यह तो मैं नहीं जानता कि ऐसा उन्होंने जानते हुए कहा है या अनजाने में कहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : बहुत ही अभिज्ञता से।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : ठीक है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको उस स्थिति का पता नहीं है जो कि हथकरघा बुनकरों को झेलनी पड़ रही है। मैं आपको अपनी भावनाओं से अवगत करना चाहता हूं। गत 4 या 5 महीनों के दौरान मैंने बुनकरों के सम्मेलन को सम्बोधित किया है। मैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और इस देश के कुछेक अन्य भागों में सैंकड़ों बुनकरों से मिला हूं और हथकरघा बुनकर संगठन की उचित मांग रही है कि यह सुविधा उनको मिलनी चाहिए। मैं ज्ञापन के संगत अंश को पढ़कर सुनाता हूं। मेरे लिए यह मुद्रित ज्ञापन है और मैं इसे पढ़कर उद्धृत करता हूं।

> "हथकरघा बुनकरों के निरन्तर रोजगार जुटाए रखने और जनता को सस्ता कपड़ा प्रदान करने के भी हित में, नियंत्रित कपड़े का समग्र उत्पादन हथकरघा क्षेत्र को दिया जाना चाहिए।"

यही वह मांग है जो हथकरघा बुनकर संगठन द्वारा सदैव उठाई जाती रही है और मैं आपको बता देना चाहता हूं आपने बड़े ही वाग्मितापूर्ण ढंग से यह बात कही थी कि संयुक्त मिल-मालिकों को सस्ते कपड़े के उत्पादन के उत्तरदायित्व से विमुक्त कर दिया गया है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि विमुक्ति का यह ध्वज, शक्तिशाली उद्योगपतियों, मिल-मालिकों की विमुक्ति का झंडा स्वयं जनता सरकार ने ही उठाया था। यहां उपस्थित हममें से किसी ने नहीं उठाया था और मैं राष्ट्रीय वस्त्र नीति से पढ़कर सुनाता हूं, जिसे लोक सभा सचिवालय ने परिचालित किया है, यह

1978 की नीति है और पृष्ठ 21 से मैं उद्धृत करता हूं :

> "सरकार यह चाहती है कि 1-10-1978 से नियंत्रित कपड़े के उत्पादन का दायित्व थोपने की विद्यमान पद्धति को समाप्त कर दिया जाए।"

श्रीमान् दण्डवते जी आपको स्वयं भी जिस सरकार में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, यह उसी सरकार का योगदान है।

(व्यवधान)

4.42 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए क्योंकि चर्चा इसी पर होगी। (व्यवधान) महोदय, मेरा निष्कर्ष यह है कि वह हार मान गए हैं। उन्होंने केवल यह पढ़कर सुनाया है कि 'नियंत्रित कपड़े का उत्तरादायित्व जनता संयुक्त मिलों के हाथ से लेकर हथकरघों को हस्तान्तरित करना चाहती थी।' यहां तक तो वह ठीक है। यह सच है, परन्तु पूर्ण सच नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूं कि परिस्थितियां क्या थीं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : कृपया हमें पूर्ण सत्य बताईए।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं आपकी ओर से भी बोल सकता हूं और वैसा करने की हिम्मत मुझमें है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह तो ठीक है। मुझे उसकी खुशी है और आपके साहस का मैं सम्मान करता हूं। आपको भी मेरा सम्मान करना चाहिए।

महोदय, आपके सूचनार्थ, यह हमारा नियंत्रित कपड़ा है। आपने यह अभी-अभी कहा है। इसमें शर्तें रखीं गई थीं :

> "1978 की जनता नीति नियंत्रित कपड़े का उत्तरदायित्व हथकरघा को सौंपना चाहती थी यदि—इसमें कहा गया है—
>
> (1) संगठित क्षेत्र में बुनाई क्षमता के विस्तार की अनुमति नहीं दी जायेगी और मिलों में विद्यमान क्षमता के भीतर ही आधुनिकीकरण के लिए अनुमति दी जायेगी;
>
> (2) विद्युतचालित करघों की संख्या बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जायेगी; और
>
> (3) देश की कपड़े की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु हथकरघा और खादी क्षेत्र की क्षमता का अधिकतम विस्तार किया जायेगा।"

अतः उत्तरदायित्व के हस्तान्तरण के पश्चात् कोई असमान प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। आप इन मुख्य बातों को भूल गए हैं।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : आपने इसे लागू नहीं किया और न ही कर सकते थे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको यह बता रहा था कि हमने नीति को लागू करना पहले ही आरम्भ कर दिया था। मैं आपको केवल यह बता देना चाहता हूं, उन्होंने एक नीति सम्बन्धी विशेष पहलू को पढ़ा है, परन्तु वह उन शर्तों का उल्लेख करना भूल गए जोकि हमने रखी थीं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : जहां कहीं शर्तें कार्यान्वित नहीं की जा सकती हैं तो कोई भी स्पष्ट रूप से शर्तें लगा सकता है। आपने शर्तें तो रखीं परन्तु उन्हें लागू नहीं किया और 1978 की नीति के ये परिणाम निकले हैं। अत: मैं नहीं चाहूंगा······

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : 1978 की नीति का स्थान तो 1981 की नीति ने ग्रहण कर कर लिया था। आप गत पांच वर्षों से चुप क्यों बैठे रहे हैं ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं 1981 की नीति का भी उल्लेख करूंगा। जहां तक आपकी नीति का सम्बन्ध था, मैंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और मैं श्री दण्डवते को परेशान करना नहीं चाहता हूं, नीति निर्धारण में स्वयं उनका भी हाथ रहा होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया है और मैंने स्पष्टतर।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आप दोनों ही बहुत स्पष्ट थे। केवल आपने इसे कार्यान्वित नहीं किया था।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर सिंह : और फिर हथकरघे पर एक अन्य कोण से भी प्रहार किया गया था। प्रो० दण्डवते ने हमें बताया था······

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह अधिक कोण नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : श्री दण्डवते ने हमें बताया है कि इस निर्णय से उपभोक्ता पर वज्रपात होगा। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने कथन के निहितार्थ को अनुभव करें। विविक्षा बहुत ही स्पष्ट है। उनका जायजा और अनुभूति यह है कि हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन प्रणाली पुरानी पड़ चुकी है और खर्चीली है और यदि हम सस्ते कपड़े के उत्पादन का हथकरघा के पल्ले डाल देते हैं तो इससे उपभोक्ता का भार बढ़ेगा। उनका यही मत है, विचार है। मैं चाहता हूं कि सभा यह अनुभव करे कि विपक्ष हथकरघा क्षेत्र को किस रूप में लेता है। वे सोचते हैं कि उत्पादन की यह पुरानी और खर्चीली प्रणाली है। इस प्रणाली को वहां चालू नहीं रखा जा सकता है, जहां पर आर्थिक ताकतों को रोक कर नहीं रखा जा सकता है। यह ताकतें अपना जोर अवश्य दिखायेंगी। यदि यह उनका विश्लेषण है कि यह उत्पादन की खर्चीली प्रणाली है और एक न एक

दिन यह समाप्त हो जायेगी तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। हमने हथकरघे के रूपान्तरण और मिलों के रूपान्तरण की लागत का विश्लेषण किया है और मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघे द्वारा उत्पादित कपड़ा, मिलों द्वारा तैयार किए गए कपड़े से सस्ता है। यह हथकरघा बुनकरों के हक में जाता है और उत्पादन को हथकरघे को सौंपने के निर्णय से हथकरघा बुनकरों को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ता कपड़ा भी उपलब्ध होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जनता कपड़े के उत्पादन को पूर्णतया हथकरघे को सौंपने के साधारण से निर्णय से इस देश में हथकरघा बुनकरों को लगभग दस लाख रोजगार उपलब्ध होंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : क्या मैं एक छोटा-सा स्पष्टीकरण देने के लिए मांग कर सकता हूं ? आपके मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार आपकी नई नीति के लागू होने से पूर्व, आजकल हथकरघा 30,000 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन कर रहा है जिसमें से केवल 10% अर्थात् 3000 लाख मीटर कपड़ा नियन्त्रित कपड़ा होगा ; अतः 27,000 लाख मीटर अन्य किस्म का कपड़ा होता है। अब, आप उनको नियन्त्रित कपड़ा बनाने की अनुमति दें। आप सारा का सारा कपड़ा नियन्त्रित कपड़ा हथकरघे को देना चाहते हैं, परन्तु उस भारी मात्रा में अन्य कपड़े का क्या होगा जो कि 27,000 लाख मीटर है और नियन्त्रित नहीं है। वह बाजार हथकरघे के बुनकरों के हाथ से निकल जायेगा, क्योंकि आप मिल क्षेत्र को असीमित क्षमता और विस्तार करने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं ? यही सारी मुसीबत है। आप तो समस्त नियन्त्रित कपड़े को उन्हें सौंप रहे हैं जैसे यह कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि हो, बात ऐसी नहीं है क्योंकि शेष अन्य उत्पादन मिलों को चला जायेगा।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : यह उत्पादन चालू उत्पादन के अतिरिक्त होगा। वास्तव में वर्तमान में जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है उसके आकार में वृद्धि हो जाएगी। अन्यथा भी हथकरघे के कपड़े का उत्पादन बढ़ेगा। अकेले इस निर्णय से इस देश के लगभग 10 लाख हथकरघा बुनकरों को रोजगार मिलेगा। यह तो सीधा-सा अनुमान है।

आजकल वे 3000 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, उनको 9,000 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन करना पड़ेगा अर्थात् अतिरिक्त 6,000 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन। एक हथकरघा बुनकर प्रतिदिन लगभग 4 से 4½ मीटर कपड़ा तैयार करता है और वर्ष में लगभग 150 दिन कार्य करता है। यदि आप इसका आकलन करें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अकेले इस निर्णय से इस देश में लगभग 10 लाख लोगों को नौकरियां, काम और रोजगार मिलेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अन्य भाग मिल क्षेत्र में जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : गैर-नियन्त्रित कपड़े संगठित क्षेत्र को और विद्युतचालित करघों के साथ जिनको विस्तार करने की अनुमति है, प्रतिस्पर्धा रहेगी।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं इसे एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। परन्तु आप विद्युतचालित करघा क्षेत्र के प्रचार से, दुर्भाग्यवश प्रभावित हो गये हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारा यह कहना है कि जहां तक गैर-नियन्त्रित कपड़े का सम्बन्ध है, वास्तव में विद्युतचालित करघे, हथकरघों से प्रतिस्पर्धा करेंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे। आप यह क्यों नहीं समझते हैं ? हम किसी प्रकार के प्रचार से विचलित नहीं होते हैं। उस दिन दूसरे मंत्री महोदय ने कहा था कि हम औद्योगिक चीनी प्रचार से भ्रमित हैं और अब वह कह रहे हैं कि हम विद्युत चालितकरघों के प्रचार से बहक गए हैं। इसका अर्थ, उनके अनुसार, यह हुआ कि हम सदैव प्रचार पर ही पनपते हैं।······(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं विद्युतचालित करघों से सम्बन्धित अपनी नीति के बारे में बात कर रहा था। मैं उस पर बोलूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : और यह मत भूलिए कि उन्हें अपनी टिप्पणी के लिए क्षमा मांगनी पड़ी थी।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमें किसी भी प्रकार से विद्युत-चालित करघों के विरुद्ध पूर्वाग्रह नहीं हैं। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, अभी हो क्या रहा है, हो यह रहा है कि विद्युतचालित करघा क्षेत्र तो अपने श्रमिकों के बल पर पनप और फल-फूल कर है। पर उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है और विद्युतचालित करघों की एक बड़ी संख्या राज्य सरकार या भारत सरकार को कोई कर बिल्कुल नहीं दे रही है। हमारे देश में विद्युतचालित करघों की एक बड़ी संख्या अव्यवस्थित और अवैध रूप से पनपी है। और हम उनके साथ क्या करने जा रहे हैं ? हम तो केवल इतना ही कहते हैं कि उन्हें पनपने की अनुमति दी जाएगी, यदि उनके पास उन्नति करने की परम्परागत शक्ति है तो और हम यही कहते हैं कि 'कृपया पंजीकृत हो जाइए' एक अनिवार्य पंजीकरण प्रणाली लागू की जा रही है। (व्यवधान) इससे स्थिति में भारी परिवर्तन होगा, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक बार पंजीकृत होने के बाद वे सब बातों के लिए जवाबदेह होंगे। इस समय वहां कोई फैक्ट्री कानून और कोई श्रम कानून लागू नहीं है। एक बार पंजीकरण होने के बाद ये सभी कानून विद्युतकरघों पर भी लागू हो जाएंगे और उन्हें राज्य के राजकोष में सभी देय कर देने पड़ेंगे। हम इस प्रकार तटस्थ हैं। यह नीति विद्युत करघा क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र दोनों के मामले में तटस्थ है······

प्रो० मधु दण्डवते : वह गुट-निरपेक्षता को अधिक व्यापक बना रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : परन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आगे क्या होने वाला है; हमने इसका विश्लेषण किया है। संयुक्त मिल क्षेत्र को दो लाभ प्राप्त होंगे। इसे सूती धागे पर बिक्री कर नहीं देना पड़ेगा और इसे धागे की ढुलाई के लिए भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका उत्पादन उसी स्थान पर होता है। परन्तु विद्युत करघों को कम मजदूरी देने का लाभ होगा। यदि वर्तमान मजदूरी में वृद्धि होती है और यह होगी भी······(व्यवधान) ········· वे इस प्रकार नहीं चलते रह सकते क्योंकि एक बार मान्यता मिलने पर उन पर श्रम कानून लागू हो जाएंगे वर्तमान मजदूरी स्तर में वृद्धि होने पर भी उनका मजदूरी स्तर संयुक्त क्षेत्र के मजदूरी स्तर से बहुत कम रहेगा। एक बात और, उनके ऊपरि खर्चे भी कम होंगे। हमने

इसका विश्लेषण किया है और देखा है कि नई वस्त्र नीति के क्रियान्वयन से भी संतुलन हमेशा विद्युतकरघे के पक्ष में ही रहेगा। विद्युतकरघा क्षेत्र को इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु हम निश्चय ही इस वर्तमान स्थिति को समाप्त करना चाहते हैं जिसमें इन संयुक्त क्षेत्र के मिल-मालिक स्वयं विद्युत करघों के विकास को प्रोत्साहन देते हैं। ऐसा उस समय शुरू हुआ जब मेरे मित्र डा० दत्ता समान्त ने आन्दोलन चलाया था। बम्बई में मिलें बन्द हो गई थीं। मिल-मालिकों ने अन्य स्थानों पर विद्युत करघे लगा लिए। उन विद्युतकरघों में कुछ बेरोजगार मजदूर मजबूरी में कम मजदूरी पर काम करने लगे। यह स्थिति अब भी जारी है। हम यह करना चाहते हैं। हम एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं जिसमें इन विद्युतकरघों में काम करने वाले मजदूरों के साथ उचित व्यवहार हो और ये विद्युतकरघे राज्य के राजकोष में भी देय राशि जमा करायें। इसके पश्चात् हम उन्हें पूर्ण समर्थन देंगे। विपणन समर्थन, डिजाइन समर्थन, धागे की पूर्ति आदि सभी का ध्यान रखा जाएगा। मेरे विचार में विद्युतकरघा क्षेत्र को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए स्थिति में अवश्य ही गुणात्मक परिवर्तन होगा और विद्युत करघों द्वारा हथकरघों के क्षेत्र में प्रवेश को रोकने और हथकरघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक निर्णय लिया जा चुका है।

मैं कुछ शब्द दूसरे क्षेत्र अर्थात् संयुक्त मिलों के बारे में भी कहना चाहता हूं। कई सदस्यों द्वारा प्रकट की गई यह चिन्ता उचित ही है कि इससे बेरोजगारी में वृद्धि हो सकती है और वृद्धि होने पर यह सम्पूर्ण देश के लिए गम्भीर समस्या होगी। मैं आपका ध्यान पुनः वर्तमान स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान स्थिति क्या है? फैक्ट्रियां और मिलें बन्द हो रही हैं। मैंने आपको बताया है कि 66 से 70 या 72 मिलें हमेशा बन्द होने वाली मिलों की सूची में रहती हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ऐसी एक सौ से अधिक मिलों की सूची बनाई है जो रुग्ण हो रही हैं। हम वर्तमान नीति में कुछ भी कर सकने में असमर्थ हैं। वर्तमान स्थिति में पहल करने का काम मिल-मालिकों पर छोड़ दिया गया है। यदि वे कुछ करना चाहते हैं और यदि वे एकमुश्त में पुनर्वास चाहते हैं तो उन्हें ऋण हेतु वित्तीय संस्थाओं के पास जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए। वही यह कर सकते हैं। परन्तु सरकार ने अब तक यह स्वीकार नहीं किया है कि उनकी भी कोई भूमिका है और मैं सभा को बताना चाहता हूं कि सरकार ने पहली बार इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यह स्थिति पैदा की जा रही है, इसे रोकना होगा और आवश्यक कार्य-वाही करनी होगी। सरकार ने इस क्षेत्र में स्वयं पहल करने की जिम्मेवारी ली है। हमने यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नीति में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी प्रत्येक मिल का जो बन्द होने वाली मिलों या रुग्ण हो रही मिलों की श्रेणी में है, अध्ययन किया जाएगा। यदि स्थिति को बदलने के लिए, उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए पुनरुज्जीवित करने के लिए कुछ करना संभव हुआ तो ऐसी ही एकमुश्त कार्यवाही की जाएगी और वर्तमान स्थिति खतम कर दी जाएगी।

परन्तु मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि हमारे समक्ष ऐसे उदाहरण हैं और सदस्यों ने भी यहां सभा में बताया है कि कुप्रबन्ध के कई मामले हैं। हमने इसको स्वीकार किया है। अकुशल

[श्री चन्द्रशेखर सिंह]

प्रबन्ध के कई मामले हैं और सरकार प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन करने में नहीं हिचकिचाएगी और कदम उठाएगी ताकि प्रबन्धक एक ऐसी स्थिति उत्पन्न न कर दें जिसमें मिल बन्द होती हो और श्रमिक बेरोजगार होते हों तथा उत्पादन में बाधा उत्पन्न होती हो।

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि रुग्ण उपक्रमों के संबंध में एक व्यापक कानून पुरःस्थापित किया जाएगा और स्वयं प्रधान मंत्री यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी प्रबन्धक अनुचित कार्य न करे। यह सरकार मिल मालिक या उद्योगपति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप यह कब से आरम्भ करेंगे ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : इसकी घोषणा हम पहले कर चुके हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण घोषणा थी। यदि कोई ऐसा मामला है जिसमें हम देखते हैं कि किसी उद्योगपति विशेष ने जान-बूझ कर मिल को रुग्ण बना दिया है और रुग्ण बनाने में उसका स्वार्थ निहित है तो उसके द्वारा चलाए जा रहे सभी उपक्रमों को वित्तीय संस्थाओं से सहायता नहीं दी जाएगी और इससे वह लगभग...

प्रो० मधु दण्डवते : यह दण्ड तो मजदूरों के लिए होगा। याद रखिए यदि आप प्रबन्धकों के दोष के लिए उसकी अन्य फैक्ट्रियों का भी अधिग्रहण कर लेते हैं तो इसे सभी मजदूरों को भुगतना पड़ेगा।

5.00 म०प०

श्री चन्द्रशेखर सिंह : इसका हल इतना सुगम नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं। अतः ऐसे उद्यमी और उद्योगपति को वित्तीय दृष्टि से पंगु बनाने का निर्णय लिया गया है जिसे कोई भी वित्तीय संस्था ऋण नहीं देगी···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बस यही दण्ड होगा।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। आप हमारे दृष्टिकोण से अवगत हैं। मैं आपको राष्ट्रीय कपड़ा निगम के बारे में बताना चाहता हूं। ऐसी तीन या चार मिलें हैं जिनका कुल घाटा उनके कुल मजदूरी बिल से भी अधिक है। स्थिति बिलकुल स्पष्ट है। यदि हम आज मिल बन्द कर देते हैं और मजदूरों से कहते हैं "घर जाओ। हम आपकी मासिक मजदूरी मनीआर्डर द्वारा भिजवा देंगे। आपको काम करने की आवश्यकता नहीं हैं।" तो भी हमें लाभ होगा परन्तु हमने मिलों को बन्द नहीं किया है। हमने ऐसी स्थिति में भी मिल बन्द करना पसन्द नहीं किया। यह है सरकार का आम मजदूर के दुःखों और कष्टों तथा समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार कोई विकल्प नहीं रहने देगी और हम यह सुनिश्चित करने का हर प्रयास करेंगे कि सभी मिलें चलती रहें, रुग्ण न हों और समय पर कार्यवाही की की जाए। आज 70 मिलें बन्द पड़ी हैं। मैं सभा को स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक बार देखने

से ही यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इनमें से कम से कम 20-22 मिलें उचित निवेश से पुनः खोली जा सकती हैं। परन्तु यह सच कि कुछ मामलों में कुछ श्रमिकों को इधर-उधर रखा जा सकता है। परन्तु हमने पूरा ध्यान रखा है कि ऐसी स्थिति में मजदूरों के हित पूर्णतया सुरक्षित रहें।

इस सरकार द्वारा दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, पहला, सरकार ने घोषणा की है कि सभी बकाया राशियों, सेवान्त-लाभों, जिनका वह अधिकारी है, के मामले में उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और उसे पूरा भुगतान किया जाएगा। आज हम क्या देखते हैं ? मिल बन्द पड़ी है। मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिल मालिक से दूसरे मिल मालिक तक वर्षों भागना पड़ता है और फिर भी उसे उसकी बकाया राशि नहीं मिलती। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उसे यह भुगतान पूरा और समय पर मिले।

दूसरा, एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नई वस्त्र नीति में, जो अन्यों के लिए भी एक आदर्श हो सकती है, हमने मजदूरों के पुनर्वास की धारणा आरम्भ की है। इससे पूर्व इस धारणा को कभी स्वीकार नहीं किया गया। एक बार सेवान्त लाभ देने के बाद हमें मजदूरों से छुटकारा मिल जाता था। अब हमने मजदूरों के पुनर्वास का और यह सुनिश्चित करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है कि उसे कुछ भुगतान बीच में किया जाए। हमने संयुक्त मिल क्षेत्र में यही करने का प्रयास किया है। महोदय, मुझे केवल एक बात और कहनी है।

संभवत: एक या दूसरे स्थान पर श्रमिकों का विस्थापन हो सकता है। परन्तु मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैंने इस स्थिति पर विस्तार विचार से कर लिया है और संयुक्त मिल क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में अर्थात सातवीं योजनावधि में रोजगार में कमी नहीं आएगी। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम सबको विचार करना है। हथकरघा क्षेत्र में भी रोजगार में वृद्धि होगी। वस्त्र उद्योग में कुल रोजगार में वृद्धि होगी और श्रमिकों के लिए यह हर्ष की बात है...

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे विचार में आपने कहा था हथकरघा क्षेत्र में और 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : अन्य क्षेत्रों में इससे भी अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आपको इतना विश्वास है कि हथकरघा क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो क्या आपकी नई नीति के कारण किसी हथकरघा मजदूर के विस्थापित होने पर, इस मुआवजे और पुनर्वास योजना को हथकरघा मजदूरों पर लागू करने में आपको कोई आपत्ति होगी ? आपको विश्वास है, वे नहीं होंगे। कृपया स्पष्ट करें।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : हमें पूरा विश्वास है कि हथकरघा क्षेत्र में और अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। हम जीवन्त और विकासशील हथकरघा क्षेत्र के समर्थक हैं। आप उसके रुग्ण होने की बात करते हैं। आपको संयुक्त मिल क्षेत्र रुग्ण होता दिखाई देता है। आपको विद्युत-

[श्री चन्द्रशेखर सिंह]

करघा और हथकरघा क्षेत्र रुग्ण दिखाई देता है। आप सब जगह रुग्णता की बात करते हैं परन्तु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रुग्णता कहीं और है देश में रूग्णता है ही नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी हथकरघा बुनकर बेरोजगार नहीं होगा। न केवल ये पुनर्वास उपाय बल्कि हथकरघा बुनकर की दशा में सुधार हेतु अन्य कोई भी सुझाव हमें यदि दिया जाता है तो हम उसको तत्काल स्वीकार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं एक नया सुझाव दे रहा हूं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मैं उस पर विचार करूंगा। मैं आपकी ओर से आने वाले सभी अच्छे उपायों को स्वीकार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने अभी जो कुछ कहा है, उसके संबंध में एक स्पष्टीकरण। आप चूंकि यह कह रहे हैं कि हथकरघा उद्योग में और 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इसलिए मेरा और श्री इन्द्र जीत गुप्त का यह तर्क है कि जहां तक गैर-नियंत्रित कपड़े का संबंध है एक ओर विद्युतकरघों और मिलों में तथा दूसरी ओर हथकरघों में असमान प्रतिस्पर्धा होगी तो हमारे अनुमान के अनुसार उनकी रोजगार क्षमता में कमी आएगी क्योंकि स्वयं हथकरघा उद्योग रुग्ण हो जाएगा। अत: इस पहलू को ध्यान में रखते हुए आप अपने इस बयान का कि 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा औचित्य कैसे सिद्ध करेंगे ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैंने इसे स्पष्ट किया है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैं पुन: स्पष्ट कर दूंगा। कतिपय लागत संबंधी कठिनाइयां हैं। मैं आपको विस्तार में स्पष्ट कर चुका हूं। हथकरघे और संयुक्त मिलों में कोई लागत संबंधी कठिनाई नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : उत्पादन की वर्तमान तकनीक और हथकरघे को आपके द्वारा सौंपी जा रही नई जिम्मेवारी को देखते हुए आपका तर्क ठीक नहीं है। क्या आप अपनी बात पर अडिग हैं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : वर्तमान में विद्युत-करघे, हथकरघों की अपेक्षा लाभ की स्थिति में हैं। मैंने यह स्वीकार किया है। परन्तु नई वस्त्र नीति सम्बन्धी वक्तव्य में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि हम विद्युत-करघों और हथकरघों की लागत संबंधी कठिनाइयों को हटा देंगे और हथकरघे को उसका उचित स्थान दिलायेंगे। हम हथकरघे के प्रति वचनबद्ध हैं और हम इस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह असमान प्रतिस्पर्धा के कारण निष्प्रभावी हो जाएगा।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है और मैं पुनः कहता हूं कि हम इसके संतुलित विकास का समर्थन करते हैं।

(व्यवधान)

हम मेवाड़ टेक्सटाईल मिल के बारे में पहले ही कुछ कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आपको पहले ही मेट्टूर टेक्सटाईल इन्डस्ट्रीज के बारे में बता चुका हूं। वे अब बन्द हैं। ऐसी स्थिति आ गई है। 2500 मजदूर बेरोजगार हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : नई नीति के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें बन्द करने की अनुमति दे दी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर सिंह : यदि नई वस्त्र नीति का क्रियान्वयन जनता पार्टी के लोगों को सौप दिया जाए तो मिलों को तत्काल बन्द करने की अनुमति दे दी जाएगी परन्तु यदि क्रियान्वयन हमें करना है तो उन्हें चलाया जाएगा और वे कर्मचारियों के लाभ के लिए काम करेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मेरी मांग पर विचार करें।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मैं एक ओर बात का उल्लेख करना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने विशेषरूप से महाराष्ट्र के सदस्यों ने कपास के मूल्यों और कपास की स्थिति के बारे में बहुत चिन्ता प्रकट की है मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह नीति एक कदम आगे हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति के अनुसार कृषि मंत्रालय न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करता है और सरकार उस नियत मूल्य पर खरीद के लिए वचनबद्ध होती है। मूल्यों को उस स्तर से नीचे नहीं गिरने दिया जाता कृषि मंत्रालय ने इस वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है।

[अनुवाद]

परन्तु आप यह साधारण पैराग्राफ नहीं पूरी पुस्तक चाहते हैं। क्या आपने देखा है कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है? इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है :

> "कपास उत्पादकों को हमेशा इस बात से आश्वासित किया जाएगा कि उनके उत्पादन को लाभकारी मूल्य पर खरीदा जाएगा।"

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : 'लाभकारी' मूल्य की कोई परिभाषा नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मैं प्रत्येक बात को स्पष्ट करूंगा। मैं गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। आप इस बात से सहमत होंगे कि न्यूनतम नियत मूल्य तथा लाभकारी मूल्य के बीच लाभकारी मूल्य न्यूनतम नियत मूल्य से कुछ अधिक है। अगर हम एक कदम और आगे चले होते तो हमने देखा होता कि हम न केवल न्यूनतम नियत मूल्य देंगे बल्कि लाभकारी मूल्य भी देंगे। अत: क्या आप इसे सही दिशा में एक और कदम नहीं समझते? क्या आप इससे सहमत नहीं हैं?

श्री मधुसूदन वैराले : हमारा निवेदन कृषि मूल्य आयोग का सिफारिशों के संबंध में है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : यह एक दूसरा मामला है । परन्तु इसमें हम एक कदम आगे बढ़े है और हमने यह स्पष्ट कहा है कि हम आपके उत्पादन की लाभकारी मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करेंगे । इस समय हम कृषि मंत्रालय के साथ परामर्श कर रहे हैं। कृषि मन्त्रालय उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखता है । हम इस विशेष मामले पर उनसे बातचीत कर रहे हैं और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं······

प्रो० मधु दण्डवते : चूंकि आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया है अत: मैं आपको अपनी चिन्ता से अवगत कराऊंगा कि एकाधिकार खरीद योजना के द्वीप को मुक्त बाजार के महासागर ने घेर रखा है और इसीलिए जब लाभकारी मूल्य उपलब्ध नहीं होता है तब बाहर मुक्त बाजार में कपास की गुप्त बिक्री होती है । आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : निस्सन्देह आप सही कह रहे हैं कि यह स्थिति आज है। परन्तु मैं महाराष्ट्र के माननीय सदस्यों को तथा अन्य कपास उत्पादकों को आश्वासन देना चाहूंगा कि हम कृषि मंत्रालय से बातचीत करेंगे कि लाभकारी मूल्य क्या होना चाहिए । नई वस्त्र नीति के बनने के पश्चात् भारतीय कपास निगम को एक नयी भूमिका अदा करनी होगी । नयी भूमिका यह है कि भारतीय कपास निगम न केवल कपास उत्पादकों को न्यूनतम नियत मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी होगा बल्कि भारतीय कपास निगम के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा और यह देखेगा कि कपास उत्पादकों को न केवल न्यूनतम नियत मूल्य बल्कि लाभकारी मूल्य दिया जाये । कपास उत्पादकों के हित में यह एक बहुत बड़ा कदम है । अत: यह उपाय करने का प्रयास किया गया है ।

महोदय, मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता । परन्तु मैं नयी वस्त्र नीति को क्रियान्वित करने के बारे में स्पष्ट रूप से बताऊंगा । बहुत से कदम उठाए गए हैं और मैं उन पर विस्तार से नहीं बोलूंगा । परन्तु कुछ बातों को हमें अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श करके तय करना होगा, विशेषकर राहत के संबंध में जो हम उत्पाद शुल्क तथा आयात शुल्क के मामले में देना चाहते हैं । राहत के इस प्रश्न को वित्त मंत्रालय के साथ बातचीन करके तय किया जायेगा और इस मामले पर कहने के लिए यही मंत्रालय उचित है । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम प्रत्येक बात पर शीघ्रता से कार्य करने की कोशिश करेंगे । यह एक ऐसा मामला है जिसका सरकारी राजकोष से बहुत बड़ा संबंध है और मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि उत्पाद शुल्क अथवा आयात शुल्क के मामले में जो भी राहत दी जायेगी वह उपभोक्ता तक पहुंचे । हम एक ऐसे तंत्र की स्थापना कर रहे है जो यह देखेगा कि यह खाई समाप्त हो जाये तथा जो राहत इस उद्योग को दी जायेगी वह गरीब उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो । अत: इस मामले को भी यथाशीघ्र तय किया जायेगा । नयी वस्त्र नीति में उल्लिखित विभिन्न मदों को क्रियान्वित करने के लिए हमने पहले ही निगरानी कक्षों की स्थापना कर दी है तथा मुझे श्रमिक नेताओं के इस पर विचार जानने के लिए उनके साथ बैठक करने का भी अवसर मिला है—श्री दत्ता सामन्त यहां नहीं हैं क्योंकि उनका मत कुछ इस प्रकार का है जो शायद प्रो० मधु दण्डवते, आपको पसन्द न आए और निस्सन्देह हम भी उसे पसन्द नहीं करते । परन्तु मैं परेशान नहीं करना चाहता, विशेषकर इसलिए कि वह यहां

मौजूद नहीं है, परन्तु मैं सभा को बताना चाहूंगा कि श्री दत्ता सामन्त को भी वस्त्र नीति के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : ऐसा प्रतीत होता है कि आप गलत समझ रहे हैं वह इस नीति के विरुद्ध बोलते हैं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : आप भी तो पूरे श्रमिक नेता नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं तो बिल्कुल भी नेता नहीं हूं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : उन्हें कभी-कभी जनता का पक्ष लेना पड़ता है······(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : हम भी यह कह सकते हैं कि मंत्री महोदय भी शायद इस नीति में वास्तविक रूप से विश्वास नहीं करते, परन्तु कुछ खास बातों के कारण वह यह नीति ला रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : आप कह सकते हैं, परन्तु इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि नयी वस्त्र नीति ने एक सन्तुलित स्थिति का रूप लेने की कोशिश की है, ताकि वस्त्र उद्योग के प्रत्येक वर्ग के हित की रक्षा हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि संपूर्ण वस्त्र उद्योग में समुचित सामंजस्य तथा विकास हो।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी बात पर हम प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाते हैं और अगर हमें पता लगता है कि किसी समय पर कोई गलती हो रही है तो हम निश्चित ही संशोधन करेंगे, हथकरघा बुनकरों तथा विशेषकर श्रमिकों के हित में उसमें उचित परिवर्तन करेंगे। हमने नयी वस्त्र नीति को इतना लचीला अवश्य बनाया है और हमें विश्वास है कि नयी वस्त्र नीति संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था में एक नये युग में प्रवेश करेगी·········

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी और व्यक्ति को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता, अन्यथा हम चर्चा करते ही चले जायेंगे। कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए। अगर कोई बात कहनी है तो आप बाद में मंत्री महोदय मे व्यक्तिगत रूप में उस पर चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वस्त्र संबंधी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा गया है ? क्या इसे गोपनीय माना गया है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : उचित समय पर इसे सभा-पटल पर रखा जा सकता है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में सम्मिलित मत कीजिए।

———

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

5.18 म० प०

बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक

—(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब 7 अगस्त को श्री टी० अंजैया द्वारा पेश किए गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार शुरू करेगी, अर्थात् :

"कि बालक नियोजन अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ रथ अपना भाषण दे रहे थे। वह कृपया अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य देख-भाल कार्यक्रम, नियमित तथा समुचित वेतन की अदायगी, कार्य करने के घंटे निश्चित करना, बिचौलियों तथा नियोजकों द्वारा किए जा रहे शोषण को समाप्त करने संबंधी कानूनों को प्रभावी बनाना चाहिए। बच्चों की आय बढ़ाने तथा उनके काम करने की दशा में सुधार करने के लिए उनको संरक्षण देने हेतु कानूनों को लागू किया जाना चाहिए चाहे वे बालक गैर-संगठित क्षेत्र कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्यों न कार्य करते हों। बच्चा अशिक्षित, मूक और आसानी से भयभीत होने वाला तथा बिलकुल असहाय एवम् असुरक्षित होता है; वह अपने माता-पिता के भी सम्पर्क में नहीं होता है। मुसीबत के समय बच्चों की विशेष देखभाल होनी चाहिए। उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है और नियोजक अपनी इच्छा से उनको बेरोजगार कर देते हैं। बच्चों की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यह एक राष्ट्रीय समस्या है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं तथा जो उद्योगपति सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें कठोर सजा दी जानी चाहिए। बिचौलिये तथा ठेकेदार श्रम के सभी क्षेत्रों में तबाही मचा रहे हैं। सभी श्रमिकों का, जो देश से बाहर जा रहे हैं, जो देश में काम कर रहे हैं और यहां तक कि बाल श्रमिकों का उनके द्वारा शोषण हो रहा है। ये खून चूसने वाले लोग हैं और उनको समाप्त करने के लिए उचित कार्यवाही की जानी चाहिए तथा कानून में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों के लिए कम से कम दो वर्ष के कठोर कारावास की व्यवस्था की जा सके।

महोदय, निर्माताओं, व्यापारियों तथा शोषणकर्त्ताओं से कहा जाये कि उनके यहां काम करने वाले लोगों को वे 'वर्क-कार्ड' जारी करें ताकि वे लोग फैक्ट्रीज एक्ट के दायरे में आ सकें। ऐसा लगता है कि बाल श्रमिकों पर गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिशों का पालन करने के लिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य तथा जिला स्तर पर बाल श्रमिकों पर सलाहकार बोर्ड को गठित करें ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से की गई सिफारिशों का क्या हुआ। इस पर शीघ्रता से कार्यवाही की जानी चाहिए। क्या सरकार ने इस संदर्भ में कोई कदम उठाये हैं? केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष मार्गदर्शक निर्देश राज्य सरकारों को उचित कार्यवाही करने के लिए दिए जाने चाहिएं, ताकि बाल श्रमिकों के शोषण को समाप्त किया जा सके। कल्याणकारी उपाय, प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधायें

दी जानी चाहिएं और रोजगार में लगे बालकों के लाभ के लिए इनको सख्ती से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। बालक श्रमिकों के लिए एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए और मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वह ऐसा शीघ्र करने जा रहे हैं। चार राज्यों के श्रम मंत्रालयों की समिति ने जिसका गठन बालकों के रोजगार में आने के बारे में एक समान नियम बनाने पर विचार करने के लिए किया गया था, अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। अन्य सिफारिशों के साथ साथ समिति ने एक समयबद्ध कार्य योजना का सुझाव दिया है जिस पर तुरन्त अमल किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, बाल श्रमिकों की समस्या को तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक कि कठोर कदम नहीं उठाए जायेंगे और मैं माननीय श्रम मंत्री की उस बात से सहमत हूं जब वह यह कहते हैं कि इसे केवल कानून बनाकर हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामाजिक जागृति की आवश्यकता है और इस जागृति को लाने के लिए, समस्या पर एक बहु-आयामी दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में सामाजिक जागृति को पैदा करने के लिए सक्रिय कदम उठाये जाने होंगे तथा इसे क्रियान्वित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है। माननीय मंत्री बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उद्देश्यों में यह कहा गया है कि इस विधेयक को इसलिए लाया गया है ताकि दण्ड को और कठोर बनाया जा सके। दण्ड को सख्त बनाने वाले इस विधेयक के उपायों को हमें पूर्ण समर्थन देना चाहिए। हमें कारावास दण्ड तथा जुर्माने को भी दोष सिद्ध होने के बाद अनिवार्य कर देना चाहिए। सामान्य मुकदमे में बहुत अधिक समय लग जाता है अतः इन सभी अपराधों के लिए संक्षिप्त मुकदमे चलाये जाने चाहिएं और इसके लिए आवश्यक कानून बनाया जाए। धन्यवाद।

*श्री पी० सेलवेन्द्रन (पेरियाकुलम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक मुनेत्र कषगम की ओर से मैं, अपने माननीय श्रम मंत्री द्वारा कल पुरःस्थापित किए गए बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक, 1985 के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में बच्चों के बारे में फारसी के प्रसिद्ध कवि खलील गिबरान ने जो कहा है वह मुझे याद आ रहा है। "तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं; उन्हें तुम नहीं लाये; वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं; तुम अपना प्यार दो; उन पर अपने विचार मत लादो; वे इस दुनिया में अपनी सहज-वृत्ति के साथ आये हैं।" गीतांजलि के लेखक, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बच्चों के बारे में कहा था कि वे मानव जाति के उगते हुए सूर्य हैं। बच्चे भावी भारत की नींव है। वे भावी भारतीय समाज के बीज हैं। वे पौधे हैं। वे ही युवा कोकिले हैं जो चहकने की लालसा कर रहे हैं। वे ही युवा मृग हैं जो उछाल भरने के लिए लालायित हो रहे हैं। मूल अधिनियम के 1938 में पारित होने के 47 वर्षों बाद यह संशोधन लाया गया है। चूंकि यह संशोधन विधेयक बाल श्रमिकों को कुछ फायदा पहुंचायेगा इसलिए मैं इस कानून को अपना समर्थन देता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, क्योंकि जहां आपको सोना रखना चाहिए था वहां आप एक फूल रख रहे हैं, क्योंकि जहां आपको दोनों हाथों से लुटाना चाहिए था वहां आपने कम से कम चुटकी भर तो दिया है।

*मूल तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी० सेलवेन्द्रन]

बाल श्रमिकों की समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कई प्रतिवेदनों के अनुसार, बाल श्रम दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्रों में व्याप्त है।

एम० एस० गुरुपदस्वामी समिति ने कुछ साल पहले बाल श्रम पर कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। यह कड़वा सत्य है कि इन सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है। इस संबंध में यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि यह विधेयक किसी भी रूप में अनुकरणीय विधेयक नहीं है। लेकिन कहावत है कि "कुछ न होने से कुछ होना भी बेहतर।" इसलिए मुझे बाध्य होकर इस विधेयक का समर्थन करना पड़ रहा है।

1929 में विटले आयोग ने बाल श्रम की समस्या का अध्ययन करके एक व्यापक रिपोर्ट पेश की थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो हालात 1929 में थे उनमें आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 1931 में श्रम सम्बन्धी 'रायल कमीशन' ने भी बाल श्रम के बारे में रिपोर्ट दी थी। और इसी के आधार पर बाल नियोजन अधिनियम 1938 तैयार किया गया था। इस संशोधन करने वाले विधेयक में बाल श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। मेरी मांग है कि सरकार बाल-श्रमिकों के कल्याण के लिए एक व्यापक विधेयक तैयार करे। हमारे देश में 2 करोड़ बाल-श्रमिक हैं। उत्तर प्रदेश में कालीन-उद्योग में आप बाल-श्रमिकों को काम करते देख सकते हैं। तमिलनाडु में शिवकाशी में माचिस-उद्योग तथा टूटीकोरन में नमक उद्योग में बाल-श्रमिक लगे हुए हैं। मानवता की खिलती कलियां प० बंगाल के चाय बागानों की तेज धूप में झुलस रही हैं। गुजरात में हीरा-तराशने के उद्योग तथा जरी उद्योग में बच्चे काम करते हैं, जिन बच्चों को खिलौनों से खेलना चाहिए वे उड़ीसा में बीड़ियां बनाने का काम करते हैं। बाल-श्रम का कारण गरीबी है। भूमि का समान वितरण नहीं होना भी इसका एक कारण है। भारत में 50% लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। अपने परिवार की आय में बाल-श्रमिकों की मजदूरी का योगदान 19% है। 1881 से कानून में यह व्यवस्था की जा रही है कि बाल-श्रम पर रोक लगाई जानी चाहिए। खासकर 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। श्रम मन्त्रालय की वर्ष 1983-84 की वार्षिक रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई कि बाल-श्रम भारत जीवन का एक ऐसा पहलू है जिससे बचा नहीं जा सकता। इसके बावजूद यह विधेयक बाल-श्रमिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में मौन है।

केन्द्रीय बाल-श्रम सलाहकार बोर्ड का काम श्रम मन्त्री की अध्यक्षता में बाल-श्रमिकों के हितों की देखभाल करना है। श्रम मंत्रालय में बाल-श्रम एकक भी है। भारतीय ग्रामीण कामगार संस्थान, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय समाज कल्याण परिषद् तथा मद्रास विकास अध्ययन संस्थान सभी ने हमारे देश में बाल-श्रम की समस्या पर अनुसंधान किया है। हाल ही में, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञ श्री असीफा नेक्यूले भारत आए थे और उन्होंने बाल श्रम तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अध्ययन किया था। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में सुझाव दिए थे लेकिन मालूम नहीं सरकार बाल-श्रमिकों के हित में उन्हें कब कार्यान्वित करेगी।

30 जुलाई, 1985 को यहां कांसटीट्यूशन क्लब में बंगलौर के 10 बाल श्रमिकों ने एक नाटक खेला था जिसमें उन्होंने अपनी तकलीफों का उल्लेख किया और बताया था कि किस प्रकार उनका शोषण किया जाता है। संगठन ने बाल-श्रमिकों के लिए काम करने वाली संस्था से इन बच्चों को दिल्ली लाने के लिए कहा था। संगठन ने बाल-श्रम से सम्बन्धित एक विधेयक का प्रारुप भी तैयार किया है। इसकी एक प्रति श्रम मन्त्रालय को भी भेज दी गई है। इस विधेयक के प्रारूप को पढ़ने के बाद मुझे बाध्य होकर यह कहना पड़ रहा है कि यह संशोधन करने वाला विधेयक ठीक से तैयार नहीं किया गया है। इस संगठन द्वारा प्रस्तुत विधेयक के प्रारूप का अध्ययन करने के बाद मैं चाहता हूं कि श्रम मन्त्रालय को एक व्यापक विधेयक तैयार करना चाहिए था।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे देश में बाल-श्रम का मुख्य कारण गरीबी है। गरीबी के इस कुचक्र में बच्चे नहीं पीसे जाएं इसलिए हमारे मुख्यमन्त्री डा० एम० जी० आर०, बच्चों के हित में पोषक-आहार योजना को विशाल पैमाने पर कार्यान्वित कर रहे हैं 'युनेस्को' तथा 'युनीसेफ' ने भी इस योजना की सफलता का स्वागत किया है। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के भूतपूर्व सचिव ने भी यह बात स्वीकार की है कि इस योजना के कारण बच्चों को स्कूल से निकालने की संख्या में कमी आई है। माननीय श्रम मन्त्री-जी को संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहिए की बाल श्रमिकों के नियोक्ता अपने उद्योग में काम करने वाले बाल-श्रमिकों के लिए पोषक भोजन की व्यवस्था करें। भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं श्रम मन्त्री जी के विचारार्थ निम्न-लिखित सुझाव देना चाहूंगा :

1. कानूनी तौर पर बाल श्रमिकों के काम के घंटों का निर्धारण किया जाए।

2. बाल-श्रमिक एक सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं और एक व्यस्क श्रमिक 54 घंटे। केवल 14 कार्यकारी घण्टों का अन्तर है। लेकिन दुर्भाग्य से बाल-श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है वह व्यस्क श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी की 50% के बराबर भी नहीं होती। कानून द्वारा यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि बाल-श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिले।

3. नियोक्ता को बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा तथा तकनीकी पशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

4. बाल-श्रमिकों की संस्थाएं बनाई जायें जिनकी अध्यक्षता प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ता करें।

5. बाल श्रमिकों के आराम तथा मनोरंजन के लिए कानून के अन्तर्गत व्यवस्था की जाए।

6. बाल-श्रमिकों के कल्याण के लिए शीघ्र ही एक व्यापक कानून तैयार किया जाए।

7. जोखिमपूर्ण कामों में बच्चों को न लगाया जाए। उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था नियोक्ता को स्वयं करनी चाहिए।

8. बाल-श्रमिकों के लिए जोखिम-बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

[श्री पी० सेलवेन्द्रन]

इन सुझावों को अगर उत्साह से लागू किया जाए तो मुझे विश्वास है कि यह कुम्हलाए फूल फिर से खिल उठेगें और उनके नीरस जीवन में फिर बसंत का आगमन हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मै अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती फूलरेणु गुहा (कन्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाल संशोधन विधेयक का हार्दिक स्वागत करती हूं। यह एक स्वागत योग्य कदम है। अधिनियम तो पहले से ही मौजूद है। यह मौजूदा अधिनियम में संशोधन है। इस विधेयक में कड़ी सजा की व्यवस्था की गई है। अच्छी बात है। इस पर विस्तार से चर्चा करने से पूर्व मैं जानना चाहूंगी कि अब तक कितने नियोक्ताओं को गिरफ्तार, कैद या दंडित किया गया है ?

बच्चों को नौकरी देने वाले नियोक्ता उन्हें साहनुभूतिवश नौकरी नहीं देते बल्कि इसलिए नौकरी देते हैं क्योंकि उन्हें अधिक मजदूरी नहीं देनी पड़ती। नियोक्ता बच्चों का शोषण आसानी से कर सकते हैं! मैने ऐसे बहुत से एककों का दौरा किया है जहां बच्चे काम करते हैं। सैकड़ों बच्चों को 10-12 घण्टे काम करते हुए देखना बहुत कष्टदायी है। इन आभागे बच्चों की दुर्दशा का वर्णन करके मैं सदन का वक्त नहीं लेना चाहती।

मुझे बहुत खेद से कहना पड़ रहा है कि यह विधेयक व्यापक नहीं है। नियोक्ताओं को सजा देनी जानी चाहिए। ठीक है लेकिन बच्चों का क्या होगा ? ये बच्चे किसी मकसद से काम करने नहीं आते। बल्कि इसलिए आते हैं कि उनके घरों में खाने को कुछ नहीं होता। उनके मां-बाप उनके लिए रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते। मजबूर होकर मां-बाप को अपने बच्चों को काम पर भेजना पड़ता है। जैसे हम-आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं उसी तरह वे भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। वे भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वे भी चाहते हैं कि पढ़ने के बाद बड़े होकर वे कमायें और अपने पैरों पर खड़े हों तथा अपने मां-बाप की देखभाल करें। जैसा हम सोचते हैं। वैसा ही वे भी सोचते हैं लेकिन आर्थिक करणों से उन्हें मजबूर होकर अपने बच्चों को काम पर भेजना पड़ता है। ऐसी स्थिति में, अगर अधिनियम के अन्तर्गत नियोक्ताओं के लिए ही सजा की व्यवस्था की जाती है और बच्चों के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती तो वह बहुत दु:ख की बात है। मैं समझती हूं कि इन बच्चों के लिए किसी योजना को इसमें शामिल करना संभव नहीं होगा लेकिन मैं चाहती हूं कि उक्त योजना को तैयार किया जाए और उसे भी साथ ही सदन में रखा जाए। मेरा मतलब है दोनों विधेयक एक साथ सदन के समक्ष रखे जाने चाहिएं। जब तक कोई योजना तैयार नहीं की जाती तब तक मैं समझती हूं कि भूखे बच्चे भटकते रहेंगे। और अपने बच्चों की भूख शांत नहीं कर पाने के कारण माताओं की आखों में आंसू भरे रहेगें। परिणाम यह होगा कि सारा परिवार धीरे-धीरे कुपोषण का शिकार हो जाएगा।

5.39 म०प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

यही नहीं, असामाजिक तत्व भी कुछ बच्चों को पकड़ सकते हैं क्योंकि उन बच्चों के पास न रोटी है न कपड़ा। उनके घरों में कुछ नहीं है। अत: असामाजिक तत्व उन्हें बहला सकते है। जैसा कि आप जानते हैं देश में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ऐसे बच्चों की खोज में रहते हैं और उनका इस्तेमाल समाज विरोधी कार्यों के लिए करते हैं। हमें बहुत सतर्क रहना होगा कि इन बच्चों को असामाजिक तत्वों के हाथों में नहीं पड़ने दिया जाए। मैं जोर देकर कहती हूं कि इन बच्चों के लिए एक योजना तैयार की जाए। कृपया मुझे गलत मत समझिए। मैं दोबारा कहती हूं कि मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करती हूं किन्तु मेरा अनुरोध है कि साथ ही साथ इन बच्चों के फायदे के लिए एक विधेयक तैयार किया जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक बच्चे और उनके परिवार तकलीफें भोगते रहेंगे इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है और इन बच्चों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने के लिए प्रबन्ध किए जाने चाहिएं। बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं। हमें देखना है कि यह धरोहर बेकार न जाए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। मैं कुछ और बातें भी कहना चाहती थी पर उनका उल्लेख पिछले वक्ता कर चुके हैं। अत: मैं उन्हें नहीं दोहराती।

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : महोदय, मैं बाल नियोजन अधिनियम, 1938 में संशोधन करने से संबंधित इस विधेयक का स्वागत करती हूं। इस विधेयक का उद्देश्य अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों का दूसरी बार उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दी जाने वाली सजा को बढ़ाना है। 1938 में उचित वातावरण में बाल-नियोजन को विनियमित करने तथा बाल शोषण को रोकने के लिए बाल-नियोजन अधिनियम पारित किया गया था। 1978 में खासकर खतरनाक उद्योगों में बाल-नियोजन को रोकने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया गया। लेकिन दिया-सिलाई तथा आतिशबाजी तैयार करने के उद्योगों में अभी भी बच्चे काम करते हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि बच्चे अभी भी वहां काम करते हैं। अनेक समितियों की सिफारिशों तथा न्यूनतम आयु आदि के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सिफारिशों की अभिपुष्टि के बावजूद देश में उनका शोषण हो रहा है। तृतीय विश्व के देशों में बाल-श्रमिकों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। 1975 में आयोजित राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान द्वारा आयोजित सेमीनार में यह बात कही गई थी कि देश में बाल-श्रमिकों की संख्या 1.1 करोड़ है। तब से, इस संख्या में गिरावट आने की बजाय वृद्धि हो रही है। जैसा कि दूसरे सदन में माननीय मंत्री बता चुके हैं इनकी संख्या बढ़ कर 1 करोड़ 74 लाख हो गई है।

बाल-श्रम का कारण गरीबी और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित सभी ऐजेंसियां इस बात से सहमत हैं कि निकट भविष्य में बाल-श्रम को पूरी तरह समाप्त करना संभव और वांछनीय नहीं है ऐसा कोई भी प्रयास गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की तकलीफें ही बढ़ाएगा क्योंकि अनुमान है कि परिवार की आय में 23% योगदान बाल-श्रमिकों द्वारा किया जाता है। लेकिन सरकार निश्चय ही बच्चों के लिए काम की उपयुक्त दशा सुनिश्चित करने तथा उनके शोषण को रोकने के लिए कारगर उपाय कर सकती है।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार शिवकाशी में हुए विस्फोट में 30 से अधिक जानें गई थीं।

[श्रीमति किशोरी सिंह]

इसी से पता चलता है कि हम जोखिमपूर्ण उद्योगों में बाल-नियोजन को नियंत्रित तथा विनियमित करने में असमर्थ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि कितने मामलों में मुकदमा चला कर ऐसे नियोक्ताओं को दोषी ठहराया गया और सजा दी गई है।

मेरा सुझाव है कि सरकार को इस बात पर जोर देना चाहिए कि रोजगार में लगे ऐसे सभी बच्चों को कार्य-कार्ड दिए जाएं जिनमें उनके कार्य के घंटों सहित समस्त ब्यौरे दिए जाएं।

यदि यह शर्म की बात नहीं तो कम से कम चिंता की बात तो है कि मिर्जापुर तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में बच्चे कालीन उद्योग में प्रति दिन 8-9 घंटे तक काम करते हैं। शिवकाशी के सम्बन्ध में समाचार पत्रों के अनुसार माचिस बनाने की फैक्ट्रियों में तीन वर्ष तक की आयु के बच्चे काम पर लगाए हुए हैं। कितनी दयनीय स्थिति है। वास्तव में यह बहुत चिन्ता का विषय है। बिहार से कुछ बच्चों का अपहरण किया जाता है और उनके अनपढ़ माता-पिताओं को बहुत कम रकम देने के बाद उन्हें यहां लाया जाता है। ये बन्धक-दासों के रूप में काम करते हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि इस प्रथा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। यह अच्छी बात है कि माता-पिताओं को अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजने के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार 45 करोड़ रुपए की योजना के साथ आई है। बताया गया है इस योजना से माता-पिताओं को लाभदायक रोजगार मिलेगा ताकि वे अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर न हों।

मैं निवेदन करती हूं कि हमें गरीबी की मूल समस्या से निपटना चाहिए। गरीबी रोधक कार्यक्रमों को सेवा की भावना से प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। ताकि गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके।

बच्चों की शिक्षा में अवरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सुझाव देती हूं कि स्कूल कार्य स्थानों के समीप होने चाहिएं और स्कूल का समय इस प्रकार नियमित होना चाहिए जिससे काम करने वाले बच्चे अपने काम के बाद स्कूल में उपस्थित हो सकें। गैर-औपचारिक शिक्षा सुविधाओं का भी विस्तार किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो मध्याह्न-भोजन-योजना का विस्तार किया जाना चाहिए और छात्रों को पहनने के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके अलावा निरीक्षण और प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत बनाया जाना चाहिए जिससे कार्य की परिस्थितियों पर सामयिक निगरानी की जा सके। विधेयक का समर्थन करते हुए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस परन्तुक का लोप किया जाए। न्यायालय द्वारा छः महीने से कम की सजा देने के अधिकार का मैं विरोध करती हूं। दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर मैं किसी

भी स्थिति में किसी भी प्रकार की नम्रता या दया दिखाने का विरोध करती हूं।

मैं सुझाव देती हूं कि एक व्यापक विधान लाया जाए। गुरूपादस्वामी समिति ने भी इस आशय की सिफारिश दी है कि केवल एक ही बहुपक्षीय कानून होना चाहिए। इस विधान में नियोजक के खर्चे पर कल्याण कार्यकलाप जैसी न्यूनयम शर्तें होनी चाहिएं। स्कूलों की व्यवस्था भी होनी चाहिए जिनमें स्थानीय कला तथा कौशल में छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा सके। कानून में काम करने का समय सुनिश्चित होना चाहिए जिसमें विश्राम का समय और नियमित छुटियों की व्यवस्था हो।

कानून को अधिक कठोर बनाना चाहिए और उसका उल्लघंन करने वालों को कड़ी सजा देनी चाहिए। इतने तक तो मैं इसका समर्थन करती हूं लेकिन इसका विस्तर अधिक नहीं होना चाहिए तथापि सरकार को एक उच्चस्तरीय अधिकारी जिसका पद बाल-महासंरक्षक हो, नियुक्त करना चाहिए जिसे उन क्षेत्रों को निरीक्षण करने का प्रधिकार प्राप्त हो जहां बालक काम करते हैं तथा उसे संसद के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। बाल-श्रम चरण-बद्ध रूप में समाप्त करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यह हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

***श्री अनिल बसु** (आरामबाग) : सभापति महोदय, हम बाल नियोजन (संशोधन) विधेयक, 1985 पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे कहते हुए दुःख होता है कि हमारे इस विशाल देश में काम करने वाले बालकों के भविष्य के बारे में सरकार ने बहुत उदासीन रूख अपनाया है। माननीय मंत्री श्री अंजैया इस संशोधन विधेयक को लाए हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह जानते हैं कि भारत में काम करने वाले बालकों की समस्याएं कितनी गहरी और व्यापक है? योजना आयोग के एक प्राक्कलन के अनुसार 1983 में भारत में बाल-श्रमिकों की संख्या 15.7 लाख थी। वे 6 से 14 के वर्ष के आयु वर्ग में है। भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में प्रत्येक 8 बालकों मे से एक बालक काम करने वाला है। इस विधेयक से यह पूरी तरह से सिद्ध है कि सरकार इस गम्भीर समस्या की गहराई और विशालता के प्रति कितनी उदासीन है।

1938 में जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगंठन के अधिवेशन में लिए गए निर्णय के अनुसार बाल नियोजन के लिए अधिनियम बनाया। तब से एक लम्बा समय बीत गया है और 1978 में उसमें कुछ संशोधन किए गए। आज 1985 में इस विधेयक के माध्यम से हमारी सरकार ने बाल-श्रमिकों की समस्या पर अन्यमनसकता का रूख अपनाया है। इस विधेयक में बताया जा रहा है कि कानून का उल्लंघन करने वालों तथा बाल नियोजन अधिनियम का बढ़ कर उल्लंघन करने वालों के लिए अधिकाधिक कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया

*बगंला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री अनिल बसु]

है। वास्तव में सरकार का रवैया आश्चर्यजनक है वे समझते है कि भारत में 1938 से 1985 तक काम करने वाले बालकों की विशाल समस्या का केवल कुछ उपबन्धों की व्यवस्था कर समाधान कर देंगे। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद युवा प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि 'हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करेगें'। उन्होंने कहा कि वह आधुनिकीकरण लाएंगे। उन्होंने कहा कि वह इलेक्ट्रानिक और कम्प्यूटर व्यवस्था लागू करेंगे। परन्तु इसके साथ ही भारत की वास्तनिक स्थिति यह है कि 55 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। 52 प्रतिशत से भी अधिक लोग अनपढ़ हैं। महोदय, मैं इस सम्मानिता सभा का नया सदस्य हूं। तब मैं दिल्ली से वापस जाता हूं तो मैं कानपुर, मुगलसराय, धनबाद और हावड़ा में देखता हूं कि रेल यात्री खाना खाने के बाद खाना रखने वाले कागजों को फैंकते हैं और मेरे देश के छोटे-छोटे बालक आजादी के 38 वर्षों के बाद उनमें बचे हुए खाने को उठाते हैं और खाते हैं। उस खाने को प्राप्त करने के लिए कोवे भी उसमें अपने पंजे मारते हैं और उसी खाने को प्राप्त करने के लिए मेरे देश के छोटे बच्चे भी कोवों के साथ संघर्ष करते हैं। भारत की यह वास्तविक तसबीर है। आप 21 वीं शताब्दी में जाना चाहते हैं, आप आधुनिकीरण तथा कम्प्यूटरीकरण करना चाहते हैं पर आप भारत के बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। जिनको आप कल का नागरिक कहते हैं, वह इस विधेयक से बिल्कुल भिन्न है। बालकों की सुरक्षा के लिए हमारे संविधान में भी कुछ प्रावधान हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 3 में, जो मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य को माताओं तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिए गए हैं। उस कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 49 में बालकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का सरकार को अधिकार दिया गया है। लेकिन वास्तव में आपने क्या किया हैं। अब 1985 में भारत मे बाल-श्रमिकों की संख्या 16 लाख से अधिक है जो एशिया में सबसे अधिक है। आपने उनके लिए क्या किया है? मैं जानता हूं कि जब यह प्रश्न आपके सामने कल के भारत द्वारा उठाया जाएगा तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। परन्तु आपको इस समस्या की गहराई महसूस करनी चाहिए। सभापति महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बाल-श्रमिकों के विनियमन के लिए कोई सामान्य कानून आम संविधि में नहीं है। कोई सामान्य कानून नहीं है। बाल नियोजम विधेयक में बाल नियोजन के बारे में कुछ प्रतिबंधित ढंग से कहा गया है। एक दर्जन अन्य केन्द्रीय सरकार के अधिनियम है जहां विभिन्न स्थानों पर बाल नियोजन के बारे में कुछ प्रतिबंधित निर्धारित किए गए हैं। लेकिन यदि आप इन एक दर्जन अधिनियमों को देखें तो आप पाएंगे कि सरकार पिछले 38 वर्षों में अब तक 'बाल' शब्द को भी ठीक से परिभाषित नहीं कर पाई है। बालक की क्या परिभाषा है? आप किसको बालक की परिभाषा देते हैं? कानून में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है हांलाकि केन्द्रीय सरकार ने 12 अधिनियम बना रखे हैं। 12 कानून बनाए गए हैं। कुछ 14 वर्ष से काम आयु वाले को बालक कहते हैं। कुछ कहते हैं कि जो 12 वर्ष का है उसे बालक कहते हैं। कुछ अन्य बताते हैं कि 10 से 14 वर्षों के बीच में आने वाले को बालक कहना चाहिए। इस देश में जहां एशिया में सबसे अधिक बाल-श्रमिकों की संख्या है वहां हम 38 वर्षों में बालक की स्थिर परिभाषा नहीं कर सके हैं। मुझे यह कहते हुए वास्तव में

दु:ख होता है। भारत की विधि के विधान में कोई सामान्य कानून नहीं पाया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री श्री अंजैया से अनुरोध करता हूं कि ऐसे विधान को लाकर कृपया हमारे असहाय और दुर्भाग्य बालकों का और अधिक तिरस्कार न किया जाए। हमारे बालक आधे भूखे रहते है। वे भूखों मरते हैं, उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे स्वेच्छा से या खुशी से काम पर नहीं जाते हैं। अपने परिवार को केवल खाने का टुकड़ा देने के लिए बालकों को फिरोजाबाद की चूडियों की फैक्ट्रियों में काम करने जाना पड़ता है। कश्मीर में गर्म कालीन बनाने के लिए उन्हें काम करने जाना पड़ता है। उन्हें अन्य विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ता है। जहां अपने श्रम से ये बालक हमारे देश की परम्परा तथा संस्कृति को बनाए रखने के लिए कला, डिजायन तथा विभिन्न कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं। लेकिन इन बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए अभी तक कोई उचित उपाय नहीं किए गए है। यह देखना होगा कि कृषि के क्षेत्र में आज बाल-श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है। वे केवल बाल-श्रमिक ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप से बन्धुआ मजदूर भी हैं। 'मेनस्ट्रीम' समाचार पत्र में आन्ध्र के बारे में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसमें यह बताया गया है कि आन्ध्र प्रदेश में बालक को थोड़े से खाने के बदले में जमींदार या जोतदार के घर पर उसकी इच्छानुसार काम करना पड़ता है। महोदय, यह केवल आन्ध्र में ही नहीं है यह उत्तर प्रदेश, बिहार तथा व्यावहारिक रूप से सभी राज्यों में बाल-श्रमिकों की समस्या हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। मैं अपनी पूरी ताकत से कहना चाहता हूं कि आप देश को 21वीं शताब्दी में ले तो जाएंगे परन्तु हमारे देश के 16 लाख बाल-श्रमिकों के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? भूख से मरने वाले बालकों के लिए आप क्या करेंगे आप इन अभागे बालकों के लिए क्या करोगे जो फिरोजाबाद की चूड़ी की फैक्ट्रियों में असहनीय परिस्थितियों में अपनी भूख मिटाने के लिए इतनी गर्मी में काम करते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि 12 अधिनियम या कानून बनाने के बावजूद आपने उल्लंघन करने वालों को अपराधी या सजा दी है। इसलिए कानून के माध्यम से केवल आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप वास्तव में बालकों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक व्यापक बालक अधिनियम लाना चाहिए। केवल यही नहीं, आपको यह भी बताना होगा कि बालकों के कल्याण के लिए आपने 7वीं योजना में कितनी राशि आवंटित की है। आपको यह बताना होगा कि इन 16 लाख बाल-श्रमिकों की समस्या को हल करने का आपका क्या प्रस्ताव है। जो नीति आपने अपनाई है उससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। यह केवल गरीबी बढ़ाएगा। आप भूमि सुधार कार्य पूरा नहीं कर पाए हैं। इस स्थिति में देश में बाल-श्रमिकों की संख्या निश्चित और अधिक बढ़ेगी। यह विधेयक बच्चों को राहत या आवश्यता के समय किसी भी प्रकार से सहायक नहीं हो पायेगा। आप यह विधेयक स्वयं को तथा दूसरे लोगों को धोखा देने के लिए लाए हैं। हम इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं और मेरा दल इस विधेयक का जो कुछ भी महत्व है उसका समर्थन करते हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे सामने भयभीत बालकों की समस्या के बारे में गंभीरता से विचार करें। कृपया कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। बालकों को धोखा न दें और उनसे छल

[श्री अनिल बसु]

न करें। आज के ये बालक कल के युवा होगें और इस युवा वर्ग के लिए यदि कुछ नहीं किया गया तो वे आपको कभी भी माफ नहीं करेगें।

सभापति महोदय : सभा कल 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.01 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 9 अगस्त 1985/18 श्रावण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली-110006